राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 10

गुरुवार,

8 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

उपभोक्ता मंचों में प्रतिवादी को नोटिस तामील प्रकरण

236. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उपभोक्ता मंचों के कार्यालयों में नोटिस तामील कराने हेतु कोई एजेन्सी/कर्मचारी नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रतिवादी को नोटिस जारी कराने का रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा दायित्व भी वादी के वकील को निर्वहन करने को बाध्य होना पड़ता है?

(3) क्या सरकार प्रश्न के भाग 2 में वर्णित स्थिति के समाधान के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जब दो तीन पेशी तक विपक्षी पार्टी को नोटिस ही तामील नहीं हो पाता है तब उपभोक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तीन माह में निर्णय नहीं हो पाने पर उपभोक्ता निराश होकर मंच के कार्यालय आना बन्द कर देता है? यदि हां, तो क्या इससे उपभोक्ता हित संरक्षण की योजना को धक्का नहीं लगता है?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) नोटिस तामील कराने हेतु व्यवस्था के अन्तर्गत तहसीलों के मार्फत तामील करवाए जाने की व्यवस्था है। जिला मंचों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध भी कराये गए हैं। इसके अतिरिक्त परिवादीगण की सहमति से जरिये रजिस्टर्ड डाक से भी नोटिस भेजे जाते हैं। नोटिस तामील करने हेतु सभी जिला कलक्टर्स को

(श्री रामकिशन वर्मा)

निर्देश जारी किए हुए हैं कि समस्त जिला मंचों द्वारा जारी किए गये नोटिस/सम्मन तहसील कार्यालय में कार्यरत तामील कुनिन्दा से तामील करवाकर उसकी प्रति सम्बन्धित मंच को वापस भिजवाने की कार्यवाही की जाए।

(2) जिला मंचों द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजने वाले नोटिस का व्यय मंच द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था है। कुछ जिला मंचों में परिवादी द्वारा जल्दी की वजह से दस्तियां रजिस्टर्ड डाक से, स्वयं के खर्चे से भी नोटिस भिजवाने हेतु निवेदन किया जाता है। तदनुरूप इसी प्रकार जिला मंच कार्यवाही करते हैं।

(3) जिला मंचों द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. के लिए व्यय की व्यवस्था है राज्य सरकार द्वारा नोटिस तामील कराने हेतु समस्त जिला कलक्टर्स को भी निर्देशित किया हुआ है कि तहसीलों में उपलब्ध तामील कुनिन्दा के मार्फत जिला मंचों द्वारा जारी नोटिस/सम्मन तामील करवाकर लौटाए जाएं। इस व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) विपक्षी परिवादी को दो–तीन पेशी तक नोटिस तामील नहीं होने से उपभोक्ता के निराश होने का कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है। नोटिस की तामील एवं प्रकरण पर निर्णय में लगने वाली अवधि न्यायिक प्रक्रिया के अंग हैं, जिनमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे उप-भोक्ता संरक्षण की योजना को गहरा आघात लगा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने केवल सवाल पूछने के लिए नहीं पूछा है। यह व्यवस्था है कि जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, उसके लिए उप-भोक्ता मंचों का गठन किया गया है। अपेक्षा यह है कि मंचों के द्वारा जनता को न्याय जल्दी मिले, सस्ता मिले, सुलभ हो। इस की जो जटिल प्रक्रिया है, वह है विपक्षी की तामील करवाने की। और उसी से संबंधित मेरा सवाल है। विपक्षी को जब तक नोटिस नहीं मिलेगा, तब तक कार्यवाही आगे चलती नहीं।

आपने कहा कि हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दे रखे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्म-चारी साइकल सवार नहीं होता। तहसील में तो प्रोसेस सर्वर होते हैं, न्यायालयों में प्रोसेस सर्वर होते हैं, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वह डाक बांटता है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या आपके यहां? आपने किन-किन मंचों को, कितने-कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दे रखे हैं और उन पर कितना बजट आपने अलग से दे रखा है।

तीसरी बात, आपने जिलाधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे इसकी व्यवस्था देखेंगे कि तामील समय पर होती रहे। उस आदेश की प्रति कृपा करके पढ़कर बता दें कि आपने क्या निर्देश दिए हैं उसकी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पालना कहीं नहीं होती है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि जब तहसील में तामील जाएगी तो उसकी तामील होगी। लेकिन तहसील में तामील हेतु पत्र देकर कौन आएगा? आपने व्यवस्था बताई है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। किस कारण से आप कहते हैं निराशा का कोई प्रकरण सामने नहीं आया। प्रकरण तब आवे जब आप मानें कि लोग निराश हो रहे हैं। लोग जाते हैं, बार-बार तारीख पर थककर आ जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि वे निराश तो होंगे ही, निराश भी नहीं होते हैं तो कम से कम जल्दी न्याय तो उन्हें नहीं मिल पाता है।

इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो दो-तीन बातें मैंने आपसे निवेदन की है कि कितना बजट दे रखा है, कहां–कहां कितने-कितने कर्मचारी दे रखे हैं और तहसील में कागज देने कौन जाता है। तहसील तामील करवाए, इस पर विचार करें। जो बड़े शहर हैं जोधपुर, जयपुर आदि, वहां भी क्या तहसील ही इस काम को करवाती है? मेरा सुझाव है कि यदि इसको इफेक्टिव करना हो, और आप ठीक समझें तो पुलिस या नगरपालिकाओं से शहरों में, और शेष पंचायतों को दे दें, यहां तक ठीक है। लेकिन शहरों में अगर आप नगरपालिका या पुलिस के मार्फत करवाएं तो थोड़ी इसमें गति पकड़ सकता है और जिस उद्देश्य से मंचों का गठन हुआ है, वह उद्देश्य पूरा हो सकता है। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। कलक्टर्स को जो आदेश दिए हैं, वह बता दें, तथा कितने-कितने कर्मचारी लगा रखे हैं व कितना-कितना बजट है, वह बता दें।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिला मंचों को 0.13 करोड़ रुपयों का बजट हमने दिया हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह इसी काम के लिए है क्या, यह बताइए आप।

श्री रामकिशन वर्मा : नहीं, पूरे आंफिस के लिए है। डाक के लिए, सम्मन भेजने के लिए और वहां पर जो कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह के लिए है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह सारा पैसा उसी में चला जाता है। सम्मन तामील के लिये बचता नहीं है, आपसे मैंने पहले भी कहा कि यह सवाल के लिए सवाल नहीं है, यह व्यवस्था देखें आप।

श्री रामकिशन वर्मा : मेरा आपसे निवेदन है कि लोकल व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था के लिए तामील करवाने के लिए चपरासियों को काम लेते हैं और तहसील में हो तो तामील कुनिन्दा से तामील करवाकर मंगवा लेते हैं। इस तरह के आशय का जो लैटर जिलाधीशों को लिखा है वह आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं;

"दिनांक 5-1-89, समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान राज्य आयोग एवं जिला-फोरम द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस/

(श्री रामकिशन वर्मा)

सम्मन तामील करवाए जाने बाबत। महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकार ने राज्य आयोग एवं जिला मंचों के लिए जिला फोरम गठन किया है। गठन सम्बन्धित अधिसूचना की प्रतियां इस पत्र के संलग्न आपके अवलोकन हेतु प्रेषित की जा रही है। गठित राज्य आयोग एवं जिला फोरम में उक्त अधिनियम के तहत दर्ज मामलों/शिकायतों पर आयोग/फोरम द्वारा कार्यवाही की जाकर मामले से सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस/सम्मन जारी किए जाएंगे, इस सम्बन्ध में लेख है कि आप अपने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि राज्य आयोग, जिला फोरम जिन नामों को नोटिस/सम्मन जारी कर आपके पास भिजवाए, उनको तहसील कार्यालयों में कार्यरत तामील कुनिन्दा से तामील करवाकर उसकी प्रति सम्बन्धित राज्य आयोग, जिला फोरम को वापस भिजवाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाए। कृपया इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से राज्य आयोग/जिला फोरम को अवगत करवाने हेतु जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी भिजवाएं।" यह लैटर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस की क्रियान्विति की कोई रिपोर्ट आपको मिली है क्या। आपने लिखा है कि आप ऐसी जांच करके कार्यवाही करके हमको भी इत्तिला दें। तो इत्तिला आई है क्या इसकी ?

श्री रामकिशन वर्मा : हमारे पास नहीं, जिला मंचों के पास आती है; राज्य आयोग के पास आती है; कोर्ट की प्रक्रिया के अन्दर....।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या जिला मचों से आपने जानकारी मांगी कि उनको क्या, दिक्कतें आ रही हैं ? उसके लिए आपने कोई कदम उठाए हैं क्या, यह पूछ रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता मंचों का जो गठन किया गया है उसमें पीड़ित को बिना वकालत किए, बिना कुछ व्यय के बहुत जल्दी सहायता देने का प्रावधान है। जहां तक तहसीलों से तामील करवाने वाली बात है, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार जुडिशियल कोर्ट हैं, मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वहां पर पर्याप्त संख्या में सवार वगैरह हैं। अगर उनसे तामील का प्रोसीजर रखेंगे तो तहसील से बेहतर तरीके से वह तामील होगी क्योंकि वह तामिल कुनिन्दा विभाजित होते हैं, एरिया होता है। तहसील में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकती कि जो दैनिक समाचार-पत्र हैं, उनमें एक साथ साल भर के टेंडर मांगकर निर्धारित कर दिए जाएं। इस प्रकार विज्ञापित कर दिए जाएं जिससे पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय भी मिल सके और यह प्रोसिजर है, वह भी बहुत उत्तम और सरल हो सके। अन्यथा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा

(श्री हीरासिंह चौहान)

यह बिलकुल सही है कि लम्बे समय तक न्याय नहीं मिलने से उपभोक्ता मंचों की स्थापना की गई है, जिस प्रकार का इसमें उद्देश्य निहित है उसकी पूर्ति नहीं होती है। पक्षकार को कोई न्याय नहीं मिलता है।

इसलिए मेरा निवेदन है 1989 की सूचना है इसको भी रिवाइज कर दो। कभी वापस देखो तो सही। आपके परिपत्र और आदेश बहुत पुराने हो जाते हैं और कलक्टर या दूसरी मशीनरी इसका ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए समय-समय पर इन को रिवाइज भी करना चाहिए, वापस नोटिस में भी लाना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता मंच में स्थान रिक्त हैं। जैसे अलवर में पूर्व के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह किसी को प्रदेश के मंच के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। तो कृपा करके हमारा निवेदन है कि तुरन्त जिनको भी नियुक्त करना है, करें। वहां पर लोगों को न्याय मिल सके। पिछले लगभग एक साल से काफी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नोटिस तामील का प्रश्न है यह। आप पूछ रहे हैं..

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तामील ही नहीं हो पाये हैं। जब कोई सदस्य ही नहीं है, कोई केस ही नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है। जो स्थान खाली है, अगर वह नहीं भरेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहां स्टेट फोरम का चेयरमैन भी नहीं है कई महीनों से। इसलिए दिक्कत होती है। अगर उसमें मान लो यह इस सवाल के परव्यू में भी नहीं आता है, तो भी आपके ध्यान में इस बात को ला सकते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं। हमारा जिला करौली नया बना है। और नया जिला बनने के कारण हमारे यहां पर उपभोक्ता मंच का गठन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अलग जिला बनने के कारण आप उसकी अलग व्यवस्था हमारे यहां कराएं, ताकि हमारे करौली जिले के जो केस हैं, उनके लिए हम वहां अपना निवेदन कर सकें और हमको न्याय मिल सके।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग, जिला मंच, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया होती है और कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा दखल नहीं होता। लेकिन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात की है, हम कोशिश करेंगे कि इन कमियों को भी दूर करें और जिला मंच के और राज्य आयोग के अध्यक्षों से जल्दी से गठन करके, उनसे बातचीत करके

(श्री रामकिशन वर्मा)

जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करेंगे। और जो माननीय सदस्य ने बात पूछी कि क्या दुबारा भी लेटर लिखा है, तो दुबारा जो लेटर लिखा, मैं उसको भी पढ़ कर सुना देता हूं। वह 1989 का था, यह 1993 का है।

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने लेटर लिखा होगा, लेकिन यह जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान हमने दिला दिया। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप व्यवस्था देखें कि व्यवस्था ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी विपक्षी को डाक तो तामील होती ही नहीं, इसमें बहुत विलम्ब होता है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : जवाब बहुत माकूल आ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माकूल तो आ गया, मैं इस बात से संतुष्ट हूं, क्योंकि जवाब ये दे रहे हैं इसलिए मैं संतुष्ट हूं। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, इसलिए व्यवस्था ठीक करें। और सम्मन की तामील तुरन्त होती रहे, इसके लिए आप जो भी कदम उठाना चाहें, उठा लें।

श्री रामकिशन वर्मा : व्यवस्था में जल्दी सुधार की बात भी करेंगे और तामील के लिए भी व्यवस्था पूरी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वृद्धि चन्द।

मतदाता परिचय-पत्र प्रकरण

237. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न जिलों में निर्वाचन संबंधी परिचय-पत्र मय फोटो मतदाता को वितरित किये हैं ? क्या उक्त परिचय-पत्र अस्पष्ट एवं घटिया स्तर के हैं तथा उनमें त्रुटियां भी हैं ?

(2) यदि हां, तो इस प्रकाशन के लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चुनाव मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां। राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित किये गये हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कराये गये हैं। राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उन्हीं मतदाता पहचान पत्रों का वितरण किया गया है जो कि मतदाता सूची के अनुरूप हैं और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुबंधित फर्मों द्वारा तैयार किये गये हैं।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) जी नहीं, किसी को दोषी नहीं पाया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मतदाता फोटो परिचय-पत्र में मेरे खुद का और पत्नी का फोटो, दोनों का ही अस्पष्ट है और वह मैंने ठीक कराया। बाड़मेर शहर के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने देखे, मैंने मंगाए थे। खेद की बात है कि वो फोटो परिचय-पत्र आये नहीं।

मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो फोटो परिचय-पत्र बनाए गए इसका किस अधिकारी ने कांट्रेक्ट दिया। और इस संबंध में आप भी विभिन्न जिलों से अगर फोटो परिचय-पत्र मंगाएंगे तो आप पाएंगे, बाड़मेर जिले में ही नहीं, बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में इस प्रकार के फोटो परिचय-पत्र हैं वे बिलकुल अस्पष्ट हैं। बिलकुल घटिया स्तर के हैं और इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। इस सम्बन्ध में ....(व्यवधान) ऐसी स्थिति हो सकती है।

मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं। इसलिए आप इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो खुद के फोटो के बारे में कहा, हो सकता है ऐसे फोटो आए हों, ऐसी कुछ पर्सेन्टेज है, लेकिन सब जगह ऐसी बात नहीं है। ज्यादा फोटो ठीक आए हैं और उनका वितरण भी किया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आपका फोटो ठीक आया है क्या ?

श्री नारायण सिंह : (दांतारामगढ़) : मेरा स्वयं का गलत है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कई जगह ठेका दिया है कई जगह खींच दिए, कई जगह खींचे नहीं हैं, कहीं ठीक नहीं आए। इसमें भारी गड़बड़ी है और न यह लागू हो सकता है। न पूरे लोगों के बने हैं और न बराबर आए हैं। (व्यवधान) बने हैं उसमें नाम नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहीं नाम गलत हैं, कहीं क्रम संख्या गलत है, ऑफिसेज के नाम गलत हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये जो कार्ड बने हैं इनके अंदर बड़ी अनियमितताएं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह बिलकुल अव्यावहारिक है, इसको ठीक कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पत्नी की जगह दूसरे की पत्नी का नाम लिख दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए।

श्री निर्मय लाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इसमें क्या संशोधन कर रहे हैं। फोटोज के मामले में ऐसी कई गलतियां हुई हैं, जैसे मर्द की जगह औरत का नाम आया है, औरत की जगह पर मर्द का नाम आ गया। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उसके लिए क्या प्रावधान है ?

श्री हीरासिंह चौहान : कहीं पुरुष को स्त्री बना दिया, कहीं स्त्री को पुरुष बना दिया। इस प्रकार के भी बहुत सारे उदाहरण हैं।

श्री निर्मय लाल : कई परिवार ऐसे हैं जिनमें 10 सदस्य हैं जिनमें से चार के नाम रह गये, और छह के फोटो रह गये, ऐसे भी हैं। दुबारा कोई ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था नहीं है। दुबारा फोटो खिचवाने की व्यवस्था नहीं है क्या ?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्वयं के फोटो परिचय पत्र में यह गलती है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, पहचान–पत्र मेरा और फोटो मेरे लड़के का है।

श्री हीरासिंह चौहान : ये फोटो परिचय-पत्र किसी काम के नहीं हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फोटो पहचान-पत्र मेरा है, लेकिन लड़के का फोटो है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि इसके लिए क्या प्रावधान है ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कलक्टर से लिखवाकर देना पड़ा इनको। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : सुधार के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं ?

श्री हीरासिंह चौहान : इस पर पुनः सरकार को विचार करना पड़ेगा, ये बिलकुल दोषपूर्ण फोटो परिचय-पत्र बने हैं।

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूप जी, आपको तो इससे फायदा है, एक की जगह दो मिल गई आपको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। जहां पत्नियों के नाम बदल दिए जाएं, पति का नाम बदल दिया जाए, क्या आप उसमें संशोधन करेंगे ? यह निवेदन है मेरा आपसे। इसमें बड़ी गंभीर अनियमितता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें भी सी.बी.आई. की जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह अब नहीं हुआ, पिछली सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में हुआ है, इस समय नहीं हुआ है। यह आपके टाइम में हुआ है।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार ने क्या किया इस पर ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सारी अनियमितता आपके समय में हुई है, हमारे समय में नहीं हुई है। यह आपके मंत्री के समय में हुई थी। (व्यवधान) इससे बड़ी बात और क्या होगी ? यह आपके समय में हुआ है, कांग्रेस के समय में नहीं हुआ है। मंत्री जी, यह भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है।

श्री निर्मय लाल : परिचय–पत्र में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. वालों ने इतने घोटाले किए हैं कि कोई हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। आप पहले दो दफे खड़े हो चुके हैं। (व्यवधान) माननीय निर्वाचन मंत्री जी, इतने ज्यादा माननीय सदस्यों का असंतोष है, वे सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आइडेंटिटी कार्ड ठीक हैं। इस संबंध में कुछ कमी रही है। मेरे यहां तो अभी तक परिचय-पत्र वाला लागू नहीं हुआ है। इसलिए राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टेशन आफिसर वगैरह या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग आफिसर करवाते हैं। इसके संबध में यह जो परिचय पत्र स्पष्ट नहीं हैं, या फोटो स्पष्ट नहीं है या फोटो दूसरी लगा दी है। इस प्रकार की भी शिकायतें हैं, पहले भी करेक्शन करवाया था। मुझे मालूम है जोधपुर जिले में इसलिए इस संबंध में कोई बात यहां स्टेट इलेक्टोरल कमीश्नर है उससे या किसी से बात करके कोई समाधान हो सकता है क्या इस स्टेज पर ?

श्री सांवरलाल : मेटेरियल सब स्टेण्डर्ड का है, कागज हल्का है तो उनके लिए भी कुछ...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे सवाल पूछ लिए हैं, सबके जवाब दे दूंगा। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय; मंत्री जी से मेरा निवेदन था यह जो परिचय पत्र छप रहे हैं, यह कितने समय से छप रहे हैं। सरकार ने जब छपवाना प्रारम्भ किया तो कोई न कोई अवधि तो निश्चित रूप से तय की होगी। कितना बजट सरकार ने तय किया है, कितना खर्च हो चुका है। राजस्थान में कितने जिलों में परिचय पत्र बन चुके हैं, कितने जिलों में काम अधूरा है। जहां तक मुझे जानकारी है, जितना बजट था सरकार का अधिकतर पैसा खर्च हो चुका है और आधे भी परिचय पत्र नहीं छपे। उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए..(व्यवधान) अगर इसकी जांच कराई जाए तो, लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला पकड़ा है...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भी इल्जाम लगा रहे हैं; इनकी सरकार के वक्त का ही है। फोटो पहचान पत्र अभी नहीं बने हैं, प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : सी. बी. आई. से जांच कराएं। जितनी भी गलतियां हुई, आपके समय में हुई। हमारी सरकार ने

(श्री सांवरलाल)

कोई गलती नहीं की है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : दो साल पुरानी बात है अध्यक्ष महोदय, इनके पास जाकर मैंने पूछा कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है इसको ठीक कराने का तो उन्होंने कहा कि हमारा कम्प्यूटर दुबारा एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे मंत्री महोदय पिछली सरकार की गलतियों को सुधारेंगे ऐसी मेरी आशा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : जितनी भी गलतियां हुई है आपके समय में हुई है। हमारी सरकार ने कोई गलती नहीं की है। आपकी भारत की सरकार ने गलती की है। अपनी मनमानी ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ा जाय +++ मंत्री महोदय इसको ठीक करवाए'..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न में यह भी पूछा था कि किस अधिकारी को इस संबंध में ठेका दिया है इस बारे में आपने जानकारी नहीं दी। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए, जो मापदण्ड निर्धारित किए गए; वो किस प्रकार के मापदण्ड निर्धारित किए गए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं इसमें बड़ा घोटाला है, करप्शन है। अधिकारी इन्वाल्व हैं (व्यवधान) पूरी जांच की जानी चाहिए, जांच अधिकारियों के द्वारा नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए ताकि पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस प्रकार का भयंकर घोटाला हुआ है और उसमें कौन-कौन अधिकारी इन्वाल्व्ड थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि यह सारा भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होता है। निर्वाचन आयोग ने एक स्पेसिफिक तिथि निश्चित की थी कि इतनी तारीख तक आप निविदाएं आमंत्रित करेंगे, इतनी तारीख को आपका प्रथम चरण प्रारम्भ होगा, इतनी तारीख में, द्वितीय चरण में, आप पंचायत हैड क्वार्टर पर बनाएंगे।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि निविदाएं आपने कब आमंत्रित कीं (व्यवधान) निविदाओं का काल कब समाप्त हुआ। और इसके अलावा मैं यह पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने कहा कि त्रुटिपूर्ण पहचान पत्र बटे हैं। कई जगह तो बंटे भी नहीं हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी सरकार सी.बी.आई. से सब चीजों की जांच करवाएगी क्या ? क्या आप पूरे मामले की सी.बी.आई. से जांच करवाने की मंशा रखते हैं ? (व्यवधान) यह सबसे बड़ा गम्भीर मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। सी.बी.आई. से जांच.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं भी एग्री हूं कि सी.बी.आई. से जांच करवाई जाए.. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पहचान पत्र बहुत आवश्यक काम था। उसमें कई कमियां, खामियां परेशानियां रही। मैं यह जानना चाहता हूं, इन सारी कमियों-खामियों को निपटाने के लिए कोई कलेण्डर तय करके, इस समस्या का कोई निश्चित समय तय करेंगे ? और उसके अन्दर जिस प्रकार की भी कमियां रही, उन कमियों को निपटाने का मन रखते हैं ? अगर इनमें कोई गड़बड़, घोटाला, बेईमानी कुछ भी हुई है, उसकी जांच करायेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, परिचय पत्र में खामियां रही हैं और नाम गलत आए है, सही नहीं है। इस सब का आधार मतदाता सूची है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा अब जो रिविजन हो रहा है वह भी डिफेक्टिव हो रहा है उससे सही मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं आ रहा, वह समस्या भी खड़ी हो गई। गलत पहचान पत्र होंगे, अधूरे पहचान पत्र होंगे।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, यह जो मतदाता सूची रिवाइज की जा रही है, उसमें आपने व्यवस्था की है, अभी जिस आदमी का नाम नहीं है वह अपने नाम फार्म भरकर दे। और आपके जो अधिकारी वहां नियुक्त होते हैं वह कहते है कि फार्म भरकर दे। हर आदमी वहां मौजूद होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे न परिचय पत्र सही होंगे न मतदाता सूची सही होगी।

इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं क्या कि आपके अधिकारी पहले मतदाता सूची, बूथ वाइज जाकर तैयार करें। किस किस के नाम बाकी रह गए, किस किसके डिलीट होने चाहिए किसके नये नाम जोड़ने हैं। उसके बाद में आप प्रक्रिया जो अपना रहे हैं फार्म भरने की, उसको बाद में कीजिए। पहले मतदाताओं की सूची को दुरूस्त करने का काम विभाग का है। मतदाता का नहीं है कि वह फार्म भरता रहे। बहुत जगह पहले कैम्प लगे थे, उनमें मतदाताओं को फार्म नहीं दिये गए थे।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पहले मतदाता सूची दुरूस्त की जाए, सबके नाम विभाग की तरफ से जोडे जाएं और उसके बाद यह दूसरी प्रक्रिया शुरू की जाए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके जितने भी सवाल हैं सबके जवाब दूंगा। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर बात है। मेरा नाम मतदाता सूची में ज्ञानदेव आहूजा की जगह ज्ञानदेवी आहूजा कर दिया गया। इतनी बड़ी मूंछे सीधी नजर आती है और कलक्टर साहब से लिखवाकर मुझे देना पड़ा (व्यवधान) मंत्री महोदय कहते हैं कि ठीक है, परिचय पत्र ठीक है। मूंछों से लगता है कि ज्ञानदेव आहूजा या ज्ञानदेवी आहूजा कौन है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह गंभीर प्रकरण है एक माननीय सदस्य का परिवर्तन कर दिया गया। इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले की जानकारी है, राजस्थान में करीब 2–3 कंपनियों को ही ठेका मिला था परिचय पत्र बनाने का। और मुझे जहां तक जानकारी है, इसको आप आरोप नहीं माने जांच करवा लें। दिल्ली के वित्त विभाग के अधिकारियों का और राजस्थान के निर्वाचन विभाग के अधिकारियों का इनका समय आप देख लिजिए कब कब बोग्बे गए हैं नीलापेन्टा होटल जो अंधेरी में है उसमें आपके अधिकारियों पर, एक-एक पर दो-दो, तीन-तीन लाख रुपए खर्च हुए है। उन्होंने सब तरह के एशोआराम किए है। आप जांच करवाए मैं स्पष्ट नाम बता रहा हूं नीला--पेन्टा होटल ..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको पता था कि घोटाला हुआ तो जांच क्यों नहीं की गई? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप इस मामले की जांच करवाएं लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धन कल्ला...(व्यवधान)

श्री गोवर्धन कल्ला : माननीय अध्यक्ष जी मेरे सीमावर्ती क्षेत्र में पहचान पत्र हैं, परन्तु सूचियों में से नाम काट दिए गए 1985 के बाद। बहुत बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की है। दूसरी समस्या 1965 की। एक पाक पलायन सूची लेकर बैठे हुए है 400–500 परिवार की। सबके नाम काट दिए 1985 के बाद में। मेरे जैसलमेर क्षेत्र की सीमा की समस्या है। कार्ड उनके पास हैं और सूचियों में से नाम काट दिए हैं। कृपया इसका ध्यान दिलाए..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मतदाता सूची और पहचान पत्र एक दूसरे से जुड़े हुए है। पिछली बार भी कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया, हाईकोर्ट में गए, कि परिचय पत्र में, मतदाता सूची में नाम है जिसे जान-बूझकर हटा दिया गया, काट दिया गया। जब कि किसी की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जो लोग मतदाता सूची बनाते हैं वे घर-घर नहीं जाते, ठीक ढंग से अंकित नहीं करते।

(श्री हीरासिंह चौहान)

इसी कारण से माननीय सदस्य शिवनाथ सिंह जी ने कहा बहुत भारी घोटाला हुआ। जिस समय मतदान होता है उस समय मतदाता के सामने भारी परेशानी आती है। इसलिए इस व्यवस्था को थोड़ा सुचारू करने के लिए माननीय विधि मंत्री जी कोई न कोई इस प्रकार का सरल रास्ता अपनाएं, पुख्ता व्यवस्था करें जिससे कोई भी मतदाता, जो 18 साल की उम्र का है उसका नाम भी रहे।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मतदाता परिचय पत्र है और 200-250 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से काट दिये गये हैं।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन किया जा रहा है? वह संक्षिप्त संशोधन किया जा रहा है अथवा मतदाता सूचियों का पूर्ण संशोधन किया जा रहा है? संक्षिप्त के अंदर मतदाता को प्रपत्र 6 भरकर के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और सम्पूर्ण संशोधन के अन्दर निर्वाचन क्षेत्र में घर–घर जाकर के पूरी निर्वाचन सूची तैयार करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में संक्षिप्त संशोधन किया जा रहा है या मतदाता सूचियों का पूर्ण संशोधन किया जा रहा है?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि इसी चुनाव में मेरे घर के खुद के 14 वोट काट दिये गये। नाम था सूची में, कार्ड बने हुए हैं लेकिन सूची के आगे लाइन लगी हुई थी और वह 14 वोट हम नहीं दे पाये। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा, यह बात बिलकुल सही है कि घर–घर जाकर वोटों को दुबारा लिखें क्योंकि वहां कोर्ट में फार्म नम्बर 6 भर दिया, चले गये, वहां 200 आदमियों की लाइन है। तो महिलाएं खड़ी होकर वापस आ जाती हैं और वह वोट बन नहीं पाते। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि मेरे खुद के घर के, परिवार के 14 वोट कटे हुए हैं तो ऐसे तो कहीं हुआ ही नहीं। वहां बड़ी देर से बात करते रहे, किसी ने सुना नहीं ...

श्री अध्यक्ष : आपने रिपोर्ट कर दी। आपने बता दी बात। श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय निर्वाचन मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि पिछली बार जब मतदाता सूचियां बनायी गयीं तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के नाम जान-बूझकर मतदाता सूची से गायब कर दिये गये। डाक्टर चन्द्रभान जी, ऊर्जा मंत्री, यहां बैठे हैं,

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

इन्होंने इसको लेकर उच्च न्यायालय ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय तक में याचिका दायर की कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से इन लोगों को वंचित कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज तो आप सरकार में हैं। क्या जिन लोगों के जान-बूझकर के द्वेष-पूर्ण भावना से नाम काटे गये थे उन नामों को वापस सर्वे कराकर जुड़वाने का काम करेंगे ?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई लोग ऐसे हैं जिनके 2–2 जगह मतदाता सूचियों में नाम हैं। गांव में भी रहते हैं और शहर में भी किसी काम से आ गये तो वहां भी लिखवा लिया। दोनों जगह उनके नाम चल रहे हैं। आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मत देने का अधिकार है लेकिन एक ही जगह दे सकते हैं। दो जगह नहीं। इसलिए मेरे ये दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं कि जिन अल्पसंख्यकों के नाम जान-बूझकर काट दिये गये थे, आप उनको वापस शुद्ध करेंगे और जिनके दो जगह हैं उनको काटेंगे ?

श्री अध्यक्ष : दोनों सप्लीमेंट्री पूछ ली हैं। मंत्रीजी।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में अकाल की वजह से काफी लोग गुजरात मजदूरी करने के लिए चले गये, हजारों लोग इस तरह के रहे हैं। तो इनके लिए सरकार आगे क्या इन्तजाम करेगी। उनके फोटो खिंचवायेगी या नहीं खिंचवायेगी ? मिनिस्टर महोदय मुझे सही जवाब दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी एक ही प्रश्न के अन्दर पूरा समय ले लिया। मैं इनसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप शान्तिपूर्वक मेरी पूरी बात सुन लीजिये। कृपापूर्वक आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये। यह आपकी और हमारी सब की समस्या है। हम चाहते हैं कि जिनके नाम नहीं जुड़े हैं वे जुड़ने चाहिए, जहां कहीं भी गलतियां हुई हैं, वे दुरुस्त होनी चाहिए। अगर परिचय पत्र ठीक से नहीं आये हैं और गलत आये हैं, तो उनको वापस ठीक किया जाना चाहिए। अगर परिचय पत्र दो बना दिये गये हैं, शहर में अलग और गांव में अलग, तो उनमें से एक किया जाना चाहिए। इन सारी समस्याओं से मैं वाकिफ हूं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्शन तो समय आयेगा जब लेंगे, एक्शन तो पहले ही नहीं लिया था।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो हमने जो रिवीजन आफ वोटर्स लिस्ट है वह आप सब के पास में एक प्रोग्राम आज भेज रहे हैं, कृपापूर्वक आप अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सीज में इत्तिला कर दें। हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि जिलों की मार्फत पंचायत समितियों में और पंचायतों तक में यह इत्तिला भेजें कि यह रिविजन आफ वोटर्स लिस्ट हो रही है। उसकी तारीखें मैं आपको बता देता हूं। निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशन 20-4-99 को है। दावे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

व आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 20-4-99 से 10-5-99 तक है। अभियान तारीखों में दावे व आपत्तियों को प्राप्त करने की दूसरे चरण की, दो दफे 24-4-99 और 25-4-99 एवं 8-5-99 और 9-5-99 है। दावे व आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए 12-6-99 है और अन्तिम नामावली जो प्रकाशित होगी वह 12-7-99 को प्रकाशित होगी।

इस प्रकार से यह लैटर, जिसके अन्दर सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, और इसके अंदर यह भी है कि हम एक अभियान के रूप में चला रहे हैं जिसमें सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वह अधिकारी वहां हर पोलिंग बूथ पर रहेंगे। और जितने भी लोग अपना नाम जुड़ाना चाहते हैं, किसी का स्वर्गवास हो गया तो कटाना चाहते हैं, कोई 18 साल के हो गये उनके भी जोड़ना चाहते हैं, वह सारे नाम इन तारीखों को जोड़े जाएंगे और नयी नामावली तैयार की जाएगी।

लेकिन जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या घर–घर जाकर के पूरी नामावली नयी बनेगी, वह नहीं है। वह नामावली नयी नहीं बन रही है। आपकी जो पहले से वोटर लिस्ट बनी हुई है उस वोटर लिस्ट में कहीं त्रुटियां रह गयी हैं, नाम गलत छप गये हैं या आपके नाम कट गये थे उनको आप जोड़ना चाहते हैं, या आपके बच्चे 18 साल से ऊपर की उम्र के हो गये है उनको आप जुड़ाना चाहते हैं, इन सब बातों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मेरी बात पूरी सुन लीजिये उसके बाद में आप निश्चित तौर पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माननीय प्रश्नकर्ता ने यह पूछा कि आपने किन फर्मों को यह दिये और उसमें घोटाला हुआ है। जो दिये थे वे हैं मैसर्स राजस्थान स्टेट एजेन्सी फार्म कम्प्यूटर सर्विसेज, जयपुर, मैसर्स राजस्थान कम्प्यूटर्स लिमिटेड जयपुर, मैसर्स साफ्टवेयर बम्बई, मैसर्स एम.सी. मोदी एण्ड कम्पनी नयी दिल्ली और मैसर्स ई.टी.एन.टी. डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड नयी दिल्ली। ये पांच फर्में हैं जिनको यह काम सौंपा गया था। आपका यह चार्ज है कि इन पांच फर्मों में से कुछ फर्मों ने गड़बड़ी की है। आपने यह भी बताया कि बोम्बे के अन्दर एक होटल नीलपेटा है, जिसमें इन्होंने मौज की है और वहां पर इनके आपस में यह हुआ है। यह सारी बात आपने कही है।

मैं इनके बारे में जांच करवा लूंगा और मैं आपको यह विश्वास देता हूं कि काफी पुरानी जांच हो गयी है, इसमें तथ्य कितने शामिल हो सकेंगे, अगर आपके पास में कोई और पुख्ता तथ्य हों तो आप मुझे बतायेंगे, उससे मुझे सहायता मिलेगी और निश्चित तौर पर वह जांच होने में....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मुझसे पूछा जाएगा तो पूरी जानकारी बताऊंगा। पूरी जानकारी है मुझे इस मामले में।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इन्हीं के पास ठहरे हुए थे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे बहुत खुशी है कि आप....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं उन्हीं के पास ठहरा हुआ था ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामस्वरूप जी, कभी तो गम्भीर बनो ।

श्री जुगल काबरा : मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जिन फर्मों को ठेका दिया गया था गलत पहचान पत्र बनाने के बावजूद भी, क्या उनको भुगतान कर दिया गया है ? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अलग से सवाल हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अलग से सवाल नहीं है । इनका जो पेमेंट किया गया है वह भी मैं आपको बता देता हूं। माननीय सदस्य, जो जोधपुर से निर्वाचित होकर यहां पधारे हैं, मान्यवर, उनका पेमेंट कर दिया गया है । इनका पेमेंट दो दफे इस प्रकार से हुआ था । मतदाता फोटो पहचान पत्र का एक फेज पहले हुआ उसका पेमेंट करीब 23.21 करोड़ रुपये लागत हमने उनको चुका दी । करोड़ों का मामला है । कुल यह इतने हुए हैं ।

फिर दूसरा फेज हुआ उसमें भी हमने उनका पेमेंट 1.11 करोड़, 12.72 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। अब हमारी इस वीडियोग्राफी के बाद हमारे पास आंकड़े हैं वह करीब 41 लाख आदमी और औरतें रह गयी हैं कि जिनके नाम जोड़ने हैं या जिन की फोटोग्राफी करानी है । आपने अभी बहुत बड़ा सवाल उठाया है और सब ने यह कहा है कि यह बहुत गलत बने हैं। यह सही नहीं है । आपके स्वयं के बड़े-बड़े एम.एल.ए.साहिबान के, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे नाम कट गये और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी औरत की ही दूसरी फोटो आ गयी, तो इन सब की जांच की जाएगी । मैं पुनः आपको यह एश्योर करता हूं ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरी फोटो में तो मेरी मूंछे ही नहीं आई है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब सुनिये तो सही, आपकी ऐसी की ऐसी मूंछे वापस आयेगी फोटो में, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा और उसमें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पूरी कार्यवाही की जायेगी और दो जगह नाम जिन लोगों के हैं, उनका कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है । एक ही जगह नाम रहेगा वोटर लिस्ट में....

श्री दुर्गा प्रसाद : मंत्री महोदय, एक परिचय पत्र पर कितना पैसा दिया गया ? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : गांव और तहसील का भी इसमें नहीं है, 50 प्रतिशत से ज्यादा परिचय पत्र खराब हैं ।(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो जगह किसी ने भी कराये हैं तो वह एक हो जायेगा, दो नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मंत्री महोदय, एक परिचय पत्र पर कितना पैसा दिया गया? ये मैं पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि एक परिचय पत्र पर कितना पैसा दिया गया?

श्री जुगल काबरा : उन लोगों से पैसा वसूल करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, माननीय मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, गांव और शहर में अलग, कई नाम ऐसे हैं जो एक प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में भी हैं। कइयों के नाम दिल्ली में भी हैं, कइयों के नाम यहां पर भी हैं। उनमें आप कैसे व्यवस्था करोगे?

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, जिन फर्मों को भुगतान कर दिया गया है और जिन्होंने गलत परिचय पत्र बनाये हैं, उन लोगों से वापस पैसा वसूलने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है और क्या कार्यवाही करने जा रही है, कृपया बताने की कृपा करें।

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय, कई नाम राजस्थान में भी लिखे हुए हैं—

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, करोड़ों का पेमेंट किया गया है और करोड़ों रुपयों के पेमेंट की जांच करने के लिए जो मैंने सुझाव दिया था कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा जांच की जाये। इसमें अधिकारी कौन है, स्पष्ट है। इसलिए हाई कोर्ट के जज ही के द्वारा जांच की जाये ताकि सही स्थिति पता पड़े और सीधी ही जांच की जाये।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा, कइयों के नाम जैसे राजस्थान में अपने गांव में लिखे हुए हैं, वे दिल्ली में भी चले गये, वहां पर भी उनका नाम चल रहा है, दूसरे प्रदेश में नाम चल रहा है। हिन्दुस्तान में एक आदमी एक जगह ही वोट दे सकता है। तो उनके नामों को दुरुस्त करने की क्या व्यवस्था मंत्री महोदय करेंगे? अगर कोई जानकारी दी जायेगी कि वह एक ही जगह नाम रहे, किस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिचय पत्र बनाये गये हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय निर्धारित किया है, वह प्रातः 9 बजे से प्रारम्भ होकर शाम के 6 बजे तक किया है। इसमें जो राज्य कर्मचारी हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको यह समय सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए शाम को थोड़ा देर तक या थोड़ा सुबह जल्दी करिये, 8 बजे कर दीजिये क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया और या फिर थोड़ा देर करिये, सायं 5 बजे बाद, वरना दफ्तर से पहुंचकर कैसे शिकायत लिखायेगा। दिन भर तो कोई लिखायेगा नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दूसरा, जो अवकाश का दिन है, उस दिन भी यह काम चलना चाहिए ।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पिछली वीडियोग्राफी कार्ड बनाये गये हैं, उसमें अधिकांश कार्डों में नाम क्या हैं, चेहरे क्या हैं ? मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी वापस जांच कराये। गांव के लोगों का इतना इंट्रेस्ट होता नहीं है और बहुत गलत ढंग से उन्होंने वितरित किये हुए हैं तो क्या सरकार इस बात को देखेगी कि कार्ड में जो नाम लिखा है उसके अनुसार उनको फोटो है या नहीं, एक तो यह मामला है और दूसरा, वीडियोग्राफी जब भी करवाते हैं, समय पर कोई पहुंचता नहीं है और गांव वाले पूरे इकट्ठे होते नहीं है और कई बार इकट्ठे होकर चले जाते हैं इसलिए बार-बार यह समस्या आती है ।

इसलिए इस बार सरकार एक निश्चित व्यवस्था ऐसी करे कि वह समय पर पहुंचे और पहुंचने के साथ वहां पर कई बार एक-एक हजार मतदाता एक साथ एकदम इकट्ठे हो नहीं सकते हैं। आते और जाते रहते हैं । इसलिए इसकी कोई ऐसी व्यवस्था करे कि इस बार लाखों आदमी वीडियोग्राफी में सम्मिलित होकर निश्चित रूप से अपनी फोटो खिचवा सकें और जिनके फोटो गलत खिचे हुए हैं, जिनके चेहरे गलत आये हुए हैं, नाम दूसरे के लिखे हुए हैं, उन सबका भी प्रमाणीकरण करके, मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाये ताकि सही तरीके से वीडियोग्राफी में फोटो आ सकें और मतदाता मतदान से महरूम नहीं हो सकें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय; जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले यह कहा था कि आपने पैसा चुका दिया है और यह गलत फोटोग्राफी हुई है (व्यवधान) नहीं नहीं, उन्होंने यह सवाल पूछा है, इसलिए है, बाकी सबके जवाब दूंगा । ऐसी बात नहीं है । तो इस बारे में और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस फोटोग्राफी के अन्दर बहुत गड़बड़ियां हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में जांच निश्चित तौर पर करूंगा....(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : किससे करवाओगे ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : जांच किससे करवाओगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.बी.आई. से ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रश्न यह है कि जांच किससे कराई जाये । इस बारे में मैं अध्यक्ष महोदय से वार्ता करके तय कर लूंगा कि जांच सही रूप में किस व्यक्ति से होनी चाहिए कि सही हो और निष्पक्ष हो, और उनको सजा मिले । (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : ... इसलिए मैंने हाई कोर्ट के जज का नाम बताया है ।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रदेशों में नाम है, दो-दो नाम रिपीटीशन है। मेरा पाइंटेड सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी नाम लिखा हुआ है, दिल्ली में भी नाम लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी लिखा हुआ है (व्यवधान) मंत्री महोदय, मेरा पाइंटेड सवाल है।

श्री जुगल काबरा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों से पैसा वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, कृपया मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे तथ्य उस जांच में आ जायेंगे, यह गलत फोटोग्राफी, यह पैसा लेना, यह होटलों में ठहरना, यह इस तरह से लेना, यह सारी जांच होगी उसकी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन मंत्रीजी को नीला फेंटा भेजा जायेगा क्या? आपने नीला फेंटा नहीं देखा, आप चले आइये।

श्री अध्यक्ष : मदन दिलावर।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया, उसका जवाब दिलवा दें। अन्य प्रदेशों में भी नाम लिखा हुआ है, उसका क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। आप तीन दफा सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं। श्री मदन दिलावर। नेक्स्ट प्रश्न। (व्यवधान)

कोटा उपभोक्ता सम्मेलन में प्राप्त शिकायत प्रकरण

238. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सरकार द्वारा फरवरी, 1999 में कोटा शहर में उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था? यदि हां, तो किसने क्या समस्या बताई? शिकायतकर्ता के नाम व पते सहित शिकायत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार ने समस्याओं को निपटाने हेतु कितने दिन का समय दिया? क्या उस समयावधि में समस्याओं का समाधान कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी हां कोटा शहर में 7 फरवरी, 1999 को आयोजित उपभोक्ता सम्मेलन में 79 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतकर्ताओं के नाम पते सहित, शिकायतों का विवरण परिशिष्ट (अ) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्य-

(डा. चन्द्रभान)

वाही का विवरण भी उपरोक्त परिशिष्ट 'घ' में दर्शाया गया है।

(3) शिकायत निवारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, परन्तु शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के आदेश दे दिये गये थे। प्राप्त शिकायतों में से नीतिगत व विद्युत मण्डल से असम्बन्धित मामलों को छोड़कर अधिकांश मामलों में कार्यवाही करके, शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में अनंतपुरा में कोलीपाड़ा में ऊपर से 11 के.वी. की लाइन निकल रही है, उसको हटाने के लिए आवेदन दिया था। आपने उसके लिए कहा कि जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, 2.66 लाख रुपये आप जमा करायें तो यह हट सकती है। और वहां खतरा रहता है और कभी भी मौत हो सकती है। तो क्या सरकार जो अनुसूचित जाति की बस्ती है, इस प्रकार के खतरे वाली लाइन निकल रही है या किसी भी सामान्य वर्ग से या कहीं से भी निकल रही है, क्या ऐसी लाइनों को विद्युत मण्डल अपने खर्चे से हटायेगा ? दूसरा है क्रमांक 26 का जवाब दिया है, जो शिकायत है उसमें, पोल को मकान के निर्माण के बीच में ले रखा है...

डा. चन्द्रभान : आपने क्रमांक नम्बर तो बोल दिया, शिकायत नम्बर बताइये, शिकायत नम्बर कितना है ?

श्री मदन दिलावर : शिकायत नम्बर 26 है, पोल को मकान के निर्माण के बीच में ले रखा है इसलिए उसको नहीं हटाया जायेगा, जिन्होंने मकान के बीच में पोल ले लिया है, उस पोल को क्यों नहीं हटाया जाता, क्या वह उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गई है ?

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल किये हैं। एक तो लाइन की शिफ्टिंग का है, ये दो तरह के मामले हैं। एक तो वह मामला है जिनमें लाइन पहले से ही जा रही है और लोगों ने अपने मकान बना लिये और कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां कि स्थान के अभाव में कहना चाहिए या मकान के पास से लाइन निकाल दी जाती है और धीरे-धीरे मकान का आगे एक्सटेंशन, एक्सपांसन होता है।

इस सम्बन्ध में विद्युत मण्डल की अपनी एक नीति है। कोई भी उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से या कोई भी कालोनी के लोग सामूहिक रूप से इस तरह की शिकायत करते हैं तो विद्युत की लाइन को हटा दिया जाता है। उसमें एक व्यवस्था है कि 50 प्रतिशत धनराशि तो विद्युत मण्डल स्वयं वहन करता है और 50 प्रतिशत राशि उपभोक्ता या उस समूह को वहन करनी पड़ती है। जहां तक दूसरा सवाल है, मकान के अन्दर पोल आया हुआ है उसको शिफ्ट करने का सवाल है, वह कोई उनकी सम्पत्ति नहीं है लेकिन उसको शिफ्ट कहां करे, वह जो गली इतनी कम

(डा. चन्द्रभान)

चाही है कि उसके अन्दर वह शिफ्ट नहीं हो सकता, यह है उसका उत्तर ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, गांव बस्तावाली (श्रीगंगानगर) में अभी दो बच्चों की डैथ हो गई । तार नीचे लटक रहे थे । घरों के बीच से पोल जा रहे हैं और उनको आपके विभाग ने 25–25 हजार का क्लेम भी दिया । एक हरिजन गरीब का लड़का था। उसके एक ही लड़का था, सात लड़कियां थीं और वह ट्रेक्टर से दवा छिड़क रहा था कि जो बड़ी लाइन थी, उसने एकदम उसको ऊपर उठा लिया ।

तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मैंने कई बार लिख कर दिया है कि कम से कम ऐसे जो संवेदनशील कार्य हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पैसा भर नहीं सकते । तो वहां से वह लाइन शिफ्ट करके सड़क के किनारे-किनारे चली जाय ताकि जो 25-30 मकान हैं, उनको कभी भी, दो बच्चे मर गये, एक तो किसान का एक अच्छे घर का लड़का था, एक बहुत गरीब जिसके एक ही बच्चा था और उनको आपके डिपार्टमेंट ने क्लेम भी दिया है 25-25 हजार, और यह वायदा किया था कि हम यह लाइन हटा देंगे । मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या उस लाइन को हटाने का विचार रखते हैं अथवा नहीं ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जो कालोनी के ऊपर से लाइनें हैं, उनको हटाने के लिए जो खर्चा आता है उसमें आधा खर्चा उस कालोनी के लोग या गांव के लोग अगर वहन करना चाहें तो उसको हटाते हैं । (व्यवधान) लाइन तो खड़ी हो जाती है, लेकिन क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि सामान वही है उसको शिफ्ट करना है। सामान ज्यादा नहीं लगता, केवल लेबर चार्ज लगता है ।

तो क्या पैसा नहीं जमा कराकर के उस कालोनी के लोगों से लेबर रूप में भी उसको शामिल करेंगे जिससे यह समस्याएं हट जायं और लोगों के घरों की सुरक्षा हो जाय और बोर्ड को कोई तकलीफ नहीं हो ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा एक सुझाव है मंत्रीजी, आप एक कमेटी नियुक्त कर दो । वह ऐसी जगह का चयन कर ले, अगर वास्तव में वह हटने योग्य है और डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लोगों की जिन्दगी से खेल तो नहीं सकते हम । मान लो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है । वह भर नहीं सकते और आप समझते हो कि जस्टिफिकेशन है । आपकी कमेटी अगर यह कह दे कि गरीब लोगों की कालोनी है यह पैसे नहीं दे सकते और इसको हटाना अति आवश्यक है तो उसको आप हटवा दें । एक कमेटी का गठन कर दें टेक्नीकल लोगों की, जो लोग आपको रिपोर्ट दे दें । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम): माननीय मंत्रीजी कुछ काश्तकार खुद हटाने को तैयार हैं वह अपनी मेहनत खुद कर लेंगे, आप खाली आदेश दे दीजिये उनके लिए, वह लट्ठा हटा लेंगे, सारा काम वह खुद कर सकते हैं. .(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मैं एक प्रकरण दे रहा हूं नौगांवा रामगढ़ क्षेत्र में हमने जब एप्लीकेशन दी लाइन शिफ्टिंग के लिए (व्यवधान) लेकिन जे.ईएन. ने दो हजार रुपये लेकर के दो लाइनें शिफ्ट कर दीं। रामगढ़...(व्यवधान) यह जो गबन हुआ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल स्पेसिफिक कोटा शहर से सम्बन्धित है और माननीय सदस्य जो चिंता प्रकट कर रहे हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह शिफ्टिंग का, बिजली का मामला है।

डा. चन्द्रभान : मैं भी उससे सहमति प्रकट कर रहा हूं लेकिन पहले माननीय सदस्य ने जो सवाल किये हैं उनका जवाब आने दीजिये आप। मदन दिलावरजी ने जो सवाल किये उनके जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा :...दो हजार लेकर शिफ्ट कर दिया। नौगांवा रामगढ़ में, 72 हजार रुपये बिल दिया लेकिन लाइन शिफ्ट कर दी जे.ईएन. ने दो हजार रुपये लेकर के। क्या मंत्री महोदय, इस लाइन शिफ्टिंग की जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी कालोनियां हैं जो कि सरकार द्वारा गरीब लोगों को आवंटित की गई हैं और अनुसूचित जाति, जन जाति, पूरे प्रदेश में यह बात है, केवल कोटा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसी कई कालोनियां हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। और सरकार द्वारा ही वह बस्तियां आवंटित की गई हैं। उनके ऊपर से बिजली के तार जाते हैं। आप यह कह रहे हैं कि वहां पर आधा पैसा कालोनी के लोग देंगे तो हम शिफ्ट करेंगे।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी बस्तियां जो सरकार ने बसाई हैं, उन बस्तियों के अन्दर अगर मकानों के ऊपर से तार जाते हैं तो विद्युत मण्डल को अपने खर्चे से उन बस्तियों को बनाने की कोई योजना है या नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : सरकार के अलावा भी, मंत्रीजी मेरा निवेदन है, सरकार ने बसाई हो वह कालोनी, चाहे नहीं बसाई हो, चाहे प्राइवेट कालोनी है, वास्तव में अगर आप जांच करायें तो राजस्थान में ऐसी कई कालोनियां आपको मिलेगी...

श्री अध्यक्ष : आप आसन की ओर देखिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्षजी, बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं है जिस पर आप कोई न कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछते हैं और सीधे मंत्री की तरफ देखते हैं आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : why don't you catch my eyes ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं क्षमा चाहता हूं अध्यक्षजी । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा था कि पूरे राजस्थान में इस तरह के मसले हैं जिसमें हजारों लोग मर चुके हैं अभी तक। छोटे-छोटे बच्चे करंट लगने की वजह से मर जाते हैं। गलियों में ऐसे पोल खड़े हैं, सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से...

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय से..

श्री अध्यक्ष : ठहरिये । जवाब देने दीजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा : नहीं-नहीं, एक क्वेश्चन है खाली। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, धोद से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने यह लाइन शिफ्टिंग की समस्या की ओर मेरा और सदन का ध्यान आकर्षित किया है। यह वास्तव में अहम समस्या है लेकिन जो पचास प्रतिशत बोर्ड वहन करेगा खर्चे का और पचास प्रतिशत उपभोक्ता करेगा, यह बोर्ड का नीतिगत फैसला है इसलिए अभी फिलहाल तो यही व्यवस्था रहेगी, आगे इसके ऊपर विचार हो सकता है ....(व्यवधान) एक सैकण्ड सुनिये। और जोधपुर के सदस्य को तो मैं आश्वस्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कि यह विद्युत उपभोक्ता सम्मेलन शुरू ही इसलिए किये गये थे कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निराकरण हो जाय, विद्युत मण्डल की जो वस्तुस्थिति है उससे उन्हें अवगत करायें और विद्युत मण्डल की विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार कैसे हो इसके लिए उपभोक्ताओं के सुझाव लें।..

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसके आप रिजल्ट बतायें।

डा. चन्द्रभान : रिजल्ट बता रहा हूं। रिजल्ट यह है कि कोटा में कुल मिलाकर 79 शिकायतें आईं। 72 का निस्तारण कर दिया गया । दो शिकायतें आवासन मण्डल से सम्बन्धित थी, पांच के ऊपर नीतिगत निर्णय करना है, वह बोर्ड करेगा। 72 में से 43 आवेदकों को राहत प्रदान कर दी गई और 29 शिकायतें गलत पाई गई। यह इसका रिजल्ट है। राजस्थान में पांच सम्भागों पर सम्मेलन हो चुके हैं।

(डा. चन्द्रभान)

पांच हजार उपभोक्ताओं से विद्युत मण्डल ने सीधे संवाद स्थापित किया है। पांच सौ से ज्यादा शिकायतों का निराकरण किया है और 11 तारीख को जोधपुर में फिर सम्मेलन है।

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यह 79 शिकायतें हैं आप इनमें बताइये कि कौनसी के बारे में पूछना चाहते हैं, आप नम्बर बताइये, मैं जवाब देता हूं। नम्बर बताइये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या अनन्तपुरा जो बसा हुआ है...

डा. चन्द्रभान : शिकायत नम्बर बोलें आप।

श्री मदन दिलावर : उस पर जो 11 के.वी. लाइन निकल रही है वह कब डाली गई थी और वह बस्ती कब बसी थी ? यह थोड़ा जानकारी दे दें।

डा. चन्द्रभान : शिकायत नम्बर कितना है, यह बताइये न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : आप यह शिकायत नम्बर तो बताइये 79 में।

श्री मदन दिलावर : शिकायत नम्बर पन्द्रह। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप यह हवाला जो दे रहे हैं सम्मेलनों का इत्यादि। लेकिन मंत्री महोदय, बोर्ड की जो वर्किंग है, बोर्ड में जो आफिसर्स हैं, भले ही वह चेयरमैन हो, सैक्रेटरी हो, उनकी थिंकिंग बिलकुल पुरानी सरकार के लिए काम करने की है। उस पर आप अंकुश लगाइये तब आपको यह, यह जो आप पालिसी बना रहे हैं और सी.एम. साहब और आप पालिसी बोर्ड को दे रहे हैं, वह लागू उन्हीं पर हो रही है बी.जे.पी. वालों के क्षेत्रों में ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय आपने उपभोक्ता सम्मेलन राजस्थान में चालू किये, वास्तव में स्वागत योग्य है। इससे पहले बिजली पंचायत के नाम पर पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी भी किया करते थे। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि उपभोक्ता सम्मेलन की सूचना सिवाय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के आपने उपभोक्ताओं को कोटा में किस माध्यम से दी। आपने कोटा के विधायकों को, कोटा के नगर निगम के चेयरमैन को, कोटा के निर्वाचित पार्षदों को, कोटा के निर्वाचित जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों को सूचना क्यों नहीं दी। आप इन उपभोक्ता सम्मेलनों का कांग्रेसीकरण क्यों कर रहे हैं..

डा. चन्द्रभान : चेयरमैन साहिबा मौजूद थी वहां पर, आपकी जानकारी है

(डा. चन्द्रभान)

या नहीं। चेयरमैन साहिबा वहां पर मोजूद थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सूचना नहीं दी।

डा. चन्द्रभान : आपको बताया नहीं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : यह अजमेर में ही सम्मेलन लगा है तथा अजमेर के चेयरमैन और किशनगढ़ की चेयरमैन थी बी.जे.पी. की। सब थे वहां। आप +++ब्लेम लगा रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : मेरा जबाव आ जाय।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह कथन बिलकुल ही गलत है। सुमन शृंगी वहां की जो मेयर है वह खुद सम्मेलन के अन्दर मोजूद थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सूचना नहीं दी..(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कैसे सूचना नहीं दी ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप कांग्रेस पार्टी के महामंत्री नहीं, आप राजस्थान के मंत्री हैं..(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह निराधार आरोप हैं आपके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और राजस्थान के प्रतिनिधि हम भी हैं; आप सूचना किसी को देते ही नहीं...

डा. चन्द्रभान : आप अजमेर के चेयरमैन..(व्यवधान) नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं मिस्टर राजेन्द्र सिंह जी..(व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : अभी अजमेर में लिखित में दिया है...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, उस सम्मेलन में हम लोग भी मौजूद थे, चेयरमैन भी थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सार्वजनिक सूचना दी जाती है..(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय; महापौर वहां मौजूद थी..(व्यवधान) वहां हम सब लोग मौजूद थे।

एक माननीय सदस्य : जब समाचार पत्रों से सूचना दे दी जाती है तो फिर कोई व्यक्तिगत सूचना देने..(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : कोटा में हम भी गये थे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इनके विधायक तो कम जीते हैं लेकिन अजमेर का..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जवाब दे रहे हैं। आप ठहरिये पहले।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. चन्द्रभान : आप सुनना क्यों नहीं चाहते, आप एक मिनट सुनिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं पूछा, एक छोटा सा..

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा आपको।

डा. चन्द्रभान : आप एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब इन्ट्रप्शन नहीं। बिलकुल नहीं। एक मिनट रहा है, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है। मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अजमेर के जो चेयर मैन हैं म्युनिसिपिलटी के मिस्टर वीर कुमार, वह खुद मौजूद थे और उनके वहां पर सजेशन्स हैं, भाषण हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं। उनको बुलाया है मैंने और विद्युत मण्डल ने। (व्यवधान) नहीं, उन सबको सूचना दी जाती है। और अध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है, कोई विधायक या सांसद का कार्यक्रम नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है यह शिकायत नंबर 15 है कोलीपाड़ा-अनन्तपुरा के अंदर 11 के.वी लाइन हटाने के बाबत। लाइन हटाने का तखमीना 2,66,000 रुपये का है। राशि जमा होने पर ही लाइन को हटाया जायेगा। इसमें से आधा पैसा विद्युत मण्डल देने को तैयार है, आधा पैसा कालोनी के निवासियों को देना होगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था वहां लाइन कब डाली गई थी और वह कालोनी कब बसी है। आपने कहा था कि पहले लाइन डाली जाती है उसके बाद कालोनी बसती है। मैंने यह पूछा था कि लाइन कब डाली है और कालोनी कब बसी है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में फतेहपुरा के लिये कहा था कि कनेक्शन जोड़ दिया जायेगा। वहां तार काट लिये गये हैं, वह लाइन आज तक चालू नहीं हुई है।

श्री कन्हैयालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी भवन हैं, जैसे स्कूलों के ऊपर से लाइन जा रही है तो क्या उस का खर्चा विद्युत मण्डल भुगतने को तैयार है ?

डा. चन्द्रभान : आम जनता को इसकी जानकारी होती है अखबार के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्न घण्टा समाप्त। (व्यवधान) बैठ जाइए आप, आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका बालोतरा के भूतपूर्व नाकेदार का पेंशन प्रकरण

312. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सही है कि भूतपूर्व नाकेदार को आदेश दिनांक 3-5-89 उपनिदेशक, जोधपुर के अनुसार दिनांक 5-3-88 की तिथि से अनिवार्य सेवा निवृत्ति देकर बालोतरा नगर-पालिका से हटाया गया था ? यदि हां, तो क्या भूतपूर्व नाकेदार को पेंशन एवं अन्य देय राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? अब भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

जी हां । श्री केवलचन्द, भूतपूर्व सब-नाकेदार को नगरपालिका द्वारा जी. पी. एफ. मय ब्याज राशि 11,046/- रु. एवं उपदान की राशि 4,392/- रु. दिनांक 23-12-92 को भुगतान कर दी गई है । इस व्यक्ति के 1968 से वेतन स्थरीकरण हो जाने और सब नाकेदार के रूप में नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता में छूट प्राप्त होने के बाद पेंशन प्रकरण के निस्तारण के उपरांत पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा ।

जिला धौलपुर का मास्टर प्लान प्रकरण

313. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार राज्य में कितने नगर–पालिका क्षेत्रों में मास्टर प्लान का प्रस्ताव लागू करना चाहती है तथा ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) क्या धौलपुर एवं नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में मास्टर प्लान का प्रस्ताव लागू किया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

(3) क्या धौलपुर एवं बाड़ी नगर–पालिका क्षेत्र में पानी के निकास के लिए कोई ड्रेनेज योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है तथा इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में मास्टर प्लान का प्रस्ताव लागू करना चाहती हैं । ऐसे तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(2) जी हां । धौलपुर का मास्टर प्लान वर्ष 1999–2000 से एवं बाड़ी का मास्टर प्लान वर्ष 2000-2001 से लागू किये जाने का प्रस्वात है ।

(3) नगरपालिका धौलपुर में ड्रेनेज योजना तैयार करने हेतु दिनांक 1-6.91 को 74,000/–रुपये की राशि जरिये चैक अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड (निर्माण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

को भेजी गई हैं। इस विभाग को बार-बार योजना बनाकर भेजने के लिए पालिका द्वारा लिखा जा रहा है। योजना का आलेख प्राप्त होने पर उसे लागू करने के विषय में सामयिक निर्णय लिया जा सकेगा। नगर पालिका बाड़ी के लिए ऐसी किसी योजना का प्रस्ताव अभी नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कर्मी

314. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण में कुछ अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से अधिकारी/कर्मचारी कौन–कौन विभाग से कब--कब से? एक अप्रेल, 1998 व 20 मार्च, 1999 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर रखने की कोई समय सीमा है? यदि हां, तो क्या और उक्त समय सीमा की इन मामलों में कहां तक पालना की गई है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय किस अवधि तक रखने आदि की प्रक्रिया में मौजूदा सरकार क्या-क्या सुधार करना चाहती है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति अवधि के संबंध में कार्यकारी समिति की 65 वीं बैठक दिनांक 25-10-97 के एजेंडा आइटम नं. 65.7(8) में लिये गये निर्णयानुसार उनके सम्पूर्ण सेवा काल में 4 वर्ष से अधिक नहीं रखे जाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है - कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य की महत्वता को देखते हुए निर्धारित समय से अधिक रोका गया है।

(3) इस बाबत प्रस्ताव विचाराधीन है।

(सूची एवं प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

समदड़ी (बाड़मेर) का उप तहसील स्थापना प्रकरण

315. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार तहसील सिवाना (बाड़मेर) के कस्बे समदड़ी को उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को कस्बा समदड़ी पूर्ण

(श्री गोपाराम मेघवाल)

करता है ? यदि हां, तो अब तक उप तहसील नहीं बनाने के क्या कारण रहे ?

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने नये राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? उक्त ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील सिवाना (बाड़मेर) के कस्बे समदड़ी में उप तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) तहसील सिवाना एक छोटी तहसील होने के कारण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कस्बा समदड़ी में उप तहसील स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नये राजस्व ग्राम बनाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जिला बीकानेर के गैर खातेदारों का खातेदारी अधिकार प्रकरण

316. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) । क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बीकानेर के ग्राम श्रीरामसर, करमीसर, चक गरबी, बदरासर, कांवनी, महरासर, कानासर के गैर खातेदार काश्तकारों को खातेदारी देने हेतु सरकार ने कब-कब आदेश दिए ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के आदेशों के बावजूद उक्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक कैम्प लगा कर अधिकार प्रदत्त कर दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला एवं तहसील बीकानेर के गांव श्रीरामसर, करमीसर, चक गरबी, बदरासर, कांवनी, महरासर, कानासर के गैर खातेदारों को खातेदारी देने हेतु सरकार ने राज्यादेश दिनांक 4-1-89, 17-10-94 व 29-9-95 द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को आदेश दिये गये हैं। प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) ग्राम कांवनी व बदरासर गजनेर लिफ्ट परियोजना क्षेत्र घोषित होने के कारण इन ग्रामों के क्रमशः 274 तथा 39 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं जिनको ग्राम करमीसर के 71 काश्तकारों की भूमि नगर विकास न्यास की अम्बेडकर एवं मुरलीधर व्यास योजना में आ जाने के कारण इनको खातेदारी नहीं दी गयी है। खातेदारी से वंचित खातेदारों को नियम अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण जिला कलक्टर, बीकानेर के स्तर पर विचाराधीन है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

कुशलगढ़ क्षेत्र के खातेदारी प्रकरण

317. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में लम्बे समय से बड़े भाई के नाम खाते दर्ज है और दूसरे भाईयों के हिस्से पर मकान बना कर खेती करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोर्ट में दावा करने पर अधिक समय व व्यय होता है ? क्या सरकार सगे भाई परिवारों के कब्जे के आधार पर अलग खाते जमीन में दर्ज कराने का आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह प्रथानुसार होता।

(2) जी, हां। पूर्व में उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे मासिक शिविरों में अथवा स्वयं भी मौके पर कैम्प करके इस प्रकार के पैतृक बंटवारे के मामलों का फैसला करें और अलग–अलग खाते कायम करावें। पुन: इस प्रकार के निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

ग्राम गहनोली (महुवा) के ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण प्रकरण

318. डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार महुवा द्वारा दिनांक 28-12-98 को गहनोली गांव में ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण करने पर एक व्यक्ति को अवैधरूप से निर्मित पाटोर व पुख्ता डण्डा से बेदखल करने एवं आरोपित राशि की वसूली के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या उसे बेदखल कर उससे आरोपित राशि की वसूली की जा चुकी है ? आदेश की प्रति एवं कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि अब तक बेदखल नहीं किया गया है, तो बेदखल की कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर को भी तहसीलदार महुवा तथा ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार महुवा द्वारा दिनांक 28-12-98 को ग्राम गहनोली स्थित खातेदारी भूमि ख.न. 984 रकबा 0.15 एयर पर रामजी लाल पुत्र जौहरी जाटव द्वारा पाटोर व पुख्ता डण्डा निर्मित करने पर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली एवं 16/-रु. शास्ती की राशि

(राजस्व मंत्री)

वसूल करने के आदेश दिये गये हैं। किन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार गै. मु. रास्ता की भूमि न होकर खातेदारी की भूमि है। आदेश की पालना में शास्ती की राशि वसूल की जा चुकी है। नियमानुसार बेदखली हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को तहसीलदार महुवा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 82-83 दिनांक 5-2-99 के द्वारा लिखा जा चुका है। पालना अभी तक अपेक्षित है। आदेश दिनांक 28-12-98 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर तथा पत्र क्रमांक 82 83 दिनांक 15-2-99 की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है ।

(2) यह भूमि ग्राम रास्ते की न होकर खातेदारी की भूमि है। खातेदारी की भूमि पर बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य करने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। विधि प्रक्रियाओं के अनुरूप शीघ्र ही बेदखली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।

(3) जी हां। तहसीलदार महुवा द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/99/84 दि. 15-2-99 परिशिष्ट-'स' तथा ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 4-3-99 को परिशिष्ट-'द' पर प्रस्तुत प्रा. पत्र जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर अवैध रूप से निर्मित पाटोल तथा पुश्ता बण्डे से बेदखल करने से एवं अवैध निर्माण को डिस्पोजल करने की स्वीकृति चाही गई है। जिस पर कलक्ट्रेट कार्यालय से पत्र क्रमांक 1760 दिनांक 17-3-99 परिशिष्ट-'य' के द्वारा अवैध निर्माण पाटोल व बण्डा को विधि प्रक्रिया अनुसार ध्वस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(प्रतियां/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर क्षेत्र में ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण प्रकरण

319. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर से गोविन्दगढ़ सड़क वाया किशनपुरा, नांद पर ग्राम गनाहेड़ा से आगे ग्राम रखीपुरा बस स्टैण्ड से एक कच्चा रास्ता धोबियों की ढाणी एवं अन्य छोटी-छोटी ढाणियों को जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है रास्ते का पुराना खसरा नं. 66 सरकारी जमीन में रास्ता इन्द्राज है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रास्ते/नाले की भूमि को वर्ष 1982-83 में चार काश्तकारों को आवंटित कर दिया गया था ?

(4) क्या उक्त आवंटन नियमों के अन्तर्गत सही था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आवंटन को निरस्त कर धोबियों की ढाणी एवं अन्य ढाणियों में जाने वाले रास्ते को पुनः खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यद्यपि राजस्व मानचित्र ग्राम किशनपुरा गोयला में धोबियों की ढ़ाणी व अन्य ढाणियों में जाने हेतु कोई रास्ता अंकित नहीं है तथापि वर्तमान में मौके पर किशनपुरा गोयला की वकिंग जमाबंदी के खसरा नं. 113 व 115 जो नोरत, मदन, कैलाश, पांचू, पूनम पिता छाजू के नाम खातेदारी में अंकित है, में से होकर एक रास्ता ढाणियों में जाता है।

(2) ग्राम किशनपुरा गोयला की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार साबिक खसरा नं. 66 रकबा 33-11-00 बीघा मिलिकयत प्रान्तीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम दर्ज है लेकिन उक्त भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता न होकर किस्म बारानी-3 दर्ज है।

(3) जी, नहीं। वर्ष 1982-83 में उक्त भूमि में से किसी भी व्यक्ति को आवंटन/नियमन नहीं किया गया था।

(4) आवंटन/नियमन नहीं किया गया था।

तहसील राजगढ़ (अलवर) के ग्रामों के ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण

320. श्री ललित भाटी (अजमेरपूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तिलवाड़ व तिलवाड़ी, तहसील राजगढ़, जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 151 तिलवाड़ व आराजी खसरा नं. 242 तिलवाड़ी गैर मुमकिन सड़क राजस्व रेकार्ड में दर्ज है? क्या ग्राम तिलवाड़ का आराजी खसरा नं. 151 जहां खतम होता है ग्राम तिलवाड़ी का आराजी खसरा नं. 242 प्रारम्भ होता है, की भूमि पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नं. 242 पर एक व्यक्ति ने खान/पाल बनाकर एवं पक्की तामीर कर, रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त अतिक्रमण को हटाने की बजाय अधिकारी/ कर्मचारी ने केवल कागजी कार्यवाही कर उसे भौतिक रूप से नहीं हटाया है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर, वास्तविकता का पता लगाकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम तिलवाड़ी के खसरा नं. 242 पर अतिक्रमण कर गहरा गढढा कर दिया गया है? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब सरकार उक्त अतिक्रमण कब तक हटाकर रास्ते को चालू कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम तिलवाड़ खा.ख. नं. 151 गै.मु. रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ख. नं. 242 रकबा 27 एयर ग्राम तिलवाड़ी गै.मु. सड़क राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम तिलवाड़ का खा.ख.नं. 151 जहां खतम होता है वहां ख.नं. 242 रकबा 5 एयर पर श्री प्रदीप कुमार पारीक निवासी जयपुर द्वारा अतिक्रमण कर रखा है।

(2) जी हां। ख.नं. 242 पर श्री प्रदीप कुमार पारीक द्वारा 5 एयर रकबे पर पत्थरों का कब्जा एव पम्प हाऊस, बिजली की कोठरी बनाकर नाजायज कब्जा कर रखा है। यह अतिक्रमण करीब 6 माह पूर्व से किया गया है। इससे पूर्व अतिक्रमण किये जाने पर जे.सी.बी. चलाकर दिनांक 30–8–97 को अतिक्रमण हटा दिया गया था। पम्प हाऊस, बिजली की कोठरी में 63 के.वी.ए का विद्युत कनेक्शन होने के कारण बिजली की कोठरी एवं पम्प हाऊस को नहीं हटाया जा सका। इसके लिये सहायक अभियन्ता, रा.रा.वि.मं., राजगढ़ को जिला कलक्टर द्वारा लिखा गया है। वर्तमान में जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने हेतु राज. भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं। उक्त अतिक्रमण को दिनांक 30-8-97 को भौतिक रूप से तहसीलदार राजगढ़, थानाधिकारी टहला, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजगढ़ के द्वारा जे.सी.बी. चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया था। केवल विद्युत कनेक्शन जारी होने के कारण बिजली की कोठरी एवं पम्प हाऊस को नहीं हटाया गया था। इसके लिये सहायक अभियन्ता, रा.रा.वि.मण्डल, राजगढ़ को जिला कलक्टर द्वारा लिखा गया है।

(4) जी हां। ख.नं. 242 पर मौके पर गहरा गढ्ढा कर दिया गया है। वर्तमान में इस गढ्ढे से खनन कार्य बन्द है। अतिक्रमी के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 30-8-97 को मौके पर कार्यवाही कर कब्जा भौतिक रूप से हटा दिया गया था। पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर के यहां कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) अतिक्रमण को हटाने हेतु नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें तत्काल निर्णय कर अतिक्रमण हटा दिया जावेगा। गढ्ढे को भराये जाने हेतु आवश्यक राशि प्राप्त होने पर ही भरवाया जाकर रास्ता चालू हो सकता है। मौके पर आवागमन में कोई परेशानी नहीं है।

जिला अजमेर में भू-आवंटन का रोक प्रकरण

321. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला अजमेर के भू-आवंटन पर

(श्री सांवरलाल)

किसी गांव में रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में किस-किस कारण से ?

उत्तर

जी, हां । यह सही है कि अजमेर जिले में केकड़ी तहसील के सभी गांवों में, जिसमें तत्कालीन समय में भिनाय तहसील क्षेत्र भी सम्मिलित था, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(1) राज/6/95/7 दिनांक 13-3-95 के द्वारा बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को बसाने के लिए, बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भू-आवंटन पर रोक लगाई थी जो आज भी यथावत है; किन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(1) राज/6/95 दिनांक 11-6-98 के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों के काफी समय से चले आ रहे कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों को नियमानुसार निर्धारित शर्तों पर नियमित करने हेतु नियमन पर लगी रोक हटा ली गई है ।

पुष्कर की चरागाह भूमि की मेड बन्दी प्रकरण

322. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तीर्थराज पुष्कर की चरागाह की मेड बन्दी करवाने हेतु मय रिकार्ड के क्षेत्रीय विधायक की ओर से जिलाधीश को कोई पत्र लिखा गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर नगर की चरागाह मेड बन्दी नहीं होने के कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार चरागाह की मेड बन्दी कब तक करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । तीर्थराज पुष्कर नगर की चरागाह की मेडबन्दी करवाने हेतु भू-संरक्षण विभाग एवं नगरपालिका पुष्कर द्वारा मय रेकार्ड के कोई पत्र इस कार्यालय को नहीं लिखा गया है ।

(2) ग्राम पुष्कर की चरागाह भूमि, जिसका कुल रकबा 800-01-00 बीघा है; पर किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई अतिक्रमण नहीं है । ग्राम पुष्कर की जमाबन्दी के खाता नं. 400 के अनुसार खसरा न. 576 रकबा 364-07-00, खसरा नं. 662 रकबा 00-11-00 किस्म चाही खसरा नं. 683 रकबा 1-10-00 किस्म चरागाह भूमि है । खसरा नं. 576 रकबा 384-07-00 खसरा नं. 662 रकबा 00-11-10 खसरा नं. 663 रकबा 1-10-00 कुल रकबा 366–08–10 पर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा पुष्कर घाटी गेप परियोजना के तहत मूंगे आदि लगाकर प्लान्टेशन किया हुआ है तथा खसरा नं. 665 रकबा 433-12-10 भूमि पर वन विभाग का कब्जा है जिस पर

(राजस्व मंत्री)

"पुष्कर समग्र विकास कार्यक्रम" अस्थिर टीबों का स्थरीकरण कार्यक्रम के तहत इसमें प्लान्टेशन किया हुआ है।

जिला सवाईमाधोपुर के वनों से सूखी लकड़ी का अस्थाई परमिट प्रकरण

323. श्रीमती यास्मीन अबरार (स. माधोपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर के आस-पास वनों से गरीब महिलायें/आदमियों को सूखी लकड़ी लाने का अस्थाई परमिट जारी किया जाता है ? क्या उसके बाद भी वनकर्मियों द्वारा उक्त महिलाओं से अभद्र व्यवहार/राशि वसूली जाकर उनका शोषण किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में महिला वन कर्मियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) वन क्षेत्र से लकड़ी लाने के अस्थाई परमिट जारी करने की सरकार ने क्या नीति तय कर रखी है।

उत्तर

(1) बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर के आस-पास के वनों से वर्तमान में राजबाग नाके एवं नीम चौकी से केवल सूखी गिरी पड़ी लकड़ी लाने के अस्थाई हैड लोड परमिट जारी किये जाते हैं। वन कर्मियों द्वारा महिलाओं से किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जा रहा है और ना ही उनका शोषण किया जा रहा है। इन परमिटधारियों द्वारा हैड लोड में गिरी सूखी लकड़ी के साथ काट कर गीली लकड़ी वन क्षेत्र से लाने पर उनको रोका जाता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) राज्य वन सेवा/वन अधिनस्थ सेवा में महिला अभ्यार्थियों की नियुक्ति करने बाबत किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं है।

(3) सवाईमाधोपुर के आस-पास के वन क्षेत्रों से केवल सूखी गिरी पड़ी लकड़ी लाने के लिये ही हैड लोड परमिट जारी किये जाते हैं। इसके लिये प्रत्येक परमिटधारी से 5/– रुपये प्रति पखवाड़ा शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति के बेरोजगार अभियन्ताओं का नियुक्ति प्रकरण

324. डा. जसवन्त सिंह यादव (मुण्डावर) : क्या आयोजना (जनशक्ति) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनशक्ति निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर में अनुसूचित जाति/जन–जाति व पिछड़ी जाति वर्ग के कुल कितने बेरोजगार सिविल डिप्लोमाधारी अभियांत्रिकों का पंजीकरण दर्ज है ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) क्या यह सही है कि जन शक्ति विभाग में उक्त वर्ग के कई व्यक्ति ओवर एज की स्थिति में पहुंच रहे सिविल डिप्लोमाधारी आशार्थियों के नाम दस वर्ष या उससे भी अधिक समय से दर्ज तथा उनके निरन्तर समय-समय पर नवीनीकरण कराने के पश्चात भी उन्हें अभी तक कहीं भी नियुक्ति नहीं दी गई तथा न ही कहीं साक्षात्कार हेतु भेजा गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 1991 से पूर्व के दर्ज उक्त जाति के सिविल डिप्लोमाधारी अभियांत्रिकों की सूची निम्न बिन्दुवार सदन की मेज पर रखें :

1. नाम आशार्थी 2. मेरिट क्रमांक 3. नाम दर्ज कराने की तिथि 4. दिये गये अवसर 5. अब तक अवसर न देने के कारण।

(4) क्या सरकार उक्त वर्गों के निकट भविष्य में ओवर एज होने जा रहे बेरोजगारों को अब जल्दी नियुक्ति देने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनशक्ति विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति के कुल 725 बेरोजगार सिविल डिप्लोमाधारी अभियांत्रिकों का पंजीकरण दर्ज है। वर्षवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 30-6-99 को अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 7 सिविल डिप्लोमाधारी ओवर एज हो जावेंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी सिविल डिप्लोमाधारी दिनांक 30-06-99 तक ओवर एज नहीं होगा।

जनशक्ति विभाग में पंजीकृत अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों के नाम किसी विभाग से मांग पत्र प्राप्त होने पर मैरिट क्रमांक के अनुसार भिजवाये जाते हैं। आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति हेतु मांग पत्र प्राप्त होने पर एक पद के विरुद्ध एक, और नियमित नियुक्ति हेतु एक पद के विरुद्ध 5 आशार्थियों के नाम भिजवाये जाते हैं। जनशक्ति विभाग में पंजीकृत सिविल डिप्लोमाधारियों की संख्या और विभागों से रिक्त पदों हेतु प्राप्त मांग पत्र में बहुत अन्तर होने के कारण तथा मैरिट सूची में नाम बहुत नीचे होने के कारण कुछ अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करना सम्भव नहीं था।

(3) दिसम्बर, 1991 से पूर्व सिविल डिप्लोमाधारियों, जो अभी इस विभाग में पंजीकृत हैं, की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) किसी अभ्यार्थी के निकट भविष्य में ओवर एज होने की स्थिति में मैरिट क्रमांक को तोड़कर नाम प्रस्तावित किये

(राज्य मंत्री, आयोजना)

जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और न ही निकट भविष्य में ऐसा कोई प्रावधान करने की सम्भावना है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत मण्डल में आई.टी.आई. प्रशिक्षित व्यक्तियों का वेतन प्रकरण

325. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्युत मण्डल में आई.टी.आई. से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को सेवा में किन नियमों के तहत लेने का प्रावधान है और उनके वेतनमान क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डल में आई.टी.आई.पास व्यक्तियों को समान पद पर कार्यरत व्यक्तियों से अलग वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में अधीनस्थ तकनीकी सेवा में विभिन्न पदों पर मण्डल के तकनीकी कामगार सेवा विनियम, 1975 के अनुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। उन पदों के वेतनमानों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कुछ एन.ए.सी.धारकों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकायें दायर की थी, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 23-10-1989 द्वारा उन्हें व समान योग्यताधारियों को दिनांक 1-11-1989 से वेतन श्रृंखला 3 दिये जाने के आदेश दिये जिसके कारण आई. टी. आई/एन. ए. सी. धारकों को समान पद पर कार्यरत व्यक्तियों से अलग वेतन दिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

जिला झुंझुनूं का विद्युत आपूर्ति प्रकरण

326. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुंझुनूं में कुल कितनी-कितनी विद्युत खपत कृषि, उद्योग एवं घरेलू कार्यों हेतु वर्ष 1998-99 में की गई?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत उपभोग को ध्यान में रखते हुए विद्युत सप्लाई बहुत ही कमजोर है? यदि हां, तो इसके सुधार हेतु क्या योजना विचाराधीन/बनाई गई है?

(3) क्या सरकार जिला झुंझुनूं में

(श्री शिवनाथ सिंह)

विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 220, 132 व 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में वर्ष 1998-99 में माह फरवरी, 1999 तक कृषि(फ्लेट रेट कनेक्शनों के अतिरिक्त) घरेलू व उद्योग में कुल 2942.91 लाख यूनिट विद्युत की खपत हुई, जिसका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	श्रेणी	विद्युत खपत
		(लाख यूनिट में)
1.	कृषि	581.30 (फ्लेट रेट प्रणाली के अतिरिक्त)
2.	घरेलू	609.11
3.	उद्योग	1752.50

(2) जी नहीं। वर्तमान उपभोग के लिये विद्युत व्यवस्था उपयुक्त है तथा घोषणा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) जी हां। जिला झुंझुनूं में संभावित विद्युत की मांग व विद्युत व्यवस्था में और सुधार हेतु वर्ष 1998-99 में 11, 33 के वी. सब-स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तावित है जिसमें से 6 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 3 का कार्य प्रगति पर है। शेष 2 सब-स्टेशनों का कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त 6, 33 के.वी. सब-स्टेशन तकनीकी रूप से स्वीकृत किये गये हैं, जिनका कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 1999-2000 में निर्माण हेतु सम्मिलित किये जाने की योजना है।

चार नये 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की स्वीकृति मंडल ने अपनी दिनांक 28-10-1997 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदान की। इनमें से सूरतगढ़ पर 132 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य (सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के ऋण सहयोग से) प्रगति पर है, बगड़ की योजना को वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है एवं मंडावा तथा मन्ड्रेला की योजनाओं को विश्व बैंक या अन्य ऋण की सहायता से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र चूरू के लम्बित विद्युत कनेक्शन प्रकरण

327. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक विधान सभा क्षेत्र चूरू की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु जन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिनिधियों ने कितने पत्र अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को कब–कब लिखे ? कितने पत्रों का उत्तर जन प्रतिनिधियों को कब-कब भेजा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र चूरू के कितने शहरी, ग्रामीण उपभोक्ताओं को डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये कितनों को विद्युत संबध दिये गये अब तक ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं के कितने आवेदन-पत्र कब-कब से लंबित हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां विद्युत मण्डल द्वारा खम्बे डाल दिये या खड़े कर दिये परन्तु तार नहीं खींचे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत भार बढ़ जाने से कितने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता में लगाने प्रस्तावित है तथा कब से मण्डल ने स्वीकृति प्रदान कर रखी है और कितनों पर कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग ने कितने पृथक विद्युत लाइन/ट्रांसफार्मर लगाने हेतु डिपाजिट वर्क करवाने हेतु कितनी राशि विद्युत मण्डल में कब-कब जमा करवाई उसमें से कितना कार्य हुआ ?

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक विधान सभा क्षेत्र चूरू की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु वृत कार्यालय को एक ही जन प्रतिनिधि से चार पत्र प्राप्त हुए हैं। खण्ड कार्यालय को उक्त अवधि में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वृत कार्यालय में प्राप्त पत्र व दिये गये उत्तर सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	नाम जन प्रतिनिधि	पत्र सं. व दिनांक	पत्र प्राप्ति की तिथि	उत्तर देने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राज. विधान सभा	41/21-1-1999	22-1-1999	7497/ 27-3-1999

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	श्री राजेन्द्र राठोड़, सदस्य, राज. विधान सभा	—	1-2-1999	6337/ 19-3-1999 पुनः 7499/ 27-3-1999
3.	,, ,, ,, ,,	146/99 14-3-1999	20-3-1999	7502/ 27-3-1999
4.	,, ,, ,, ,,	153/99 16-3-1999	20–3–1999	7498/ 27-3-1999

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र चुरू के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में कुल 553 मांग पत्र व 184 कनेक्शन जारी किये गये हैं। वर्तमान में 1515 आवेदन पत्र लम्बित हैं। जारी किये गये मांग पत्र, दिये गये कनेक्शन व लम्बित आवेदनों का शहरी व ग्रामीण क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चुरू में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां स्वीकृत कार्य हेतु पोल डाल दिये हों और उन्हें खड़ा नहीं किया गया हो तथा उन पर तार नहीं खींचे गये हों।

(4) चूरू शहर में विद्युत भार बढ़ जाने से वार्ड नं. 2 व 3 में एक–एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 9-6-1997 व 17-10-1997 को जारी की गई थी। परन्तु वार्ड नं. 2 में 11 कि.मी. लाइन के पथ पर व वार्ड नं. 3 में सब-स्टेशन के स्थान को लेकर उठे विवाद के कारण उक्त दोनों कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। विवाद हल होने पर उक्त कार्य पूरे किये जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जिस पर क्षमता से अधिक भार हो। अतः कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) प्रश्न में अवधि वर्णित नहीं है, परन्तु वर्तमान में आसलू योजना के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। ग्राम आसलू की जलदाय योजना के लिये जलदाय विभाग द्वारा पृथक लाइन हेतु 24,91,461/- रु. की राशि दिनांक 27 दिसम्बर,1996 को जमा करवाई थी। इस लाइन का 9 कि.मी. कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 9 कि.मी. के पोल खड़े कर दिये गये हैं, शेष लाइन के कार्य में वन

(ऊर्जा मंत्री)

विभाग द्वारा आपत्ति करने के कारण कार्य रुका हुआ है, वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर कार्य शीघ्र पूरा करवा दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

328. श्री प्रताप सिंह सिंघवी(छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के मूंडला एवं सारथल में 33 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं ? अब कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्राम सारथल में नवम्बर, 1997 में तथा मूंडला में दिसम्बर, 1997 में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(2) उपरोक्त सब-स्टेशनों हेतु भूमि आवंटन न होने से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। अब भूमि का आवंटन हो गया है तथा दिनांक 17-3-1999 को कार्य का ठेका दे दिया गया है। सामान उपलब्ध करवाकर कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

उप खण्ड इटावा (कोटा) के रिक्त पद प्रकरण

329. श्री रामगोपाल बैरवा(पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप–खण्ड इटावा जिला कोटा में विभिन्न श्रेणी के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कोटा में विद्युत मण्डल के उपखण्ड इटावा में विभिन्न श्रेणी के 9 पद रिक्त हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:—

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या	कब से रिक्त है
1.	राजस्व लेखाकार	1	अप्रेल,1998 से
2.	कार्यालय अधीक्षक	1	मार्च, 1995 से
3.	वरिष्ठ लिपिक	1	मार्च,1995 से
4.	कनिष्ठ लिपिक	2	मार्च, 1995 से
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	अगस्त; 1998 से
6.	चौकीदार	2	मार्च, 1997 से
	योग:	9	

(2) जी हां। रिक्त पदों को कार्य की आवश्यकतानुसार मितव्ययता का ध्यान रखते हुए भरने के प्रयास किये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में लम्बित विद्युत कनेक्शन

330. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 तक कितने ग्राम व ढ़ाणियां विद्युतीकृत करके उनको कितने किलोमीटर एल.टी.लाइन खींची गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में किसानों व सामान्य उपभोक्ताओं को कितने विद्युत कनेक्शनों के डिमाण्ड नोटिस जारी किए गए तथा कितने लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर की पंचायत समिति, श्री गंगानगर शत् प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित है। उक्त क्षेत्र के विद्युतीकृत घोषित ग्रामों व उनकी ढ़ाणियों में जनवरी, 1998 से अब तक विभिन्न श्रेणी में कनेक्शन दिए जाने के

(ऊर्जा मंत्री)

लिए 19.369 कि.मी.एल.टी.लाइन खींची गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में किसानों को उक्त अवधि में 24 मांग-पत्र जारी किए गये हैं तथा अन्य श्रेणी के आवेदकों को 3387 मांग-पत्र जारी किए गये हैं। वर्तमान में कृषि के 66 व अन्य श्रेणी के 132 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क.सं.	श्रेणी	डिमाण्ड नोट जारी	लम्बित आवेदन पत्र
1.	घरेलू	2964	120
2.	अघरेलू	358	11
3.	लघु औद्योगिक	58	1
4.	मध्यम औद्योगिक	6	—
5.	वृहत	1	—
			132
6.	कृषि सामान्य	23	65
7.	कृषि नर्सरी	1	1
		3411	66

(3) कृषि श्रेणी के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण वर्ष 1999–2000 की घोषित कृषि नीति के अनुसार किया जाना संभव होगा। अन्य आवेदनकर्ताओं को कनेक्शन जारी करने की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्राथमिकता के अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

कुड़की (जैतारण) का ग्रिड सब-स्टेशन प्रकरण

331. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़की में 33 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हैं? यदि हां,तो कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रिड स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़की में 33 के.वी.सब-स्टेशन वर्ष 1998-99 के फेज्ड प्रोग्राम में कार्य हेतु स्वीकृत है। उक्त 33 के.वी. सब-स्टेशन जनवरी, 1998 में बैंक फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत ग्रुप स्कीम के साथ स्वीकृत किया गया था। बैंक ऋण स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां । उपरोक्त सब-स्टेशन को वर्ष 1998–99 के फेज्ड प्रोग्राम में निर्माण हेतु सम्मिलित किया गया था तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार पूर्ण किया जाना था । निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

चित्रकूट योजना में विद्युत चोरी की रोकथाम

332. श्री राजेन्द्र सिंह गण्डुरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की अजमेर रोड स्थित चित्रकूट योजना में अनेकों मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं उनमें से कुछ ही मकान मालिकों द्वारा विद्युत कनेक्शन ले रखा है ? यदि हां, तो विद्युत कनेक्शन धारकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों के मकान का निर्माण कार्य प्रगति पर है उनके द्वारा अवैध रूप से खम्भे पर तार डालकर बिजली ली जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर विकास प्राधिकरण की अजमेर रोड स्थित चित्रकूट योजना में घरेलू श्रेणी में वर्तमान में 179 स्थायी व 2 अस्थायी कनेक्शन दिये हुये हैं ।

(2) उक्त योजना में चैकिंग के दौरान एक मामला विद्युत चोरी का व एक विद्युत दुरुपयोग का पकड़ा गया । विद्युत चोरी के मामले में जुर्माना राशि रु. 3750 वसूल की जा चुकी है जबकि विद्युत दुरुपयोग के मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

तहसील अरनोद का आदिम जाति सेवक संघ (चित्तौड़गढ़) द्वारा संचालित छात्रावास

333. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील मुख्यालय अरनोद पर आदिम जाति सेवक संघ द्वारा संचालित छात्रावास किन कारणों एवं कब से बंद चल रहा है ?

(2) उक्त अनुदानित छात्रावास के पुनः चालू कराने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ।

उत्तर

(1) संस्था के निरीक्षण के दौरान भवन जीर्णशीर्ण हालत में होने के साथ-2 अन्य अनियमिततायें पाये जाने के कारण संस्था को देय अनुदान वर्ष 97-98 से बंद किया गया । विशेष आडिट में उठाये गये

(समाज कल्याण मंत्री)

आक्षेपों की पालना नहीं किये जाने के कारण अनुदान पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

(2) छात्रावास भवन को मरम्मत संस्था द्वारा कराकर भवन उपयोग योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं अन्य आक्षेपों की पूर्ति के उपरान्त अनुदान पुनः चालू करने पर विचार किया जा सकेगा।

सैम समस्या ग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों का ऋण प्रकरण

334. श्री आवराम मेघवाल (टीबी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी समितियों में अस्थाई व्यवस्थापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार सैम समस्या से ग्रसित किसानों का ऋण माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिन किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण ले रखा था और सैम की चपेट में आने से ऋण अदा नहीं कर सके उनके ऋण का ब्याज माफ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कई सहकारी समितियों में अस्थाई व्यवस्थापक हैं, किन्तु अस्थाई व्यवस्थापकों को नियमित करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार का नहीं है।

(2) वर्तमान में सैम समस्या से ग्रसित किसानों का ऋण माफ करने संबंधी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। समस्या ग्रस्त क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं से ऋण माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में सैम समस्या से ग्रसित क्षेत्र के किसानों का ब्याज माफ करने संबंधी योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। समस्या ग्रस्त क्षेत्रों की सहकारी समितियों से भी ब्याज माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

भूमि विकास बैंक सीकर का पदोन्नति प्रकरण

335. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि विकास बैंकों में पदोन्नति/नियुक्ति हेतु समिति गठित कब से की गई तथा उसके कौन-कौन सदस्य हैं?

(2) उक्त समिति ने सीकर भूमि विकास बैंक में उक्त कार्य हेतु कब-कब बैठकें की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूमि विकास बैंकों में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक फा. 15(18) सविरा/बैंक-2/8485 दिनांक 25-4-86 से निम्न प्रकार से चयन समिति का गठन किया गया है:—

1. लिपिक वर्ग हेतु :

1. अध्यक्ष/प्रशासक सम्बन्धित बैंक-अध्यक्ष
2. प्रबन्ध संचालक राज.राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति-सदस्य
3. सचिव संबंधित बैंक-सदस्य सचिव
4. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि-सदस्य

2. चौकीदार/ड्राईवर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए :

1. सचिव, संबधित बैंक-अध्यक्ष
2. सहायक सचिव-सदस्य सचिव
3. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार-सदस्य

(2) उक्त कमेटी की सीकर भूमि विकास बैंक में उक्त कार्य हेतु कोई बैठक नहीं की गई है।

रायपुर व सोजत (पाली) में स्वीकृत राहत कार्य

336. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली के रायपुर व सोजत के अकाल ग्रस्त राजस्व गांवों में माह अक्टूबर, 1998 से 15 मार्च,1999 तक किस-किस गांव में किस-किस प्रकार का राहत कार्य चालू किया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति रायपुर द्वारा माह सितम्बर से दिसम्बर, 1998 एवं जनवरी, फरवरी, 1999 में किन-किन तालाब मरम्मत, नाडी खुदाई, नयी नाडी निर्माण, पुराने एनीकट मरम्मत या विस्तार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बर व सोजत द्वारा कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कार्य स्वीकृत नहीं करने के कारण क्या रहे ?

उत्तर

(1) जिला पाली के रायपुर व सोजत के प्रभावग्रस्त राजस्व गांवों में माह अक्टूबर, 98 से 15 मार्च, 99 तक स्वीकृत कार्यों की प्रकारवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) पंचायत समिति रायपुर द्वारा माह सितम्बर से दिसम्बर, 1998 एवं जनवरी, फरवरी, 99 में तालाब/नाडी

(अकाल राहत मंत्री)

खुदाई मरम्मत के 5 कार्य स्वीकृत किये गये। नई नाडी निर्माण, पुराने एनीकट मरम्मत या विस्तार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। सार्वजनिक निर्माण विभाग बर व सोजत के प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता ने 29-1-99 को प्रेषित किये हैं जो विचाराधीन है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति दूदू की स्वीकृत सड़कें

337. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र दूदू की नहर गंगातीकलां से मोजमाबाद एवं बोबास से भाईदान का बास सड़क की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कब एवं कितनी-कितनी लम्बाई की? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त दोनों ही सड़कों की लम्बाई जो पूर्व में स्वीकृत थी से कम कर दी गई? यदि हां, तो कितनी–कितनी एवं किस कारण से?

(3) क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों को पूर्व में स्वीकृत लम्बाई की ही बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नहर से गंगातीकलां तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनी हुई है जिसका पूर्व में सर्वे भी लिया हुआ है? क्या सरकार उक्त 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाकर तहसील मुख्यालय को राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं. 8 से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि बोबास से भाईदान का बास सड़क पंचायत मुख्यालय तक पहुंचेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सम्पर्क सड़कें दूदू फागी रोड से गंगातीकलां एवं बोबास से भाईदान का बास के नाम से स्वीकृत है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'क,' 'ख' एवम् 'ग' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। सम्पर्क सड़क दूदू फागी रोड से गंगातीकलां एवं बोबास से भाई-दान का बास का निर्माण कार्यादेश अनुसार क्रमशः दिनांक 16-4-2000 एवम् 13-10-99 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(4) जी नहीं । इस सड़क हेतु मण्डी समिति स्तर से कोई सर्वे नहीं करवाया गया है तथा इस सड़क को निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव मण्डी समिति स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी नहीं । बोबास से ग्राईदान का बास की वास्तविक लम्बाई 8.8 कि. मी. है । जबकि यह सम्पर्क सड़क 8.0 कि. मी. लम्बाई में ही स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रगति पर है । शेष 0.8 कि. मी. लम्बाई की स्वीकृति के उपरान्त ही पंचायत मुख्यालय ग्राईदान का बास जुड़ना सम्भव हो पायेगा ।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 22 मार्च, 1999)

महेश नगर से दुर्गापुरा फाटक की सड़क पर अतिक्रमण

9. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) महेश नगर से दुर्गापुरा फाटक तक सवाईमाधोपुर रेल्वे लाइन के समानान्तर निर्मित सड़क पर और इसके आसपास कालोनीज में जाने वाले आम रास्ते/सड़क/सैक्टर सड़क पर अनधिकृत कब्जे करके मकान या बाउन्ड्रीवाल किस-किस व्यक्ति द्वारा बनाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने किस-किस न्यायालय में केस कर रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अनधिकृत कब्जों में से कितने कब्जे हटा दिये गये हैं और कितने कब्जों के संबध में न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध और कब्जाधारियों के पक्ष में निर्णय दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) अनधिकृत कब्जों में कितने कब्जे नवम्बर, 1998 में हुए विधान सभा चुनावों के दौरान और उसके बाद में किये गये अथवा मकान निर्मित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 4 के विषय में जयपुर विकास प्राधिकरण को शिकायती पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो कब-कब और कितने प्राप्त हुए ? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) उक्त शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ? कितने और कौन-कौन से शिकायती पत्र असत्य पाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उक्त सड़क का 1650 मी.ल.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

का भाग (महेश नगर से दुर्गापुरा रेल्वे फाटक तक) हैं। इस सड़क की चौड़ाई सेक्टर प्लान के अनुसार 100''-0'' चौड़ी है। जिसमें निम्नलिखित सहकारी समितियों की योजनाओं के भूधारियों द्वारा दुकानें, मकानात व बाउण्ड्रीवाल का अनधिकृत निर्माण कर रखा है:— 1. अवधपुरी, 2. कृष्णानगर बी, 3. अग्रसेन नगर, 4. अग्रसेन विस्तार, 5. निजी भूमि 6. रूपनगर प्रथम, 7. स्कीम 'बी' अर्जुन नगर, (उत्तर) 8. स्कीम-11 अर्जुन नगर (दक्षिण) 9. अशोक विहार विस्तार, 10. गोपाल नगर 'ए' 11. अयोध्यापुरी। उपरोक्त एवं अन्य कालोनियों की सड़कों पर सैकड़ों अनधिकृत कब्जे हैं उसमें से अधिकांश कब्जे पुराने हैं। उक्त अनधिकृत कब्जे किस किस व्यक्ति द्वारा किये गये हैं के बारे में जानकारी विस्तृत सर्वे से ही हो सकती है।

(2) अनधिकृत कब्जों के हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में केस करने के संबंध में सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) अनधिकृत कब्जों में स कब्जे हटाने की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध और कब्जे धारियों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(4) नवम्बर, 1998 में हुये चुनाव से पूर्व अवधपुरी में दुकानें बनाने का प्रयास किया गया था। किन्तु उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। चुनाव के पश्चात सड़क/रास्ता क्षेत्र में कोई अनधिकृत मकान निर्माण नहीं है।

(5) विधान सभा चुनाव 1998 के पश्चात श्री राजेन्द्र जैन निवासी 142, अवधपुरी 2. महेशनगर, जयपुर द्वारा रातों रात व्यावसायिक परिसर के रूप में अनधिकृत निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(6) उक्त शिकायती पत्रों की जांच करने पर शिकायत असत्य पाई गई। कोई व्यासायिक परिसर विधान सभा चुनाव के दौरान या पश्चात बनाया जाना नहीं पाया गया। उक्त शिकायती पत्र कृष्णगोपाल सैनी का था किन्तु शिकायती पत्र में पता मात्र महेशनगर का दर्ज करने की वजह से काफी प्रयास के बावजूद शिकायत कुनिन्दा का पता नहीं चल पाया। परिशिष्ट "द"।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला अजमेर के अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

33. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले के अभावग्रस्त घोषित किस गांव में क्या-क्या कार्य किस-किस विभाग के तहत कब-कब की तारीख में स्वीकृत हुए हैं ? किस-किस गांव में किस–किस कार्य पर कितने–कितने श्रमिक किस-किस गांव के कार्यरत हैं ?

(श्री सांवरलाल)

(2) क्या श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों का विभागवार, ग्रामवार स्वीकृति दिनांक व कार्यरत श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर व अन्य योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था । (व्यवधान) आपस में बात नहीं, आर्डर प्लीज, आप बैठए ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री ज्ञानदेव आहूजा तथा श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं छः अन्य विधान सभा सदस्यों की ओर से आवास विकास संस्थान के अधिशेष कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के संबंध में ।

2. प्रो. सांवरलाल, एवं एक अन्य विधान सभा सदस्य की ओर से राज्य के अधिकांश गांवों में अकाल की भयंकर स्थिति के संबंध में ।

3. श्री रमजान खां एवं दो अन्य विधान सभा सदस्यों की ओर से कायमखानी कौम को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

4. श्री अमराराम (धोद) एवं एक अन्य विधान सभा सदस्य की ओर से रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में अभी हाल ही में की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में ।

5. श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में स्वीडन की सहायता से शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने की लोक जुम्बिश योजना को बंद करने के संबंध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

1. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम रिवाली में दिनांक 29-3-99 को एक शेर के आ जाने तथा उसके द्वारा अनेक ग्रामीणों को घायल कर देने की कथित घटना से संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसकी सूचना तो मंगवाइए।

श्री अध्यक्ष : कोई शेर-बेर नहीं है कोई दूसरा ही प्रोब्लम है। बैठिए आप (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं, मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

2. श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं छः अन्य विधान सभा सदस्यों की ओर से राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के उपरान्त भी बेरोजगार नवयुवकों की भर्ती की कोई योजना नहीं होने से उनमें व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

इस विषय पर दिनांक 1 अप्रेल, 1999 को सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। सदन के नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता भी बोले हैं। दिनांक 5 अप्रेल, 1999 को वित्त मंत्री महोदय ने भी बजट पर सामान्य वाद-विवाद के उत्तर में पुनः आशंकाओं का निराकरण कर दिया है अतः इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मांग

प्रदेश में अकाल राहत कार्य शुरू करने की मांग

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय राजस्थान के अधिकांश गांवों में चारा... (व्यवधान) पानी की कोई व्यवस्था नहीं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

डा. किरोड़ीलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे स्थगन प्रस्ताव पर सूचना मंगवाइए। तीन आदमी हैं जो गंभीर रूप से एस.एम.एस. में घायल होकर भर्ती हुए थे। रिपोर्ट में लिखा हुआ है लाइन बाइट। और चाहो तो मैं आपको तीनों के नाम बता दूं?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है इसलिए मैंने इसको अस्वीकृत कर दिया है।

डा. किरोड़ीलाल : गरीबों ने इलाज में 12-12 हजार रुपये खर्च किये हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तक वह शेर वहीं है।

(डा. किरोड़ीलाल)

मेरा कहने का मतलब यह है कि वह शेर बस्ती में घुसकर और कोई ऐसी घटना नहीं कर दे इसलिए मैंने आपके सामने रखा था। इसकी एक बार आप दुबारा सही ढंग से रिपोर्ट मंगवाइए। यह वास्तव में घटना हुई है और 7 लोग वहां घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल होकर एस.एम.एस. में अपना इलाज कराने के लिये आये थे और उनके इलाज की पर्चियां मेरे पास हैं। वे अभी तक वहीं है। वन विभाग का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा, न कोई जिलाधिकारी पहुंचा।

मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इसकी जांच करवा ली जाये। अगर वह सिंह या टाइगर जो भी कुछ वहां पर है, उसकी पाबंदी की जाये।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी विराजे हुए हैं, अकाल राहत मंत्री जी विराजे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री सांवरलाल : रोजगार नहीं होने की वजह से वहां भुखमरी फैल रही है। चारे की कहीं पर भी राजस्थान में व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी, बांट अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत भयंकर हालत खराब हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज गायों की यह हालत है ना कोई चारे की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। हर गांव के बाहर आपको पशुओं की हड्डियों के ढेर लगे हुए मिलेंगे। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि अकाल राहत में पूरे कार्य खोले जायेंगे, चारे का इन्तजाम किया जायेगा, पानी का इन्तजाम किया जायेगा, जबकि आज नहीं के बराबर व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नागौर जिले में 1462 गांवों में से 1456 गांव अकाल ग्रस्त घोषित हैं। 10 हजार से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, भीलवाड़ा में 50 हजार मजदूर लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि भीलवाड़ा में कार्य नहीं खोले जाये पर नागौर में भी.. (व्यवधान) अकाल राहत कार्य खोले जाये। पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाय, पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य जो खोले गये हैं वह नहीं के बराबर हैं। लोगों की ज्यादा चिंता का सवाल नहीं है, चिंता का विषय पशुओं के लिये है। आज गायें मर रही हैं। एक गांव में 10-10, 20-20 गायें

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मरने लग गयीं, इन पशुओं का क्या होगा ?

मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अकाल की स्थिति बड़ी भयावह है। सरकार इस बारे में समय रहते अकाल के उपाय करें, पानी की व्यवस्था करें और चारे की व्यवस्था करें, श्रमिकों की संख्या बढ़ायें और लोगों को राहत पहुंचाये, पशु धन को बचाया जाये।

श्री सांवरलाल : (व्यवधान) मंत्री महोदय से निवेदन है कि कुछ तो करें। बहुत भयावह स्थिति है साहब...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : (व्यवधान) अकाल की बड़ी भयानक स्थिति है अध्यक्ष महोदय, आज लोग गांवों से पलायन करके जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, अपने पशु छोड़ कर जा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : झुन्झुनूं जिले की हालत बहुत खराब है।

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये और कोई कार्यक्रम चालू नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : ...रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह आदेश दिये गये हैं.... (व्यवधान)....महीना होने के बाद में कोई नये काम नहीं खोले जायं, यह आदेश हैं राज्य सरकार के (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में सारे अकाल राहत कार्य बंद पड़े हैं और नाम मात्र के मजदूर 2-3 जगह ग्रेवल खुदाई के लिए लगे हुए हैं। (व्यवधान) चारे के जो डिपो हैं वे बंद कर दिये गये हैं और सिर्फ 2–4 डिपो ही एक समिति में चल रहे हैं। चारे का अभाव, काम का अभाव मजदूरी का अभाव है और पानी बिलकुल नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री जी से पूछता हूं। (व्यवधान)

श्री जीतमाल (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी तीन बार पत्र लिख चुका हूं, उसके बावजूद भी बांसवाड़ा की जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से बांसवाड़ा जिले को....

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त होने दीजिये।

श्री जीतमल : ....जनता की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं इस सदन में धरना लगाकर अनशन करूंगा।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, इसके ऊपर आधे घंटे के लिए चर्चा करायी जाय। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बड़ी भंयकर स्थिति है, लोग मर रहे हैं। (व्यवधान) वहां ध्यान दिया जाय।

श्री अमराराम चौधरी : लोग मर रहे हैं, साहब, कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार की जवाबदेही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी विचित्र है उस पर ध्यान दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त होने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल : जानकारी तो हम दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, घरों के सामने गायों के एक तरीके से ढेर लगे हुए हैं, वहां ध्यान दिया जाय। घरों में रहना दूभर हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनकी मजदूरी 44 रुपये की है। (व्यवधान)

श्री निर्मलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार खड़े हो जाते हैं, न तो कोई पता लगता है कि क्या कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सदस्यों का यही पता नहीं लगता, सब इक्ट्ठे हो जाते हैं। न तो हमको कोई सुनाई पड़ता है कि यह क्या कह रहे हैं। यह इस प्रकार का विवरण बता रहे हैं इस सर्वोच्च सदन में कि पता नहीं इसका क्या माहौल हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कंट्रोल करो आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह इनके क्षेत्र का मामला नहीं है, यह नागौर क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : यह नागौर जिले का मामला है अकाल राहत का। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, जो काम अक्टूबर में घोषित हो गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार का कोई निर्देश नहीं है। चूरू जिले में काम नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे का समय निश्चित कर दिया जाय, सदन में इस पर चर्चा करवायी जाय। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, एक भी अकाल राहत कार्य इस राजस्थान

(श्री सांवरलाल)

में नहीं खोला है; लोगों की सीलिंग काट दी जगह-जगह पर इसलिए इस पर चर्चा यहां करायी जाय। (व्यवधान) और इसका सरकार से जवाब दिलाया जाय कि अकाल राहत काम क्यों नहीं खोले।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना यह चाहता था कि पूरे प्रदेश में अकाल माना है, पूरे राजस्थान में अकाल माना है। और बांसवाड़ा जिले के डूंगरपुर और चित्तौड़ में भी माना है और एक समान फसलें हुई हैं, एक समान बारिश हुई है। उसके बावजूद भी बांसवाड़ा जिले को अकाल में नहीं लिया गया। कई बार मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है, पिछली बार भी हमने इस बात को उठाया है। आज वहां के लोग गुजरात और मालवा में मजदूरी के लिये चले गये हैं, मकानों के ऊपर कांट लगाकर गये हैं। हालत बड़ी गम्भीर है।

इस मौके पर मैं सदन में आपके मार्फत मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अकाल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी जिलों में अकाल माना है तो बांसवाड़ा जिले के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। बांसवाड़ा जिले की गलत रिपोर्ट किस तरह से आयी। इस सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा अगर उस इलाके में आपने अकाल नहीं माना, फिर से उसकी जांच करायी जाय। वास्तव में वहां पर स्थिति खराब है तो अकाल घोषित कर सकते हैं। और अकाल घोषित नहीं करने की स्थिति में अलग से बजट देकर वहां के लोगों को राहत देना चाहते हैं तो उचित होगा वरना यह आदिवासी इलाका है, एकदम बैकवर्ड इलाका है, नॉन कमाण्ड एरिया है। बांसवाड़ा जिले में माही कमांड एरिया ऐसा है जहां पर आधा जिला या दो तहसीलें इसमें कवर होती हैं। तो गेहूं, चने की फसलें वहां हुई हैं।

लेकिन बाकी एरिया आनन्दपुरी, बागीदौरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, पीपलखूंट, दानपुर, बैकवर्ड है। केलू और झोपड़ियों में लोग रहते हैं, रोजगार का कोई सहारा नहीं है। और ऐसे मौके पर वे लोग देखते हैं चित्तौड़ में मजदूरी चल रही है, डूंगरपुर में मजदूरी चल रही है और बांसवाडा में मजदूरी नहीं चल रही है। इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री फतेह सिंह : सारे सदस्य हाउस में +++ रहे हैं, सब तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात है, इतना +++ नहीं कर रहे हैं लेकिन सरकार ने जिले में अगर कोई निर्णय नहीं लिया....

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपने मंत्री का ध्यान आकर्षित कर दिया है कि आपके क्षेत्र में..

श्री फतेह सिंह : अगर नहीं किया तो हम इस सदन में धरना देंगे और इसके बारे में वहां पर जो लोग अकाल से और भूख से..

श्री जीतमल : अध्यक्ष महोदय, यहीं पर हम हमारी जनता के लिए आमरण अनशन करेंगे।

श्री फतेह सिंह : ... मरेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। तो मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल कर अकाल घोषित करें, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करें।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप अकाल राहत मंत्री थे, बाड़मेर जिले में अप्रेल के महीने में एक लाख मजदूर लगे हुए थे। (व्यवधान) और आज बाड़मेर जिले में 2-4 हजार मजदूर ही लगे हुए हैं।

श्री अमीन खान (शिव) : 16 सौ गांव में अकाल राहत कार्य कलक्टर ने स्वीकृत किये और बाद में राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य बंद कर दिये। इन 16 सौ गांवों की 17 लाख आबादी के लिए वहां पर कुछ भी मजदूरी नहीं है और कोई जवाब, आज तक भी अप्रेल का महीना जा रहा है। जहां इस महीने में हमेशा सरकार ने बाड़मेर जिले में एक लाख से ज्यादा मजदूर लगाये, अभी 15 हजार भी मजदूर नहीं हैं। इस तरह की धांधली और कोई सुनवाई ही नहीं है। बहुत अन्याय और जुल्म है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा था। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : अभी बाड़मेर जिले के सम्पूर्ण गांव (व्यवधान) ...माननीय अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण गांव हैं वे अभावग्रस्त घोषित हैं। और जब सम्पूर्ण गांव अभावग्रस्त घोषित हैं। आप जब अकाल राहत मंत्री थे उस समय बाड़मेर जिला सम्पूर्ण गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं थे फिर भी, उसके बावजूद भी अप्रेल के महीने में एक लाख से ज्यादा मजदूर लगे हुए थे। आज एक भी मजदूर लगा हुआ नहीं है हमारे एरिया में। आप जो 15-16 हजार मजदूरों का कह रहे हैं, हमारे अमीन साहब ने भी कहा लेकिन आज मौके पर वह पहले की संख्या बताई जा रही है आज एक भी मजदूर लगा हुआ नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा था। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में अकाल राहत कार्य बहुत कम खोले गये हैं और नागौर जिले में नाडी, तालाब कुएं मजदूरी नाम की कोई चीज नहीं है। पक्के

(श्री मोहन लाल चौहान)

काम थोड़े-थोड़े ही देकर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। इस वास्ते नागौर जिले में अधिक से अधिक, नागौर जिला बहुत बड़ा जिला है, और 1462 गांव अभावग्रस्त घोषित हैं। नागौर में ज्यादा से ज्यादा काम खोलने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा था कि क्या आप राजस्थान में अकाल मानते हैं? आपने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये हैं कि अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि फैमिन कोड के तहत अगर यह अकाल मानते हैं और अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं तो वहां के लोगों के खाने-पीने की, वहां के जानवरों के चारे की सारी व्यवस्था सरकार पर हो जाती है। इसलिए यह अकालग्रस्त घोषित नहीं करके इन्होंने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अकाल मानते हैं कि अभाव? फर्क है भाई, कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बहुत फर्क है इसके अन्दर। आपने फैमिन कोड पढ़ा ही नहीं इसका मतलब।

मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आप राजस्थान में अभावग्रस्त क्षेत्र के बजाय अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। जहां लोगों के पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिल रही है, खाने के दाने नहीं मिल रहे हैं, एक-एक टाइम भूखे रह रहे हैं, वहां अभाव नहीं है, अकाल है। आप अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें और अपने स्वयं की जिम्मेदारी से नहीं बचें। अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां के लोगों के और पशुओं के चारे की खाने पीने की व्यवस्था करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया जी। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज के तीन दिन पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया था कि अकाल राहत और पानी के बारे में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह बात सही है कि जिस समय सप्लीमेंटरी डिमाण्ड रखी गयी थी उस समय पानी और अकाल के लिए पूरे वर्ष की मांग मंजूर करवा दी। वह एक टैक्निकल बात थी।

श्री अध्यक्ष : वह वोट-आन अकाउण्ट था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वोट आॅन-अकाउण्ट था। वह एक टेक्निकल बात थी जिसमें यह तय हुआ था कि वोट आन-अकाउण्ट पर संपूर्ण चर्चा नहीं होगी। और यह परम्परा के आधार पर हमने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इसका अर्थ यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं निकाला जाय कि पानी पर, बिजली पर, अकाल पर किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। आपने जो बिजनेस लिस्ट दी है, और उसमें क्रमवार विभाग किस–किस तारीख को चर्चित होंगे, उसमें न अकाल है, न पानी है, न बिजली है। अब इस स्थिति में जब अकाल की भयंकर स्थिति हो, कम से कम हाऊस में एक बार चर्चा हो जाय और उस चर्चा के आधार पर गवर्नमेंट को क्या कहना है और सदन के माननीय सदस्यों की क्या मांग है उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अकाल भयंकर है। भगवान कष्ट नहीं दे, प्रकृति साथ दे। इस समय सबसे बड़ा संकट राजस्थान में पीने के पानी का है। कुओं में पानी जिस गति से नीचे जा रहा है, वह चाहे सिंचाई के कुए हों, चाहे पीने के पानी के कुए हों ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है और पानी पाताल में जा रहा है। उसके लिये यदि हमने कोई कंटींजेंसी प्लान नहीं बनाया तो हमारे लिये संकट खड़ा हो सकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन डिमाण्ड्स को तो आगे रखा जा सकता है लेकिन पानी के ऊपर और अकाल के ऊपर चर्चा के लिये निश्चित रूप से समय रखा जाए, ताकि सारी बातों का समाधान किस प्रकार से हो सके, एक दूसरे के सुझावों का अपन लाभ उठा सकें।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में जो डिमाण्ड्स का क्रम तय किया गया था उसके मुताबिक जो पूरी कार्य सूची थी, वह सदन में पेश हो गयी है। पारित हो गयी है, अब कार्य सलाहकार समिति की अगली मीटिंग 16 को होगी। कार्य सलाहकार समिति में आप भी हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं रह गयी हैं तो कार्य सलाहकार समिति में आप तय करवा लें। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी, आप और कार्य सलाहकार समिति के सदस्य, सभी जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात नहीं है। यह तो सबको मालूम है कि कार्य सलाहकार समिति ने यह निर्णय लिया है। लेकिन कई बार इमर्जेन्सी ऐसी आ जाती है कि अध्यक्ष महोदय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी व्यवस्था है।

इसलिये जो निवेदन किया है, मैंने वह अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है कि आप अपने अधिकार का और विवेक का प्रयोग करते हुए, राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है उसका समाधान किस प्रकार से हो, उसकी चर्चा एक बार सदन में हो जाए तो कम से कम उस आधार पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है इस सदन के माध्यम से, इसका भी जनता को मालूम हो जाएगा। और व्यवस्थाएं क्या हो रही हैं, उस व्यवस्था में हमारे सुझाव भी, कोई होंगे, उन पर भी सरकार विचार करेगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 16 में तो बहुत दिन हैं। इससे पहले ही कुछ चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको इस बात का अधिकार है कि आप बी. ए. सी. के निर्णय में भी संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं भी उनसे सहमत हूं। बाड़मेर जिले की अकाल की स्थिति के बारे में श्री अमीन खां ने जो बात कही है, स्थिति इस प्रकार की है कि आदमी तो फिर भी किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था कर लेगा परन्तु पशुओं के बारे में तो इतनी खराब स्थिति है कि अभी अगर व्यवस्था नहीं की गयी, कोई कंसेशन नहीं है, कोई कैम्प्स वगैरह स्थापित नहीं किये गये हैं। पशुओं की तो दुर्दशा होगी और हमारी इकोनोमी बिलकुल नष्ट हो जाएगी। पीने के पानी का भी इस प्रकार का भयंकर संकट है।

इसलिये यह मसला अवश्य सुलझाना चाहिए। 16 तारीख है तो फिर उसको 19 से आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिये इन विषयों पर डिस्कशन अवश्य होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और झुंझुनूं जिले के 380 गांवों में अकाल है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र तो पूरा खारे पानी का है। वहां पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। आपकी अनुमति से मैंने परसों जीरो आवर में भी यह बात उठाई थी। 375 गांव अकाल में हैं, पीने के पानी की समस्या, गवर्नमेंट की जितनी रीजनल पाइप स्कीम्स थीं, वे सारी फैल हो रही हैं और सारी टी. एस. एस. स्कीम्स भी फैल हो गयी हैं। पानी नीचे बैठ गया है। 20 गांव तो ऐसी स्थिति में हैं कि मवेशियों तक को पीने के लिये पानी नहीं है। दूर-दूर से लाकर मवेशियों को पानी पिलाते हैं।

मान्यवर, मेरे मण्डावा विधान सभा के 170 गांवों की भी यह स्थिति बन रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले को, रि-शिड्यूल करके अकाल के ऊपर, पहले चर्चा किसी न किसी दिन कराने की कृपा करें ताकि लोगों को राहत मिल सके और सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 3 स्थगन प्रस्ताव अलग-अलग समय पर आपके सम्मुख आये थे। अकाल की समस्या राजस्थान में कैसी है, और तीनों स्थगन प्रस्तावों पर आपने बड़ी कृपा-पूर्वक यह बात कही कि अभी इस तरह का मैटर नहीं है कि अभी चर्चा कराई जाए। परन्तु आप स्वयं चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह रहे कि रोज कोई न कोई माननीय सदस्य शून्य-काल के अन्दर अकाल की बात, बिजली की बात, पानी की बात उठाते हैं। यह सारे कंसोलिडेट, एक ही दिन चर्चा हो जाए। 3 दिन इसकी चर्चा हो जाए। एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिन पानी की, एक दिन बिजली की और एक दिन अकाल की, ताकि हम अपने विचार रखें और हमारे सुझाव सरकार का मार्गदर्शन ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि इसी सदन में अकाल राहत मंत्रीजी ने कहा था कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अभावग्रस्त गांवों के अन्दर लेबर की कोई सीलिंग नहीं, काम जितने चाहे उतने करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह वायरलेस है, जो इन्होंने 30 जनवरी को सभी जिला कलक्टरों को दे दिये और यह लिख दिया कि कोई भी अकाल का नया काम स्वीकृत नहीं होगा। तो वे मजदूर जिनके दो हाथों को मजदूरी चाहिए, उनको मजदूरी कहां से मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान की पीड़ा को समझते हैं। आज वास्तव में चूरू, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में लोगों ने पलायन करना प्रारम्भ कर दिया है।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आप कृपा पूर्वक पूरे राजस्थान की समग्र चिन्ता व्यक्त करते हुए इस पर व्यवस्था दें। चर्चा करा लें, समय आप नियत कर दें, 16 तारीख तक तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। यह बहुत अर्जेण्ट मैटर है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो यहां पर सदन में विचार व्यक्त किये और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस गम्भीर स्थिति के बारे में, जो कुछ यहां बयान दिये, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपके कान में अभी, इसके बाद आप मीटिंग बुला लें, बैठकर के तय कर लें, समय भी निश्चित कर लें और उस पर चर्चा के बारे में निर्णय कर लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्राकृतिक आपदाओं और पेयजल के क्योंकि ये कठिन महीने हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अकाल के साथ पानी की समस्या और भी गम्भीर रूप धारण कर लेती है। इसलिये वोट ऑन अकाउण्ट 26 तारीख को हुआ, पूरे साल की जो मांग है, वह यहां पर सदन में पारित हो गयी। जो मांग सदन में पारित हो जाती है उस मांग को यहां पारित करने के लिये नहीं रखा जाता है।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने पूर्व में भी मुझे यह बात कही थी, कि बिजली का जहां तक सवाल है उस पर हमेशा अलग से चर्चा होती है। उस संबंध में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक दिन बिजली के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सदन के सामने जो आश्वासन दिया था, बातचीत करके किस तरह से इन मामलों को कब लिया जाए, मतलब पेयजल और अकाल को, क्योंकि पेयजल मंत्रीजी भी किसी आवश्यक काम से गये हुए हैं, मुझसे अनुमति लेकर गये हैं।

(श्री अध्यक्ष)

इसलिये मैं समझता हूं कि 2 दिन की चर्चा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं, आप, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता से बात करके इस संबंध में कोई न कोई तारीख निश्चित करा लेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ स्थगन प्रस्ताव, जिसमें आवास विकास संस्थान का मैंने, राजेन्द्रजी राठौड़ और कुछ अन्य सदस्यों ने रखा है, इस संबंध में निवेदन है कि पूर्व में मुख्य मंत्रीजी का एक स्टेटमेंट है, आवास विकास संस्थान के 600 कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो मिनट साहब, इस पर बहुत आवश्यक है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय नहीं है। (व्यवधान)यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो जगह उनका धरना चल रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, आवास विकास संस्थान..(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इनका धरना चल रहा है। (व्यवधान) साहब, इनको नौकरी से निकाल दिया गया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने केवल कटारियाजी को दो मिनट बोलने की अनुमति दी है। (व्यवधान) मदनजी दिलावर, बैठिये, बैठिये। कृपलानी जी.. (व्यवधान) माननीय श्री ज्ञानदेवजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 2 जगह धरना चल रहा है। दो मिनट बोलने की अनुमति प्रदान कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धरना चल रहा होगा, बात यह है..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको हटा दिया गया है। मुख्य मंत्रीजी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है। कल आपने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप मत बोलिये।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने मेरा नाम बोलने के लिये पुकारा है।(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कब समय निश्चित करेंगे, साहब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शून्यकाल में आप की अनुमति से..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये (व्यवधान) नहीं, सदन को व्यवस्थित कीजिए। श्री कटारियाजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शून्यकाल में आपकी अनुमति से, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यद्यपि इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से हमने इस बात को किया था वह इससे पूरी नहीं हो रही है।

हमने 60 साल से 58 वर्ष इसलिए किया था कि नौजवानों को सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पदों पर काम करने का एक अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, उस दिन वित्त मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया, वह आपके सामने था। उन्होंने कहा कि 16 हजार नये जो प्राइमरी स्कूल हम खोल रहे हैं, वहां लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम तीन हजार पंचायतों में सचिव लगाएंगे, वहां भी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। और कुछ भी मिल जाएगी।

मैं सोचता हूं कि हमारा जो उद्देश्य था 60 साल से 58 साल करने का, उसमें उद्देश्य का अर्थ यह था कि इतने लोगों के रिटायर होने से जो पद रिक्त होंगे, वे उन नौजवानों को नौकरी के रूप में मिलेंगे और वे उस नौकरी पर लग पाएंगे और इस सारे के सारे प्रयोजन....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि आयुर्वेद अस्पताल खोलेंगे, मिडल स्कूल अपग्रेड होगी, सैकण्डरी स्कूलें अपग्रेड होंगी, तो उन्होंने यह बात भी कही थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो नये स्वीकृत पद होंगे। यह तो जितने भी चाहे नये अस्पताल मिलेंगे, चाहे स्कूल मिलेंगे, चाहे हमने और कुछ भी किया, इनका हमारे पुराने उस रिटायरमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। यह तो हमारे बजट में नये पदों का जो सृजन होगा उन नये पदों पर नौकरी मिलने का सवाल है। यह हमारा जो उद्देश्य था कि हमने चूंकि 60 साल से 58 साल इसलिए किया कि लोगों को दो साल की जो नौकरी बढ़ायी और उसके कारण से नौजवान लोगों का रास्ता रुक गया दो साल तक हमने इसको भलमनसाहत के और उन नौजवानों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए उसको हमने 58 वर्ष किया था और उनके मन में यह आशा जगी थी कि निश्चित रूप से 31 मार्च, 1999 उनके लिए स्वर्णिम दिन होगा। उस दिन उन्हें कोई न कोई नौकरी का रास्ता मिलेगा और उनको किसी न किसी काम के ऊपर लगाया जा सकेगा।

लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि हमने उन पदों पर निवृत्ति तो कर दी। हमने 12,000 लोगों को उनके घर तो भेज दिया और जो कुछ भी उसका भार आना है, उसको सरकार ने अपने ऊपर उठाने का निश्चय कर लिया। लेकिन इससे उस नौजवान को क्या मिला जो इतने दिन तक इस आशा के साथ बैठा था? उसका इसमें से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई हल नहीं निकला। श्रीमन्, वास्तव में हमने अपनी बात से उन नौजवानों के साथ एक तरह से जिस प्रकार का 'दगा' किया, मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं वह वास्तव में इसमें मंशा प्रकट हो रही है। आप मुझे बता दीजिए कि जब 31 मार्च को पद आपके खाली हो गये तो आखिर भर्ती का प्रोसेस भी तो कोई न कोई शुरू होना चाहिए था उन पदों पर। या तो सरकार इस बात को स्पष्ट कर दे कि जो पद हमारे पास 31 मार्च या उससे पहले जो रिक्त थे, विभिन्न सेवाओं में, उन पदों को हम नहीं भरेंगे और अब हमें बजट में जो नये पद मिल रहे हैं, उन्हीं पदों पर हम नयी नियुक्ति देने का काम प्रारम्भ करेंगे। तो बात बिलकुल स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार की मंशा 58 साल करके रिक्त होने वाले पदों पर नौकरी देने की नहीं है। सरकार की इस बजट में नये पद जो आएंगे, उन पदों पर नौकरी देने की मंशा जरूर है। वे पद कब स्वीकृत होंगे, कब उनका विज्ञापन होगा और कब उन्हें नौकरी मिलगी? क्या हम यह चाहते हैं कि 31 मार्च, 2000 तक ये नौजवान इस बात का इन्तजार करेंगे कि इस नये बजट की अन्तिम तारीख तक शायद हमें कुछ न कुछ जॉब मिल जाएगा।

मैं सोचता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी जो भावना है और हम सब माननीय सदस्य चाहे पक्ष में बैठते हैं, चाहे विपक्ष में बैठते हैं और उन नौजवानों को जो बेरोजगार बैठे हैं, इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि सरकार ने एक अच्छा प्रस्ताव लेकर के, उम्र घटाकर के हमको अवसर दिया है।

लेकिन श्रीमन्, वह नहीं निकला। इसके साथ ही जब हमने 60 साल किया था तो उनकी नीचे की आयु को भी हमने दो साल बढ़ा दिया था। 33 साल जो उनकी मैक्सिमम आयु थी, उसको बढ़ाकर के 35 साल किया। मैं सोचता हूं कि इस बारे में भी हम स्पष्ट नहीं है कि आखिर उन बच्चों को जो एक साल गेप हो गया तो उस एक साल की अवधि में यदि वह बालक ओवर एज हो गया तो उस बालक के साथ 33 साल को काउण्ट करेंगे या 35 साल काउण्ट करेंगे। उसमें उसकी क्या स्थिति बनेगी, इसमें भी सरकार ने अभी तक अपना मनतव्य स्पष्ट नहीं किया है।

मेरी आपसे फिर विनम्र प्रार्थना है, सदन में, आपकी उपस्थिति में मैं सरकार से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ उस नौजवान से यह कहा था कि हम आयु सीमा घटाकर के आपको रिक्त होने वाले पदों पर नौकरी देंगे, उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इन पदों पर वे नियुक्ति देंगे या अगले बजट में आने वाले नये पदों पर नियुक्ति देकर के उनके साथ विश्वासघात करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने एक-दो बार नहीं, कई बार यह बात कही है कि...

श्री अध्यक्ष : यहां पर मैंने उनको दो मिनट का समय दिया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक मिनट में निवेदन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने जो कहा है, ऐसा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कई बार यह बात कही गयी कि नौजवानों को नौकरी देंगे परन्तु सरकार ने किया उल्टा काम । अध्यक्ष महोदय, पुराने जितने भी पद थे, जो सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए उनमें एक से लेकर के छह तक पदों को सरकार ने एक कलम से उन पदों को समाप्त करने का काम किया । और इसके अलावा जो प्रवेश आयु थी, अध्यक्ष महोदय, जो प्रवेश आयु पिछली सरकार ने 35 वर्ष और 40 वर्ष कर रखी थी, उसको घटाकर के 33 वर्ष और 38 वर्ष कर दी । इससे हुआ क्या, अध्यक्ष महोदय, कि 33 और 35 के बीच के जो नौजवान थे, आज उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया है ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करके राजस्थान के नौजवानों को जो रास्ता दिखाया था, उन नौजवानों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है और इस तरह से सरकार ने धोखाधड़ी की है । मैं समझता हूं कि समय रहते सरकार को अपने इस पूरे फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी ने सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते वक्त यह बात निश्चित तौर से कही है कि 11,000; 15,000 कर्मचारी रिटायर होंगे तो हम उनके पदों को खतम नहीं करेंगे लेकिन सिचाई विभाग के ग्यारह चीफ इन्जीनियर आपने बना दिये । क्या आप यह ग्यारह के ग्यारह चीफ इन्जीनियर रखेंगे ? उनमें से सात इन्जीनियर रिटायर हो गये हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और प्रोसेस चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : क्या हम यहां पर बैठकर के यह सोचे नहीं कि सात इन्जीनियरों को रखें या नहीं रखें ? उन्होंने आगे यह बात भी कही है कि मंत्रिमंडल के पांच सदस्यों की एक कमेटी बनायी है वह कमेटी इस चीज को देख रही है । एक मीटिंग उनकी तीन तारीख को हो चुकी है और एक मीटिंग कल 12.30 बजे विधान सभा परिसर में होने वाली है । वह मीटिंग हुई थी, मुझे मालूम है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज भी हो रही है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : हम बार-बार इस बात को देख रहे हैं और देखेंगे । हम विभाग को जांचेंगे और जांच करेंगे कि कितने लोग रिटायर हुए हैं, उन लोगों में से कितने लोगों को हमें पदोन्नत करना है और कितनों को नहीं भरना है । चीफ इंजीनियर बनाने से एम्प्लायमैंट दूर नहीं होता है । उन्होंने उसके बाद में दूसरे विभागों

(श्री अध्यक्ष)

की बात भी कही थी इसलिए जब एक कमेटी बन गयी है और वह कमेटी उस बात को देख रही है। जल्दी ही निर्णय लेकर के इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई रिटायर जो हो गया है, उन्होंने यह साफ कहा है कि उन पदों को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें जहां आवश्यकता होगी तो उसमें संशोधन किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बी.एफ.सी. की मीटिंग में आप कम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बी.एफ.सी. की मीटिंग हुई, उसमें खतम कर रहे हैं, पदों को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, खतम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी जो कमेटी बनायी है, केबिनेट सब कमेटी बनी हुई है, वह उसमें विचार कर रही है।

श्री मदन दिलावर : पदों को खतम करने का निर्णय लिया है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : कमेटी की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के हिसाब से जिसकी भर्ती करनी थी, कर सकते थे। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसलिए यह कमेटी बना-बनाकर के यह टालमटोल की बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं..

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, हम ने 127 में दिया था, उसके बारे में कोई व्यवस्था हो..

श्री रामनारायण चौधरी : 127 की व्यवस्था यहां नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर शहर में गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(2) श्री अमीन खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील शिव-रामसर व चौहटन में अन्तरराष्ट्रीय सीमा में तारबन्दी में आयी भूमि के काबिजों को मुआवजा देने के संबंध में।

(3) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर के गांवों की संपर्क सड़कों का निर्माण करने तथा पूर्व निर्मित सड़कों की मरम्मत करने के संबंध में।

(4) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा रेंज में प्लांटेशन में लगाये गये मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री मोहन लाल राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन के गांवों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के संबंध में।

(6) श्री निहाल चन्द चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से रायसिंह नगर गंग केनाल की 800 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम राणावास में लगे ट्रांसफार्मर के कण्ट्रोल की ओ.सी.बी. को बदलने के संबंध में।

(8) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भरतपुर की पंचायत समिति नगर की ग्राम पंचायत ककराला की सरपंच को अवैधानिक तरीके से हटाने के संबंध में।

(9) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब होने के संबंध में।

(10) श्रीमती कमला बृजलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा में पेयजल की समस्या के संबंध में।

(11) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के अस्पतालों में बेरोजगार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स को नियुक्तियां देने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मैंने अभी एक पर्ची दी थी, राजस्थान के ग्राम सचिवों... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके बाद है पर्ची। अभी 295 है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान के ग्राम सेवक, ग्राम सचिव..(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आवास विकास संस्थान के बारे में मैंने...

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, 295 में मैंने...

श्री अध्यक्ष : आपका सबसे पहले है। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आवास विकास संस्थान वाले मामले पर हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया आपके विचारार्थ। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो जाए तो इस पर थोड़ी अपनी चर्चा करना चाहते हैं अगर आप अनुमति प्रदान कर दें तो।

श्री अध्यक्ष : आवास विकास के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कल आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार से जानकारी आने दीजिये। अभी इस पर चर्चा करने से क्या मतलब है? आगे इस पर चर्चा करेंगे। सरकार की जानकारी आने के बाद जो व्यवस्था दी जाएगी, उस वक्त कोई बात कहनी है तो आपको एक अवसर देंगे। लेकिन अभी सरकार से जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है। श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 295 पर मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : 295. श्री राधेश्याम गंगानगर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्रीगंगानगर शहर में गंदे पानी की निकासी की समस्या

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीगंगा–नगर की स्थापना 1931 में गंगनहर के आने के बाद हुई। तदुपरान्त इस नगर का तीव्र गति से विकास हुआ। किन्तु दुर्भाग्यवश गंगानगर शहर में विकास हेतु कोई एकीकृत योजना न होने के कारण सड़कों, नालियां और गन्दे पानी की निकासी का योजनाबद्ध तरीके से उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। कालान्तर में शहर में नई कालोनियां विकसित होती गयीं परन्तु गन्दे पानी की निकासी की समस्या उत्तरोत्तर भीषण होती गयी।

इस समय शहर की स्थिति यह है कि नालियां गन्दगी से अटी पड़ी हैं। गन्दा पानी नालियों से बाहर निकलकर सड़क पर बिखर जाता है। शहर में इस समय गटरों के मैनहोल खुले पड़े हैं तथा कई बार छोटे-छोटे बच्चे व पशु इनमें गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था व गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

भाजपा सरकार के शासनकाल में मैंने निरन्तर विधान सभा में इस मुद्दे को रखा, धरने दिये तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने सरकार के दो मंत्रियों को भी शहर की स्थिति का अवलोकन करने के लिये भेजा तथा पूर्व मंत्रियों ने स्वीकार किया कि शहर की स्थिति दयनीय है तथा सदन में दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी। परन्तु रुपये नहीं दिये गये तथा शहर की स्थिति ज्यों की त्यों है। गन्दगी के कारण श्रीगंगानगर में पीलिया व हैपेटाइटिस बी जैसी बीमारी फैल रही है। अतः अतिशीघ्र इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरा शहर महामारी की चपेट में आ जाएगा।

(12.41 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुछ समय पहले शहर में पानी निकासी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हेतु मास्टर प्लान बनाया गया था, कृपया उसे ढुंढवाकर कार्य योजना को शुरू करवाना चाहिए तथा नगर परिषद, श्रीगंगानगर को अतिरिक्त धनराशि देकर सफाई व्यवस्था व गन्दे पानी के निकास के लिये माकूल व्यवस्था करानी चाहिये।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर की जनता के भविष्य को मद्दे-नजर रखते हुए, इस ज्वलन्त समस्या का समाधान करने का कष्ट करें तथा नगर परिषद, श्रीगंगानगर का अतिरिक्त धन-राशि देकर गंगानगर की जनता को राहत प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खान।

बाड़मेर जिले की तहसीलों में अन्तर-राष्ट्रीय सीमा में तारबंदी में आयी भूमि के काबिजों को मुआवजा

श्री अमीन खान (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत लोक महत्व के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीमावर्ती जिला बाड़मेर की तहसील शिव-रामसर व चोहटन की अन्तरराष्ट्रीय, पाकिस्तान से लगती सीमा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को हित में रखते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार ने तस्करी घुसपैठ रोकने के लिये तारबन्दी कर दी है जिससे सुरक्षा के मामले में बहुत आराम हो गया है।

सीमा से लगते गांवों में किसानों की जो कदीम से खातेदारी की जमीनें थीं, वो तारबन्दी के अंदर आने से उन किसानों से सदा के लिये छिन गयी है। ऐसे सैकड़ों तादाद में किसान हैं, जिनकी 10 बीघा से 50-50 बीघों तक जमीनें चली गयी हैं, जिनको किसी किस्म का मुआवजा नहीं मिला है और न कोई आश्वासन मिल रहा है जिससे इन गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सीमा पर सरहद मोजा तालब का पार में कबूलानियों की बस्ती के लिये जो कदीम से कबूलेकापरि की बेरिमां थी, वो भी तारबन्दी में आ जाने से इस बस्ती के 30 घरों में पानी का संकट है, जो पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर पानी लाते हैं।

इसी प्रकार सरहद मोजा मखन का पार में अमीन का पार बस्ती हटायी गई। उसकी आबादी के लिये तो जिला कलक्टर ने भूमि आवटन कर दी, परन्तु उनके घरों के रोको के पेड़ों के नये घर बनाने पड़े। उसके लिये एक नया पैसा भी नहीं मिला जिससे उन गरीबों में भारी असतोष व परेशानी है। और इनके मवेशियों के लिये जो पूर्व की गोचर भूमि थी, वो भी तार-बन्दी में चली गयी है जिससे पशुपालकों के लिये मुसीबत खड़ी हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सर-कार से निवेदन है कि जिन-जिन किसानों

(श्री अमीन खान)

की जितनी भूमि तारबन्दी में गयी है, उतनी जमीन उन्हें उन्हीं गांवों से या पड़ोस के ग्राम में पड़ी सिवाय चक जमीन में आवंटन किया जावे और कबूलानियों को 30 घरों की बस्ती को पीने के पानी का बन्दोबस्त किया जावे। इसी प्रकार अमीन का पार बस्ती को नये घर बनाने व पुरानी सम्पत्ति का मुआवजा दिलाया जावे और सिवायचक भूमि में गोचर भूमि दिलायी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर विधान सभा के गांवों को संपर्क सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जालौर विधान सभा क्षेत्र में गांवों की सम्पर्क सड़कों के निर्माण मरम्मत व डामरीकरण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान निम्न सड़कों की मरम्मत, डामरीकरण एवं ग्रेवल बनाने के सबंध में आकर्षित करना चाहता हूं:—

(1) निम्न सड़कें टूट-फूट गयी हैं इन पर वाहन एवं मनुष्य चल नहीं सकते। पत्थर निकल गये हैं, अतः इन पर डामरीकरण करवाया जाए :—

(1) मुडी गांव से विशनगढ़, 4 किलोमीटर

(2) सायला बागोड़ा मुख्य सड़क से बोरवाड़ा-3 किलोमीटर

(3) बिबलसर से देलदरी नून सरत-10 किलोमीटर।

(2) निम्न सड़कें, जो पूर्व में डामरीकरण की गयी थीं, टूट गयीं, खड्डे पड़ गये हैं, इनकी मरम्मत करवायी जाए:—

(1) चोराऊ से असाणा—तीन किलोमीटर।

(2) रेवतड़ा से बाकरा रोड-आठ किलोमीटर

(3) निम्न गांवों को ग्रेवल द्वारा पंचायत मुख्यालय से जोड़े जाएं:-

(1) रटुजा से थलुडा एवं आसाणा से थलवाड़ सुदृढ़ीकरण

(2) मोक से डबातरा

(3) बैरठ से सडवा

(4) सायता से तुरा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रताप सिंह सिघवी। नहीं, इसी को पढ़ना पड़ता है।

छबड़ा रेंज में प्लांटेशन कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

श्री प्रताप सिंह सिघवी (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

295 के अन्तर्गत वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रेंज छबड़ा द्वारा जो प्लान्टेशन लगाये जा रहे हैं या लगा दिये गये हैं, उनमें मजदूरी करने वालों को विभाग की तरफ से 36 रुपये नकद, 2 किलो गेहूं, 80 मि.ली. तेल, 200 ग्राम दाल दी जाती है। परन्तु छबड़ा रेंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर प्लान्टेशनों पर मजदूरी करने वाले मजदूरों को यह सब नही देकर मात्र 44 रुपये नकद ही भुगतान किया जाता है। मजदूरों को मिलने वाला गेहूं, तेल एवं दाल को बाजार में बेच दिया जाता है, जिन की बाजार भाव से कीमत 18 से 20 रुपये होती है एवं फर्जी मस्टरोल भर लिये जाते हैं। इस प्रकार छबड़ा रेंज के कर्मचारी एवं अधिकारी मिलकर गंभीर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

इसी प्रकार छबड़ा में वन विभाग द्वारा बनवाये जा रहे एनीकट सेवन खेड़ी का कार्य भी सही नहीं हुआ है एवं नींव भी पूरी नहीं खोदी है। इसी प्रकार खाना खेड़ी एनीकट में भी गंभीर अनियमितता की है।

मेरे वन विभाग से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न जो दिनांक 6-4-1999 को सूचीबद्ध हुआ, का लिखित उत्तर भी तथ्यात्मक रूप से नहीं है। यह एक गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है।

मूल प्रश्न में पूछा गया है कि वृक्षारोपण में कार्यरत सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? इसका जवाब स्पष्ट नहीं है। जवाब में बताया गया है कि कुल 4 लाख 11 हजार 91 रुपये का भुगतान गेंग संगठन के मुखिया को कर दिया गया है। क्या ऐसा करना नियम विरुद्ध नहीं है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के बड़े अधिकारी दोषी कर्मचारियों को बचा रहे हैं।

अतः इस प्रकरण की उचित माध्यम से जांच करवा कर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल।

झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र के गांवों की पेयजल समस्या

श्री मोहन लाल (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र झालरापाटम की पेयजल की समस्याओं की तरफ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र के गांवों में जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं उनमें से अधिकांश बन्द पड़े हुए हैं, कुछ खराब हैं और विभाग की अनदेखी से हैण्डपम्पों को ठीक करने का उचित प्रयास नहीं किया जाता

(श्री मोहन लाल)

है जिससे सभी गांव वालों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। गांव रिछवा नसीराबाद, सलावद, ऊखली, डाबली चौकी झोन्डा, सोहन खेडी, देवरी, गादीया आदि गांवों में पेयजल समस्या अति गम्भीर बनी हुई है। अगर इस समस्या पर तुरंत कार्यवाही नहीं की गयी तो आने वाले समय में काफी संकट खड़ा हो जावेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य सचेतकजी आप से बात कर रहे हैं। (व्यवधान) यह तो गलत परम्परा है, उपाध्यक्ष महोदय। वो वहीं से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूं, तसल्ली रखो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कृपा तो है हमारे पर। आपकी कृपा और आपके संरक्षण....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समस्या का समाधान तो आसन करेगा लेकिन यह जो गलत परम्पराएं डाली जा रही हैं न, यह उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह आसन से ऐसे बात नहीं कर सकते खड़े हो कर। बहुत गलत तरीका है यह, सरकारी उप मुख्य सचेतकजी।

श्री मोहन लाल : अतः आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त गांवों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान कराने की कार्यवाही करावें ताकि पेयजल का सकट दूर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष :श्री निहालचन्द चौहान।

रायसिहनगर गंग कैनाल की भूमि का आवंटन

श्री निहालचन्द (रायसिहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत रायसिह नगर को गंग कैनाल की भूमि को पुख्ता आवंटन करने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रायसिह नगर सीमा पर बसा हुआ है व यहां के लोग कृषि पर निर्भर हैं। रायसिहनगर गंग कैनाल की अस्थायी भूमि जो टी.सी. पर चली आ रही थी, तत्कालीन सरकार ने पुख्ता आवंटन करने का आदेश दे दिया था जबकि रायसिह नगर तहसील में करीब 800 बीघा भूमि आज भी अस्थायी टी.सी. पर चली आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ष नयी टी. सी. के लिए किसानों को तहसील मुख्यालय पर बेकार में घूमना पड़ता है। रायसिह नगर तहसील की तत्कालीन सरकार ने गंग कैनाल की भूमि पुख्ता आवंटन करने का 1968 तक की स्वीकृति प्रदान की थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रायसिह नगर गंग कैनाल की बची

(श्री निहालचन्द)

800 बीघा भूमि को भी पुख्ता आवंटन करने का आदेश फरमावें। इसके साथ जिला कलक्टर, गंगानगर के पास 185 जमीन सम्बन्धी फाइलें भी हैं, को स्वीकृति प्रदान करें ताकि किसान बरबाद न हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

राणावास, विधान सभा क्षेत्र खारची, में लगे ट्रांसफार्मर को ओ.सी.बी. बदलना

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्राम राणावास में बिजली विभाग का 33 के. वी. जी.एस.एस. लगा हुआ है। उस पर दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए दो ओ.सी.बी. लगी हुई हैं जो बार-बार खराब हो रही हैं। यह बहुत ही पुरानी बताते हैं। गत तीन दिनों से ओ.सी.बी. वापस खराब हो गयी है। बिजली डाइरेक्ट चलायी जा रही है। कभी भी ट्रांसफार्मर जल सकता है तथा लोड काटते समय मानव केजुअलटी भी हो सकती है। पूर्व में भी दो व्यक्ति अपनी जान गवां चुके हैं।

अतः राणावास की दोनों ओ.सी.बी. अतिशीघ्र बदलवाने का कष्ट करें। फसल का समय है, किसान इस समय कपास की फसल बो रहे हैं, बिजली की सख्त आवश्यकता है। कृपया ऊर्जा मंत्री महोदय को व्यवस्था दें कि आवश्यकता की पूर्ति करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

ग्राम पंचायत ककराला, पंचायत समिति नगर की सरपंच को हटाया जाना

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत ककराला, पंचायत समिति, नगर जिला–भरतपुर की महिला सरपंच श्रीमती सुबहानी को अवैधानिक तरीके से हटाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भरतपुर जिले की नगर पंचायत समिति के ग्राम ककराला की महिला सरपंच श्रीमती सुबहानी को साम्प्रदायिक भावना रखने वाले लोगों ने अवैधानिक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाने का घृणित कार्य किया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित बैठक में एक वार्ड पंच जो पराजित महिला को तथा दूसरे अधिक सन्तान के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति को सम्मिलित किया गया जो पूर्ण तया गैर–वाजिब व गैर–कानूनी था।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उक्त महिला सरपंच द्वारा जिला परिषद से लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आला अफसरों व माननीय मंत्रीजी को भी अनेक बार आवश्यक कागजात सहित ज्ञापन देने के बावजूद ना तो उक्त महिला सरपंच को पदस्थापित किया गया है और ना ही अवैधानिक तरीके से अविश्वास बैठक आयोजित कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है बल्कि चार्ज भी लगभग एक वर्ष से ग्राम सचिव के पास होने से विकास कार्य भी अवरुद्ध पड़े हैं।

अतः माननीय पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर लेख है कि शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट कर श्रीमती सुबहानी को सरपंच पद पर पुनः आसीन कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह।

श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का लोक महत्व के निम्न प्रकरण की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की स्थिति इतनी अधिक खराब हो रही है कि जिनका मैं शब्दों में वर्णन तक नहीं कर सकता। श्रीमाधोपुर से कोटड़ी-लुहारवास वाया खण्डेला, पलसाना से कांवट वाया खण्डेला, कांवट से गुहाला वाया चला, चला से गोविन्दपुरा अगोट; सिरोही से भगेगा; कांवट से छापर वाया प्रितमपुरी, चला से छापर वाया गोविन्दपुरा अर्जुनपुरा बासड़ी, चौमूं पुरोहितान से आमावास, खण्डेला से गुरारा, श्रीमाधोपुर से पलसाना वाया ढाल्यावास जाजोद पुजारी का बास उदयपुरा, गोविन्दपुरा होद से दूल्हेपुराकी सड़कें इतनी जर्जर स्थिति में हो रही हैं कि जिन्हें सड़क कहना भी उचित नहीं लग रहा है।

इस बाबत मैंने पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से भी कई बार प्रार्थना की किन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि नयी सरकार आ गयी है अतः मेरा पुरजोर आग्रह है कि तत्काल उपरोक्त समस्त सड़कों की मरम्मत करावें ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल समस्या की ओर नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये ध्यानाकर्षित कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, करौली नया जिला

(श्रीमती कमला बृजलाल)

बना है और उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं होने के कारण यह सारा जिला ही प्यासा है। मैं अपने सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मेरे क्षेत्र में 55 पंचायतें हैं उनके अन्दर 52 पंचायतें डांग क्षेत्र में हैं और सरकार का नियम यह है कि 1500 की आबादी होने पर ही वहां पर पाइप-लाइन या ट्यूबवैल से पानी या टी एण्ड टी स्कीम से पानी दिया जाता है जबकि मेरे एरिया में पहाड़ी एरिया होने के कारण लोग दूर-दूर बसे हुए हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर सौ-दो सौ लोग भी नहीं रहते हैं। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से यह मांग है कि 1500 की आबादी वाले प्रावधान को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए घटाकर 500 किया जाय और वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय। सपोटरा तहसील में पानी

(13.00 बजे)

की लाइन में प्रेशर नहीं है। लोगों ने घरों के सामने 3 फिट के गड्ढे खोद रखे हैं और उनमें कूद कर पानी निकालते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि वहां पर एक और पानी की टंकी बनायी जाए तथा एक बोरिंग और कराया जाए ताकि आने वाली गर्मी के अन्दर लोगों को प्यासे नहीं रहना पड़े।

महोदय, करणपुर में 15-20 दिन तक बिजली नहीं आती है तो ट्यूबवैल नहीं चलता है और लोगों को 15-20 दिन तक पानी नहीं मिलता है। इसलिए मेरी मंत्रीजी से मांग है कि वहां पर तुरन्त डीजल पम्प सैट की व्यवस्था करायें ताकि बिजली न होने पर भी लोगों को पानी की व्यवस्था हो। इस बार ऐसा नहीं किया तो करणपुर के लोगों को गर्मी के मौसम में प्यासे मरना पड़ेगा और लोग आन्दोलन करेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मण्डरायल तहसील में भी डीजल पम्प की व्यवस्था की जाए।

मैं मंत्री महोदय से यह भी मांग करूंगी कि यह नीति बनायी जाए कि जहां पर भी बिजली से ट्यूबवैल चल रहे हैं, वहां पर अतिरिक्त रूप से डीजल पम्प सैट भी उपलब्ध करायें ताकि इस गर्मी में लोग प्यासे नहीं मर सकें।

आशा है, मंत्रीजी मेरे क्षेत्र की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरन्त उपरोक्त व्यवस्था करायेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

बेरोजगार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स की नियुक्तियां

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राजस्थान के अलावा इस वक्त तमाम राज्यों में सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण, संग्रहण एवं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भंडारण का कार्य रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट (डी.फार्मा,बी.फार्मा) द्वारा किया जा रहा है। इनकी नियुक्तियां राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार समय-समय पर करती रहती है। परन्तु राजस्थान सरकार ने सन 1980-81 में केवल 11 फार्मेसिस्ट्स को नियुक्ति दी थी। उसके बाद 19 वर्षों में राज्य सरकार ने फार्मेसिस्ट को कोई नियुक्ति नहीं दी है। सरकारी अस्पतालों में फार्मेसिस्ट का कार्य अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा करवाया जा रहा है। इस प्रकार सरकार फार्मेसी एक्ट 1948 का पूर्ण रूप से उल्लघंन कर रही है।

अप्रिशिक्षित कर्मचारियों द्वारा क्या दवा वितरण की जाती है? जिन्हें दवा का पूर्ण ज्ञान नहीं है और सिड्यूल सी एण्ड सी–1 एण्ड एक्स की दवा की पूर्ण देखरेख न होने के कारण करोड़ों रुपये की दवा बिना काम आये नष्ट हो जाती है। सरकार इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है।

दूसरी ओर राजस्थान में रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट बेरोजगार घूम रहे हैं। तथा राज्य सरकार हर वर्ष 600 छात्र-छात्राओं को फार्मेसी अध्ययन में प्रवेश दे रही है और रिक्त पड़े पदों की अनदेखी कर रही है। सन् 1991 में भारत सरकार द्वारा हर राज्य को प्रसारित होने वाले बुलेटिन के अनुसार राजस्थान के अस्पतालों में 2,375 पद फार्मेसिस्ट के रिक्त पड़े थे जो आज लगभग 3,600 हो गये हैं। एक फार्मेसी कोर्स करने वाला छात्र 10 क्लस 2 (साइंस) के बाद तीन साल खो बैठता है और अन्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करने से भी ओवर ऐज के कारण वंचित हो जाता है। इस प्रकार फार्मेसी का अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के भविष्य से राजस्थान सरकार खिलवाड़ कर रही है।

अतः राजस्थान सरकार को चाहिए कि फार्मेसी छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनका हक देने की कृपा करें तथा दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान के अस्पतालों में फार्मेसिस्ट की नियुक्ति शीघ्रतिशीघ्र करने की कृपा करें। अन्यथा मुझे डर है कि यह बेकार डिग्री प्राप्त फार्मेसिस्ट कहीं आन्दोलन की राह पर चलने को बाध्य न हो जावें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ग्राम मोहनपुरा गांवड़ी के अन्दर अभी हाल ही एक बहुत ही भयंकर अग्निकाण्ड हुआ। किसानों की चार लाख की सरसों की फसल जलकर नष्ट हो गयी। खलिहान में सारी सरसों पड़ी हुई थी। अचानक आग लगी और उसके बाद सारे ग्रामवासी बुझाने के लिए भागे लेकिन तेज अंधड़ के कारण तमाम फसल जलकर नष्ट हो गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट भी हमने पुलिस थाने में दर्ज करा दी जो निम्न प्रकार है :- 454/99, सेवामें, श्रीमान् थानेदार साहब, थाना टोडाभीम । विषय-ग्राम मोहनपुरा गांवड़ी में हमारे सरसों के खलिहान में आग लग गयी । महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी राजूलाल पुत्र श्री मिश्रया के खलिहान में करीब 30 मन सरसों । कैलाश पुत्र श्री मिश्रया के खलिहान में 125 मन सरसों । पांचों भाइयों के यहां आग लगी और उनकी तमाम सरसों जल गयी । रामस्वरूप पुत्र श्री जिन्सी के सरसों के खलिहान में आग लगी जिससे 20 क्विन्टल सरसों और रामहरि पुत्र श्री जिन्सी मीणा के सरसों के खलिहान में करीब 18 क्विन्टल सरसों जलकर नष्ट हो गयी । करीब 16 किसानों के यहां आग लगी थी । हरिमन पुत्र श्री जिन्सी के खलिहान में करीब 16 क्विन्टल सभी खलिहानों में ग्राम गांवड़ी में एक जगह डाली हुई थी । पूरे गांव के खलिहान एक जगह होने के कारण आग लगने से सभी खलिहान जलकर राख हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या निवेदन कर रहे हो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे खलिहान जलकर राख हो गये । चार लाख की फसल उनकी नष्ट हो गयी...

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह नोटिस । सुनो ।

श्री रामस्वरूप मीणा :... माननीय मुख्य मंत्रीजी तो यहां विराजमान नहीं हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसान का जबान बेटा इस प्रकार मर जाता है इसी तरह किसान की यह सरसों की फसल नष्ट होने के कारण उनका एक जबान बेटा मरा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत दयालु हैं । निश्चित रूप से किसानों के ऊपर दया करेंगे और मुख्य मंत्री कोष से सहायता भी देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बात को समझिये पहले । आपकी पर्ची है करौली जिले में पागल कुत्ते ने काटा है, और आप बोल रहे हैं कुछ ।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो पर्ची दी हैं साहब मैंने । उपाध्यक्ष महोदय, एक पर्ची मेरी कल की थी और एक पर्ची मेरी आज की थी । आज की पर्ची तो मैंने ये दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : ये पास में यह पर्ची है आपकी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरी जो पर्ची है वह परसों की थी । उसमें भी मैं निवेदन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोल लिए इसलिए उस पर नहीं बोलोगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट निवेदन कर रहा हूं साहब । यह तो पूरा हो गया । इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि चार चार लाख की फसल जो नष्ट हुई है ग्राम गावड़ी के किसानों की । माननीय मुख्य मंत्रीजी जो बड़े दयालु हैं, किसानों पर कृपा करते हैं। किसान घर से आये हुए हैं । वह निश्चित रूप से अपने कोष से मेरे किसानों को सरसों की फसल का मुआवजा दिलायेंगे और अपने कोष से भी सहायता देंगे ।

दूसरा मैं निवेदन करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने हुकुम दिया है मुझे अभी...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब नहीं दिया । एक पर्ची है । नहीं, बैठिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पागल कुत्तों के बारे में । वास्तव में पागल कुत्तों के कारण हमारे यहां कई व्यक्ति मर भी गये और कई कुत्ते पहले पागल हो गये । पहले काटा था उनको; अब पागल हुए हैं वह । क्योंकि हमारे यहां जिला हैड क्वार्टर पर जो इंजेक्शन पागल कुत्ते के काटने पर लगता है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा :...वह इंजेक्शन नहीं है साहब हमारे यहां ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह दवाई जिला हैड क्वार्टर पर मौजूद नहीं है साहब । आपके माध्यम से मेरा तो यह निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए । अंकित नहीं कीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक 295 में दिया हुआ है । मेरा नम्बर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295 का एक हफ्ते में एक ही लगता है । आपका पहले आ चुका है इसलिए अभी नहीं आया है । माननीय श्री श्रीचन्द जी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्राम सेवक संघ के माध्यम से हजारों ग्राम सेवक आज रैली निकाल प्रदर्शन करते हुए विधान सभा के बाहर आये हुए हैं...

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक हफ्ते में दो आया करते थे 295.

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 6-10-98 को....

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पर्ची दी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची क्या दी है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कल वाली पर्ची पर बोलने के लिए कह रहे हैं साहब आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको यही पता नहीं है कि आप पर्ची क्या दे रहे हैं। पर्ची यह है कि बेगूं में एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ उसके सम्बन्ध में।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आज भी दी है पर्ची मैंने।

अध्यक्ष महोदय, शनिवार को चित्तौड़गढ़ के बेगूं नगर में एक आशा प्रजापत नाम की लडकी को....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये रोज-रोज यहां पर कई माननीय सदस्य बलात्कार की बातें करते हैं। जब तक पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे, तब तक इस तरह से बलात्कार की बात उठाने से क्या मतलब निकलता है, मेरी यह बात समझ में नहीं आयी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : पुलिस की कार्यवाही को हाई लाइट करने के लिए ही तो उठाये जाते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पुलिस कार्यवाही करेगी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं तो। मान लीजिए पुलिस कार्यवाही कर रही है तो आप उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। यहां पर यदि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है जिसको रोका जाए। यहां यह मामला बताया जाता है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह मंत्रीजी के स्टेटमेंट देने की बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पुलिस समुचित कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान) तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप ?

श्री रामनारायण चौधरी : (व्यवधान). महिलाओं की रक्षा करें, उनके संरक्षक हैं पुरुष वर्ग।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपकी बात को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा करके इस की व्यवस्था करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बेगूं में जो घटना हुई उस घटना के बाद जो लडकी नाबालिग थी, उस लडकी को वहां पर ताले में बंद करके जो अभियुक्त था वह चला गया। उसके थोड़ी देर बाद वह अभियुक्त, प्रहलाद लुहार वापस आया और उस ने मोहल्ले के सामने जिन्होंने आग लगते हुए उस खिडकी में देखी थी, उसका ताला वापस खोला और उसके बाद जब लडकी को वहां से बाहर निकाला गया और अभियुक्त और अभियुक्त का पिता वहां आया और बाद में पुलिस द्वारा यह बताया गया है कि वहां पर उस लड़की ने मरने के पहले बयान दिये कि मैं अपने स्टोव पर चाय बनाते हुए मरी हूं। उस लडकी ने डेढ़ महीने पहले भी अपने पिता से शिकायत की थी कि यह लड़का और दो लडके मुझे छेडते रहते हैं। और उसके बाद जब स्थिति ऐसी बन गयी कि वह लडका उसको बहला फुसला कर वहां ले गया।

उसके बाद लडके का बाप वहां पर ताला खोलने के लिए लडके के साथ आया और अस्पताल में पहुंचा कर उसको चला गया वहां से। उसके बाद मुझे जैसी जानकारी मिली है कि दो अन्य लडकों को भी वहां बैठा रखा है। वह शायद वहां है कि नहीं भगवान जाने। लेकिन मुख्य अभियुक्त शायद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिस तरह का वहां पर बेगूं में तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की पूर्ण जांच करवाई जाय क्योंकि इस मामले को एक प्रेम वाला मामला बताकर पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है और इस तरह का मामला बताया जा रहा है कि लडकी के और इसके पूर्व में सम्बन्ध थे जबकि नाबालिग लड़की थी, 376 और 302 का मामला उसके पिता ने दर्ज कराया है। जबकि 344 जो कि लड़का उसको बन्द कर गया, वह भी उसमें धारा लिखी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चूंकि गृह मन्त्री ने कल यह बात कही थी कि मैं सदन में बयान दूंगा, और जैसी मेरी उनसे बात हुई थी, उनसे बयान दिलवाकर इस पूरे मामले की जांच करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा.करणसिंह जी।

डा. करण सिंह यादव(बहरोड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्रीजी एवं उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि बहरोड़ क्षेत्र के इण्डस्ट्रियल एरिया में विजेता सीमेंट नाम की एक फैक्ट्री है। जहां पर लगभग बीस वर्कर्स को बिना किसी नोटिस दिये हुए बिना कोई वार्निंग के, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी कम्पनसेशन के दरवाजे के बाहर रोक लिया गया और उनको कह दिया गया कि अब आपकी इस फैक्ट्री में कोई जरूरत नहीं है, बिना किसी लिखित कार्यवाही के और यह वर्कर्स लगभग चार और पांच साल से वहां पर कार्य कर रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि आम

(डा. करण सिंह यादव)

फैक्ट्रियों में भी इस तरह का वातावरण चलता रहता है।

इसी तरह से उसी क्षेत्र की एक दूसरी फैक्ट्री पराक्रम टोक्नोफेब उसमें भी अघोषित लाक-आउट कर दिया गया बिना किसी सूचना के और कर्मचारियों को, वहां के वर्कर्स को दो माह की तनख्वाह नहीं दी गयी। इसके बारे में ऐसी आम शिकायत है कि वहां पर जो लेबर डिपार्टमेंट के काम करते हैं, चाहे लेबर कमिश्नर हो उस क्षेत्र के, चाहे लेबर आफिसर्स हों वह फैक्ट्री मालिकों के एजेण्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं न कि वर्करों की सुविधा के लिए कोई कार्य कर रहे हैं।

मैं माननीय श्रम मंत्री जी से और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां के श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन दोनों संस्थानों में विजेता सीमेंट और पराक्रम टैक्नोफेब पर अपने अपने उच्च स्तरीय अधिकारी भेजे जो इस सारे मामले की जांच करें जिससे कि श्रमिकों को उचित राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की छीपा बड़ौद तहसील में जैसा मैंने अभी बोल दिया था 295 के वक्त, पिछले चार दिनों से रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बिलकुल अन्धेरा छाया हुआ है। सिंगल फेस भी लाइट नहीं आ रही है। उसका मूल कारण यह है कि वहां हमारे यहां 132 के.वी. जी. एस. एस. बना हुआ है वहां से हमको लाइट मिलती है। वहां पर एक 12.5 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर मंजूर है। उसको मंजूर हुए करीब साल भर हो गया है। वह अभी तक नहीं लगा है। उसके कारण काफी ट्रिपिंग आती है और लाइट में व्यवधान भी होता है।

मेरा आपके मार्फत माननीय बिजली मंत्री जी से और सरकार से निवेदन है कि अभी गरमी के दिन हैं, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं इसलिए लाइट की समुचित व्यवस्था कराएं। वहां के लोगों ने, सभी पार्टियों के जन प्रतिनिधियों ने मिलकर वहां तहसील में जाकर एक ज्ञापन भी दिया है। वहां जी.एस.एस. ग्रिड स्टेशन पर कुछ लोग गये हैं। वहां पर कोई अधिकारी, कर्मचारी मिलता नहीं है आखिरकार बात किससे करें।

इसी प्रकार वहां पर जो मंजूर हैं सारथल और मूंडला, 33 ग्रिड सब स्टेशन, उनका काम 31 मार्च, 1999 को पूरा हो जाना चाहिए था। उनका अभी तक काम भी पूरा नहीं हुआ। उनका काम भी द्रुत गति से शुरू करवाएं ताकि वहां के क्षेत्र में बिजली की प्राब्लम दूर हो सके। बिजली मंत्री जी से मैं खुद भी मिला था, उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया था, उन्होंने अधिकारियों से भी कह दिया था।

हमारे यहां डोमेस्टिक कनेक्शन को

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

करीब चार हजार फाइलें पेंडिंग हैं। उन्होंने कह दिया था कि यह शीघ्र ही आठ–दस दिन में उन फाइलों को अभियान के तौर पर एकदम ए.ई.एन. और एक्स.ई.एन. को डायरेक्शन देकर तुरन्त निकलवा देंगे पर फाइलें आज दिन तक नहीं निकली हैं। काश्तकार दूर-दराज के गांवों से आते हैं वहां बिजली विभाग में जाते हैं। उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। वहां के जो अधिकारी हैं उनको टका सा जवाब दे देते हैं कि अभी तुम्हारा डिमांड नहीं निकला या यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब्रह तरह की बात करते हैं इससे वहां के लोगों में काफी गुस्सा है दूसरी बात लोगों को काफी परेशानी है।

आपके मार्फत मेरा बिजली मंत्री जी से और सरकार से यही निवेदन है कि जो क्षेत्र की यह जो समस्याएं हैं इनका शीघ्र निस्तारण करायें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। डा. किरोड़ीलाल, सदस्य विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के हजारों ग्राम सेवक बाहर प्रदर्शन करते हुए आये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरी जीरो आवर में एक स्लिप दी हुई है। मैंने आज दी है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 6-10-98 को एक समझौता किया था कि उस समझौते के अनुसार क्योंकि उस समय चुनाव की घोषणा हो गयी थी और चुनाव की घोषणा होकर आचार संहित लागू हो गयी थी, इस वजह से वह समझौता उस समय सफल नहीं हो पाया।

लेकिन इसके बाद इस सरकार ने भी जनवरी में यह आश्वासन दिया था कि तीनों मांगें मान ली जाएंगी। जो हजारों ग्राम सेवक आज प्रदर्शन करते हुए बाहर आये हैं, उनकी जो मुख्य मांगे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो प्रतिमाह 300 रुपये हायर ड्यूटी भत्ता देने की और प्रथम नियुक्ति से 9,18,27 वर्ष का जो चयनित वेतनमान का लाभ उनको मिलना चाहिए उसकी; और 9–1–95 को मुख्य मंत्री महोदय ने जो ग्राम सेवक के चयनित वेतनमान के कारण की जा रही वसूली को माफ करने की, उसमें तीन बातें थीं। उन तीन बातों पर मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पूर्ण कराएं ताकि हजारों ग्राम सेवक जो राजस्थान में दिन रात मेहनत करके ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास का कार्य कर रहे हैं, उनको राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ीलाल जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी पर्ची पता नहीं क्यों नहीं आयी, कल दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक व्यवस्था है कि एक सिटिंग में चार पर्चियों पर बहस होती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने तो कल ही दे रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : 12 पर्चियां और हैं मेरे पास। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो चार पर्चियां यहां पर दीं फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्वड के आधार पर, उन चार माननीय सदस्यों को बोलने दिया गया। उसके बाद अब 12 पर्चियां हैं। यह सम्भव नहीं है, इसलिए आप बिराजिये। माननीय डा. किरोड़ीलाल जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह दुबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कल वापस दे देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं दुबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : जरूरत पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको वरीयता से रखा जाए अब जो दे दी है, या तो वरीयता रखी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : वरीयता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड।

श्री हीरा सिंह चौहान : ना ना आज निरस्त हो जाएगी। कल वो का वो क्रम और टूट जाएगा इसलिए उसको कल रख दिया जाए। यह व्यवस्था दे दें तो हम बैठ जायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे को ऐसा लगता है एक दो दिन पहले दी है। वो आयी होंगी। या तो उसी क्रम से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अध्यक्ष महोदय से विचार करके फैसला करेंगे। ठीक है।

याचिकाओं का उपस्थापन

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित चार याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं:—

ग्राम बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर में उप तहसील खोले जाने बाबत

(1) ग्राम बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर में उप तहसील खोले जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

जिला सवाईमाधोपुर पंचायत समिति बामनवास के ग्राम बरनाला में उप तहसील खोले जाने बाबत

(2) जिला सवाई माधोपुर पंचायत समिति बामनवास के ग्राम बरनाला में उप तहसील खोले जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

पंचायत समिति बामनवास तहसील मुख्यालय बामनवास एवं मुंसिफ कोर्ट कार्यालय को पिपलाई मोड़ पर स्थानान्तरण किये जाने बाबत

(3) पंचायत समिति बामनवास–तहसील मुख्यालय बामनवास एवं मुंसिफ कोर्ट कार्यालय को पिपलाई मोड़ पर स्थानान्तरित किये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बौंली के ग्राम कोडिनाई में पुलिया निर्माण करवाये जाने बाबत

(4) जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बौंली के ग्राम कोडिनाई में पुलिया निर्माण करवाये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिवेदन पहले था। प्रश्न के बाद जनलेखा समिति का, आज की कार्यसूची में ऊपर ही ऊपर था। याचिका उसके बाद थी।

श्री उपाध्यक्ष : सॉरी। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति का पहले से नवां प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 1999-2000 में 9 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:—

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1994-95, पैरा संख्या 6.3 व 6.4 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1995-96, पैरा संख्या 2.5 वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या 6.2, 6.3, 6.4 उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का प्रथम प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1991-92, पैरा संख्या 3.7, वर्ष 1992-93 का पैरा संख्या 5.1, वर्ष 1993-94 का पैरा संख्या 3.5, वर्ष 1994-95 का पैरा संख्या 3.7 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन,

(3) जनलेखा समिति, 1984-85 के 20 वें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्वित विषयक) समिति का तृतीय प्रतिवेदन,

(4) जनलेखा समिति, 1985-86 के पंचम प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिश की पालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्वित विषयक) समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन,

(5) जनलेखा समिति, 1990–91 के इक्कीसवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित (क्रियान्वित विषयक) समिति का पंचम प्रतिवेदन,

(6) वर्ष 1976-77 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट अंकेक्षा अनुच्छेद 3.7 पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का षष्टम प्रतिवेदन,

(7) वर्ष 1990–91 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट मु-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का सप्तम प्रतिवेदन,

(8) वर्ष 1995-96 में इकसठवें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित पैराज के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित (क्रियान्वित विषयक) समिति का अष्टम प्रतिवेदन, एवं

(9) जनलेखा समिति, 1991-92 के 56वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में राजस्व विभाग से सम्बन्धित पैराज के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्वित विषयक) समिति का नवम प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि कृषि और पशुपालन पर अनुदान मांगों पर बहस शुरू कर रहे हैं। सूची बहुत लम्बी है बोलने वालों की। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय सीमा में रहते हुए बोलें और अधिक से अधिक माननीय सदस्य दस मिनट से अधिक नहीं लें ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका मिल जाए।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि (विपणन सहित) एवं श्री हरिसिंह कुम्हेर डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री तैय्यब हुसेन (कृषि मंत्री) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-37 कृषि (विपणन सहित) के सबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2 अरब, 55 करोड़ 26 लाख 91 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुमोदित राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह जी।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)(राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1 अरब 20 करोड़ 18 लाख 71 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुमोदित राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:—

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

1. कृषि उपकरणों के नवीनतम प्रयोग में विभागीय शिथिलता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर)

2. कृषि विज्ञान के शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. मुण्डावर में कृषि उपज मंडियों की सड़कों की दुर्दशा में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्राध्यापकों के चयन में आरक्षण की अवहेलना किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

6 कृषि विश्वविद्यालय में डीन व डायरेक्टर के पदों में आरक्षित वर्ग की अवहेलना एवं 15 वर्ष से इन पदों पर आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का चयन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

7. खाद व बीज की फसल बोने के समय से पूर्व राज्य के सभी केन्द्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. ब्यावर कृषि उपज मण्डी से तहसील रायपुर को जोड़ने वाले मार्ग बड़ी पोल से जगमालपुरा होते हुए ब्यावर सीमा, जस्सा खेड़ा से अमरापुरा ब्यावर तहसील, ब्यावर के कानूजा (पाली) रोड तक का डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. पंचायत समिति रायपुर (पाली) द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार कृषि उपयार्ड रायपुर को ब्यावर मंडी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. प्रत्येक पंचायत समिति में कृषि सहायक का पद रखा जाकर कृषि विभाग के सुपरवाईजर, सहायक कृषि निदेशक की सेवाएँ जन हित में इस विभाग में उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. सचिव, कृषि उपज मण्डी समितियों को क्षेत्र की पंचायत समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

12. राज्य में कृषि क्षेत्र में काम आने वाले सभी प्रकार के साधनों को कर मुक्त करने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

13. राज्य में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा और अधिक सड़क निर्माण कराने एवं अधूरी सड़कों के निर्माण को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

14. राज्य में फल व सब्जी उत्पादकों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के लिये कोल्ड स्टोरेज-प्रोसेसिंग प्लांट लगाने आदि की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. राज्य में शुद्ध बीज के नाम पर नकली बीज बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

16. राज्य में कृषि पैदावार पर आधारित कारखाने लगाये जावें ताकि कृषकों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके, की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

17. दांतारामगढ़ (सीकर) में कृषि उपज मण्डी की स्वीकृति की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

18. श्रीगंगानगर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. श्रीगंगानगर के किसानों को प्रमाणिकृत बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. श्रीगंगानगर जिले में नकली पेस्टीसाईड व खाद पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. राज्य में खाद, पेस्टीसाईड व बीज पर टैक्स पंजाब, हरियाणा राज्यों के समान करने की आवश्यकता पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

22. 1997 में नरमा-कपास की फसलों के नुकसान का मुआवजा श्री गंगानगर के किसानों को दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

23. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बालोतरा से मूगड़ा की डामर सड़क की मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24. बालोतरा उप जिला मुख्यालय पर सहायक निदेशक उद्यान का कार्या-

(श्री अमराराम चौधरी)

लय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

25. कृषि विभाग में निदेशक के पद को कृषि विभाग से ही भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

26. कृषि विपणन बोर्ड एवं मण्डी समितियों का विधिवत गठन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

27. राज्य सरकार की प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समितियों को सुचारू रूप से चलाने व बोर्ड के चुनाव कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

28. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में कृषकों की उपज का माल लाने ले जाने में सड़कों का निर्माण कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराने में असफल रहने से कृषकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

29. प्रदेश में किसानों को अपनी उपज का सही दाम दिलाने में राज्य सरकार के असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

30. तिलम संघ बीकानेर यूनिट के संचालन के लिये पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. कृषि कुओं से सिंचाई करने वाले किसानों को डिग्गी फव्वारा अनुदान का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

32. कृषि क्षेत्र में आकस्मिक नुकसान की पूर्ति हेतु फसल बीमा शुरू करने पर चर्चा के लिये ।

33. नापासर के आस-पास के क्षेत्रों में कृषि कुओं के उत्पादन के लिये विपणन हेतु नई मण्डी स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

34. बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई खजूर की उन्नत किस्म काश्तकारों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराने में सरकार के असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

35. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. कृषि निदेशक के पद पर विभागीय अधिकारी के पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

37. कृषि अनुसंधानों को काश्तकार तक पहुंचाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

38. नकली बीज, खाद व दवाईयों का विक्रय करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह (सादुलपुर)

39. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू में राजगढ़ से ठंठाल लेखू-ठंठाल लेखू से ख्याली, सांखू से विजयपुरा, जैतपुरा से ढाणी मोजी, हमीरवास से बेवड़, राधा बड़ी से गागड़वास सांखणताल से रबूड़ी, कालानाताल से राऊ टीबा सड़कों का निर्माण इसी बजट वर्ष में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू में ग्राम रड़वा से कांयरान की अधूरी सड़क को इसी बजट वर्ष में पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू में हुरपालू से कालरी, लम्बोर बड़ी स्टेण्ड से देवी मन्दिर तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत इसी बजट वर्ष में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू के ग्राम सिद्धमुख में इसी बजट वर्ष में मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

43. गढ़ी मेवात (डीग) से गुलपाड़ा तहसील नगर जिला भरतपुर तक की सड़क के निर्माण बाबत चर्चा के लिये ।

44. कस्बा नगर में कृषि विभाग की खाद, बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के कता लिये ।

45. विधान सभा क्षेत्र नगर व कामां की (मण्डी द्वारा निर्मित) सड़कों की शीघ्र मरम्मत (पैंचिग) कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. ग्राम जय श्री से कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) तक की सड़क को वाया खेस्ती अलधानी शीघ्र पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

47. कस्बा सीकरी (भरतपुर) में शीघ्र कृषि उपज मण्डी के निर्माण को पूर्ण कराकर प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खान (शिव)

48. जैसलमेर जिले में सुधार वाला कृषि मण्डी को शीघ्र विकसित करने की

(श्री अमीन खान)

आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में किसानों की सुविधा के लिए मण्डी सड़कों की विशेष व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये ।

50. सीमावर्ती जिला-बाड़मेर, जैसलमेर में चाड़वा तख्तीबाद से बिरद कापार, सवाऊ पदमसिंह से खुमानोयों की ढाणी, मोहम्मद कापार से बांडे कापार, सजनारेगी से लालासर एप्रोच रोड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास)

51. विधान सभा क्षेत्र बामनवास (जिला-सवाईमाधोपुर) में मंडी विकास मद से स्वीकृत सड़कों का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम छाण को मिर्च मंडी में करोड़ों का अवैध व्यापार एवं सरकारी कर की चोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

53. भगुनगर, गंधेर, बागुदार, टीकोडी में नये कृषि विस्तार कार्यकर्ता के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

54. प्रति वर्ष बढ़ रहे कृषि क्षेत्र के अनुपात में भूमिगत जल में हो रही कमी से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

55. राज्य में किसानों को आलू–प्याज के वाजिब दाम दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. राज्य सरकार द्वारा अकाल एवं अतिवृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान क्षतिपूर्ति करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. किसान को अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा इस वर्ष के बजट में नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीशचन्द (नावां)

59. कृषि मण्डियों के चुनाव कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

60. कृषि मण्डी क्षेत्र कुचामन सिटी की स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. कुचामन सिटी एवं नावां शहर में सब्जी मण्डी निर्माण कराने की आव–

(श्री हरीशचन्द)

श्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रेमपुरा पंचायत हैड क्वाटर (कुचामन सिटी) तक डामर रोड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. लिचाणा से पदमपुरा (कुचामन सिटी) तक डामर रोड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी(खारची)

64. कृषि उपज मण्डी सोजत रोड द्वारा धामली से मोलालीया तक डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. कृषि उपज मण्डी राणी द्वारा पिलावनी से रूगडी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

66. बँगना तहसील बांरा से मिर्जापुर बांरा तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. ग्राम ननावता तहसील अटरू जिला बांरा से गोरडी ग्राम तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़)

68. हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में नरमें व कपास की फसल को बीमारी के समाधान के सबंध में चर्चा के लिये।

69. हनुमानगढ़ जिले में लगातार नरमें की फसल खराब होने के कारण किसानों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70 हनुमानगढ़ जिले में कपास की खेती तीन वर्षों से खराब होने के कारण फसल चक्र बदल कर शुगर फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू)

71. जयपुर नगर के विकास हेतु किसानों की कृषि की जमीन की अवाप्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाईयों के मिलावटी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. राज्य में रासायनिक खाद की कीमत बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

74. कृषी उपज मण्डी के अन्तर्गत बाड़मेर जिले की सड़कों के निर्माण में शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

75. राज्य में खाद, बीज अधिक महंगा होने से किसानों को हो रही तकलीफ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

76. कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी टोडाभीम में सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल (बागीदोरा)

77. बागीदोरा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य कराने की विफलता पर चर्चा के लिये।

78. बांसवाड़ा जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कोटडा से बारेडी सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राज्य सरकार द्वारा किसानों को अपनी कृषि उपज का सही दाम दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. राज्य सरकार द्वारा कृषि पर सिंचाई कर को रोकने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

82. राज्य में रोजड़ों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. राज्य में कीटनाशक व उन्नत किस्म के बीज के नाम पर नकली खाद, बीज व औषधियां बेची जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. राज्य में किसानों को उन्नत किस्म के बीज व खाद समय पर उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

85. खारवारा-शेरपुर की अधूरी सड़क को इसी बजट वर्ष में पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

86. रामगढ़ (अलवर) में कृषि हेतु जल ग्रहण केन्द्र सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अलवर) में उचित एवं गुणवत्ता वाले बीज राजस्थान बीज निगम से समय पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

88. रामगढ़(अलवर) में प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर डी.ए.पी.एवं यूरिया का वितरण सही समय पर एवं सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. रामगढ़ (अलवर) में प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर कृषि विस्तार योजना को प्रारंभ करने एवं सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

90. गोविन्दगढ़ जिला अलवर में पुनः कृषि उपज मण्डी प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

91. कृषि उपज मण्डी द्वारा केसरपुरा (जिला-सिरोही) से काम्देश्वर महादेव सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. कृषि उपज मण्डी द्वारा कैलाश नगर (जिला सिरोही)से वाण सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. कृषि उपज मण्डी द्वारा नारादरा (जिला सिरोही) से उम्मेदगढ़ सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. कृषि उपज मण्डी द्वारा शिवगंज (जिला सिरोही)से कोरटा(जिला पाली) सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

95. कृषि मण्डी जैतारण के अधीन फुलमाल टूकड़ा व सागावास पंचायत मुख्यालय की सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

96. भू-संरक्षण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त एनीकट व खडीन का निर्माण पुनः नहीं करवाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

97. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा चौमूं विधान सभा क्षेत्र विजयसिंह पुरा से भीड़ा वाया कुशलपुरा बाशा बाग से मुल्तानपुरा ग्राम तक सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

98. कृषि उपज मण्डी द्वारा चौमूं विधान सभा क्षेत्र में सामोद से घाटा तक 1½ किलोमीटर, खेजरोली रोड से नीन्दोला ग्राम तक व चांदजी वाली ढाणी लोहर वाड़ा ग्राम पंचायत सीमा से लोहर वाडा रेल्वे स्टेशन तक सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

99. विभाग द्वारा पुष्कर में सावत्री जी की पहाड़ी से बहने वाली मिट्टी को रोकने की आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. पुष्कर क्षेत्र में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कानस की पहाड़ियों से बहने वाली मिट्टी को रोकने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विभाग द्वारा फाईसागर अजमेर से खरेकड़ी अपूर्ण सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. कृषि उपज मण्डी द्वारा पुष्कर क्षेत्र में राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 8 से उंटड़ा तक सड़क मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. कृषि उपज मण्डी द्वारा पंचायत समिति श्री नगर (अजमेर) के ग्राम बबाईचा से छापरों की ढाणी तक सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

104. कृषि उपज मण्डियों के चुनाव नहीं कराने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. खोखल नगर पालिका क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी यार्ड के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राजस्थान बीज निगम द्वारा राजस्थान के किसानों को आवश्यकतानुसार बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

107. जल ग्रहण के अन्तर्गत तहसील परबतसर में एनिकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. जल ग्रहण के अन्तर्गत मानपुरा, राबड़ियाद, मयापुर में कार्य स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. तहसील परबतसर में कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर को मंडी सड़कों से वंचित रखने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

111. खानपुर विधान सभा में खाद समय पर उपलब्ध न होने से किसानों की फसल पर कुप्रभाव पड़ने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

112. मंडी पीलीबंगा में नया कृषि यार्ड चक 13 पी.बी.एन. में स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नोमकाथाना)

113. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोटड़ा सड़क का कार्य नहीं चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

114. कृषि सम्बन्धी सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

115. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण जैसलमेर क्षेत्र के काश्तकारों को खाद, बीज वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

116. जैसलमेर जिले में कृषि] मण्डियों के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

117. जैसलमेर जिले के इंदिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र विकास में कृषि अनुसंधान केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

118. विभाग द्वारा कृषकों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

119. राजस्थान में कृषकों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवा की वितरण व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

120. राज्य में किसानों को कृषि कार्य हेतु पानी मुहैया कराये जाने के विभागीय उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

122. कृषि विस्तार कार्यक्रम की पूर्ण असफलता एवं स्टाफ पर व्यय की गई राशि की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये ।

122. भू-संरक्षण के कार्यक्रम में आवंटित धनराशि खासतौर से डी.डी.पी. व डी. पी. ए. पी. का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

123. मंडी शुल्क में संगठित रूप से व्यापारियों द्वारा स्टाफ की मिली भगत से करवंचन से सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

124. कृषि उपज मंडियों के निर्वाचन में जानबूझकर की जा रही देरी व मंडियों में सरकारी प्रशासकों को लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री गोविन्द सिंह)

125. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अजमेर जिले में मसालों हेतु कृषि फार्म खोलने में आ रही दिक्कतों की ओर आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा के लिये ।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर)

126. मण्डी समितियों पर प्रभावी तरीके से मण्डी टैक्स वसूलने से संबधित प्रवेश चौकियां स्थापित करवाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

127. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के मरम्मत नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये ।

128. भरतपुर जिले में खार में हो रही वृद्धि से कृषि नुकसान के बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा के लिये ।

129. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

130. भरतपुर में कृषि विपणन बोर्ड का कार्यालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि के उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भूखलाल (सपोटरा)

131. सपोटरा क्षेत्र में किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं होने से फसलों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार)

132. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कृषि विभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों द्वारा काश्तकारों को समय पर खाद-बीज एवं कृषि यंत्रों का वितरण उचित तरीके से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

133. कृषि पर्यवेक्षक पद सभी ग्राम पंचायत स्तर पर होने एवं जहां पद स्वीकृत या रिक्त है उन्हें तत्काल भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

134. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

135. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में नई कृषि मण्डियां बनाई गयी है उनमें व्यवसाय चालू करने एवं जो अधूरी है उन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कृषि विभाग से सम्बन्धित जल संरक्षण विभाग द्वारा कई स्वीकृत कार्य अभी तक नहीं कराने तथा जो कार्य कराये गये है उनमें कई अनियमितताऐं होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

137. कृषि मण्डी प्रतापगढ़ में कृषकों की उपज का वास्तविक तौल नहीं होने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

138. कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़ के मण्डी प्रांगण में किसानों के लिये निर्मित किसान भवन का दुरुपयोग होने एवं गौण मण्डी बाराबड़दा तहसील प्रतापगढ़ का उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

1. बीकानेर जिले में ऊंटों को सर्रा बीमारी के उपचार हेतु चल इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

2. वर्तमान में उपखण्ड स्तर पर पशु चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर)

3. निर्वाचन क्षेत्र मण्डावर में पशु चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

4. पाली जिले में बीजागुडा, खोडिया, पचानपुरा, रेसड़ा तथा कोट-किराणा में हजारों की संख्या में पशुधन होने पर भी पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. पाली जिले की ग्राम पंचायत कानूजा में गत वर्ष खोले गये पशु चिकित्सालय में कम्पाउण्डर स्तर का पद पुनः सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. गौ-धन की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर चारे की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

7. राज्य में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

8. संक्रामक बीमारियों से बचाने हेतु पशुओं को रोग निरोधक टीका लगाने एवं टीकाकरण-कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

9. राज्य के प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सालय की चल इकाईयाँ उचित संख्या में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. राज्य में पशुधन की संख्या को आधार मानकर उचित संख्या में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

11. निर्वाचन क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम जीनवास, गोवटी, मेई में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

12. मूल की ढाणी, पंचायत समिति, बालोतरा में नया राजकीय पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

13. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान की उन्नत किस्में उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

14. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सक उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

16. पशुओं के व्यापार के लिये निष्क्रमण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

17. कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के टिमेड़ा; कोटड़ा बिलड़ी, रामगढ आदि में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

18. कुशलगढ़ क्षेत्र के पशु औषधालयों में दवाइयों एवं पशु चिकित्सकों की कमी की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. राज्य में पशुओं के चारे की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

20. लाखूसर, आनन्दगढ़, ढाणी पाडूसर में पशु चिकित्सा हेतु पशु उप-केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

21. गो शालाओं के लिये उन्नत चरागाह स्थापित करने व चारा उगाने के लिये भूमि उपलब्ध कराने के मामले में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

22. भेड़ों को चराई के लिये दक्षिणी राजस्थान में ले जाने पर उत्पन्न कठिनाइयों को प्रभावी तरीके से हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

23. राजकीय भेड़ फार्म बाकलिया, जिला नागौर की अधिकतर गतिविधियां भेड़ फार्म, फतेहपुर (सीकर) स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24. उन्नत नस्ल की बछड़ियों के प्रजनन के लिये कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को विस्तार पूर्णतया नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

25. पशु चिकित्सालयों में डाक्टर्स व अन्य स्टाफ के अधिकतर पद खाली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह (सादुलपुर)

26. पंचायत समिति राजगढ़, जिला चूरू के ग्राम कालरी, रामसरा ताल, नूहन्द में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

27. पंचायत समिति राजगढ़, जिला-चूरू के ग्राम राधाबड़ी, नेसल, राऊटीबा, देवीपुरा, मुवाडी, घणाऊ में पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

28. ग्राम लाड़मका में पशु प्रजनन केन्द्र व नस्ल सुधार (पशु) केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29. भरतपुर में वेटेनरी कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. ग्राम मानोताकलां तहसील नगर (भरतपुर) में पशु चिकित्सालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये ।

31. कस्बा थून(नगर) में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

32. पंचायत मुख्यालय जोत कहल्ला, पंचायत समिति कामां (भरतपुर) में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खान (शिव)

33. जिला बाड़मेर सीमावर्ती रेगिस्तान क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय अधिक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

34. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालय की कमी को दूर करने एवं आमादा, बावड़ी, लुहारीकलां घोड़, टोडा जागिर, गंधेर टीठोडी, मंशा बिरधोल में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

34. थारपाकर, काक्रेज एवं राठी नस्ल की गायों के ब्रीड को विकसीत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. बाड़मेर जिले में पशु चिकित्सालय एवं उप चिकित्सालय खोलने में उपेक्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

37. मारवाड़ जंक्शन, तहसील पाली के आऊवा गांव में निर्मित भवन में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

38. ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगोद, कोटा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

39. विभाग द्वारा ग्राम कुनसीसर, चूरू में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा ग्राम नोकरासर (चूरू) में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

41. गांवों में बढ़ रही पशु संख्या को सुरक्षा पर हो रहे कम व्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. पशु पालन विभाग में अधिकांश रिक्त पदों को भरे जाने की कोई योजना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राजस्थान में पशुओं को रोग से बचाव की चिकित्सा सुविधा न होने से, हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द (नावां)

44. ग्राम पंचायत चावन्डिया, तहसील नावां एवं श्यामगढ़ से पशु चिकित्सालय का उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. ग्राम पंचायत मूण्डी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. कुचामन सिटी के 'अ' श्रेणी पशु चिकित्सालय के अन्तर्गत चल इकाई स्था-

(श्री हरीशचन्द)

पित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. कुचामन सिटी स्थित "अ" श्रेणी पशु चिकित्सालय में डाक्टरों के दो पद और सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

48. ग्राम पंचायत प्रेमपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

49. झुंझुनूं जिले के बिजूसर ग्राम में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

50. उन्नत नस्ल के पशुओं की गुणवत्ता गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

51. डूंगरपुर जिले में सरथूना, करावाड़ा, गेजी, बोड़ामली, खजुरी, चुण्डावाड़ा, आमझरा संचिया आदि ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

52. जिला झुंझुनूं के अजाड़ी कलां पंचायत में पशु चिकित्सा की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

53. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने एवं वर्तमान में चल रहे पशु चिकित्सालयों की स्थिति दयनीय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल (बागीडोरा)

54. राज्य सरकार द्वारा बागीडोरा क्षेत्र के गांव कोटड़ा, नवा घरां कलवा वड़लीयां में पशु औषधालय खोलने में असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

55. राज्य सरकार द्वारा बागीडोरा क्षेत्र में पशु औषधालय में दवाइयां उपलब्ध कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

56. राज्य सरकार के बागीडोरा क्षेत्र के अरथूना, आनन्दपुरी रयाला औषधालयों को क्रमोन्नत कराने में असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

57. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बिन्दोला में पशुपालन सब-सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के नांगल

(श्री भगवान सहाय सैनी)

कला, गुढलिया, नांगलकोजू, धोबलाई ढोढसर, नांगलगोविन्द ग्राम पंचायतों में पशुपालन सब-सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. चौमूं विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में पशुपालन सब सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के तिगरिया नांगलमल्हा, सींगोद खुर्द ग्राम पंचायतों में पशुपालन चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

61. पशुपालन व्यवसाय से कृषक की आमदनी बढ़े ताकि उसका आर्थिक विकास हो सके, इस सम्बन्ध में प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

62. पशु चिकित्सालयों के अभाव में भिनाय विधान सभा क्षेत्र के पशु पालकों के पशुओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

63. रामगढ़ (अलवर) में उच्च गुणवत्ता के कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. रामगढ़ (अलवर) में रामगढ़, नौगांवा मुबारिकपुर एवं गोविन्दगढ़ कस्बों के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. रामगढ़ (अलवर) की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक पशुपालन एवं चिकित्सा केन्द्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

66. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के पंचायत मुख्यालय निम्बोल कुड़की में पशु चिकित्सा भवन का निर्माण हो जाने के बावजूद स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. जैतारण क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. जैतारण विधान सभा क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

69. पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) के

(श्री रमजान खान)

ग्राम ऊंटड़ा में पशु चिकित्सालय केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

70. पुष्कर पशु मेले में पर्याप्त रूप से पशुओं के काम में आने वाली दवाइयां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. पुष्कर में कार्तिक मेले में उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला पशु पालन अधिकारी को मेला अधिकारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. अजमेर जिले के ग्राम गंगवाना में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद)

71. धोद पंचायत समिति हैडक्वाटर होने एवं रसीदपुरा जिला सीकर में जिले में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होने के बाद भी पशु चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

73. डूजोद ग्राम जिला सीकर में पशु चिकित्सा व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. भाजोर पशु स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर)

76. श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर (नागौर) में प्रसाद के ठेके की जमा धनराशि का उपयोग भी वीरतेजा मंदिर के विस्तार में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. ग्राम ठाठोता, कुड़ली, बिठवालिया, मंगलाना, घोघलिया तहसील परबतसर जिला नागौर में पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. मारवाड़ में पशुधन की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये ।

79. श्री वीर तेजा पशु मेला परबतसर जिला नागौर में मेलार्थियों एवं व्यापारियों के लिये छाया बाबत छप्पर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. ग्राम बाजवास, रावड़ियाय बोसर्डे, मकलिया, हरवाबा, बेसरोली नान्दोली मैड़तियां तहसील परबतसर जिला नागौर में पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

81. कुक्कुट व्यवसाय को विभागीय सहयोग

(श्री गोविन्द सिंह)

से उद्योग का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. की-विलेज स्कीम के बन्द होने से जो केन्द्र बन्द हो गये हैं, उन्हें पुनः अन्य योजना में चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. पशुपालन व्यवसाय को राज्य में लाभकारी बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये ।

84. राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादन संघ को एनडीडीबी से असंबंध कर स्वतन्त्र इकाई के रूप में कार्य करने एवं वर्तमान घाटे के कारणों पर चर्चा के लिये ।

85. रामसर फार्म में अपव्यय व उसकी सम्पूर्ण अनुपयोगिता व गीर नस्ल की गायों के संरक्षण में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर)

86. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में सभी पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सालय व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

87. भरतपुर जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

88. ग्राम पाडूकलां, लाम्बा जाटान, रोहिसा एवं पुन्दलू में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा)

89. सपोटरा में पशु चिकित्सालयों के अभाव से पशुधन के रोग ग्रसित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

90. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव के कारण पशुधन के रोग ग्रसित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

91. ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

92. जैसलमेर जिले में आवारा बैलों की समस्या तथा बैलों की निकासी के संबंध में चर्चा के लिये ।

93. ऊंटों के उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. चार पार कर फार्म, छापन को कृषि

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

विश्वविद्यालय को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

95. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पंचायत रायपुर जागीर में चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

96. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में सरदारगढ़ में पशुधन की हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघुवीरसिंह गौड़ (कोटपूतली)

97. कारीली, पांचूडाला, बड़नगर, बूचारा, टापरा आदि में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार)

98. विधान सभा क्षेत्र गंगरार-राशमी में संचालित संकर गौ प्रजनन केन्द्र को बढ़ाने व अन्य गांवों में भी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र गंगरार-राशमी में जहां-जहां पशु चिकित्सालय एवं शाखाएं खोल रखी है, वहां पर दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर, सहायक कर्मचारी के पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

101. भेड़ ऊन विभाग को पशुपालन विभाग में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

102. प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पशु औषधालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आज ऐसी मांग पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर राजस्थान प्रदेश के अधिकांश निवासियों का जीवन आधारित है। यह सही है कि कृषि की नई तकनीकों के साथ राजस्थान में कृषि से उत्पादन और विकास पर पिछले कुछ वर्षों में काफी ध्यान दिया गया है। आज हमको इस बात की, जरूर परेशानी है कि बरसात पर हमारी कृषि आधारित

(श्री रतन लाल ताम्बी)

है। इस वर्ष मौसम खराब रहा तो राजस्थान में कृषि के उत्पादन में काफी गिरावट हुई है। और इसलिए हमको इस बात की आवश्यकता है कि हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत बनायें और कैसे हमारा किसान खुशहाल रहे। इसके लिए विभिन्न विभागों की हमारी वर्तमान योजनाएं अलग-अलग ढंग से हैं। उसके आधार पर हमको चिन्तन करने की आवश्यकता है। किस प्रकार उनको समायोजित करके सारा कृषि कार्यक्रम उसमें आधारित करें कि बरसात के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था जर्जरित नहीं हो।

मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि कृषि विस्तार कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, कृषि विस्तार कार्यक्रम में जो पहले ग्राम सेवक कृषि के आधार पर गांवों में काम करते थे, उसमें उत्पादन की दिशा में काफी सक्रियता थी और काफी, उसके बारे में लोगों को मार्गदर्शन करते थे। विस्तार कार्यक्रमों के बारे में काफी अच्छा सोचा गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी आशाएं की गयी थीं। किन्तु एक ओर विस्तार कार्यक्रम तो काफी नजर आने लगा। स्टाफ बढ़ा, सब कुछ हुआ, मगर मैं मानता हूं कि यह सब होने के बावजूद भी कृषि उत्पादन के लिए स्वतः जो किसान अपनी तैयारी करता है, या मेहनत करता है उसके बावजूद नई तकनीक और किसान तक सब चीजें समय पर पहुंचें, इस बात की व्यवस्था नहीं होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक ओर हम सभी इस बात को देखते और जानते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में बनता है उसके बाद कभी यूरिया बराबर नहीं मिल पाता है। कभी डी. ए. पी. बराबर नहीं मिलता है और बड़ी मात्रा में कालाबाजारी होती है। जब किसान को खाद और बीज की आवश्यकता होती है, तब कहीं सक्रिय नजर आता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि कार्यक्रम हर साल अप्रैल मई में तैयार होकर उसके प्रदान की जो व्यवस्था, खाद, बीज की करनी है, वह समय पर की जानी चाहिए। बजाय जुलाई में बीज के लिए प्रयत्न हो रहे हैं उसके लिए जिला प्रशासन और सब लग रहे हैं। डी. ए. पी. नहीं आ रहा है तो इसके लिए प्रयत्न हो रहा है, और वह समय पर नहीं आता है, इसलिए उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि समयबद्ध कार्यक्रम की दृष्टि से राजस्थान में कृषि उत्पादन को जोड़ा जाये और सहकारिता और कृषि के साथ-साथ एक समन्वय की व्यवस्था नहीं है। आज भी कृषि विभाग का क्या कार्यक्रम है सहकारी विभाग और समितियों को समय पर उपलब्ध नहीं होता और समिति उसमें व्यवस्था नहीं कर पाती। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि उत्पादन के लिए कृषि और सहकारिता के सारे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

समन्वय अप्रैल और मई में योजनाबद्ध तरीके से होकर व्यवस्था की जाये ताकि समय पर किसान को खाद और बीज मिल सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि एक ओर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है उसके बावजूद कई बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहां पर आज भी कृषि विस्तार कार्यक्रम नहीं है। मेरे क्षेत्र में मैंने 4-5 क्षेत्रों के लिए निवेदन किया है। उनकी जनसंख्या 5 और 6 हजार एक-एक पंचायत की है और उसके बावजूद उनको 15-15 किलोमीटर तक कृषि विस्तार कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि करीब–करीब दो पंचायतों के बीच में कृषि विस्तार कार्यकर्ता निश्चित रूप से होना चाहिए। उनका समयबद्ध कार्यक्रम किसानों को कि कब कहां मिलेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या-क्या उनका कार्यक्रम है, वह सब देखने की व्यवस्था निश्चित रूप से की जायेगी।

मान्यवर, हमारे खाद्यान्न उत्पादन में निश्चित रूप से कुछ कमी आती जा रही है। उसका बड़ा कारण कहीं है तो वह है कि कैश क्रॉप की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाने लगा है। और कैश क्रॉप पर ध्यान जाने से जहां कृषि उत्पादन की कमी हुई है, यह तो हमारी चिन्ता का विषय है, और किसान की खुशहाली के लिए कैश क्रॉप के लिए ध्यान जाना निश्चित रूप से आवश्यक है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि कैश क्रॉप के लिए बीज उपलब्ध होने चाहिए। पिछली बार ग्वार का बीज, पिछली बार तिल्ली का बीज समय पर नहीं मिला। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जैसा मिला वैसा लिया। मनमानी रेटों पर मिला। तो कैश क्रॉप की तरफ आज एक मानसिकता लोगों की बनती जा रही है।

तो मंत्री महोदय आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगले वर्ष में आप अभी से अप्रैल और मई में क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, इस बात का क्षेत्रों में किसानों के बीच में बैठ कर, उनकी गोष्ठियां करवा कर उनके जो सुझाव हैं उनको आप समझ कर व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों का शोषण नहीं हो। इस बात को भी आज देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विस्तार कार्यक्रम का भी पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। पुनरावलोकन के बाद इसमें जो हमारे मुख्य–मुख्य कार्यक्रम हैं वह किस तरह से ठीक संचालित हों, उसको ढंग से आपको जानने की आवश्यकता है। आज भी फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद-बूंद की जो पद्धतियां हैं, यह आम किसान तक नहीं पहुंच पा रही है। जो लोग बहुत होशियार हैं, जो इसमें जोड़–तोड़ करके व्यवस्था कर लेते हैं, उनको तो उपलब्ध हो जाती है, बाकी लोग चक्कर लगाते रहते हैं। पंचायत समितियों के विभागों के समय पर कार्यवाही होती नहीं है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इस बात का प्रयत्न करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पिछले वर्षों में कृषि के शिविर हुआ करते थे। बड़े किसान वहां पर इकट्ठे होते थे, विशेषज्ञ लोग वहां पहुंचते थे उनमें कुछ कमी आने लग गयी है। मैं समझता हूं नई तकनीक किसान को मिले, योजनाओं की जानकारी मिले उस दिशा में भी आपका ध्यान जायेगा। मोटे तौर पर मैं कृषि के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। कृषि विपणन की दृष्टि से राजस्थान में कृषि विपणन का कार्यक्रम चला। इसके बाद कृषि विपणन बोर्ड और मण्डी बाबत विस्तार से चर्चा हुई। बाद में, कई बार मैं देख कर चलता हूं कि अच्छी कृषि मण्डियों के क्षेत्र आज इस व्यवस्था से निराश होते चले जा रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में करीब-करीब 7-8 कृषि उपज मण्डियां बनी थीं, उनकी योजनाएं भी कुछ बनीं। उनका विकास होने लगा। सड़कें भी बनने लगी और इन वर्षों में कुछ अधिकारियों के कारण, मिलिभगत से समझ लें चाहे कैसे भी समझ लें, आय कम होते होते कृषि उपज मण्डियों को वहां से हटा कर कहीं दूसरी कृषि मण्डियों से सम्बन्ध किया जा रहा है।

उदाहरण के तौर पर मेरे क्षेत्र की जहाजपुर कृषि मंडी किसी जमाने में अच्छी मण्डी थी। उत्पादन की दृष्टि से भी अच्छा था। अब उसको एक अधिकारी की मिली-भगत से पैसा, इन्कम हो रही थी और व्यापारियों से मिलजुल करके अपनी जेबें भरता रहा। हमने उस समय भी ध्यान आकर्षित किया। उसका यह कारण निकला कि उस अधिकारी के कारण आय कम हुई। और आय कम हुई तो देवली जिला टौंक में जाकर मिला लिया। अब देवली जिला टौंक की कृषि मण्डी का, जहाजपुर का संबंध कैसे हो सकता है। जिला अलग व्यवस्थाएं उसकी सारी अलग। और यह इस प्रकार की कई जगह धांधलियां हुई हैं कि आप के आधार पर उन कृषि मण्डियों का गठन किया। आय में गड़बड़ कहां हुई इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमने यह शिकायत की थी कि सेक्रेटरी काफी लूट मचा रहा है और ऊपर की ऊपर अपनी जेब भर रहा है उसको नहीं देखा गया।

इसकी व्यवस्था तो नहीं की और कृषि मंडी को उठाकर वहां से, देवली से जोड़ दी गयी। गौण मंडी टाइप बना दी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंडियों को ठीक ढंग से वापस मजबूत बनाया जाए ताकि किसान का उत्पादित किया हुआ माल विपणन की दृष्टि से कृषि उपज मंडियों से जुड़े। यह देखे जाने की आवश्यकता है।

मैं मानकर चलता हूं कि पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उस सरकार का सोच किसानों के विकास की दृष्टि से, कृषि के विपणन की दृष्टि से और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास कैसा है, यह तो हम सब जानते ही हैं। इस कारण कृषि मंडियों को एक तरह से सरकारी शाखाएं बना दी गयी, यह स्थिति पैदा कर दी गयी। इन कृषि मंडियों के लिये कई बार इनके 8-9 वर्षों में चुनाव

(श्री रतन लाल ताम्बी)

की बात की गयी। उसके लिये प्रक्रिया भी तय की गयी। उस सबके बावजूद भी आज तक भी कृषि उपज मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं।

मैं नयी सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में कृषि विपणन के कार्यक्रम को फिर से मजबूत बनाएं। इसके साथ में इसको चुनाव प्रक्रिया को भी वापस प्रारम्भ करें ताकि लोगों की आस्था इसमें बढ़े, लोग इसमें अधिक से अधिक जुड़ सकें। यह मेरा आपसे अनुरोध है.. (व्यवधान) सब तैयारी है। आप बीच में नहीं बोलोगे तो और ज्यादा बोल लेंगे।

कृषि उपज मंडियों की सड़कों के संबंध में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी सड़कों का कोई प्लान नहीं है। जहां जैसा चाहे जिसका जैसा हो जाए उसी तरह की कृषि उपज मंडी की सड़कें स्वीकृत हो जाती हैं। और सड़कें स्वीकृत होने के बाद, बनने के बाद, कई वर्षों तक रख-रखाव की कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करता।

इसलिये मेरा सबसे पहले तो यह निवेदन है कि कृषि विपणन की दृष्टि से भी इन मंडियों की सड़कों का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिये और मास्टर प्लान के आधार पर सड़कें बने, गांव से अधिक लोग जुड़ें और मंडियों तक किसान अपना उत्पादन पहुंचा सकें, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंडी की जो सड़कें पिछले वर्षों में बनी उनका रख-रखाव भी समाप्त सा हो रहा है। उन सड़कों में जगह-जगह खड्डे हो रहे हैं। उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृषि विपणन के माध्यम से जो सड़कें बनती हैं उसके रख-रखाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बहुत आवश्यकता है।

मैं इस मौके पर पशुपालन के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालन पर अपनी जीविका उपार्जन करता है और राजस्थान में मैं यह मानकर चलता हूं कि यदि कृषि के साथ पशुपालन को हमने आधार बनाकर विकसित नहीं किया तो उसका बहुत बडा नुकसान राजस्थान के किसान को होने वाला है। राजस्थान में अभी 543.48 लाख पशु हैं और उन पशुओं की जितनी प्रान्त की इस समय लगभग जनसंख्या है उतनी ही लगभग पशुओं की जनसंख्या है। भेड़ वगैरह यह तो सब अलग हैं। जो दूसरे गाय हैं, भैंस हैं और गधा वगैरह जो भी हैं, वह सारे के सारे पशुओं की श्रेणी में आते हैं, बकरी भी है। इन सब के लिये दो तरह की बात हो रही है।

एक तरह की बात तो यह है कि राजस्थान में चरागाह विकास कार्यक्रम पहले से कम होता चला जा रहा है। चरागाह सिकुड़ती चली जा रही है। गांवों के जो विस्तार होते हैं, विकास होते हैं, औद्योगिकीकरण होता है, त्यों-त्यों चरागाह कम होता चला जा रहा है। इस कारण

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हमारा पशुधन भी कम होता जा रहा है। इस बारे में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। किस प्रकार से पशुओं का विकास ठीक प्रकार से हो, पशुधन हमारा आधार किस प्रकार आगे से आगे बन सके, अच्छी नस्ल का पशुधन कैसे आगे बढ़ सके।

डेयरी का कार्यक्रम भी हमारे राजस्थान में अच्छा चलता है। नेशनल डेयरी के नाम पर जो राजस्थान में डेयरी की दुर्व्यवस्था हो रही है, उसकी चुनाव प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। यह घाटे में चला जा रहा है। इसको भी आज सोचने और देखने की आवश्यकता है। किसी जमाने में राजस्थान का डेयरी कार्यक्रम देश में माना जाता था। पर नेशनल डेयरी से सम्बन्ध जुड़ने के आधार पर हमने इस डेयरी के कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया है।

इसलिये मैं चाहूंगा कि किस प्रकार हमारे पशुपालन का विकास हो करके डेयरी के माध्यम से किसान खुशहाल बनें, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक बने, इस दृष्टि से डेयरी को नेशनल डेयरी के माध्यम से, जो हमारा राजस्थान में घाटा बढ़ता जा रहा है, इससे अव्यवस्था बढ़ गयी है। इस पर भी राजस्थान की सरकार चिन्तन करे डेयरी के कार्यक्रम को ठीक प्रकार से संचालित करे।

पशुपालन के लिये पिछली सरकार ने पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया, या कमी रही है। इससे पशुपालन का....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कार्य औषधालय वगैरह, पशु चिकित्सालय कम खुले हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने इस बार प्रावधान किया है, उसके बावजूद भी बहुत बड़े–बड़े हिस्से जहां बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस हजार की जनसंख्या के बीच में भी पशु औषधालय नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे आप उप केन्द्र खोलें पशुओं के उप केन्द्र भी प्रत्येक पंचायत में होने आवश्यक हैं ताकि पशुपालन की दृष्टि से जो वहां अधिकारी / कर्मचारी होंगे उससे पशुओं में बीमारी नहीं फैलेगी। पशुओं की अनावश्यक क्षति नहीं होगी। इसलिये पशुपालन के कार्यक्रम को भी इस दृष्टि से लिया जाना चाहिये।

मैं इस मौके पर पशुपालन के लिए पहले जो ग्राम आधार योजना चला करती थी, उसके आधार पर गांवों को लाभ मिलता था। उन्नत नस्ल के काफी पशु गांवों में आते थे, विकसित होते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि आई. आर.डी. कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन की खरीद के जो मामले सामने आते हैं, पशुपालन के लिये लोग भटकते फिरते हैं। पैसा समय पर मिले नहीं और उसको जो ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है, वह उसको पूरा मिलता नहीं। कागजों में पशु–

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पालन की दृष्टि से काफी पैसा अनुदान के रूप में और कर्जे के रूप में मिल जाता है और वह कागजों में ही रह जाता है। इस मामले में व्यवस्था ठीक की जाए कि उन्नत नस्ल के पशु वास्तव में हमारे अधिक लोगों को मिलें, उस आधार पर वह लोग अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकें। इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये। जितने भी यह कार्यक्रम चल रहे हैं, यह वास्तव में किसानों की भलाई के थे। पिछली सरकार किसान विरोधी होने के नाते इन कार्यक्रमों पर उसका ध्यान नहीं गया।

मैं नयी सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि कृषि विकास के लिये, पशुपालन के विकास, डेयरी के कार्यक्रम के लिये, कृषि विपणन के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये सारे कार्यक्रमों पर फिर से पुनरावलोकन करके, विशेषज्ञों की राय ले करके जिला स्तर पर बैठकें करके, तहसील स्तर पर बैठकें करके इन कार्यक्रमों को कैसे गति दी जा सकती है। इनमें जो गड़बड़, घोटाले हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार, अनियमितताएं हो रही हैं, जो पिछले राज में बढ़ी हैं, उसको नियंत्रित की जाकर वास्तव में किसान और पशुपालकों को लाभ मिले, इन कार्यक्रमों का इस दृष्टि से पुनरावलोकन किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं राजस्थान में यदि हम ने कृषि, पशुपालन और डेयरी के कार्यक्रम को किसान के हित में सही ढंग से जोड़कर चलाने की व्यवस्था कर दी तो हमारी करोड़ों रुपये की जो बजट योजनाएं हैं, उस से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पिछले कुछ वर्षों में यह कागजी कार्यक्रम होते चले जा रहे हैं और औपचारिकताएं नजर आने लग गयी हैं। इसलिये वास्तव में किसान को, पशुपालकों यह सब लाभ मिले, इस दृष्टि से बजट में प्रावधान किये हैं। उन प्रावधानों को बजट की दृष्टि से अच्छा बनाया है। इसे किसानों के हित में बनाया है। यह पहली सरकार जो किसानों के प्रति कितनी चिन्तनशील है, इस बात का इंडिकेशन इस बजट में मिला है।

मैं समझता हूं इसका सही ढंग से उपयोग करने के लिये संबंधित मंत्री महोदय पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जबावदेही नीति को जो हमारी अवधारणा है, उसको इस बजट के कार्यक्रमों के माध्यम से आप लागू करेंगे और एक नया विश्वास इन कार्यक्रमों के प्रति जनता में पैदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का, जो आपने रखी हैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं यह कार्यक्रम वास्तव में जन कल्याण की दिशा में सही कदम आप उठायेंगे और लोगों को यह अहसास करवा देंगे कि नयी सरकार वास्तव मे किसानों की हितैषी है, पशुपालन की हितैषी है। डेयरी कार्यक्रम को वापस आपने आगे बढ़ाया है और नेशनल डेयरी के पंजे से राजस्थान के डेयरी कार्यक्रम को जो यह नुकसान हो रहा है, उससे मुक्त करायेंगे। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा (अनुपस्थित), श्री शैलेन्द्र जोशी (अनुपस्थित) श्री अमीनखान (अनुपस्थित), श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-37 और मांग संख्या-39 कृषि और पशुपालन के ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग खेती का व्यवसाय करके अपना जीवन पालन करते हैं। कृषि, पशुपालन, खनन कार्य और वन, यह कार्य हैं जो जीवन में लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाह रहा हूं कि कृषि विभाग के कर्मचारी, अधिकारी किसी भी लोकतांत्रिक नीचे के स्तर की पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इन किन्हीं भी संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं है। उनकी कोई भागीदारी नहीं है। वह बिलकुल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और वह कहां काम करते हैं आपके सुपरवाइजर हैं उनकी कहीं भी हाजिरी लेने की, कहीं भी उपस्थिति दर्ज करने का कोई भी तौर-तरीका अभी तक तय नहीं कर रखा है। यह सरकार के खजाने से अपने घर बैठे पैसे लेते हैं। पहले ग्राम सेवक हुआ करते थे। निश्चित तौर से उनका कार्य क्षेत्र भी होता था और निश्चित तौर से उन कार्यों को वे करते थे। लेकिन मौजूदा समय में ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कृषि विभाग के अधिकारी, या आपके सहायक कृषि अधिकारी इन कार्यक्रमों के लिये जनता के लिये कहीं गोष्ठियां करके, कहीं सम्मेलन करके इस प्रकार की व्यवस्था से कहीं जुड़े हुए नहीं हैं।

इस कारण से कृषि पर सरकार की ओर से जो तंत्र खड़ा कर रखा है उससे जितना किसानों को फायदा होना चाहिए; वह किसी प्रकार का नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के 80 प्रतिशत लोग हैं जो खेती का काम करते हैं। चूंकि लम्बे समय से हमारी मांग रही है कि कृषि को भी एक उद्योग घोषित किया जाये। अगर कृषि को उद्योग घोषित कर दिया जाता है तो किसान के फसल के नुकसान होने पर, ओलावृष्टि होने, फसल सर्दी से जल जाये तो उस समय भी किसान को किसी प्रकार का हरजाना नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के प्रधानमंत्री को आपकी मार्फत बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय बाद में कृषि की बीमा योजना लागू करने की योजना बनाई है। और आगे आने वाली जो खरीफ की फसल होगी, वहां से किसान का बीमा हो जायेगा। उसका क्या तौर-तरीका होगा वह भी सारे तय होंगे। जिससे किसानों के आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा तरक्की होगी।

इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी, माननीय कृषि मंत्रीजी बहुत सारी जगह ड्राई जोन कर रखा है। जमीनें भारी संख्या में अभी सिंचित होने योग्य हैं लेकिन ड्राई जोन करने के कारण से सरकार की योजनाओं के अनुसार जिनको जितनी आर्थिक सहायता कुआ खोदने के लिए या अन्य कोई प्रोग्राम करने के लिए मिलनी चाहिए, ड्राई जोन के कारण से किसानों को

(श्री हीरासिंह चौहान)

वह आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ड्राई जोन इस प्रकार तय किया जाता है, तीन प्रकार के जोन होते हैं एक व्हाइट जोन होता है, एक ग्रीन जोन होता है एक डार्क जोन होता है। हमारे पाली जिले का बहुतायत हिस्सा ड्राई जोन घोषित कर रखा है जिससे किसानों को किसी प्रकार की, उनकी खेती को उन्नत करने के लिए, सिंचित करने के लिए सहायता नहीं मिलती है। यह लम्बे समय से हैं। इस विषय पर जल्दी ही कोई निर्णय करके ड्राई जोन से निकालकर व्हाइट जोन किया जाये ताकि किसान अपनी आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए कुंए खोद सकें और खेती को सिंचित कर सकें। हमारे यहां पर किसी प्रकार के बांध नहीं हैं जिससे सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके। एकमात्र कुओं का साधन है। कुओं से ही वह सिंचाई करता है और ड्राई जोन से निकल जाता है तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके सामने, किसान पैदावार लेता है, उत्पादन करता है लेकिन उत्पादन के बाद में उसको उचित मूल्य मिले, इसके लिए राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट 1961 में हमारी इस राजस्थान विधान सभा में पास किया गया था। 1961 के बाद में इस एक्ट के प्रति, इस अधिनियम के प्रति इतनी लापरवाही बरती कि पिछले 1971 तक इसका संचालन किस प्रकार होगा क्योंकि यह एग्रीकल्चर, कृषि विभाग के अधीनस्थ था। कृषि विभाग कभी नहीं चाहता था कि इसका स्वतंत्र रूप से एक कार्यक्रम चले। इसलिये लगातार इस कृषि विपणन के साथ में बहुत ज्यादा पक्षपात किया गया।

लेकिन सन् 1971 में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड बना। मुझे अच्छी तरह मालूम है, बनने के बाद में भी 1974 में पहली बार स्वर्गीय जसवंत सिंह जी नाथ हुआ करते थे, बनेड़ा से कांग्रेस के ही विधायक थे, उनकी अध्यक्षता में, वह सबसे पहले इस कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। उस समय मैं भी सौभाग्य से कृषि उपज मंडी समिति जैतारण का चेयरमैन था। कई बार यहां बोर्ड में मैं भी आमन्त्रित था। कई बार आने का मौका मिला। इस कृषि विभाग से उनका लगातार संघर्ष चलता रहा, लगातार संघर्ष चलता रहा, लगातार संघर्ष चलता रहा। कृषि विभाग ने चाहा कि इसका स्वतंत्र एग्जिसटेंस नहीं रहा और बार-बार इस कृषि, और उनके बनने के बाद में क्या हुआ ? 20 मई, 1990 के बाद में आज दिन तक पिछले 18 सालों से इस बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेट्स द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। पिछले 18 साल से। और इस राज्य में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय मंडियों की संख्या दो सौ और समथिंग है। 248 हो गयी। और हर मंडी समिति एक उपखण्ड पर बनी हुई है कहीं-कहीं पर तहसील मुख्यालय पर भी बनी हुई है।

लेकिन 18 साल से सबसे पहले इसके

(श्री हीरासिंह चौहान)

चुनाव हुए थे 1974 में, 1974-75 में हुए पहली बार, एक ही बार चुनाव हुए थे। यह एक बहुत जबरदस्त संस्था है। जिससे कृषि में कई प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं। फसल जो प्रोडेक्ट करके लाता है, किसान जो मार्केटिंग करता है। उस मार्केटिंग में किसानों की फसल के उत्पादन के बाद उसका जो विपणन होता है, उसकी मार्केटिंग होती है उसमें जबरदस्त लाभ मिलता है।

लेकिन लगातार इस मार्केटिंग बोर्ड को ब्यूरोक्रेट्स के अधीनस्थ रखने के कारण से पिछले 18 साल से न तो वहां पर चुनाव होते हैं जबकि इसके नियम बहुत साफ हैं। अगर हिम्मत करें तो आज भी इसके चुनाव बहुत जल्दी कराये जा सकते हैं क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीके से इसके चुनाव होते हैं। इसमें किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, व्यापारियों के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार का रिप्रजन्टेशन होता है। मंडियों में इस प्रकार से चुनाव न होने के कारण आज उन मंडी समितियों में किसान माल ले जाते हैं उसमें आढ़त भी उसी प्रकार से ली जाती है। आढ़त भी उसी प्रकार से, टांका, कड़दा भी उसी प्रकार से काटा जा रहा है। और मण्डी समितियों के कर्मचारियों की और व्यापारियों की मिलीभगत से किसानों को जितना मूल्य मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है क्योंकि व्यापारी पहले तय कर लेते हैं; बोली लगाना शुरू करते हैं और बाद में वह आउट हो जाते हैं। दो के बीच में कंपीटिशन रहता है और अन्त में जितना किसान को अपनी फसल का मूल्य मिलना चाहिए वह मूल्य नहीं मिल पाता है।

इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय; कृषि मंत्रीजी से, होना तो चाहिए आज, स्वतंत्र भार है, स्वतंत्र भार के मंत्रीजी भी आज उपस्थित होने चाहिए। लेकिन मुझे शायद वह नजर नहीं आ रहे हैं। उनका स्वतंत्र भार है इसमें, दीपेन्द्र जी।

मैं पिछली सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसको एक अलग, जुलाई, 1998 में जब माननीय शेखावत जी ने अपनी कैबीनेट का विस्तार किया उस समय इस विभाग के महत्व को समझते हुए; इस मार्केटिंग के सारे व्यवसाय का महत्व समझते हुए अलग प्रकार का विभाग किया। इस बार भी माननीय अशोक जी गहलोत; मुख्य मंत्रीजी ने भी इसका स्वतंत्र भार दिया है। और मैंने इसको प्रतिवर्ष देखा है, यह जो मार्केटिंग से, अब आप सुनकर बड़ा सरप्राइज करेंगे कि इनकी प्रतिवर्ष आय बढ़नी चाहिए लेकिन कहीं–कहीं पर आय घटी भी है। 1994-95 में 89.81 करोड़; 1995-96 में 101.74 करोड़; 1996-97 में 111.4 करोड़ और 1998-99 में यह 115.9 करोड़ की आमदनी बतायी है जबकि उससे पिछले वर्ष 1997-98 में 128.51 करोड़ की आमदनी हुई थी। अब यह क्या कारण है कि एक वर्ष में 1998-99 में यह आमदनी कम हुई है। यह एक सोचने का विषय है जबकि सभी प्रकार की....

श्री परसादी लाल : चुनाव की वजह से।

श्री हीरासिंह चौहान : चुनाव की वजह से भी माननीय परसादी लाल जी किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं जो शुल्क लिया जाता है उसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी के कारण से जितनी आमदनी होनी चाहिए मंडी समितियों की उसकी आमदनी बराबर नहीं हो रही है।

इसलिए आज आवश्यकता है इस बात की कि कृषि विपणन के कार्यों को बहुत ही सुचारू ढंग से वापस चलाया जाये। कब चल सकता है ? हमारे सचिव, हमारे कर्मचारी एक मंडी समिति के इंचार्ज होते हैं उनसे यह व्यवस्था नहीं संभल सकती। जब जन प्रतिनिधि, अपनी भागीदारी से जब इनके चुनाव होंगे, देखभाल होगी, तो यह आमदनी उससे भी डबल होगी। और उनको क्या मिलता है, जन-प्रतिनिधियों को ? जन प्रतिनिधियों को केवल मात्र आने-जाने का मंडी समिति की बैठक में, किराया मात्र लेते हैं। खर्चा मात्र लेते हैं इससे ज्यादा होगा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 18 साल से इन समितियों के चुनाव नहीं हुए। हिम्मत करके माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि यह चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायें। और पिछले 18 साल से यह संस्था, यह उपज मंडी समिति, यह बोर्ड होना चाहिए यहां पर, चुनिंदा बोर्ड होना चाहिए। उसमें भी 10 तो विपणन कृषि मण्डियों के अध्यक्ष आते हैं, दो हमारे जन-प्रतिनिधि रहते हैं, दो व्यापारी आते हैं, इकोनोमिक्स का जो एक्सपर्ट होता है वह मैम्बर होता है और एक डायरेक्टर....

श्री परसादी लाल : 33 परसेंट महिलाएं भी आयेंगी।

श्री हीरासिंह चौहान : महिलाएं आयेंगी तो बहुत खुशी की बात है। हम सब चाहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। हमारी आपकी सबकी विचारधारा ही ऐसी होगी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। आज बड़ी चर्चा का विषय है तो यह स्वागतयोग्य है। महिलाएं भी इस काम को बड़े सुचारू तरीके से संभालेंगी। इसलिए महिलाओं को आना भी....

श्री परसादी लाल : आपने तो कभी चुनाव नहीं कराये। आपको पहले भी कभी याद आयी कि चुनाव कराना चाहते हैं मंडी समितियों के। कटारियाजी सुनकर के बस बैठ जाते थे। कभी नहीं कहा कैबीनेट में कि इनके चुनाव कराओ। कभी एक बार भी नहीं कहा।

श्री हीरासिंह चौहान : हो सकता है कि उसमें कमी रह सकती है उस समय।

श्री परसादी लाल : आपने आठ साल तक चुनाव नहीं कराये।

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय किसी प्रकार की कमी रह सकती है, लेकिन आज आप उसको दूर करा सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी) : उससे पहले हमने 1991 में कम से कम ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कराए। आपने 1972 में कराए थे, बाद में 1991 में हुए। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव 1972 के बाद 1991 में जाकर हुए। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री परसादी लाल : 1991 के बाद क्यों नहीं करवाए आपने। अब तक बार-बार क्यों टालते रहे ?

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : 1977 से 1980 के बीच में आपने नहीं करवाए।

श्री परसादी लाल : एक काम किया नहीं और कहते हैं कि क्यों नहीं किया, स्कूलों का टाइम बदलते थे बार-बार। ड्रेस बदल दी, टाइम बदल दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डी समितियों में आज विश्राम गृह नहीं हैं जबकि वहां किसानों का आना-जाना लगा रहता है। आज मण्डी समितियों में किसान विश्राम गृहों की कमी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक मण्डी समिति में विश्राम गृहों की बड़ी आवश्यकता है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था हो। कृषि मण्डी समितियों में गोदामों की कमी है। पिछली सरकार ने केवल 3 जगह गोदामों की व्यवस्था की थी, अटरू, बालोतरा और मालपुरा, जहां पर किसान अपनी पैदावार और उत्पादित चीजों को रख सकते हैं और उसे प्लेज कर सकते हैं। यह व्यवस्था की गई थी।

लेकिन मैं चाहता हूं कि प्याज जैसी चीजें, जो जल्दी खराब होने वाली हैं, किसान अपने सामान को थोड़े समय तक रोक सके और उसका उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कृषि उपज मण्डी समितियों में बड़े-बड़े गोदाम होने चाहिए और गोदामों के साथ साथ प्लेज करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : कोल्ड स्टोरेज भी होने चाहिए जहां आलू जैसी चीजों को वहां पर किसान रख सके। मेरी मांग है कि सरकार प्रत्येक मण्डी समिति में इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की व्यवस्था करे।

कहने को कहा जाता है कि मंडी समितियों में बनाई गई दुकानों में किसानों को 10 प्रतिशत दुकानें दी जाएंगी लेकिन मंत्री जी, आप सर्वे करवा लीजिए, राजस्थान में कहीं भी किसानों को कोई दुकान नहीं दी गई है। सारी व्यापारियों को दी गई है। व्यापारियों में भी आपस में लाटरी निकालते हैं, उसमें भी बड़ा विवाद चल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां ज्यादा से ज्यादा दुकानें बनाए और छोटी-छोटी मण्डी समितियों को लोन देकर उनका भी विस्तार किया जाए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

अब मैं सड़क नीति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पिछली सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सड़क नीति बनाई। इस नीति के तहत मण्डी समिति क्षेत्र में सड़कों का विस्तार किया। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है कि पड़ोस में जो तहसीलें पड़ती हैं दूसरे जिलों की, और जो एडजोइनिंग हैं, किसान अपना माल उस मण्डी समिति में लाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। यह बहुत जरूरी है। मण्डी समिति का माल जो उस क्षेत्र से आता है, वहां भी पक्की सड़कें बनाई जाए।

उदाहरण के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों एडीशनल चीफ, राजस्थान राज्य I, ने कुछ सड़कों के बारे में टेंडर आमंत्रित किए थे। मेरे क्षेत्र में किए थे, शिवगंज मण्डी समिति जो हमारे जिले में आती है, उसमें व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर 84 लाख रुपए थे। उसमें से जब टेण्डर पास हुए तो 73 लाख रुपए के, उसके बाद जो सेविंग है वह है 11लाख की, चार-पांच सड़कें रह गई हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर से लेकर बड़ी पोल, जो बिलकुल ब्यावर से जुड़ी हुई है, जिसमें सरकार को स्वीकृति देने की जरूरत नहीं है केवल टेंडर निकालने हैं और टेंडर निकाल कर, यह भी सवाल नहीं है कि पैसे नहीं है, 11 लाख रुपए की सेविंग है, ब्यावर और अजमेर जिले का अकाउण्ट नहीं है, अकाउण्ट है हमारे जोधपुर डिविजन का और शिवगंज का। इस लिए मेरा निवेदन है कि इसी राशि से ये सड़कें बनाई जा सकती हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप उचित व्यवस्था करें।

इसके साथ मेरा निवेदन है कि मार्केटिंग बोर्ड को बहुत ज्यादा सुचारू बनाने के लिए आप केवल अधिकारियों और कर्मचारियों पर विश्वास करके माननीय मंत्री जी; नहीं चलें। मेरा निवेदन है कि मार्केटिंग एक्ट के तहत किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, किसानों को अपनी चीजों के लिए कम्पीटिशन हो, उसके लिए जरूरी है, आप लोगों ने कई प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन किसानों और व्यापारियों को इसका जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, आपकी आज्ञा से, दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। पशुपालन मंत्रीजी, जहां पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो, हजारों की संख्या में, वहां पशु चिकित्सालय अभी तक नहीं खोले गए हैं। आपको चाहिए कि इसकी जरुरत का सर्वे करवाकर जो जंगलों के किनारे, जहां पशुपालन बहुत ज्यादा होता है (व्यवधान) हमने भी खोले हैं, आप भी खोलिए। जैसे पंचायत समिति सोजत में खोडिया, गजनेई, बिजागुडा, वहां पर हजारों की संख्या में पशुधन है। पशुधन को बीमारी हो जाती है, उसका बराबर ट्रीटमेंट नहीं होता है और

(श्री हीरासिंह चौहान)

अकाल मौत के कारण मरते हैं। इसलिए लम्बी दूरी तक पशुओं को नहीं ले जाया जा सकता। मैं चाहता हूं कि आप सर्वे करवाकर बहुत नजदीक-नजदीक अस्पताल खोलें ताकि जनता उसका उपयोग करे।

माननीय मंत्रीजी, आप मुख्य मंत्रीजी से बात करके भेड़–ऊन महकमे को खतम कर इसी में ला सकते हैं तो इसका दोहरा फायदा होगा। मेरे गांव काणूजा में पिछले समय में पशु चिकित्सालय में एक साइस स्तर का, कम्पाउण्डर स्तर का अस्पताल पिछले साल अगस्त में खोला गया था। रायपुर तहसील, पाली जिले के काणूजा में। उस अस्पताल में वह साइस कुछ दिन तो आया, दो-चार महीने, उसके बाद कोई पता नहीं कि वह कहां रहता है, कहां नहीं रहता है। उसकी आवश्यकतानुसार बराबर व्यवस्था होनी चाहिए।

किसानों का धन पशु धन है, उसी से वे खेती करते हैं। किसानों के उत्पादन का, किसानों की आर्थिक व्यवस्था ऊपर उठाने के लिए इसकी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार डेयरी के माध्यम से अच्छी नस्ल के पशु धन, जैसे साण्ड आदि की आपको जगह–जगह व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अच्छी नस्ल का पशु धन पैदा हो जिससे उसकी मार्केटिंग भी ठीक हो सके।

अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सारी व्यवस्था अगर सरकार करती है तो राजस्थान के किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी।

(अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूपजी मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री यशवंत सिंह (रामू)।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान के किसानों की माली हालत सुधारी नहीं जा सकी है। किसान लगातार मार सहता रहा है, कभी सूखे की, कभी बाढ़ की, कभी तूफान की, कभी सरकारी दांव-पेचों की। इसी वर्ष को लीजिए, कहीं तो अकाल पड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं कुछ हो रहा है जबकि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गत वर्ष बिजाई का क्षेत्रफल घटा है, उसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि डी.ए.पी. और बीज सही समय पर उपलब्ध नहीं कराये गये।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि डी.ए.पी. और बीज सही समय पर उपलब्ध करायें। इस वर्ष भगवान की दया से फसल तो ठीक हुई है लेकिन फसल के भाव सही नहीं दिए जा रहे। पिछली बार फसल कुछ कम हुई थी तो उसके भाव ठीक दिए गए थे। इस वर्ष सरसों का भाव 1200 रुपए, और जब पिछली बार नहीं हुई थी तो इन्होंने भाव दिया था 2000 का।

(श्री यशवंत सिंह)

मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसी नीति तय करे कि सरसों का भाव पिछली बार की तरह 2000 दिया जाय।

(14.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से तीसरी मांग यह करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना चालू की जाए जिससे कि किसान की जो फसल बर्बाद होती है उसको फसल का मुआवजा मिल सके। पिछली सरकार ने 1986-87 में कम्पोनेंट के आधार पर फसल बीमा योजना चालू की थी जिसमें इन्होंने कोपरेटिव बैंकों के माध्यम से खाद और बीज का जो किसान ने लोन लिया था उसको तो माफ कर दिया था, लेकिन जो किसान बर्बाद हुआ था उसके लिए कुछ नहीं किया था।

सरकार ने पिछली बार जो बीमा योजना चालू की थी उसमें तीन सरकारों का तीन हिस्सों में था, जिसमे 22 करोड़ रुपया बीमा कम्पनी ने दिया था, 22 करोड़ रुपया भारत सरकार से लिया गया था और 22 करोड़ राजस्थान सरकार से लिया गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, ऐसी योजना बनाए कि समस्त फसल नष्ट होती है उसका पूरा मुआवजा दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत 20 वर्षों से फसल में बीमारियां फैल रही हैं। कभी रोली, सफेदी, चेपा फैलता है। इनके उपचार के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जो दवाइयां नकली होती हैं। न ही इन दवाइयों को लेबोरेटरी से चैक किया जाता है, न कुछ और किया जा रहा है। नकली दवाइयां उपलब्ध कराते हैं जिससे फसल में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार से मांग करूंगा, ऐसी लेबोरेटरी खोली जाए जिसमें दवाइयों को चैक किया जाए जिससे कि फसल को सही पोषण मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कृषि नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन पांच साल गुजरने के बावजूद भी उस नीति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप भरतपुर के रहने वाले हैं। भरतपुर को ध्यान में रखते हुए, भरतपुर की जमीन जो क्षारीय और लवणीय हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी कृषि नीति बनाएं जिसमें भरतपुर को भी शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि उपज मण्डी की सड़कों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे ज्यादा पैसा हमारी कृषि उपज मंडी, भरतपुर देती है लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों की यह हालत है कि वे टूटी-फूटी पड़ी हैं और सड़कों की तरफ कृषि विपणन बोर्ड बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार इस तरफ भी ध्यान दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर मण्डी सरसों की सबसे बड़ी मण्डी है जिसमें

(श्री यशवंत सिंह)

पिछली बार सरकार ने घोषणा की थी कि सरसों के शोध के लिए शोध संस्थान खोलेंगे। लेकिन आज तक पांच वर्ष गुजरने के बाद भी कोई शोध संस्थान नहीं खोला गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरसों के शोध के लिए भरतपुर में शोध संस्थान खोला जाए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

(अनुपस्थित)

श्री भगवान सहाय।

श्री भगवान सहाय सैनी(चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 39 और 37 के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पशुपालन के लिए 101.38 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है और 100 नवीन पशु चिकित्सालय तथा 400 नवीन पशु चिकित्सालय उप केन्द्र का प्रावधान रखा है वह किसानों के हित में है।

मै इसके लिए माननीय वित्त मंत्री और पशुपालन मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हुए माननीय पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जैसा राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक को पदस्थापित करने की बात कही है उसी तरह राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में, जो बड़े-बड़े रेवेन्यू विलेज हैं, उनमें पशुपालन कंपाउण्डर रखने की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा जाए। इसी तरह जो 400 उपकेन्द्र व 100 चिकित्सालय खोलने की बात कही है, राजस्थान पशुपालन क्षेत्र है इसकी मात्रा बढ़ाकर दुगुनी करने की मांग भी करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा चौमूं, मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, चौमूं दुग्ध उत्पत्ति में राजस्थान में डेनमार्क है। वर्तमान में भारत दूध उत्पादन में पहले नम्बर पर है और भारत में गुजरात का पहला नम्बर है। उसी तरह राजस्थान में चौमूं का पहला नम्बर है जहां से 60 हजार लीटर दूध रोजाना सरस डेयरी को जाता है और रोजाना एक लाख लीटर दूध निजी रूप से दूसरे लोग जयपुर में सप्लाई करते हैं। सरस डेयरी से जयपुर में डेढ़ लाख लीटर दूध की रोजाना की सप्लाई है जिस की 40 पर्सेन्ट पूर्ति केवल चौमूं करता है।

ऐसी स्थिति में चौमूं में पशुपालन का ध्यान रखने के लिए पशुपालन चिकित्सालय व पशुपालन उप केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाए। इतना दूध उत्पादन देने के बावजूद कृषकों को अपने बीमार पशुओं को 8—10 किलोमीटर दूर ले जाकर इलाज करवाना पड़ता है। अगर डाक्टर या कंपाउण्डर के पास किराए की जीप लेकर ले जाते हैं तो उनका 250-300 रुपये का खर्चा तो होना मामूली बात है।

इसलिए मंत्री महोदय से अनुरोध है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र में इसी सत्र में ग्राम पंचायत तिगरिया, नांगल भरडा, सिगोद में पशुपालन चिकित्सालय खोला जाए।

श्री परस(राम)लाल : एक का नाम बताओ, हो जाएगा।

श्री भगवान सहाय सैनी : एक खुल जाएगा?ग्राम निंदोला व ग्राम पंचायत नांगल कलां, गुडल्या, नांगल कोलू, धोबलाई, ढोढसर, इटोई आदि में उप केन्द्र खोले जाएं।

इसी के साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान डेयरी फैडरेशन का एन.डी.डी.बी., जो नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड है उसने शोषण कर रखा है। पिछली सरकार ने अपना आई.ए.एस. हटाकर एन.डी.डी.बी. का एम.डी. बिठा दिया, जो निर्णय जनहित में नहीं है।

इसलिए एन.डी.डी.बी. का अस्तित्व राजस्थान डेयरी से खतम किया जाए। राजस्थान का लाभांश राज्य से बाहर जा रहा है। अतः राजस्थान डेयरी को एन.डी.डी.बी. से मुक्त कराया जाए।

जयपुर डेयरी के कार्यालय का एक उप केन्द्र 1980 से चौमूं में कार्यरत है। अभी कुछ समय पहले ही उसका स्थानांतरण करके कालाडेरा कर दिया है।

माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यालय को पुनः चौमूं में ही स्थापित किया जाए। कालाडेरा चौमूं तहसील में है, लेकिन चौमूं केन्द्र पड़ता है। इसलिए इसको चौमूं में ही वापस स्थापित कराया जाए जो किसानों के हित में होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि विपणन की बात करता हूं। चौमूं सब्जी उत्पादन में राजस्थान का पहले नम्बर का कस्बा है, जहां से सब्जियां राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में भेजी जाती हैं। जयपुर में जो हरी सब्जियों की खपत है उसकी 40 प्रतिशत पूर्ति चौमूं से हो रही है।

ऐसी स्थिति में ग्रामीण किसान अपनी फसल मण्डी तक पहुंचा पाए उसके लिए चौमूं में इसी सत्र में कम से कम 20 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएं जिनमें मुख्य सड़कें विजयसिंहपुरा से कीड़ा, बांसा बाग से सुलतानपुरा, सामोद से घाटा, खेजड़ोली रोड से निंदोला, चांदीवाली ढाणी लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत सीमा से लोहरवाड़ा रेलवे स्टेशन तक, कालाडेरा बाग से आलेसर, धिनोई से सबलपुरा बनवाई जाएं। इसी तरह कृषि उपज मण्डी में, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, जो दुकानों की बात कह रहे थे, पिछली सरकार ने कृषि उपज मण्डी समितियों में जो दुकानें निर्मित की हैं उन्होंने आवक्शन प्रणाली चालू की है जो जनहित में नहीं है। जहां 400 रुपया किराया आता था वह चार हजार, पांच हजार रुपये महीने में किराये पर जाएंगी तो जो व्यापारी हैं वे किराया किसानों से या उपभोक्ताओं से ही निकालेंगे इसलिए जो आवक्शन प्रणाली है वह खतम की जानी चाहिए।

इसी तरह कृषि उपज मण्डी में जो सड़कें बनाने की नीति बना रखी है वो नीति खतम करनी चाहिए। सड़कें वहां बननी चाहिए जहां जनता कहे। सरकार ने नीति बना दी कि इतनी आबादी होगी तो ग्राम

(श्री भगवान सहाय सैनी)

पंचायत से जोड़ेंगे । जहां-जहां जनता रहे वहां सड़क बननी चाहिए । आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान ।

श्री मोहन लाल चौहान (परवतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 कृषि, मांग संख्या 39 पशुपालन पर सदन में चर्चा हो रही है । मैं कृषि मंत्री जी, जो इस सदन में विराजे हैं, पशुपालन मंत्रीजी भी विराजे हैं, विपणन बोर्ड मंत्रीजी नहीं हैं, भेड़ मंत्री हैं । (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है ।

हमारे प्रदेश में कृषि विभाग है । कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों अभी माननीय सदस्य रायपुर वाले कह रहे थे कि इस डिपार्टमेंट के जो कृषि पर्यवेक्षक गांव में लगे हुए हैं, उनको नियन्त्रण करने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है । गांवों में किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह उनके जरिए कतई नहीं मिलता है । दवाईयां भी टाइम पर वितरित नहीं करते हैं, खाद भी वितरित नहीं करते हैं । अगर किसान शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती । इस तरह की व्यवस्था है । कृषि विभाग में जितनी भी अनियमितताएं चल रही हैं, कृषि विभाग के मार्फत जो भी योजनाएं लागू हैं, वह भी, अपने प्रदेश में, कृषि विभाग बहुत शिथिल है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग में जो सुस्ती चल रही है उनको सतर्क किया जाए । कृषि विभाग किसानों से, गरीब किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है । दूसरी बात है कि किसानों को सब्सिडी के बारे में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए । कृषि विभाग की मार्फत भू–जल ग्रहण की जो योजनाएं चला रखी हैं और वाटर शेड गांवों में बनाए जा रहे हैं, वाटर शेड की मार्फत एनीकट बनाए जाते हैं, या डेम बनाए जाते हैं वाटर शेड के लिए गांवों में छोटी-छोटी खनक दी जाती है । डोली दी जाती है, एक फुट डोली का माप है ।

(14.12 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक फुट की डोली जो आप बनाते हैं वाटर शेड के जरिए, वह डोली एक साल में ही टूट जाती है, भेड़, बकरी, पशु पालन से उसकी कोई मियाद नहीं होती है । मेरा निवेदन है कि जो आपकी वाटर शेड योजना है बहुत ही बढ़िया योजना है । किसान डोली खेतों में लगवाते हैं वाटर शेड बनवाते हैं उस वाटर शेड से हमारे किसनों को बहुत फायदा है लेकिन वाटर शेड की ऊंचाई, डोली की ऊंचाई बहुत कम है । डोली की ऊंचाई कम से कम ढाई, तीन फीट से नीचे नहीं होनी चाहिए ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके । खेतों में पहाड़ों से जो छोटे-छोटे नाले निकलकर, बहकर जाते हैं, वह नाले बहकर जाने से किसानों की भूमि का कटाव नहीं हो और खेत बहे नहीं भूमि

(श्री मोहन लाल चौहान)

की मिट्टी उस खेत में ही रह सके, उस डोली के पास में बहकर नहीं जाए; यह मेरा निवेदन है मेरा सुझाव है कृषि मंत्री जी को कि आप वाटर शेड जो बना रहे हैं उसकी डोली की ऊंचाई कम से कम तीन फीट से कम नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे किसानों के खेतों का कटाव नहीं हो किसानों की भूमि की मिट्टी बहकर नहीं जाए।

यह मेरा खासकर निवेदन है। कृषि विभाग की मार्फत जितने भी आप एनीकट बनाना चाहते हैं वह बनाने चाहिए। बरसात के टाइम जो खेतों का कटाव होता है, मेरा निवेदन है कि वाटर शेड में जो योजनाएं चल रही हैं, इस योजना में सुधार कीजिए और इस सुधार के जरिए किसानों को जितना भी लाभ मिले वो बहुत ही बढ़िया हो। यह योजना बड़ी सराहनीय है। मैं इसके लिए कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, आप इस में जरूर सुधार करेंगे। कृषि में जो आपके बीज खाद की वितरण व्यवस्था है, वह संतोषजनक नहीं है। इसमें आप सुधार करिए। कृषि विभाग की मार्फत जो फव्वारा सैट के लिए बजट में 20 हजार की घोषणा की है, बहुत अच्छी है इसको आगे बढ़ाइये, यह योजना बहुत बढ़िया है।

आज हर किसान फव्वारा योजना में फव्वारा लगाना चाहता है। कृषि के क्षेत्र में आप जितना ध्यान देंगे किसान उतने ही ज्यादा लाभान्वित होंगे। यह फव्वारा योजना जो आपने लागू की है, इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ायें और उसके लिए बजट ज्यादा रखें ताकि हमारे किसानों को; आज हर किसान फव्वारा सैट लगाना चाहता है इसका अनुदान जो आपने रखा है इसको और आगे बढ़ाएं। किसान गरीब है और गरीब किसानों के लिए जो फव्वारा सैट है उस पर और आगे बढ़ाकर ज्यादा अनुदान दें तब तो किसान लाभान्वित होंगे। मैं इस संबंध में यही निवेदन करना चाहूंगा।

यहां पशु पालन मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मारवाड़ में पशुधन एक खेती है। और नागौर के जो बैल हैं वह विश्व भर में प्रसिद्ध है नागौरी बैलों की नस्ल विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो हमारा वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में, भादवा मास में लगता है, यह एशिया महाद्वीप का प्रसिद्ध मेला है; और 400 वर्ष पुराना मेला है।

इसी तरह से बाबा रामदेव का मेला नागौर में मार्च के महीने में लगता है। वह भी बहुत बड़ा मेला लगता है। आपके विभाग द्वारा लगाया जाता है। उस मेले में आपके विभाग की तरफ से व्यापारियों को, किसानों को, पशु पालकों को जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। मेले की पुरानी स्थिति है, वही है। वहां यू.पी से पंजाब से हरियाणा से, मध्यप्रदेश से, पूरे हिन्दुस्तान से व्यापारी आते हैं। उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, छप्पर भी नहीं है मेलों में। गर्मी के मौसम में, भादवे के महीने में यह मेला लगता है, तो बरसात में जो व्यापारी, पशु पालक आते हैं, आप कितना पैसा लेते हैं। मेले से आपको बहुत

(श्री मोहन लाल चौहान)

इन्कम होती है। आज तक आपके पशु पालन विभाग की तरफ से पशु पालकों को या व्यापारी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। उनके लिए न ठहरने की सुविधा है, न समुचित पानी की व्यवस्था है। कोई सुविधा नहीं है।

मेरा निवेदन है कि हमारे परबतसर में जो भादवे मास में वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, तेजा मन्दिर 400वर्ष पुराना है। जो प्रसाद का ठेका होता है, हर साल 40-50 हजार का, कभी 60 हजार का, कभी 30 हजार का प्रसाद का। यह पैसा जमा होता है। उस प्रसाद के ठेके का आज तक जो भी पैसा 3–4 या 5 लाख रुपया जमा है, आपके ही डिपार्टमेंट में है।

मैं यह मांग करता हूं कि वीर तेजा मन्दिर है, उसका विस्तार किया जाए उस का डवलपमेंट किया जाए। उसकी कमेटी बनाई हुई है। आर्किटेक्चर से उसका नक्शा बना हुआ है। उसका चेयरमैन कलेक्टर है लेकिन उसकी तरफ आपका विभाग कोई ध्यान नहीं देता आपका जिला अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता। उसकी कमेटी बनी हुई है। वह पैसे लगने चाहिए और तेजा मन्दिर का विस्तार होना चाहिए।

इसी तरह से यह परबतसर मेला लगता है जहां यू.पी. के बहुत व्यापारी आते हैं। गर्मियों का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है उनके ठहरने के लिए टीनों का छप्पर ही बनवा दीजिए ताकि बरसात के टाइम में ठहर तो सकते हैं। एशिया महाद्वीप का 400 वर्ष पुराना मेला, इसके लिए आप ध्यान नहीं देते हैं और पशु पालन मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पशु पालन, हमारे यहां नागौर जिले में बहुत बड़े-बड़े मेले लगते हैं। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए एवं हमारे डेयरी फार्म, जो नागौर में है, उस पर आप ध्यान दीजिए आप अच्छी नस्ल के ऊपर ध्यान रखें ताकि हमारे नागौर जिले के पशुओं का अच्छा सुधार हो सके। पशु पालन मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, हमारे नागौर जिले में आज गायों की बुरी दशा है। मारवाड़ में पूरे में कह रहा हूं। भाई-भाई को नहीं पूछता है उसी तरीके से गायों को नहीं पूछा जाता है भाई की और गाय की कुट्टी, यह बहुत बुरी चीज है। सदन को पूरा सोच करना पड़ेगा कि भाई और गायों की जितनी कुट्टी है, उनकी कोई पूछ नहीं है। भाई-भाई को नहीं चाहता जैसे गाय को नहीं चाहते। हजारों गायें आज सूनी फिरती हैं। उन्हें कोई नहीं पूछता है। भैंस को पूछते हैं, बकरी को पूछते हैं। लेकिन गाय को नहीं पूछते हैं। सैकड़ों गायें सूनी फिरती हैं उनकी कोई रक्षा नहीं है। गांवों में घूमती रहती हैं चारे के लिए खेतों में घुस जाती हैं, खेतों को साफ कर देती हैं। उसके लिए सोचना पड़ेगा, सदन को विचार करना पड़ेगा गायों की जो दशा हो रही है, सदन को चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तव में गायों की क्या दशा हो रही है गायों की पूछ नहीं है। लोग सूनी गाय छोड़ देते हैं,

(श्री मोहन लाल चौहान)

मालिक भी उन्हें नहीं संभालते । आजकल गावों में तो थोड़ी बहुत ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं । गांव की व्यवस्था के लिए चंदा इक्ट्ठा करके, गायों को चराने के लिए एक ग्वालिया रख देते हैं ।

तो गायों के लिए भी हमको सोच करना पड़ेगा । जो पशुपालन विभाग है, उसमें जिस तरह की सुस्ती चल रही है, उसको दूर करना होगा । पशुपालन मंत्री जी से निवेदन है कि पशुपालन हमारे मारवाड़ की खेती है ।

भेड़ के बारे में भी कहूंगा नहीं तो भेड़ महकमे वाले मन्त्रीजी नाराज हो जाएंगे । मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मारवाड़ में हमारे भेड़ें बहुत हैं और हमारे नागौर जिले के भी आपके विभाग के कर्मचारी बहुत हैं । हमारे भेड़ें बहुत सी हैं और भेड़ों की अच्छी नस्ल है । भेड़ों से जो ऊन उत्पन्न होता है, उसके बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ब्यावर में ऊन कलैक्ट करने का सेण्टर है, उसी तरह से हमारे नागौर जिले में भी किसी अच्छी सी जगह पर ऊन कलैक्ट करने का सैन्टर बनाया जाए । हमारे गांवों के लोग ब्यावर जाते हैं । तो हमारे परबतसर में ऊन कलैक्ट सैण्टर हो । हमारे परबतसर में नहीं है, या फिर मेड़ता में खोल दीजिये आप । अलग अलग सैण्टर हों तो किसानों को किराया भाड़ा नहीं देना पड़े जिनको अभी दूर-दूर ले जाकर ऊन भेजना पड़ता है ।

मेरा यह कहना है कि परबतसर में ऊन कलैक्शन सैन्टर खोलें । हमारे परबतसर में बहुत भेड़ें रखते हैं, भेड़पालक भी बहुत हैं । नागौर जिले में भेड़ पालक बहुत हैं । भेड़पालन के पीछे ही हमारे किसानों का जीवन है । भेड़पालकों का जीवन भेड़ों के पीछे है । ऊन के उत्पादन से उनको बहुत लाभ मिलता है । इसलिए भेड़ मंत्री जी, आप इस पर ध्यान दीजिये और हमारे जिले को भी ज्यादा महत्व दीजिये । हमारे वहां ऊन बहुत होती है ।

माननीय सभापति महोदय, जो आज की डिमांड पर मैं विचार रख रहा हूं उसमें इन तीनों मंत्रियों से यह निवेदन करना चाहता हूं ।

कृषि मंडी मंत्री जी तो हैं नहीं, कृषि मण्डियों के बारे में आपसे निवेदन करूं । रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य आसन पर विराजमान हैं ।

सभापति महोदय, कृषि मण्डी की सड़के हैं उन पर भी आप थोड़ा बहुत, क्योंकि मण्डियों के मार्फत व्यापारियों से जितने पैसे लेते हैं उनका सब को समानता से वितरण होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है । आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय अमराराम ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 और 39 पर अपने विचार रखूंगा ।

(श्री अमराराम चौधरी)

कृषि करने के लिए जल, जमीन और जानवर और अब तकनीकी साधन, खाद, बीज, इन सब बातों की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं होता है तो खेती करना असंभव है। हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान का दूसरा बड़ा राज्य है और दूसरे नंबर के राज्य में जहां की 75 प्रतिशत जनता खेती करती है और हमारे राजस्थान में अधिकांश ऐसा भू-भाग है जो वर्षा पर निर्भर है। करीब 39 प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जहां सिचाई साधनों से खेती होती है। राजस्थान में कभी ओलावृष्टि, कभी अना-वृष्टि और कभी अतिवृष्टि, इन कारणों से, इन प्राकृतिक कारणों से किसानों को हमेशा जूझते रहना पड़ता है।

इन कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, हमारे अच्छे काश्तकारों ने खेती की उपज बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किये हैं। सन 1952 से लेकर के आज दिन तक हमारे राजस्थान में हरित क्रांति लाने के लिए प्रयास किये गये हैं और दिनों दिन वृद्धि होती रही है।

माननीय सभापति महोदय, तिलहन में आज हमारे राजस्थान का हिन्दुस्तान में दूसरा स्थान है। खाद उत्पादन में, विशेष तौर से यूरिया में भी हमारा 17वां स्थान है। हरियाणा से हम यहां ज्यादा यूरिया पैदा करते हैं। हमारी भंडारण व्यवस्था है वह भी आज 40 साल से लाभ में चल रही है और जगह-जगह इस प्रकार से बीज रखने के गोदाम हमने बनाये हैं।

पिछले वर्षों में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और तत्कालीन कृषि मंत्री इजरायल गये और उन्होंने स्प्रिंकलर पम्प सैट्स और ड्रिप योजना हमारे यहां प्रारम्भ की और करीब 20-22 हजार हमारे पम्प सैट, स्प्रिंकलर सैट इन दिनों में लगे हैं। इसमें काश्तकारों को बहुत लाभ हुआ। इसमें 20 से 40 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

माननीय सभापति महोदय, हमें कृषि को केवल खाद्य उत्पादन तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें इस प्रकार का संसाधन बनाना है जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक अंग बने। हमारे हिन्दुस्तान की, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है।

श्री परसादी लाल मीणा : आपकी उपलब्धियां बताओ कि आपने क्या-क्या किया।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय सदस्यों ने जो बात कही कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ, कम समय या उसके बाद भी मैंने जब इस विभाग को हाथ में लिया, एक कृषक परिवार का व्यक्ति होने के नाते किसानों की आर्थिक हालत देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई और सबसे पहले मैंने भारत के कृषि राज्य मंत्री सोमपाल जी को संग-रिया में बुलाया। (व्यवधान) आप सुनिये। आपको जो मेरी उपलब्धि है वह बताता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया सुनिये, शांत रहिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) : तो माननीय सोमपाल जी और हमने मेला लगाया कृषि मेला लगाया और उसमें जो नरमा और कपास में बीमारी लगती थी, उसका पहले से ही रोक लगाने का प्रयास किया क्योंकि उससे पहले वास्तव में हमारे गंगानगर के, हमारे हनुमानगढ़ के कृषक थे उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ था और दुबारा बीमारी नहीं लगे, हमने सबसे पहले वहां मेला लगाकर के 10 हजार काश्तकारों को बताया। वहां डेमोस्ट्रेशन हुए। वहां हमारे वैज्ञानिक थे, हमारे यूनिवर्सिटी के उप कुलपति थे, उसके अलावा हमारे प्रोफेसर थे, विशेषज्ञ थे, उन सब को बुलाकर के सारी जानकारी काश्तकारों को दी ताकि इस प्रकार की बीमारी नरमा और कपास में नहीं लगे। आपको पता ही है कि आन्ध्रप्रदेश और पंजाब में इस प्रकार की बीमारी लगी। आन्ध्रप्रदेश में तो कई काश्तकारों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्होंने 50 प्रतिशत ब्याज से रकम लेकर के कपास की फसल बोयी थी और वह जब बीमारी से चौपट हो गयी तो आत्महत्या के सिवाय उनका और कोई सहारा नहीं था। आज कहते हैं कि 'उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच नौकरी भीख बेकार'।

लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज उत्तम खेती नाममात्र की रह गई है। इसलिए यह कहावत आज सही नहीं हो रही है। काश्तकारों को कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जूझना पड़ता है और उसके कारण मारवाड़ी में एक कहावत भी है बेरा की छाया बेरा में ही रहती है। जिसका अर्थ है कि काश्तकार कितना ही कमाता हो, ये जो लोग सोचते हैं कि काश्त से बहुत ज्यादा इन्कम होती होगी, कितना ही पसीना निकाल लें, काश्त से पैदावार इतनी ही होती है कि वह दूसरी जगह मजदूरी नहीं करने जाता है, उसको मजदूरी मिल जाती है। इससे कोई महल नहीं खड़े होते।

इसलिए हमें कृषि की एक नई नीति बनानी पड़ेगी। अपने यहां पर जो ट्रैक्टरों का कोटा था, मैसी, डीआई-वन जो ट्रैक्टर है, उसके लिए, मैसी फर्ग्युसन के लिए, 30,000 की सब्सिडी जो 500 ट्रैक्टर यहां पर हमारे काश्तकारों को दिये गये और खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पहले ट्रैक्टरों की कमी थी, उसको भी हमने पूरा करने की कोशिश की और 30,000 की सब्सिडी के ट्रैक्टर दिये।

आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो एग्रीकल्चर कालेज में पढ़ती हैं, उनके लिए यह प्रावधान था पहले, मेरिट के अनुसार ही कालेज के अन्दर उनको प्रवेश दिया जाता था। मैंने यह उस समय निर्देश दिये थे कि हमारे काश्तकारों की लड़कियां हैं, वह इच्छानुसार अपनी व्यवस्था अनुसार जिस कालेज के अन्दर प्रवेश लेना चाहें, मिले, ताकि उनकी सुरक्षा भी हो सके, उसकी देखभाल भी कर सकें उसके पेरेंट्स। उनको मेरिट के आधार पर दूसरी जगह कालेजों में दूर-दूर नहीं भेजा जाये और उसका शत-प्रतिशत पालन किया गया। तो इस प्रकार काश्तकार की हमें हमेशा चिन्ता रही।

आपको पता होना चाहिए, वाटर शेड

(श्री अमराराम चौधरी)

के अन्दर जो हमारा भू-संरक्षण कार्यक्रम है, उसमें मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा, मैंने खुद ने भी वह देखा है....

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने कौनसे ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या पूछ रहे हैं माननीय सदस्य, आसन को संबोधित कीजिये । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं यह पूछना चाहता हूं, अमराराम जी कह रहे हैं कि हमने ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी । कौनसे ट्रैक्टर पर दी ? फोर्ड पर दी, या स्वराज पर दी, मैसी पर दी ?

श्री अमराराम (पचपदरा) : मैसी पर दी, आपको कहा था, मैसी है । डीआई-वन पर दी है । डीआई–वन 30 एच.पी. का है, उस पर दी है । मैंने भारत सरकार को भी लिखा है कि 35 एच.पी. तक दी जाये, इसके लिए भी मैंने ...

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने उन ट्रैक्टरों पर दी होगी जो किसान के उपयोग में नहीं आते होंगे, जो फसल के काम में नहीं आते हैं ।

श्री अमराराम (पचपदरा) : आपको पता होगा, उसमें थोड़ा–सा फर्क है ।

श्री सभापति : यह आपस में वाद-विवाद नहीं है । आपको जो सवाल पूछने हैं, पूछिये, जवाब दे देंगे ।

श्री श्रवण कुमार : सवाल इस बात का है कि हाउस के अंदर गुमराह कर रहे हैं कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी । मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, ट्रैक्टर रखने वाला आदमी हूं । स्वराज, फोर्ड, डीआई-वन, मैं भी ट्रैक्टर जानता हूं, सारे ट्रैक्टरों के बारे में जानता हूं, ऐसे ट्रैक्टरों पर दी होगी ...

श्री परसादी लाल : मैसी फर्ग्युसन पर दी है ।

श्री श्रवण कुमार : मैसी फर्ग्युसन कौनसा ? मैसी फर्ग्युसन पर दी कहां है ? जो हमारे यहां काम ही नहीं आता है, जो पंजाब में काम आता है । (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजिये । (व्यवधान) माननीय श्रवण कुमार जी, बिराजिये, प्लीज ।

श्री श्रवण कुमार : वह किसान के उपयोग का ही नहीं है । (व्यवधान) मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूं ।

श्री परसादी लाल : आप बड़े किसान हैं, आप छोटे किसान नहीं हैं । गरीबों के लिए....

श्री श्रवण कुमार : गरीबों के लिए जो ट्रैक्टर होते हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : परसादी लाल जी, प्लीज ।

श्री श्रवण कुमार : यह पंजाब वाले ट्रैक्टर पर दे दी आपने, जो उनके यहां काम में आता है ।

श्री सभापति : बिराजिये आप । हां, जारी रखिये प्लीज । (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा) : सभापति महोदय, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1991 के बाद में और 1994-95 तक जो हमारे सोइल कंजर्वेशन के काम हुए और एक-एक जो कार्य हुआ, इस प्रकार से हमारी तत्कालीन सरकार को छह पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था । इसके अलावा कृषि उत्पादकता का पुरस्कार भी हमको 1995-96 के अंदर मिला । तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी कृषि के अन्दर प्रगति होती रही ।

माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह सातवीं योजना के अन्दर 103 करोड़ रुपये कृषि विभाग में खर्च होते थे और आठवीं योजना के अन्दर 467 करोड़ रुपये व्यय किये गये । यह किसलिए किये गये कि हमारी कृषि को स्थायित्व मिले और इस स्थायित्व मिलने के लिए इस प्रकार से बजट बढ़ाया गया ।

माननीय कृषि मंत्रीजी बिराजमान हैं, वे स्वयं कृषक हैं और उनको इस बारे में पीड़ा होनी चाहिए कि ऐसे काश्तकार, इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस प्रकार का बजट रखें और एक ऐसी कृषि नीति बनायें उद्योग नीति बनायें जिससे काश्तकार को रोजगार के आधार पर, काश्तकार जो जितने उद्योग लगते हैं, उनको रा-मैटेरियल हमारी काश्त से मिलता है, उसके आधार पर उद्योग लगावें ताकि लोगों को मजदूरी भी मिल सके ।

मैं इसके साथ आपको यह कहना चाहता हूं कि 1985 के अन्दर बीमा योजना लागू की गई थी और उस बीमा योजना को बाद में बंद कर दिया गया था। उसमें हालांकि घाटा भी आ गया था । कई ऐसे काम होते हैं जो घाटे के भी होते हैं लेकिन यदि आपको काश्तकार का दर्द है तो यह योजना पुनः लागू करें ताकि काश्तकारों को, आज जो जीरा नष्ट हो गया, जिसने जीरा बोया, कितना महंगा जीरा बोया जाता है, आज उनके रोली लग गई काश्त में....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मंत्री रहते हुए आप यदि ये काम कर लेते तो आज यह पीड़ा बताने की जरूरत नहीं पड़ती हाउस में आपको । तो कम से कम खेद तो व्यक्त कर दो कि आप उस समय नहीं कर पाये ।

श्री अमराराम (पचपदरा) : हां, आप सही कह रहे हैं ।

श्री सभापति : चूंकि उनको शोर्ट टाइम मिला था, शोर्ट टाइम था ।

श्री अमराराम (पचपदरा) : हमने

(श्री अमराराम चौधरी)

नहीं किया, आप भी कर लो, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : तो खेद तो व्यक्त करो कि मैं नहीं कर पाया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): हां, यह बात आपको बता दूं।

अब मैं अर्ज यह कर रहा हूं पूंजी निवेश के बारे में, तो पिछले साल में हमारे राजस्थान में 26% था पूंजी निवेश, हरियाणा का 13% था, मध्य प्रदेश का 6% था, गुजरात का 10% था, पंजाब का माइनस में था और हमारे राजस्थान के अन्दर पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलने से कृषि को बढ़ावा मिला।

बीज निगम, मैं यह बताना चाहता हूं क्योंकि हमारा बीज निगम कई वर्षों से घाटे में था, 18 साल लगातार बीज निगम घाटे में था और बाद में इसमें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्रीजी के समय में दो करोड़ रुपये तीन साल के अन्दर इसमें वृद्धि हुई। इस प्रकार कृषि में दिनों दिन प्रगति होती गई।

मैं श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि की एक नीति बनायें और इसकी उद्योग नीति बनाने के लिए कृषि मंत्रीजी प्रयास करेंगे, इसके अलावा हमारी कृषि मण्डी के मंत्रीजी यहां नहीं हैं। हमारे समय में जो सड़कें बनी हैं करीब 5-5½ हजार कि.मी. के लगभग और जो सड़कें अधूरी थीं, पहले यह प्रावधान रखरखाव के लिए नहीं था, उसकी वापस मरम्मत के लिए नहीं था, उसके लिए 39 करोड़ रुपये पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रान्सफर किये कि इनकी रखरखाव और मरम्मत की जा सके जो कृषि मण्डी की बनी हुई हैं।

इसके साथ ही साथ पशुपालन मंत्रीजी विराजमान हैं, इनको तो पशुओं से बहुत प्रेम है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं आपको, मेरे क्षेत्र में मूल की ढाणी जहां आपका चिकित्सालय खुला हुआ है लेकिन भवन नहीं है।

आप भवन बनाने जा रहे हैं, इस भवन को आप जल्दी स्वीकृति दिलायें ताकि वहां डाक्टर, कम्पाउण्डर्स वगैरह बैठ सकें, मेडिसिन रखने की व्यवस्था हो सके। वैसे राजस्थान में जो मेरा क्षेत्र है वह पशुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है और तिवाड़ा मेला हिन्दुस्तान का प्रसिद्ध मेला है पशुओं का। इस मेले में अधिकांश हमारे मालानी के घोड़े, ऊंट, थारपारकर, बैल वगैरह लेकिन यह पशु धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। थारपारकर, कांकरेज, इनके रख-रखाव के लिए व्यवस्था करें और किसी प्रकार से रक्षा करें। आप को मैं यह बता देना चाहता हूं कि अमेरिकन गायों से भी हमारी थारपारकर और कांकरेज गाय बढ़िया गाय होती है। यह अंग्रेजी गाय का जो आपका टोकड़ा है वह भैंस के पाडे के समान है जो कोई काम नहीं आता।

इसीलिए हमारी जो अच्छी थारपारकर और कांकरेज है, इनका बहुत बढ़िया दूध होता है उसका जो घी और उसमें जो फैट

(श्री अमराराम चौधरी)

होता है वह अमेरिकन गाय में इतना नहीं होता है। अमेरिका से जो गाय लाये हैं, दूध ज्यादा देती है, यह बात माना है लेकिन यह इसलिए देती है कि आपके यहां की सारी नस्ल नष्ट हो जाय। और इस नस्ल के कारण से फिर हम लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जायें। इसलिए इसका भी रख-रखाव करें। अभी हमारे भेड़पालन मंत्री जी बिराजमान हैं।

मैं यही निवेदन करता हूं कि भेड़ों के लिए समय पर उनका वेक्सीनेशन कराया जाय और जो अधिकांश भेड़ों में बीमारी आ जाती है, पूरा रेवड़ का रेवड़ है, आपको पता होना चाहिए, हमारे जो गरीब...

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अभी एक दिन भेड़ मंत्रीजी रोड से गुजर रहे थे तो भेड़ों का झुंड क्रोस कर रहा था तो भेड़ मंत्रीजी ने अचानक कहा, रोक। ड्राई-वर रुक गया। फिर उसने कहा, क्या है साहब। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उस विभाग की प्रजा जा रही है, पहले इनका अधिकार है, फिर मैं रोड क्रोस करूंगा। भेड़ों के प्रति आपका कितना लगाव है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी : तो मेरा एक निवेदन है, आप हमारे भेड़ मंत्री हैं...

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सारी भेड़ें रुक गई वहां, मंत्री देखने के लिए पूरी भेड़ें रुक गई वहां।

श्री सभापति : बैठिये, रामस्वरूपजी।

श्री अमराराम चौधरी : और हमारे यहां के जो खास तौर से पशुपालक हैं वह रैबारी कंयुनिटी भेड़ रखती है। उसका वेक्सीनेशन समय पर हो..

श्री जगमाल सिंह यादव : दूसरी पार्टी को भी ध्यान रखें।

श्री सभापति : रखेंगे, अभी काफी टाइम है।

श्री अमराराम चौधरी : वैसे हमारे भेड़ें हैं जो आपके खास तौर से भीलवाड़ा साइड और इधर हरिद्वार और इधर आती है और व्यवस्था क्या है कि यहां अकाल पड़ने के कारण आती है, कई मुकदमे बाजी हो जाती है भेड़ वालों से। भीलवाड़ा के अन्दर एक बार मैं गया तो वहां सारे अधि-कारी, जो पुलिस के आफिसर्स हैं, वायरलैस लगाये हुए बैठे हैं, कितनी भेड़ आई, कितनी भेड़ आई, तो इस प्रकार से भेड़ों से इतना परहेज कर रहे हैं वहां क्योंकि वह फसल को नष्ट कर देती है..

श्री सभापति : बैठिये प्लीज।

श्री अमराराम चौधरी : इसलिए उन का भी स्वाभाविक है। उन भेड़ों के लिए चरागाह की भी हमारे वहां व्यवस्था कम है, तो दूसरी जगह आवे तो उनको भी आप, उन भेडपालकों के लिए भी एक प्रकार का निर्देशन दें ताकि झगड़ों में भी नहीं उलझें, काश्तकारों की फसल भी नष्ट नहीं करें और उनके चरने की भी व्यवस्था हो,

(श्री अमराराम चौधरी)

यह भी आप प्रबन्ध करें। इसके साथ ही आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनजी मोदी। मोहनलाल जी मोदी। माननीय श्री मांगीलालजी डांगा। माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी। हां, वह खड़े हो गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट के लिए मैं बाहर चला गया था...

श्री सभापति : वह बाद में व्यवस्था दे दी जायेगी।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और राजस्थान की जनता का जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। आज कहा जरूर जा रहा है कि किसान समृद्धशाली हो गया है, उसका स्तर बढ़ा है। मैं मानता हूं बढ़ा है परंतु आज यदि हम सही तौर से विचार करें और विवेचन करें तो आज राजस्थान में ही नहीं, देश में सबसे जो बदतर स्थिति है वह किसान की है। चाहे वह आपके गंगानगर जिले का नहरी क्षेत्र का किसान हो, चाहे आपके कोटा के चम्बल नहर क्षेत्र का हो और चाहे वह मेरे नागौर और जोधपुर का ट्यूब वैल से सिंचाई करने वाला किसान हो या चाहे बाड़मेर का किसान हो, आप और हम गहराई से सोचेंगे तो आज किसान की स्थिति बहुत ही शोचनीय स्थिति है। इसलिये हमें किसान की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कारोबार करता है तो उसका सारा लेखा-जोखा करता है। और लेखा-जोखा करता है तो उसमें सोचता है कि मैंने जो पूंजी लगाई है चाहे वह कार्यशील पूंजी हो, चाहे वह फिक्स विनियोजित पूंजी हो, उन सब का ब्याज, जो कारोबार में व्यय होते हैं तथा व्यवसाय में काम करने वाले कारिंदों का वेतन है, सारा खर्चा घटाने के बाद जो वास्तविक बचत होती है उसको अपना शुद्ध लाभ मानता है। आज किसान यदि इस बात का लेखा ले तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान को अपने बच्चों को लगाकर जो खेत में मजदूरी करा रहा है उनकी मजदूरी तक नहीं बच रही है, आज इस मंहगाई में।

मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग का दायित्व है कि वह किसान को समय पर उत्पादन के लिए उनका ज्ञानवर्द्धन करे, उनके लिए कृषि आदान उपलब्ध कराये और जो आज उदारीकरण की नीति और वैज्ञानिक युग है उसके अन्दर किसान को उस होड़ में आगे बढ़ाये। किसान को समय पर कृषि आदान उपलब्ध हो और किसान जो उपज पैदा करता है उसके उत्पादन का सही मूल्य मिले। इन परिस्थितियों में भी मैं आज राजस्थान के किसान भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान को खाद्यान्न में समृद्धशाली बनाया और तिलहन में एक अग्रणी

(श्री मांगीलाल डांगा)

स्थान कायम किया है। हमारे किसान बड़ी मेहनत से और जो आज स्थिति सामने है, कभी अकाल हो जाता है, कभी बाढ, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी किसानों के सामने जो दवाईयों के कारण से नकली व निम्नस्तर की कीटनाशक दवाओं से बीमारी हो जाती है वह नियंत्रित नहीं होती है। वह हर साल लुटता रहता है।

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि राजस्थान की यह जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में भी जो कृषि के लिए बजट यहां रखा है और बीस लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए बजट में व्यवस्था की है।

मेरा निवेदन है कि हमारे राजस्थान में बीस लाख टन जो खाद है उसमें कम से कम छह लाख टन डीएपी और चौदह लाख टन नाइट्रोजन खाद जिसके अन्दर कि आप की सीएन वगैरह, यूरिया आती है, आवश्यकता पड़ेगी। हम देखते आये हैं कि किसान को जब खाद और बीज की आवश्यकता होती है, हमेशा हम अखबार में पढ़ते हैं और हम इस बात के भुक्तभोगी हैं क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, कि समय पर उनको न तो खाद उपलब्ध होती हैं, कई दफा तो किसान को मजबूर होकर ही मंडियों में भागदौड़ करने के बाद हैरान होकर बिना डीएपी खाद के भी अपनी बुआई करनी पड़ती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो आज राजस्थान के अन्दर छह लाख टन डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी उसमें जो हमारी किसानों की सहकारी संस्था है इंडियन फार्मर फर्टिलाईजिंग कोपरेटिव लिमिटेड, "इफको" हमेशा वह एक लाख टन से सवा लाख की आपूर्ति राजस्थान के लिए करती है। उसमें भी एक दिक्कत आती है कि हमारी जो सहकारी संस्थाओं के मार्फत उसकी वितरण व्यवस्था है, और सहकारी संस्थाओं के पास समुचित पूंजी और भण्डारण करने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। तो हमें जो मात्रा राजस्थान में मिलनी चाहिए उससे भी महरूम रहना पड़ता है।

इसके लिए मेरा सुझाव है कि हमें फसल बुवाई से पूर्व खाद की व्यवस्था करनी है, क्योंकि हमारे यहां दूसरे प्रदेशों से फसल की स्थिति अलग है। सितम्बर जो कि हमारे कृषि विभाग की फसली डायरी है उसके मुताबिक सितम्बर में यह मानते हैं खरीफ और वास्तव में यह खरीफ का सीजन माना जाता है। पर हमारे यहां कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें नागौर, सीकर, भरतपुर जो सरसों के क्षेत्र में अग्रणी है। उन जिलों को शुरू के अन्दर, रबी के अन्दर, जब यह रबी का कार्यक्रम शुरू नहीं होता है उससे पहले खाद की आवश्यकता पड़ती है। और जब खरीफ का एलोकेशन खतम हो जाता है और रबी का एलोकेशन शुरू होता है, उस स्थिति के अन्दर हमेशा डीएपी की हमारे यहां कमी रहती है आने वाली रबी के लिए भी हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए।

मेरा इसमें सुझाव है कि जो मैंने आपसे सबसे पहले निवेदन किया कि कृषि विभाग

(श्री मांगीलाल डांगा)

का दायित्व है कि कृषि आदान की उपलब्धता कराये और कृषि उपज का सही मूल्य दिलाये, इसी के लिए आज कृषि विभाग में एक कृषि विपणन विभाग की संरचना की गई। कृषि विभाग सिर्फ मण्डियों में दुकान अलाट कर दे और उसका मण्डी शुल्क वसूल कर ले, इससे किसानों की सेवा नहीं होगी। हां, विकास के लिए मण्डी के लिए, गांव को मण्डी तक जोड़ने के लिए सड़क जैसे विकास कार्य हाथ में लिये हैं।

मेरा यह निवेदन है कि आपको, चाहे आप विपणन बोर्ड से व्यवस्था करें और चाहे आप राज्य सरकार से व्यवस्था करें... यदि हमें डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति करनी है, इसके लिये आपकी जो शीर्ष सहकारी संस्था राज फैड है उसको 10 करोड़ रुपये रिवोलविंग फण्ड और मार्जिन मनी की व्यवस्था करवाइए। उस 10 करोड़ के साथ आप शर्त भी लगाइए कि वह पैसा सिर्फ डी.ए.पी. के विपणन के लिये काम लिया जायेगा। तो उससे यह होगा कि जब भी अलाटमेंट होगा और आफ सीजन में जब दूसरे राज्य में डी.ए.पी. खाद की बिक्री नहीं होगी, वैसी स्थिति में उसका भण्डारण इफको के अलावा अन्य डी.ए.पी. खाद की फैक्ट्रीयों से खरीद कर किया जा सकता है और आने वाले सीजन में किसानों को समय पर वितरण व्यवस्था हो सकती है।

इसके लिये एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जो खाद हमें उपलब्ध होती है उसमें जब कमी होगी तो उतना ही हमारा उत्पादन कम हो जायेगा और जितना हम खाद उपलब्ध करवायेंगे उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से किसान समृद्धशाली होगा और हमारे राज्य को राजस्व भी उससे मिलेगा चाहे वह कृषि मण्डी टैक्स के रूप में मिले, चाहे सेल्स टैक्स के रूप में मिले और चाहे उसके ट्रान्सपोर्टेशन के लिये ट्रान्सपोर्टरों को मिले।

मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रोविजन रखना चाहिये कि यदि राजफैड और हमारी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था खाद आपूर्ति के लिये यदि बैंकों से ऋण लेती है और ऋण लेकर उसकी बिक्री के लिये उसका भंडारण करना पड़ता है और भंडारण के दौरान जितना खर्चा भण्डारण में लगे और जितना ब्याज लगे उस अनुदान के रूप में उस संस्था को दिलाया जाना चाहिये ताकि किसान को समय पर खाद उपलब्ध हो सके।

मान्यवर, आज विपणन बोर्ड हमारी सड़कों के विकास के लिये पैसा खर्च कर रहा है, उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। कृषकों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना भी हमारा एक लक्ष्य है। इससे विपणन बोर्ड के पास में और कृषि उपज मण्डियों के पास में जो राजस्व आता है उसमें से एक कोष बनाया जावे। राज्य स्तर पर एक कोष बनाया जाये, मण्डी स्तर पर एक कोष बनाया जाये और उसमें से जो मण्डी की आमदनी है उस आमदनी में कुछ प्रतिशत को उस कोष में स्थानान्तरित करके हमेशा के लिये रखा जाये ताकि जब भी किसान को खाद की कमी पड़े तो

(श्री मांगीलाल डांगा)

उस कोष में से रिवोलविंग फण्ड में से लेकर के भण्डारण की व्यवस्था की जा सके।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब बीज अच्छा नहीं होता है और किसान को यदि बीज के टाइम पर धोखा हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इसके लिये आवश्यक है कि जो हमारा बीज उत्पादन कार्यक्रम है चाहे वह राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन के हाथ में हो, चाहे एन.ए.सी. के मार्फत करता है, चाहे आप प्राइवेट एजेन्सी से वितरण कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान में बीज उत्पादन का प्रश्न है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कि बीज की जो गुणवत्ता होनी चाहिये और बीज के निरीक्षण और परीक्षण की जो व्यवस्था होनी चाहिये वह आज बहुत ही खराब है। कहीं-कहीं तो यहां तक हुआ है कि आपके प्लांट में जो बीज उत्पादन आना चाहिये उससे ज्यादा बीज बाजार से खरीद कर वो बीज दे देते हैं। वह बीज जब किसान के खेत में पहुंचता है तो किसान उससे लुट जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीज उत्पादन के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेवें और इसका उत्पादन चाहे आप किसान के यहां करवाये, चाहे आपके राजकीय फार्म पर करवायें वहां शुरू से लेकर आखिर तक फाउण्डेशन सीड्स उपलब्ध हो जिसकी बुआई हमारे अधिकारियों की देख-रेख में होनी चाहिये और समय-समय पर उसका परीक्षण-निरीक्षण होना चाहिये और जब बीज उत्पादन फसल की कटाई हो उस समय भी हमारा अधिकारी मौजूद हो और सामने कटाकर के बीज को अपने भण्डारण तक लाये और उसको प्रमाणित करके बिकाये।

आज हम खाद वितरण, बीज वितरण और कीट नाशक दवाइयों के लिये कृषि विभाग से लाइसेंस दे देते हैं और लाइसेंस देने के बाद हम यह मान लेते हैं कि हमने इतने विक्रय केन्द्र खोल दिये हैं, इससे भी किसान का भला नहीं हो सकता। आप जब सेम्पल लेते हैं उस टाइम जिम्मेदारी फिक्स करते हैं कि आपका सेम्पल लिया और आप फेल हैं। वह जिम्मेदारी फिक्स होनी है उत्पादक पर। बीज के मामले में आप इस तरह का एक पैकिंग बनाइए जो राजस्थान सीड कार्पोरेशन के पैकिंग से दूसरी जगह कहीं नहीं मिले। और यदि उस बीज का सेम्पल कहीं भी परीक्षण में फेल होता है, तो उसकी जो सजा है वह उस अधिकारी को मिलनी चाहिये जिसने उसको सर्टीफाइ किया, जिसको लेकर उत्पादन किया। और इतना ही नहीं कि आप किसी अधिकारी/कर्मचारी को सस्पेंड कर दें, नौकरी से निकाल दें, मेरा कहने का मतलब है कि जो किसान का नुकसान हुआ है उसके लिये उसका दायित्व ठहराना चाहिये और किसान को उसका मुआवजा देने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। बीजों में जब तक हम अधिक गुणवत्ता नहीं लायेंगे और ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का स्रोत हम नहीं ढूंढेंगे, नई-नई वैराइटी ईजाद नहीं करेंगे, आज पंजाब और हरियाणा के किसान जो

(श्री मांगीलाल डांगा)

हमारे से आगे जा रहे हैं और उनके मुकाबले हमारा किसान बहुत मेहनती है परंतु फिर भी हम पीछे हैं। जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं जिनमें यह शोध चल रहा है, उन वैज्ञानिकों को आप प्रोत्साहित कीजिए, उनको साज-सामान की जितनी आवश्यकता है वह उपलब्ध करवाइए। ताकि नये-नये बीजों का यहां पर शोध हो सके और उसका किसानों को लाभ मिल सके।

मान्यवर, कीटनाशक दवा भी किसान के लिये उतनी ही जरूरी है जितनी खाद और बीज की जरूरत होती है। यदि कीटनाशक दवा किसान को सही नहीं मिले तो भी किसान लुट जाता है। ज्यादातर कीटनाशक दवाएं जो आज राजस्थान में बिकती हैं वह बाहर की जो उत्पादन इकाइयां हैं उनकी बिक रही हैं। हमारे यहां हमारी जितनी भी इकाइयां लगी हुई हैं चाहे वह राज फैड हो, उसकी विश्वसनीयता काश्तकार की नजर में बनना आवश्यक है।

इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि बाहर की जितनी भी इकाइया हैं बाहर की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वह आपके नियंत्रण में नहीं है। पर राजस्थान में जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप से लेते हैं, उनके लिये आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो फैक्ट्री है उस पर आपका अधिकारी बैठे। और वह अधिकारी उसकी गुणवत्ता की जांच करके अपने सामने उस पर मार्का लगाये और उसके बाद यदि उसका सेम्पल लिया जाता है और वह सेम्पल फेल होता है, तो उसके लिये उस अधिकारी की और उस विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

हमारी इकाइयों की गुणवत्ता के लिये जब हमारे विभाग पर विश्वास हो जायेगा और हमारे किसानों को जब उसका विश्वास दिलायेंगे तो सही कीटनाशक दवा जो हमारे यहां उपलब्ध है, चाहे वह राज फैड उत्पादन करे, इसके लिये अलग से चाहे सहकारी संस्था हो, या जितनी भी प्राइवेट इकाइयां काम कर रही है उनके साथ भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है ताकि किसानों को हमारे राजस्थान का उत्पादन किया हुआ माल मिले और सही माल मिले। इससे किसान जो कीटनाशक दवाओं में लुट रहा है, वह लुटे नहीं।

मान्यवर, आज यह भी जिक्र आया कि कृषि विभाग ने विस्तार योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा जाल फैलाया है। उसमें किसानों को लाभ हुआ परंतु जितना होना चाहिये वह नहीं हुआ।

मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। पिछले 7–8 साल में जो इसमें गिरावट आई है और ज्यादातर मेरे साथी जो गांवों से आते हैं वह देखेंगे कि आपका सुपरवाइजर, आपका सहायक कृषि अधिकारी यदि गांव में जाकर 10 किसानों के नाम बता दे तो हमें मानना चाहिये कि वह वास्तव में सही ड्यूटी कर रहा है। इसके लिये भी आपको एक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपका सुपरवाइजर जब भी गांव जाये तो

(श्री मांगीलाल बांगा)

आपके पास वह डाक द्वारा सूचना भेजे कि मैं आज इन किसानों से मिला। इन किसानों के साथ चाहे कीटनाशक दवाओं के संबंध में वार्ता हुई चाहे अच्छे बीज उपलब्ध कराने के बारे में वार्ता हुई चाहे अच्छे बीज की वेराइटी के लिये मैंने उसका ज्ञान वर्धन किया। जब तक उसके ऊपर यह मोनिटरिंग नहीं होगी तब तक जो यह इतना लंबा चौड़ा विभाग है जिसमें हम करोड़ों रुपये कृषि विस्तार योजना एवं अन्य मदों में से आज वेतन इत्यादि पर खर्च कर रहे हैं उसका किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। इसके लिये बहुत ही आवश्यक है कि आपकी निगरानी उस पर बनी रहे।

मान्यवर, जल ग्रहण के संबंध में मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारे कुओं का जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है और उसको बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि हमारे जितने भी नदी-नाले हैं उनके ऊपर एनिकट बने ताकि जल स्तर भी ऊंचा रहे और जो गिरावट आ रही है वह भी रुकी रहे। हमारे कुछ तालाब भी हैं जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और सिंचाई की इस व्यवस्था के साथ-साथ जहां तक पेयजल का संकट हो रहा है उस में भी कृषि विभाग के मार्फत मदद मिल जायेगी।

जल स्तर नीचे जा रहा है इसलिए कम से कम पानी में हमारी खेती हो, इसके लिये हमें बूंद-बूंद सिंचाई योजना और फव्वारा योजना को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उस के लिये आपने जो 20 हजार फव्वारा सैट लगाने की व्यवस्था की है उसमें मेरा निवेदन है कि कम से कम इसको 50 हजार तक आप ले जायें।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिन किसानों का चयन गरीबी की रेखा से नीचे किया गया है, मान्यवर, वैसे यह यहां का विषय नहीं है लेकिन जब आप फव्वारा देंगे चाहे आप प्रदर्शन लगायेंगे उनको तो, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको होगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा का पिछले टाइम जो चयन हुआ है वह चयन बिलकुल गलत हुआ है। इसको आप दोबारा करवाइए।

उदाहरण के तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जिस का पहले चयन किया उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया, फिर भी उसका नाम उस सूची में नहीं आया। इससे भी आपको पता लग जायेगा कि वास्तव में यह सूची आपकी सही नहीं है, इसका दोबारा चयन होना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पूरा कीजिए आपका भाषण, 15 मिनट हो गये आपको।

श्री मांगीलाल बांगा : मान्यवर, अब मैं इस संबंध में मेरे क्षेत्र के लिये भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता जो तिलहन उत्पादन का एक अग्रणी स्थान है और जो आयल प्रतिशत मेड़ता का है वह बहुत ही अच्छा है। तेल की अधिक मात्रा होने

(श्री मांगीलाल डांगा)

से सरसों की हमेशा मांग रहती है । मेड़ता की आयल मिलें सरसों को प्राथमिकता देती हैं । मेड़ता में तिलम संघ का आयल प्लांट है, और वहां, वैसे तिलम संघ कृषि

(15.00 बजे)

विभाग का तो पार्ट नहीं है परन्तु आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि उत्पादन का मूल्य दिलाना आवश्यक है । तो वैसी स्थिति में मेरा सुझाव होगा आपसे कि जो तिलम संघ को बंद करने की बात चल रही है, और तिलम संघ की मेड़ता की अलग इकाई बनाइये और उस पर कृषि मंडी मेड़ता और नागौर जो हमारी मंडियां हैं, उनको आप यह परमीशन दीजिये कि वह उसके अंदर शेयर खरीदे और तिलम संघ को चलाये ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके ।

आप यह देखेंगे कि जब भी आपकी कोई भी लोकतांत्रिक एजेंसी, सहकारी संस्था मण्डी में खरीददारी के लिए जाती है उस दिन पहले से मण्डी में जो भाव है, 50 रुपये, सौ रुपये क्विंटल तक किसान को ज्यादा मिलता है और यदि एक दिन हमारी उपस्थिति मण्डी में है तो करोड़ों रुपये किसानों की जेब में ज्यादा जायेंगे । यह भी एक कृषि विपणन व्यवस्था की हमारी खरीद के अन्दर कृषि विभाग मदद करके 50 प्रतिशत उपज का खरीद की व्यवस्था इन संस्थाओं के मार्फत कर दे तो किसान भी उसी दिन उपज का मूल्य तय करेगा, जिस तरह से फैक्ट्री का मालिक आज यूरिया का मूल्य तय करता है । उसी तरह किसान अपनी फसल का तय करेगा । इसके लिए यह तय करना और कृषि विभाग को इसमें आगे आना बहुत जरूरी है ।

मान्यवर, अभी हमारे पशुपालन मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनको भी और वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो बजट बनाया है उसमें काफी अच्छे प्रावधान किये हैं । सौ नये चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की है, चार सौ चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के लिए व्यवस्था की है ।

मान्यवर, आज हमारा नागौर जिला और मेड़ता क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, मान्यवर, मेड़ता का मेला एक प्रसिद्ध मेला है । जो वहां की नस्ल हैं, वह बाहर राज्यों के अन्दर, वहां के पशु और बैल जाते थे और राजस्थान को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, आपके विभाग को, राजस्थान सरकार को मिलता था । आज उस मेले की यह गति है कि वह दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है । नागौर की जो नस्ल है वास्तव में वह खतम होती जा रही है । नागौर की जो बैलों की नस्ल है, उसके साथ-साथ हमारे यहां का जो पशु धन है उसको, पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए, हमें दुधारु पशुओं की नस्ल सुधार की आवश्यकता होगी । दुधारु पशुओं की नस्ल सुधार के साथ–साथ यह भी हमको करना पड़ेगा कि हमारा जो पशुपालक है उसको दूध की अच्छी कीमत मिले और दूध की अच्छी कीमत जब ही मिलेगी जब कि आपकी जितनी भी दूध खरीदने वाली, चाहे दूध उत्पादन सहकारी समिति हो, चाहे दुग्ध उत्पादक संघ हो, उसका नियंत्रण लोकतांत्रिक पद्धति से हमारी जनता के हाथ में हो । आज दूध

(श्री मांगीलाल डांगा)

की खरीद हमारा संघ कर रहा है। उसके ऊपर उनका, प्रबन्धन का जो नियंत्रण है वह एन.डी.डी.पी. के पास है।

मैं तो मेरे शब्दों में यह कहूंगा कि आज उनको एक गुलामी के चक्रव्यूह में बांध दिया है। उनको उनसे भी मुक्त कीजिये क्योंकि आज आप देखिये, दूसरे राज्यों को जो दूध का मूल्य मिलता है, उसके मुकाबले राजस्थान के किसान को दूध उत्पादक को, दूध का मूल्य कम मिल रहा है। और यही व्यवस्था यदि हमारी एजेंसी जो सहकारी बंधु हैं, जो पशुपालक हैं, उनके हाथ में होगी तो वह उनको अच्छा मूल्य दिलायेंगे।

दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमारा पशुधन घटता जा रहा है। उसके साथ साथ यह भी है कि उनके चरने के लिए चरागाह, जो चरागाह सरकार द्वारा घोषित कर रखे हैं उन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। आज चरागाह की व्यवस्था को बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए सरकार को एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर व्यवस्था करनी चाहिए जो अतिक्रमण हैं, उनको तुरन्त हटाया जाय और जहां पशुधन है, उस पशुधन के चारे के लिए व्यवस्था की जाय। भेड़ के लिए हमारे यहां बहुत से भेड़पालक हैं और भेड़पालकों के सामने समस्या यह है कि हमारे यहां जब भी बरसात होती है, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है जहां बरसात के समय इनको वहां नहीं रखा जा सकता है।

इसीलिए हमारे जो भेड़पालक हैं वे उन भेड़ों को जीवित रखने के लिए, उनको चारे के लिए करौली, धौलपुर और जहां भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां चरागाहों में चराने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा की और वहां उनके चरागाह के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सभापति : विराजिये। आपने सारा कवर कर दिया, 20 मिनट दे दिये, अब विराजिये आप। बोलना है तो इसी–लिए तो।

श्री मांगीलाल डांगा : मान्यवर, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें 10-10, 15-15 किलोमीटर में पशु चिकित्सालय नहीं हैं, जैसे-पादूकलां, रोहिसा, लाम्बा जाटान बसिनी सेजा, पून्दूल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसानों के हित में यहां पशु चिकित्सालय खोलें ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। आपने, सभापति महोदय, मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे भी टाइम मिलेगा क्या ?

श्री सभापति : निश्चित तौर से आपको है, टाइम मिलेगा । मिलेगा, विराजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, हमारी पार्टी बड़ी होती तो हम प्रेशर बनाकर आपसे ले लेते ।

श्री सभापति : समय दिया जायेगा, आप इनको बोलने दीजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब तो हमारी मर्सी पिटिशन है ।

श्री सभापति : नहीं, नहीं मर्सी पिटी-शन की जरूरत नहीं है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : यही हालत पैदा कर दी है ।

श्री सभापति : नहीं, नहीं आप अधि-कार रखते हैं, टाइम मिलेगा । सीनियर हैं, आप तो खूब बोलते हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे लीडर थे और मेरे लीडर आज भी हैं ।

श्री सभापति : ये किसी समय दिग्वि-जय सिंह जी आपके लीडर थे ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय जगमाल सिंह जी, आप तो दल के नेता हो, आपको निश्चित टाइम मिलेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन लीडर को फालोवर्स का ध्यान रखना चाहिए । आपको खुद ही कहना चाहिए था कि छोटी पार्टी है और मेरे फालोवर्स हैं, पहले जगमाल सिंह को बोलने दो ।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे बाद आप बोल लेना ।

श्री सभापति : अब आप लीडर को मानिये, विराजिये । प्लीज कंटीन्यू ।

श्री जगमाल सिंह यादव : शिष्टाचार से मेरा प्रोटेस्ट है, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : यहां माननीय जगमाल सिंह जी जो क्रम निर्धारित कर रखा है, जैसी व्यवस्था दी गयी है उसमें निश्चित आपको भी मौका मिलेगा, विराजिये । आगे भी दो तीन बार बोले हैं आप, क्यों नहीं बोले हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : कब बोला हूं ?

श्री सभापति : बजट पर बोले हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक भी डिमाण्ड पर नहीं बोला, एक भी डिमाण्ड पर नहीं बुलवाया ।

श्री सभापति : बजट पर बोले हैं आप ।

श्री जगमाल सिंह यादव : बजट पर बोला, मेरा अधिकार था ।

श्री सभापति : यहां भी अधिकार मिलेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : डिमाण्ड पर नहीं क्या मेरा अधिकार ?

श्री सभापति : ना, बिलकुल राइट है, मिलेगा आपको। अब निश्चित समय ही चाहो यह सम्भव नहीं है, आपको भी टाइम मिलेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आसन से यही व्यवस्था चाह रहा हूं कि मेरा समय निश्चित किया या नहीं किया ?

श्री सभापति : निश्चित हो जायेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, किया तो नहीं गया।

श्री सभापति : हो जायेगा। माननीय दिग्विजयसिंह जी। हो जायेगा आज की तारीख में। जब मैं कह रहा हूं आज की तारीख में हो जायेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, 12 बजे से पहले पहले हो जायेगा रात को ?

श्री सभापति : नहीं, पांच बजे पहले ही होगा, अभी तो 3 बज रहे हैं। बहुत टाइम पड़ा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, यह क्या तरीका है ?

श्री सभापति : नहीं, आप विराजिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : यानी मुझे हर बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है और वॉक आउट करने की धमकी देनी पड़ती है।

श्री सभापति : नहीं, वॉक आउट की कोई धमकी देने की जरूरत नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो यह क्या तरीका हुआ ?

श्री सभापति : चेयर को जैसा निर्देश होता है, जैसी व्यवस्था होती है, उसके अनुसार हाउस को चलाना पड़ता है। आपका भी जो अधिकार है उसके अनुसार आपको टाइम मिलेगा। अब हम कम से कम पांच मिनट इस बात में लगा देंगे इतनी देर में वह अपना भाषण पूरा कर देंगे। समय तो यों ही जाया होता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : 5 मिनट जाया हो, चाहे 10 मिनट जाया हो, मेरे अधिकार अलग करटेल होंगे तो चाहे सदन के 20 मिनट जाया हो, मैं मेरी पीड़ा नहीं रखूंगा ?

श्री सभापति : तो आसन ने भी व्यवस्था दे दी है आपको। आसन ने भी व्यवस्था दे दी है कि आपका समय दे दिया जायेगा तो आपको कम से कम दिग्विजय सिंह जी के बोलने के बाद ही तो कुछ कहा जायेगा। प्लीज दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, अभी कृषि और पशुपालन की मांगों के ऊपर विचार चल रहा है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे हैं। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के लिए अब के बजट के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र की तरफ सब स्थितियों को देखते हुए ऐसे प्रावधान किये हैं।

सभापति महोदय, आप जानते हैं, राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और यहां का जो जनजीवन है, यहां का जो सारा जन–जीवन, यानी इकोनामी है, वह काश्तकार की कृषि के ऊपर और पशुपालन के ऊपर ही आधारित है। और कृषि और पशुपालन क्षेत्र के ऊपर चाहे किसी की सरकार रही हो आज तक, हमें इस बात के लिए भी चिंतन करना पड़ेगा कि क्या हम 50 वर्ष की आजादी के बाद भी उस काश्तकार की दशा सुधारने में सक्षम हुए हैं। हमारे बजट का कितना प्रतिशत हमें उस काश्तकार की दशा सुधारने के लिए, उस काश्तकार के हित के अन्दर कुछ कदम उठाये हैं। अगर पूरा विस्तृत विवरण और सारी समीक्षा की जाय तो निश्चित रूप से काश्तकार की कुछ न कुछ माली हालत बढ़ी है। और माली-हालत बढ़ी है नगण्य। आज उसको अपनी उपज का पूरा मूल्य भी नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि आज काश्तकार राजस्थान के अन्दर, या सारे हिन्दुस्तान का मैं कहूंगा, कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा था।

खुशी की बात तो यह है कि काश्तकार के बारे में और काश्तकार के सम्बन्ध में आज हाउस में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। उधर, विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस बात को बड़ी गहराई से कहा कि काश्तकारों के लिये उनकी सरकार ने क्या किया। और बहुत कुछ उन्होंने इस बात को बताया। ट्रैक्टर्स के लिये, उसके बारे में भी कहा। सभापति महोदय, मैं जरा सा उनका ध्यान इधर भी दिलाना चाहूंगा कि आपके खुद का जो बजट अलोकेशन था, एग्रीकल्चर का, वह 39.36 करोड़ था 98–99 में, और जब सशोधित अनुमान आप लाये तो उसमें आप 308.81, यानि आपने 31 करोड़ की कृषि क्षेत्र के अंदर कमी की। अब एक तरफ आप बात करें कि कृषि क्षेत्र के अन्दर हमने बढ़ावा देने की योजना बनायी वहीं आपके खुद का बजट अलोकेशन देखें तो इसमें कमी आयी है।

सभापति महोदय, मैं कोई आलोचना की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिये आपको निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों के लिये सरकार जब तक चिन्तन नहीं करेगी और उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी कि उसको कैसे आगे उठाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं समझता हूं कि काश्तकार की स्थिति कभी सुधर नहीं सकेगी।

सभापति महोदय, इसलिये मैं एक–दो बातें माननीय कृषि मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि काश्तकार की स्थिति अगर आपको सुधारनी है और काश्तकारों को

(श्री दिग्विजय सिंह)

आगे बढ़ाना है तो जब तक आप राज्य के अंदर एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज कायम नहीं करेंगे, तब तक काश्तकार की स्थिति बदल नहीं सकेंगे। आप बड़े-बड़े उद्योग भले लगा दें, पर एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज आप कायम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर करेंगे तो उस काश्तकार को अपनी उपज को वहीं के वहीं उन इण्डस्ट्रीज के माध्यम से, एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज अगर कायम होंगी, उनको आप प्रोत्साहित करेंगे इण्डस्ट्रीज लगाने के अंदर, तो उनको उनकी उपज का मूल्य सही मिलेगा। सभापति महोदय, आज होता क्या है। आज जब फसल खूब अच्छी बनकर आती है तो उसके भाव एक-दम से नीचे आ जाते हैं और उसको मज-बूरन उस कम भाव के अंदर अपने माल को बेचना पड़ता है। जबकि 3-4-5-6 महीने के बाद उसकी उसी फसल को दुगुनी कीमत के अंदर, चौगुनी कीमत के अन्दर, वह बिचौलिया बेच देता है।

इसलिये आप कृषि मण्डी के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वह काश्तकार जो माल लेकर आये वह उस मण्डी के अन्दर, बड़ी मण्डी हो या छोटी मण्डी हो, वहीं पर आप स्टोर्स कायम कर दें और उसके अगेंस्ट के अन्दर 75 प्रतिशत उसको कीमत दे दें तथा बाकी जब भी भाव आये उस वक्त; अगर वह काश्तकार बिचौलिये के माध्यम से वहां बेच दे तो उसको कीमत मिल जाएगी और इस काश्तकार को पैसा भी अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाएगा।

सभापति महोदय, यहां पर एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम की बात थी। जहां तक मुझे याद है ड्रिप सिस्टम के बारे में गत सरकार ने इजरायल के अन्दर एक टीम भेजी थी। उसके अन्दर कृषि विशेषज्ञ भी गये, कई सदस्य भी गये और बहुत बड़ा दल गया। वापस आकर के उसका कोई नतीजा, या कोई इस प्रकार की जानकारी आज दिन तक मैं समझता हूं कि किसी सदस्य को या किसी निजी क्षेत्र में भी नहीं दी। केवल ड्रिप सिस्टम के नाम से आपने एक योजना शुरू कर दी।

इसलिये सभापति महोदय, ड्रिप सिस्टम के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसी जिले में करें, फ्लो इरि-गेशन के माध्यम से करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, जब तक इनको मंत्री नहीं बनाएंगे, अभी तक सुधार हमने नहीं किया तो ये भी नहीं कर पायेंगे। ऐसे को मंत्री बनाएं, तभी ड्रिप सिस्टम आयेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने क्या फरमाया ?

श्री सभापति : आपका सुझाव है कि आपको मंत्री बनाया जाए। यह तो मुख्य मंत्रीजी का काम है, आपका और हमारा तो है नहीं। आप चालू रखिये।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, ये तो इस लिये कह रहे हैं कि शायद उस वक्त टीम

(श्री दिग्विजय सिंह)

में आप भी गये होंगे ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप ड्रिप सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च न करें। राजस्थान जैसे प्रदेश में ड्रिप सिस्टम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्यों कि आप यह देखिये कि 90 प्रतिशत फ्लो इरिगेशन, अगर केनाल्स के अन्दर 90 प्रतिशत पानी चल रहा हो, तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से आप उस सिस्टम को सफल बना सकते हैं।

सभापति महोदय, आज केनाल्स के अंदर 90 प्रतिशत पानी चलता ही नहीं है। 60-70 प्रतिशत नीचे चलता है। इसके अलावा भी ड्रीप सिस्टम हमारे काश्तकारों के लिये लाभदायक नहीं है। मैंने खुद ने एक आंकड़ा एकत्रित किया था। तो ड्रिप सिस्टम की जो सारी सामग्री की कोस्ट जो आती है, एक एकड़ के ऊपर 4 हजार रुपये की कोस्ट आती है। अब 4 हजार की कोस्ट, उसके ऊपर फिर आप लगा दीजिए इरिगेशन चार्जेज, डी.ए.पी. की खाद का कट्टा, रेवेन्यू के चार्जेज। सारी काश्त का इन-टोटलिटी में फिगर काउण्ट करें तो एक एकड़ के ऊपर काश्तकार को करीब 6 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जबकि उसकी रिटर्न उसके एवज में 6 हजार छोड़ कर 2 हजार तक भी नहीं आएगी।

सभापति महोदय, दूसरी बात है कि ड्रिप सिस्टम इजरायल में इसलिये सक्सेसफुल हुआ है कि it is mostly for the orchards. आरचर्ड जहां है, जहां आरचर्ड लगे हुए हैं, जहां आप आरचर्ड लगा रहे हैं, जैसे गंगानगर है, कोटा है उस एरिये के अंदर अगर ड्रिप सिस्टम की बात करें, ड्रिप सिस्टम के अन्दर पानी की बचत जरूर होती है, पर इसके साथ-साथ वह उस प्लांट में आकर पानी सीधा उस ड्रिप के अ. पड़ता है और आप अगर इसको गेहूं की खेती के अन्दर, चने की खेती के अन्दर, सरसों की खेती के अन्दर, तिल के अन्दर उपयोग में लेना चाहें तो आप का ड्रिप सिस्टम अन–इकोनोमिक साबित होगा। इसके बजाय अगर आप अधिक प्रावधान फव्वारा खेती के अन्दर कर दें, फव्वारा खेती के अन्दर अधिक प्रावधान करके काश्तकारों को आप अगर देंगे तो काश्तकारों को लाभ भी होगा, काश्तकारों की उपज भी बढ़ेगी और ज्यादा लाभदायक रहेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाह रहा था कि खाद-बीज की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाती है। समय पर नहीं हो पाने की वजह से आज काश्तकार को मजबूरन बाजार से बीज खरीदना पड़ता है या अप्रमाणित बीज लेना पड़ता है। तो सही तरीके से उसकी उपज भी नहीं हो पाती है और उसको मंहगा भी पड़ता है।

इसलिये आप समय से पूर्व खाद-बीज की व्यवस्था करके इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करें ताकि वहां पर उनको खाद-बीज की व्यवस्था हो जाए। सभापति

(श्री दिग्विजय सिंह)

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक और निवेदन करूंगा कि अधिकतर खाद-बीज की व्यवस्था आप सहकारी समिति के माध्यम से करते हैं। कई सहकारी समितियों की तो यह हालत है कि पूरा खाद-बीज उठा ही नहीं पाते हैं। वे लाते ही नहीं, और नहीं लाने की वजह से काश्तकार को नुकसान होता है। जो दूसरे लेना चाहते हैं उनको आपका विभाग देता नहीं है।

इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि जहां पर सहकारी समितियां अक्षम हैं, या काम नहीं कर रही हैं, वहां पर आप अपने स्तर पर कोई केन्द्र स्थापित करें। उसके माध्यम से काश्तकार को सही टाइम पर खाद बीज मिल जाए।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें कृषि मण्डियों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आपकी कृषि मण्डियां ए, बी, और सी, तीन केटेगरी की हैं। ए केटेगरी की जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये बड़ी-बड़ी हैं। सभापति महोदय, आज क्या होता है, मुझे मालूम है। मास्टर-प्लान रोड्स का बना हुआ है। मास्टर-प्लान के अनुसार आज कोई काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मास्टर-प्लान में भी, जो मंत्री आये, जिस स्तर पर ही मास्टर-प्लान को बदलते रहते हैं। वे बदलते रहे तो सड़कों का जो काम होना चाहिए वह काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। मैं बड़ी मण्डियों का इसलिये कह रहा हूं कि इन मण्डियों की आमदनी आज इतनी हो गयी कि इन मण्डियों के अन्दर विस्तार से वे सेच्युरेशन पाइण्ट पर आ गयीं। यहां पर इन मण्डियों के जो सेटेलाइट के गांव हैं जहां किसान का माल आता है, वहां सब जगह सड़कें होंगी। आपने प्रावधान कर रखा है कि मार्केटिंग बोर्ड उसके अन्दर इतनी सड़कें, और आज शायद 70 परसेंट आप उन कमजोर मण्डियों के लिए पैसा आरक्षित रखते हैं, ताकि वहां सड़क का काम और सड़कों का निर्माण हो सके। इसी के साथ-साथ एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप सड़क का काम, और सड़क का यह जो मास्टर प्लान है, उसका आपके और पी.डब्ल्यू.डी. के बीच में कोर्डिनेशन नहीं है। पी.डब्ल्यू.डी. और आपके बीच में कोर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जो सड़क आप ले लेते हो, वही सड़क पी.डब्ल्यू.डी. भी ले लेती है। इस वजह से कहीं-कहीं डुप्लीकेसी ऐसी हो रही है कि वह सड़क आपके यहां भी है और उनके यहां भी है। तो उसका निर्माण नहीं हो पाता।

इसके लिए आप दोनों विभाग कोर्डिनेट करके उसको करें तो ज्यादा लाभदायक होगा। और उसके बाद में, सभापति महोदय, सबसे जरूरी बात तो यह है कि निर्माण हो गया, निर्माण कर दिया, फिर उसका मेंटिनेंस नहीं होता है। अगर आप मेंटिनेंस के लिए भी, और आप कृषि मण्डी के माध्यम से करा रहे हैं, और उसी को दे रहे हैं, तो आप मेंटिनेंस के लिए भी कुछ न कुछ प्रोविजन करें या फिर मेंटिनेंस के लिए आप कुछ पैसा पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर

(श्री दिग्विजय सिंह)

करें ताकि जो सड़क आपने निर्माण कर दी, उसके बाद में उसका मेंटिनेंस तो हो सके। यह व्यवस्था आप निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

सभापति महोदय, कृषि मण्डियों में बहुत सी छोटी मण्डियां हैं। अब उनके अंदर आज पूरी व्यवस्था, वहां पर सैक्रेटरी की या कर्मचारियों की कई जगह पर नहीं है। उनके ज्यादातर पद खाली पड़े हैं। उनको आप देखें। मण्डियों की वहां पर यह हालत नहीं है कि वहां जो माल आ रहा है, उसकी सही तरीके से बोली लगे। और काश्तकार को भी उसका लाभ मिले।

सभापति महोदय, मैं कृषि के संबंध में अधिक नहीं कहूंगा पर मैं इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि कृषि क्षेत्र के अन्दर आप काश्तकार को और काश्तकार के हित में यह जो सब्सिडीज हैं, उन सब्सिडीज को आप दुबारा से चैक करें और वह काश्तकार जो गरीबी की रेखा से नीचे निवास करते हैं, उनकी सब्सिडीज आप बढ़ायें। और जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज मैं आपको बता सकता हूं कि इन सब्सिडीज के माध्यम से उस गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। पर जो सक्षम है, वह किसी-न-किसी रूप में इन सब्सिडीज का लाभ उठा लेता है और सारा का सारा पैसा आज सही मायने में उस गरीब काश्तकार को नहीं मिल कर उस बड़े आदमी के पास या उस सेठ, बनिये के पास चला जाता है जो उसको अपने माध्यम से करता है। तो सब्सिडी के बारे में मैं मांग करूंगा, सभापति महोदय, कि आपके यहां से जो सब्सिडीज, इम्प्लीमैंट्स पर है, ट्रैक्टर्स पर है, दूसरी चीजों पर है, इन सब का सर्वे कराकर के कम से कम आप जांच करायें कि गत तीन सालों के अन्दर कितनी सब्सिडी किस-किस जिले में, किस-किस गरीबी से नीचे की रेखा वाले काश्तकार को मिली है कि नहीं मिली? उनको लाभ हुआ या नहीं हुआ? तो आपके पास एक मोटे तरीके से सारा आकलन आ जाएगा और आपको सारी स्थिति मिल जाएगी। और जिस बात से आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य भी सहमत हो रहे हैं कि बिलकुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि शायद गत तीन साल के अन्दर भी गड़बड़ियां जरूर हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं पशुपालन के संबंध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्रीजी तो हैं नहीं, आप ही नोट कर लेना।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं हूं साहब, बिलकुल हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, पधार आये, ठीक है।

सभापति महोदय, आप पशु-चिकित्सालय और पशु केन्द्र तो खोल रहे हैं, इसके लिए तो आपको बधाई है। परन्तु इसके पहले, सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा

(श्री दिग्विजय सिंह)

एक बात कृषि मंत्रीजी से और कहना चाहूंगा ।

श्री तैय्यब हुसैन : फरमाइये ।

श्री दिग्विजय सिंह : आप काश्तकारों को लाभ देने के लिए कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर के.वी.के. की स्थापना करें। कृषि विकास केन्द्र अगर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे, आप जिला हैडक्वार्टर पर कर लेते हैं तो वह लाभदायक नहीं है। उनको अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में करें तो काश्तकारों को ज्यादा लाभ होगा । अन्त

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में मैं, बिलकुल समय का पाबन्द रहने वाला आदमी हूं। मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

सभापति महोदय, पशुपालन पर बोलते हुए मैं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप चिकित्सालय खोल रहे हैं । चिकित्सा केन्द्र भी खोल रहे हैं । उसके लिए तो आपको बधाई । पर इसके साथ आप वहां पर डाक्टर, कम्पाउण्डर और जो स्टाफ है, वह वहां निश्चित रूप से पहुंचे, वहां रहे, इसको भी आप सुनिश्चित करें । इसको आप देखें । आज कई अस्पताल, पशु-चिकित्सालय ऐसे बने हुए हैं कि वहां छह-छह महीने, साल-साल भर से कम्पाउण्डर तक नहीं है और आप और खोल देंगे, हम ताली बजा देंगे । आज बजट भी पास हो जाएगा । पर जब क्षेत्र में जाएंगे छह महीने बाद, और आपने खोल दिया, नये खोले वह तो खोलिए, वह दूसरी बात है, पर जो पुराने खुले हुए हैं, उनमें जो डाक्टर और कम्पाउण्डर नहीं मिलते हैं ।

इसलिए आप यह भी सुनिश्चित करें कि उन सब केन्द्रों के अन्दर पशु-चिकित्सालय केन्द्रों में और पशु-चिकित्सालय भवनों में आपका जो स्टाफ है, वह अवश्य रहे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य, यह तो पहले मंत्री हैं जिन्होंने गीर और राठी नस्ल की गायों के लिए भी कुछ सोच रखा है । तारीफ करो इनकी ।

एक माननीय सदस्य : सांडों के लिए क्या व्यवस्था की ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने पहले ही तारीफ कर दी इस बात की ।

सभापति महोदय, एक कार्यक्रम आपके पशुपालन विभाग द्वारा पूर्व में चलाया जाता था । अब वह शायद चालू है कि नहीं है ? ग्रामीण क्षेत्रों में नस्ल सुधार का कार्यक्रम होता था । और या तो आप उन क्षेत्रों के लिए पहले फ्री बुल प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन का कार्यक्रम आपने शुरू किया था । आज वह कार्यक्रम, मैं नहीं देखता कि कहीं पर हो रहा है । और व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी, क्योंकि आपके वह जो सीमन आता है, उस सीमन को रखने के लिए उन अस्पतालों के अंदर कोई फ्रिज

(श्री दिग्विजय सिंह)

या कोई कोल्ड-स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से यह आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन का जो कार्यक्रम है; यह आपका उतना सक्सेज नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके स्थान पर यह फ्री-बुल अच्छे नस्ल के उन ग्रामवासियों को, या जो पंचायत लेना चाहती है, उसको अगर आप दें, जो वे इसका रख-रखाव उसका खर्चा वह पंचायत या वे ग्रामवासी वहन करने को तैयार हों तो वह एक अच्छी योजना होगी और उस पर आपका खर्च भी कम पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अधिक नहीं कहता हुआ, आपने मुझे समय दिया और समय भी दस मिनट का ही था, उसी के अंदर मैंने अपनी बात समाप्त की है। धन्यवाद।

श्री सभापति : सारे वक्ताओं से, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात को दस मिनट में ही पूरी करें। वक्ता बहुत ज्यादा हैं इसमें। तो अब मैं माननीय श्री कालूलालजी..

श्री जगमाल सिंह यादव : जो नहीं हैं, उनको नाम बोलो आप तो।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने व्यवस्था दी थी न।

श्री सभापति : आ जाएगा, आ रहा है आपका नम्बर।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, आएगा तो सही लेकिन...

श्री सभापति : अब बारबार, जब एक बार, जगमाल सिंहजी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, जब...

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, नाम तो मेरा आ रहा है, मैं भी जानता हूं।

श्री सभापति : जब एक बार व्यवस्था दी है कि आपका नाम आ रहा है तो...

श्री जगमाल सिंह यादव : आ तो रहा है।

श्री सभापति : क्रम तो मैंने उसी प्रकार से किया। जितनी सदस्य संख्या है, जैसा नाम है, तीन आदमी उनको बुला करके फिर मुझे इधर आना पड़ता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं भी सदन का मैम्बर हूं और मैं सदन में...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिलकुल, आप सदन के मैम्बर हैं, इस बात को सभी जान रहे हैं। लेकिन जैसा क्रम शुरू किया है कि तीन माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से बोलें और एक माननीय सदस्य इधर से बोलें, इस प्रकार का क्रम है, उसी क्रम में बोलना पड़ेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : न ही व्यवस्था में आपकी प्रोटेस्ट कर रहा हूं। न मैं सत्ता पक्ष में हूं और न मैं विपक्ष में हूं।

श्री सभापति : ऐसा है, इनके बाद में आपको बुला दिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी तो विचित्र स्थिति है न।

श्री सभापति : अब आपको निश्चित कर दिया है न कि इनके बाद बुला दिया जाएगा।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय व कृषि मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ग्रामीण कृषक वर्ग के प्रति पूरी आत्मीयता एवं कृषकों के प्रति हितैषी होने का परिचय बजट प्रावधानों के माध्यम से दिया है। आपकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है इसके लिए आपका बहुत-बहुत हृदय से साधुवाद।

माननीय कृषि मंत्री महोदय ने कृषक वर्ग के उत्थान हेतु बजट के माध्यम से कृषि एवं संवर्ग सेवाओं के लिए 278 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। आपने बूंद-बूंद सिंचाई कार्यक्रम एवं फव्वारा सिंचाई योजना को अधिक महत्व देते हुए नये 20 हजार फव्वारा सेट लगाने हेतु कृषकों को अनुदान देने का जो लक्ष्य रखा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है।

मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में 70 परसेंट से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक हैं, यह 20 हजार का जो आपने प्रावधान रखा है, इसको बढ़ाकर के 25 हजार सेट अनुदान देने का एक प्रावधान में संशोधन कराने का मेरा आपसे अनुरोध है।

आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को समय पर खाद एवं बीज के वितरण की समुचित व्यवस्था एवं अनुदान पर दिये जाने वाले कृषि यंत्रों का जो वितरण किया जाता है, वह पिछले समय से व्यवस्था सही नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो कृषि यंत्र हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा कृषि यंत्र हो, उसका वितरण विभाग द्वारा सही मायने में, सही ढंग से कराया जाये। ऐसी व्यवस्था आप करायें।

(15.30 बजे)

((श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

साथ ही कृषि मंडी के सम्बन्ध में मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार और राशमी में पूर्व में बड़ी-बड़ी कृषि मण्डियों का निर्माण करवाया गया है। लेकिन उनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान चाहूंगा और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि लाखों रुपये खर्च करके जिन मण्डियों का निर्माण कराया गया है, उनके ऊपर कुछ प्रभावी कार्यवाही करवायी जाए, ताकि

(श्री कालूलाल खोईवाल)

उन मण्डियों का जो निर्माण कराया उनका उपयोग हो सके और काश्तकारों को लाभ मिल सके।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें अधूरी हैं। पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से जो सड़कें प्रस्तावित हैं, सड़क नीति के तहत उनको जोड़ने के लिये स्वीकृति दिलायी जाये ताकि पंचायत मुख्यालय डामरीकरण सड़क से जुड़ सकें और उनको उचित लाभ मिल सकें।

मैं जलग्रहण के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जलग्रहण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु आपने बजट में प्रावधान 128 करोड़ रुपये का रखा है। इसके लिये आप को सदन की ओर से और हमारी ओर से शत-शत बार बधाई देता हूं।

साथ ही यह निवेदन करता हूं कि आपने बजट प्रावधान तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन जलग्रहण योजना के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों में काश्तकारों के माध्यम से दो तरह के निर्माण कार्य, एक तो कृषि योग्य निर्माण कार्य और दूसरे अकृषि योग्य निर्माण कार्य, उसमें जल ग्रहण योजना द्वारा जो निर्माण कार्य करवाये जाते हैं, उनमें मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि 15 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की जो राशि वसूल की जाती है, इसके लिये पुनर्विचार किया जाए ताकि वास्तव में काश्तकारों को सही राहत मिल सके और जलग्रहण योजना के तहत जो आप निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, वह सही ढंग से हो सके। यह जो 15 प्रतिशत और 30 प्रतिशत राशि है, वह काश्तकार दे नहीं पाते और जो बजट में आपने प्रावधान रखा है, उस बजट का लक्ष्य पूरा अर्जित नहीं किया जाता है और बजट लेप्स हो जाता है।

इसके लिये मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो राशि है काश्तकारों से वसूल करने की, इसके लिये पुनर्विचार किया जाये। यह सरकार किसानों की हितैषी है। इस लिए उक्त राशि वसूल करने का जो प्रावधान है, इस पर विचार करें और अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में एनीकट और नाड़ियों का निर्माण कराया जा सके।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य स्वीकृत कराने की जो नीति है, इसमें सीमाओं का निर्धारण कर रखा है। श्रीमान्, सहायक अभियंता स्तर पर सीमाएं बांध रखी हैं। 25 हजार रुपये तक के काम वह स्वीकृत कर सकता है। इसको मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस की 25 हजार रुपये की जो सीमा निर्धारित है, इसको अधिक बढ़ाया जाए। 50 हजार किया जाए ताकि वह अपने स्तर पर 50 हजार तक के काम एनीकट या बांध, छोटी नाड़ियों के काम स्वीकृत कर सकें।

मैं यह भी मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मगरार में दो-दो पंचायत समितियां हैं। वहां पर

(श्री कालूलाल खोईवाल)

दोनों जगह अलग-अलग जे.ईएन. कार्यरत हैं। लेकिन सहायक अभियंता का कार्यालय कपासन में लगता है। श्रीमान्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं मांग करता हूं आपसे, कि सहायक अभियन्ता का कार्यालय गंगरार में खोलने की स्वीकृति प्रदान करायें और इस वर्ष के बजट में इसको शामिल किया जाए ताकि गंगरार विधान सभा क्षेत्र आप का आभार व्यक्त कर सके और आपका आभारी रहेगा। यही मैं आपसे अपेक्षा चाहूंगा।

साथ ही पशुपालन मंत्री महोदय को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने भी जिस प्रकार से, क्योंकि पशुपालन कृषि के साथ ग्रामीण परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पशुपालन मंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष में पशुपालन को महत्व देते हुए अपने बजट प्रावधान में 100 नवीन पशु चिकित्सालय एवं 400 नवीन उप केन्द्र खोलने का प्रावधान रखा है। मैं सदन की ओर से मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा एवं बधाई देना चाहूंगा।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संकर गो प्रजनन केन्द्र के तहत जो केन्द्र स्थापित हैं, उनको उचित ढंग से नियन्त्रण नहीं मिल पा रहा है। तो संकर गो प्रजनन केन्द्र के तहत जो केन्द्र खोले गये हैं, उनको या तो पशु चिकित्सालय प्रभारी के माध्यम से उनका निरीक्षण कराया जाए या इसके लिये कोई अलग से प्रभावी नियन्त्रण की व्यवस्था करायी जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों को इन संकर गो प्रजनन केन्द्र के कर्मचारियों और नस्ल सुधार के लिये जिन गायों की व्यवस्था की जाती है, उनको उचित लाभ मिल सके।

जहां-जहां पर पशु चिकित्सक एवं कम्पौंडरों आदि के जो पद रिक्त हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र भरने के आदेश करायें। संकर गो प्रजनन केन्द्र के लिये मैंने आपसे निवेदन किया कि इनके नियन्त्रण की व्यवस्था या तो पशु चिकित्सालय प्रभारी के अन्तर्गत रखी जाय या इनके ऊपर एक संकुल बनाकर, जैसे पांच प्रभारी हैं या 10 इसके कर्मचारी हैं, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर हो। ऐसी एक व्यवस्था करायी जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू।

साथ ही इस क्षेत्र में जो पशु मेले आयोजित किये जाते हैं, उनको भी सरकार की ओर से पुख्ता सहयोग और पुख्ता संरक्षण मिलना चाहिये ताकि सही ढंग से पशुओं का, और जिस उद्देश्य से यह पशु मेले आयोजित किये जाते हैं, उनका उपयोग, उनकी उपलब्धि हासिल हो सके। इसी के साथ आपने जो अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जगमाल सिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिस समय मैं दवाई लेने गया था, उस समय मेरा नाम निकल गया। मेहरबानी करके आप मुझे पुनः पुकारें।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसी दवाई लेने गये थे, यह जानकारी मिल जाए।

श्री सभापति : आपने एक बार बस मिस करदी तो दूसरी बस का इंतजार कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, दवाई कौनसी लेते हैं। रोज कोई न कोई दवाई लेकर आते हैं और उसके बाद सदन के अंदर इतनी मधुर वाणी में बोलते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : (व्यवधान) यह मेरा समय नहीं जाया हो रहा है। मैं नहीं कटवाऊंगा समय। सभापति महोदय, इस मुल्क में सर्वविदित है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए लोगों का प्रतिशत 78 फीसदी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : आप की मदद तो हां पक्ष वाले ही करेंगे, ना पक्ष वाले नहीं करेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : शुक्रिया।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संसद में और विधान सभाओं में कृषि पर जब चर्चा होती है, यानि कृषि पर चर्चा नाममात्र की होती है, औपचारिकता पूरी होती है और घोटालों में संसद और विधान सभाओं का समय जाया किया जाता है। जो बात पांच मिनट में निपटाई जा सकती है, सदनों में उस पर दो-दो दिन, तीन-तीन दिन खराब कर दिये जाते हैं।

सभापति महोदय, देश का दुर्भाग्य कह लो कि चौधरी चरण सिंह जैसा नेता, जो किसानों का एकछत्र नेता हुआ, देश में 1977 में देश की राजनीति में पदार्पण किया। उनके जमाने में संसद में जो बहस चलती थी या किसानों की समस्याओं पर जो चर्चा होती थी वह मैक्जिमम संसद में होती थी। लेकिन आज हालात यह हैं कि हर्षद मेहता कांड हो गया, दो-दो महीने तक हर्षद मेहता कांड पर या दूसरे घोटालों पर संसद नहीं चलती है, सदन नहीं चलता है और समय जाया होता है। जो पांच मिनट में निपटाया जा सकता है कि इंक्वायरी मीट आउट की जा रही है। यह संसदीय समिति गठित की जा रही है। फलां एजेन्सी से जांच करायी जा रही है।

लेकिन अपर क्लास, जिसका खेती से कोई वास्ता नहीं है उनकी यह टेक्टिक्स है कि दूसरे मुद्दों पर, जो गौण हैं, उन पर सदन में चर्चा करके समय जाया कर दिया जाय ताकि किसानों की समस्या को सदन में बैठ कर नहीं निपटाया जा सके, उनको सोल्व नहीं किया जा सके।

सभापति महोदय, अभी बी.जे.पी. के

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मेरे मित्र माननीय सांवर लालजी कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आये तो किसानों के हमने दस हजार के कर्जे माफ किये। शायद वे भूल गये, यह बी.जे.पी. की गवर्नमेंट का कर्जे का इश्यू नहीं था। यह माननीय चौधरी देवीलालजी ने एक इश्यू इस देश में उठाया था कि किसानों पर जो कर्जे हैं, इण्डस्ट्रीज के कर्जे माफ कर दिये जाते हैं, उद्योगों पर कर्जे माफ कर दिये जाते हैं, लेकिन देवीलालजी का यह कहना था, यह सोच था, कि जो किसानों पर कर्जे हैं, और जो बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, वे कर्जे माफ करूंगा। यह देवीलालजी का, जनता दल का, लोक दल का, कुछ भी कह लो, उनका इलैक्शन मैनीफेस्टो था और उन्होंने उसको पूरा किया।

सभापति महोदय, मैं आप से आर.सी.डी.एफ. के मामले में दो बातें निवेदन करना चाह रहा हूं। अंग्रेज हो, उपनिवेशनवाद के बढ़ने का कारण केवल यह था कि किसी भी देश के कच्चे माल पर कब्जा कर लिया और इस कच्चे माल से जो तैयार माल है, उनको, उपनिवेशों को एक मंडी बना लो। अंग्रेज जब मुल्क में आये तो उनका नजरिया भी यही था कि हिन्दुस्तान के जो साधन हैं उनको दोहन कर लें और उनसे तैयार माल की यहां हिन्दुस्तान में हम को मंडी मिल जाए।

सभापति महोदय, 4 अप्रैल, 1992 को राजस्थान की सरकार ने आर.सी.डी.एफ. को, एन.डी.डी.बी. को सौंप दिया। और एन.डी.डी.बी. को जब सौंपा तब आर.सी.डी.एफ. पर केवल 29 करोड़ का कर्जा था। और हमारा सौंपने का मकसद यह था, एन.डी.डी.बी. से हमारी शर्तें तय हुई थीं वह यह थीं कि 29 करोड़ रुपये का जो आर.सी.डी.एफ. टोटे में, घाटे में जा रहा था या इस पर बर्डन है उसको एन.डी.डी.बी. भरपायी करेगी।

दूसरा, यह तय था कि अगर आगे कहीं घाटा आता है तो उसकी जिम्मेदार भी एन.डी.डी.बी. होगी। यह भी तय किया गया था कि गुजरात में किसानों को, पशुपालकों को दूध की जो रेट मिलती है वह रेट राजस्थान के किसानों को, पशुपालकों को दी जायेगी। सभापति महोदय, यह भी तय किया था कि जिला स्तर पर जो हमारे दुग्ध उत्पादक संघ हैं, उनको सक्षम बनाया जायेगा पावरफुल बनाया जाएगा उनके अधिकार बढ़ाए जाएंगे। आज क्या हालत हो गयी ? सभापति महोदय, आज 29 करोड़ से आर.सी.डी.एफ. का घाटा बढ़ कर 107 करोड़ का हो गया।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों शर्तों में से एक भी शर्त का पालन एन.डी.डी.बी. ने नहीं किया। उल्टा हुआ क्या कि जो हमारे से आर.सी.डी.एफ. ने कमाया, उसको तो ले जा रहे हैं गुजरात, और जो टोटा था, जो घाटा बढ़ता जा रहा है, वह घाटा आज तक नहीं दिया। और 1998 में तो एन.डी.डी.बी. मुकर गयी कि हम आपके घाटे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

(श्री जसमाल सिंह यादव)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं, इस एन.डी.डी.बी. को देने के बाद कर क्या रहे हो ? आपके 21 साल में घाटा आया 29 करोड़ और 1992 से आज 1998, यानि 6 साल में घाटा बढ़ गया, 29 करोड़ से 107 करोड़। तो हमारे जो आर.सी.डी.एफ. के अधिकारी या मैनेजमेंट था उनसे ज्यादा नाकाबिल निकला।

इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एन.डी.डी.बी. को विदा करो और उनसे 107 करोड़ के घाटे की भरपायी कराओ। जो आपकी चुनी हुई संस्थाएं थीं, दुग्ध उत्पादक संघ, और जो आपकी पांच हजार दुग्ध समितियां थीं, राजस्थान में उनको पावरलैस कर दिया। वे बेरोजगार बैठे हैं। किसानों को कुछ मिल नहीं रहा। गर्मियों के दिनों में तो सभापति महोदय, काउ बैल्ट जो बीकानेर है, उस काउ बैल्ट का तो दूध बढ़ता है और पूरे देश में दूध का अकाल हो जाता है, दूध का उत्पादन गिर जाता है। हमारा आर.सी.डी.एफ. दूध दे रहा है मदर डेयरी को, और मदर डेयरी है गुजरात सरकार की। सारा माल तैयार बन कर पाउडर के रूप में, घी के रूप में वह सब आ रहा है हमारे राजस्थान में। यानि कच्चा माल हमारा जा रहा है और तैयार माल प्रदेश में आ रहा है और उसी माल को हम ज्यादा भाव में खरीद रहे हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं, फिर कहोगे कि आरोप-प्रत्यारोप करना चाहते हैं, मैं कोई राजनीतिक द्वेषता की बात नहीं कर रहा हूं ना कोई आरोप लगा रहा हूं राठोड़ साहब, आप बीच-बीच में जरूर कहते हो कि आप आरोप लगा रहे हैं। 1990 में चुनाव हुए 16 जिला दुग्ध उत्पादक संघ के। 16 ही काबिल थे। 16 के 16 अध्यक्ष बने कांग्रेस के। और 1997 में चुनाव हुए। केवल 11 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव हुए, चूंकि इतने ही काबिल थे। 11 के 11 कांग्रेसी आये। लेकिन आर. सी. डी. एफ. के चुनाव कभी नहीं कराये क्योंकि कांग्रेस के लोग इस फैडरेशन पर कब्जा कर लेते, डेयरी पर काबिज हो जाते इसलिए यह नहीं कराये गये।

सभापति महोदय, अब मैं आप से इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय खड़े हो कर कहें, सदन को आश्वस्त करें कि जो +++ मैनेजमेंट है, जिन्होंने 29 करोड़ से बढ़ा कर घाटा कर दिया 107 करोड़, क्या उसको आप सक्षम मानते हैं ? मैं चौधरी तैय्यब हुसैनजी को कृषि के मामले में धन्यवाद देना चाहता हूं कि 50 फीसदी से बढ़ा कर जो राशि, जो किसान का भाव गिरता है, फसल अच्छी होती है भाव गिर जाता है, और फसल खराब होती है तो भाव बढ़ जाता है। किसान की स्थिति वो की वो रहती है। लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि स्टोरेज में किसान अपना माल

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ले जाय। आज के जो करंट रेट हैं, उसके 75 फीसदी भुगतान कर दे और जब भाव बढ़िया आये, अपना बेच लें। यह एक बढ़िया कदम भी है।

लेकिन आपने चुनाव में एक वादा और किया था। यह भी वादा आपने किया था कि हम फसल बीमा लागू करेंगे। आपने लागू भी की थी फसल बीमा। माननीय हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे तब आपने लागू की थी। लेकिन वो फसल बीमा नहीं था, सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा वह फसल बीमा था वो कम्पोनेंट का। यानि फसल चाहे सारी खराब हो जाय लेकिन कोआपरेटिव सोसायटी से जिस किसान ने लोन लिया खाद और बीज का, वो आपने माफ कर दिया। 66 करोड़ का बीमा किया था, आपको ध्यान होगा, आप भी सदन में थे। उसमें एक तिहाई की भरपायी की बीमा कम्पनी ने, 22 करोड़ की भरपायी की भारत सरकार ने, और 22 करोड़ की किसानों की भरपायी की थी राजस्थान सरकार ने। वह एक अच्छा कदम था आपका, लेकिन वह कदम भी आपने रोक दिया या यूं कहिये कि आपकी सत्ता चली गयी। उसके बाद इन्होंने रोक दिया। याद होगा मोटवानीजी की बच्ची की शादी थी। भैरोंसिंहजी और जनता दल ने इस सदन को नहीं चलने दिया था इस मांग को लेकर कि फसल बीमा लागू की जाय।

लेकिन 1990 में जब भैरोंसिंहजी की सरकार वापस लौट कर आ गयी तो वह भी वादा भूल गयी। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम कांग्रेस की गवर्नमेंट जिसने वादा किया था कि हम फसल बीमा लागू करेंगे, कम्प्लीट तरीके से आपको फसल बीमा लागू करनी चाहिए।

कपास के मामले में अभी एक—डेढ़ महीने पहले डिबेट हुई थी, सेमीनार हुई थी। सभापति महोदय, सारे वैज्ञानिकों ने हाथ उठा दिये। आपने देखा होगा पंजाब में, राजस्थान में, दूसरी जगह पर किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं। कपास की फसल लगातार तीन-चार साल से खराब होती जा रही है और आज के हमारे यह वैज्ञानिक यह अभी तक तय नहीं कर पाये हैं कि यह बीमारी क्या है। और हाथ उठा दिये और कहा कि यह बीमारी हमारे बस की नहीं है। तो जिन किसानों की फसल चौपट हो जाती है उनके लिए मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। कृषि मंत्रीजी, ऐसे प्रयोग करिये ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके।

सभापति महोदय, आज हालत क्या हो रही है, आज सब्जी का उत्पादन करने वाले जो भी किसान हैं, वे आज बरबादी के कगार पर हैं। गोभी बिक रही है 30 पैसे प्रति किलो। प्याज को कोई पूछ नहीं रहा। टमाटर बिक रहा है 20 पैसे प्रति किलो। मैं आप से, कृषि मंत्रीजी से यह चाहता हूं कि जो किसान फसल पैदा करता है, जो सब्जी का उत्पादन करता है, उनका भी आप ध्यान रखें कि उनकी लागत लग जाती है और वो जिस तरह से बरबाद होते हैं,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उनको भी आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए।

सभापति महोदय, एक ही मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पशुपालन मंत्रीजी, मैं आप से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं, आपके जिले में और मेरे जिले में एक भयंकर रोग पैदा हो गया है "सिंथेटिक दूध" का। आये दिन अखबारों में आप देखते रहते हो कि बनावटी दूध का एक टैंकर पकड़ा गया, दो टैंकर पकड़े गये। अलवर में, राजगढ़ में, मालाखेड़ा में जो टैंकर हरियाणा से आते हैं उनमें सिंथेटिक दूध पकड़ा गया।

सभापति महोदय, सिंथेटिक दूध कैसे बनता है? पानी में पाउडर मिलाया जाता है, मिट्टी का तेल मिलाया जाता है और उससे दूध बन जाता है। यह रोज, आये दिन अखबारों में छप रहा है।

लेकिन सिन्थेटिक दूध और सिन्थेटिक घी पर अभी तक राजस्थान सरकार कोई प्रभावी रोक नहीं लगा सकी है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि यह सिन्थेटिक की जो बीमारी है, और कृषि मंत्रीजी, आप उधर बात कर रहे हैं। तैय्यबजी,....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह बीमारी फैलायी है हरियाणा के और आपके जो मूल निवासी हैं, वहां के लोगों ने। आपको मालूम होगा कि तावडू और बड़कली में ये दूध के फार्म बने हुए हैं, दूध की डेयरी बनी हुई हैं जो सिन्थेटिक दूध का व्यापार करते हैं। आपने पहले तो हरियाणा में फैलाया। अब यह टोटल गोरख धंधा अलवर और भरतपुर जिले में पनप गया है। इसलिए मैं आपसे ध्यान चाहूंगा कि इस पर मुस्तैदी से और कड़ाई से सरकार पालन करे।

मैं इतनी ही बात कहकर खतम करना चाहता हूं। पशुपालन मंत्रीजी, इस राजस्थान की डेयरी को अगर बचाना है तो आप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, आप एन.डी.डी.बी. को विदा करके आर.सी.डी.एफ. को मैनेजमेंट सौंप दें। और उनको विदा करने से पहले राजस्थान के 107 करोड़ रुपये उनसे वसूल कर लो। कैसे करोगे यह आप जानो, क्योंकि आपने ही एग्रीमेंट किया था। हम अभी संभालने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमने एग्रीमेंट नहीं किये।

श्री हरिसिंह (महुआ): अब खतम करो।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं बैठ ही जाऊं। आप आसन पर हैं इसलिए संयत रहूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमला बृजलाल। (अनुपस्थित) माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 और 39 पर अपने विचार रख रहा हूं। (व्यवधान) भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है इसका

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

प्रमाण सिन्धु घाटी सभ्यता से मिलता है। इससे पता चलता है कि हजारों वर्ष पूर्व इस देश में कृषि होती थी। जब देश आजाद हुआ उससे पूर्व मैं आपको ले जाऊंगा। बंगाल की भुखमरी, इतिहास के पन्ने हैं। यहां इस देश में बिना अनाज के लोग भूख से मर गये। देश आजाद हुआ। हमारे कर्णधारों ने इस ओर विचार किया। मैं पण्डित नेहरु का नाम नहीं भूलूंगा। उन्होंने बड़े-बड़े बांध बनाकर इस देश में कृषि उत्पादन के लिए बड़ा आयोजन किया।

मान्यवर, मुझे याद है कि सन् 1950 के दशक में आस्ट्रेलिया से लाल ज्वार हमारे पशुओं के लिए आयी थी और हमने खुद ने खाई थी पश्चिमी राजस्थान में। वह दिन मुझे याद है। मैं श्रीमती इन्द्रा गांधी को नहीं भूलूंगा जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन की मार्फत इस देश में हमें अनाज में आत्मनिर्भर किया और किसानों की स्थिति को ऊंचा उठाया। अभी वर्तमान में बजट भाषण में जिस तरह से प्रोविजन्स रखे हैं। पांच हजार करोड़ का प्रोविजन इस बजट में रखा है कृषि के लिए।

मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को। इस आयोजन के लिए हमें बहुत प्रगति करनी पड़ेगी। बजट भाषण में मैंने एक निवेदन किया था कि राजस्थान एक स्थिति पर पहुंचा था जहां हमारा तंत्र एक टेक-ग्राफ इकोनोमी की स्थिति में था। गत वर्षों में हम पिछड़ गये। मेरा आरोप नहीं है किसी पार्टी पर। आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है कि हम इसमें पिछड़ गये। विशेषकर मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूं जहां हमने दो-ढाई हजार करोड़ की इन्दिरा गांधी नहर का आयोजन किया। हम एक रिवोल्यूशन लाना चाहते थे। हमारे द्वितीय फेज में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ की चर्चा आती है। जैसलमेर हम दोनों जिलों में अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। पानी हमारा पहुंच चुका है। एक बहुत आवश्यक काम में हम पिछड़ गये। यह आठ वर्षों की विगत के कारण से जो देश में अन्न उत्पादन पांच सो करोड प्रतिवर्ष का होता था, उसमें हम पिछड़े हैं।

मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कृषि की ओर ध्यान दिया है। मान्यवर, मेरे इलाके में कृषि अनुसंधान अभी से नहीं, वर्षों से हुआ है। हमारी पल्लीवाल संस्कृति थी। हमारे देश में जहां खड़ीनों का विकास किया, एनीकट की चर्चा चली, सैकड़ों वर्ष पूर्व हमने पानी को रोककर किसी तरह से रबी की फसल करते थे। एक नमूना है जो मित्र देखना चाहें उस अनुसंधान को उस जैसलमेर के इलाके में, उन पल्लीवालों के खड़ीन को देख सकते हैं।

मान्यवर, सन् 1956 का वर्ष मुझे याद है। इस सदन में स्वर्गीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने खड़े होकर घोषणा की थी कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा भू-गर्भ जल है। जब चोहटन का पहला ट्यूब वैल खुदा था, हमें लगा था कि हम बहुत बड़ी क्रांति कर पायेंगे उस क्षेत्र में। कुछ वर्ष पूर्व, आठ–दस वर्ष पूर्व हमने 700 कुएं खुदवाये। हम चाहते हैं कि इन कुओं के

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

माध्यम से, भू गर्भ जल के माध्यम से, हम कृषि का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र बनायें परन्तु इन आठ वर्षों में हम बहुत पिछड़ गये। कुछ कुएं बढ़े, विद्युत आयी पर आज भी सन 1995 का बैकलॉग चल रहा है. विद्युत की सप्लाई नहीं मिल रही, उनको कनेक्शंस नहीं मिल रहे।

मैं हमारे विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें सिर्फ पैकेज हमको देना चाहिए। सात सौ ट्यूब वैल का एक पैकेज जो छोटे से क्षेत्र में, चांदनबाड़ी सिरीज में, जो कृषि क्षेत्र का एक पैकेज बनाकर उसे विकसित करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उपनिवेशन के क्षेत्र में चर्चा कर के बजट में 200 करोड़ का प्रावधान रखा है कि इस धरती को वेचकर के उस भूखण्ड को वहां आवंटित कर, मुझे लगता है कि निश्चित ही इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बहुत बड़ा कृषि का उत्पादन होगा।

अनुसंधान के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि कुछ वर्ष पूर्व चांदनबाड़ी सीरिज में ही जेठा फार्म तैयार किया था। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बीज फार्म ग्रोइंग जेठा आज भी खण्डहर बना हुआ है। वहां चार-चार ट्यूब वैल्स हैं, भवन बने हुए हैं। भू-आवंटन है, वह खण्डहर बन चुका है। इन आठ वर्षों में यदि वह खण्डहर बन चुका है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे हम बीज गुनफाम जेठा को विकसित कर सकें। मुझे सौभाग्य मिला कुछ वर्ष तीन वर्ष काजरी की गवर्निंग कोंसिल में रहा। किस तरह से अनुसंधान किये जाते हैं देश में। यह दुर्भाग्य है कि हमारी लेबोरेट्री से फील्ड तक जाने का जो प्रावधान है, हम उसमें पिछड़ गये हैं। हमारे जो अनुसंधानकर्ता हैं काजरी में अनुसंधान करते हैं कृषि के माध्यम से। उसको हम फील्ड तक नहीं पहुंचा पाये।

इसलिए राज्य सरकार से विशेषकर कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनायें जिससे हम उस अनुसंधान को फील्ड तक पहुंचा सकें। इस बजट में बीस हजार सैट फव्वारा पद्धति का रखा हुआ है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर का जो पानी हमारे जिले में आया हुआ है हार्ड पैन है। आज हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ की जो स्थिति है, कुछ वर्ष बाद हम भी उस स्थिति में पहुंचेंगे। वहां जिप्सम है। छः या सात फिट पर जिप्सम की खदानें हैं।

मेरा निवेदन है कि कृषि क्षेत्र में 20 हजार सैट जो पूरे राजस्थान में किया है, केवल एक ब्लाक के अन्दर हम हजारों सैट वहां एंगेज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग और सैट का एक विशेष प्रोविजन कर विशेष पैकेज इन्दिरा गांधी कैनाल में रामगढ़ और मोहनगढ़ के बीच में रखेंगे। जो सैंड की प्राब्लम है जो वाटर लागिंग की प्रोब्लम कुछ वर्ष बाद आने वाली है, वह जायेगी। हमें एक विशेष पैकेज इन्दिरा गांधी नहर के पूरे साइन्टिफिक कल्चर के

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हिसाब से करना होगा तभी जाकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे।

खाद बीज की चर्चा की। यह ध्यान में है कि हमारे उस पल्लीवाल संस्कृति में भी यह कम्पोस्ट खाद की बात करते हैं। उन हर घर में। आपने देखा होगा प्लानिंग है। हर गांव के आगे उनके पिट्स हैं। उन पिट्स के आधार पर वह खाद बनाकर उस समय कम्पोस्ट खाद की व्यवस्था, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने अपने गांवों में कर रखी थी। वह एक उदाहरण ही है।

मान्यवर, विपणन की चर्चा की, परन्तु, दस मिनट का समय मुझे दिया है, इस विषय पर बोलने के लिए काफी समय चाहिए। परन्तु मैं, I will talk on points only. विपणन की चर्चा जो आपने की, इन्दिरा गांधी नहर में पानी आ चुका है। करीब 100 किलोमीटर पानी आगे बढ़ चुका है परन्तु हमारी कमाण्ड एरिया डवलपमेंट मण्डी की व्यवस्था पिछड़ चुकी है। बराबर साइमल्टेनियसली यदि व्यवस्था चले तो मुझे लगता है कि उस नहर को गति आनी चाहिए। हम कृषि उत्पादन में आगे बढ़ पायेंगे। दस मंडियों का प्रोविजन्स हमारे उस क्षेत्र में है। दस नयी मण्डी डवलप होंगी। पुराना, एक बिलकुल बेरन क्षेत्र जहां, कोई आबादी नहीं है, हमें नयी आबादी बसानी है।

(16.00 बजे)

इन्दिरा गांधी नहर के सैकण्ड फेज में 100 नये गांव बसाने हैं। वहां कोई आबादी नहीं है। नये किसान बसेंगे, दस लाख हैक्टेयर जमीन हम अण्डर फ्लो लेकर पायेंगे। दस लाख हैक्टेयर जमीन के फ्लो के अन्दर कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा इसकी कल्पना आप कीजिये। मुझे लगता है बहुत बड़ी कृषि रिवोल्यूशन उस क्षेत्र में आने वाली है, उस ओर मैं कृषि मंत्रीजी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो कृषि अनुसंधान केन्द्र आपके बने हुए हैं, महज एक-एक चौकीदार के भरोसे आपने केन्द्र छोड़ रखे हैं। आज हर किसान को खाद बीज क्या बोना चाहिए, नये किसान हैं उनको ध्यान नहीं है। वह पशुपालक थे पशुपालक से अब किसान बनने जा रहे हैं। उस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके अनुसंधान केन्द्र काम करें और किसान को बतायें कि आज की तारीख में, आज के दिन कौनसी फसल बोनी है उसमें कितना पानी देना है, कितना खाद देना है। इसकी ओर कृषि मंत्री जी विशेष ध्यान दें।

सड़कों की चर्चा की, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़कें कृषि विपणन बोर्ड बनाती है। अभी मैंने देखा बजट स्पीच में कुछ सड़कें हैंड ओवर की जा रही थीं पी. डब्ल्यू. डी. को। बनाये कृषि विपणन बोर्ड, और हैंड ओवर करें पी. डब्ल्यू. डी. को। जिम्मा वो ले, यह व्यवस्था नहीं चलेगी। आप पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रांसफर कीजिये पैसा, वह बनाएं। बनाये कोई और, व्यवस्था देखे कोई और। यह व्यवस्था अच्छी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इतने फण्ड्स आप ट्रांसफर कीजिये पी.

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

डब्ल्यू. डी. को कि कृषि विपणन बोर्ड की सड़कें वही बनायें; क्योंकि बजट भाषण में आपने कहा कि उसको सौंपने वाले हैं।

मण्डारण की व्यवस्था मुझे लगता है कि कृषि उत्पादन होता है, बाजार का बनिया जाकर के खरीद लेता है। हमारे क्षेत्र के नये किसान, फसल पैदा हुई नहीं। अनुमान के आधार पर उनके सौदे हो गये। इस तरह से किसान का शोषण हो रहा है। तो यह भण्डारण और जो व्यवस्था आपने कर रखी है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, उस व्यवस्था को उस फील्ड तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था करनी होगी। तभी जाकर के नया किसान उस ओर पनप पायेगा, ऐसा मेरा मानना है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिये, मैं समाप्त कर दूंगा।

नहरी क्षेत्र में जहां डेजर्ट है वहां वृक्ष बोये गये हैं, बबूल बोये गये हैं। मेरा ऐसा मानना है जैसे फलदार वृक्षों की बात थी, उद्यान लगाइये वहां पर जिससे कि हमारी रेत रुके, रेगिस्तान रुके और साथ-साथ वह उत्पादन दे पायें।

मैं कृषि पर यहीं समाप्त करके पशु–पालन की चर्चा करूंगा। मेरा क्षेत्र मुख्य पशुपालन क्षेत्र ही है। मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है। हमारी अर्थव्यवस्था का बीस प्रतिशत पशु-पालन है। देश का, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बीस प्रतिशत पशुपालन के आधार पर है, यदि हम उस ओर विशेष ध्यान देंगे। अभी गाय की चर्चा की हमारे मित्रों ने। हमारा थारपारकर ब्रीड का क्षेत्र था। थारपारकर ब्रीड हिन्दुस्तान की ऐसी ब्रीड है जिसका बुल और दूध दोनों मिलाकर के ऐसी है जो अकाल भी सहन कर सकती है, वह दुर्भिक्ष में रह सकती है। उस क्षेत्र में थोड़ा सा घास, थोड़ा सा दाना खाकर जिन्दा रहने वाली ब्रीड है। वह खतम सी हो गयी। हमने एक बुल मदर फार्म लगाया था। हमने कुछ वर्षों में उसको यूनिवर्सिटी को दे दिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा सरकारी फार्म हैंड ओवर कर दिया। जब हम बुल बनाते थे तो बुल मदर फार्म था, हम बुल बनाकर हर पंचायत को बुल दिया करते थे। वह व्यवस्था खतम हो गयी।

पशुपालन मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह देखें। वह थारपारकर बुल्स तैयार होते हैं, पंचायतों को फ्री दिया करते थे वह बुल्स पंचायत में जाएं और हमारी नस्ल बचे।

अभी हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। सीमान्त क्षेत्र में गोबंदी के नाम पर गुजरात में बैल नहीं जा रहा है। हमारी समृद्धि बैलों से हुआ करती थी। जिस आदमी के पचास बैल बिके, वह समृद्ध माना जाता था। आज बैल बंदी बंद है। गुजरात के बोर्डर पर बैल रोके जाते हैं। ट्रक भरकर, लाकर वापस जैसलमेर में छोड़ दिये जाते हैं। उसका परिणाम यह

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हुआ कि हमारी थोड़ी बहुत जो नस्ल बची थी थारपारकर की, स्ट्रे बुल्स सारे जिले में घूम रहे हैं। हजारों बुल्स घूम रहे हैं। उन बैलों से परेशान हैं।

मेहरबानी करके सरकार इस बात पर सोचे कि इन बैलों का क्या करना है। हम गौ को पालना चाहते हैं, गौ सदन की चर्चा होती है तो करें। बैठकर विचार करें इसके बारे में कि जो बैल हम गुजरात को भेज नहीं रहे हैं, गुजरात को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो सदियों से करते आये हैं। बोर्डर पर फैन्सिंग हो चुकी है। जो लोग कहते थे पाकिस्तान बुल जाते हैं वह बंद हो चुके। फैन्सिंग हो चुकी है। इन बैलों का हम क्या करें इस ओर सरकार को सोचना चाहिए। विशेषकर पशुपालन मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि बैलों का हम क्या करें कि यदि बैल हमारे उपयोगी नहीं हैं तो गौ सदन बनाकर बाड़े में बंद कर दीजिये जिससे कि वह स्वतः ही खतम हो जाएं। पर इस तरह का न करें कि हमारी थारपारकर नस्ल समाप्त कर दी और वह बुल हमारे खेतों और खलिहानों में जाकर न्यूसेंस क्रियेट कर दे। इस ओर विशेष ध्यान देवें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां कृषि और पशुपालन ही मुख्य है मुझे समय नहीं देंगे तो फिर किसको समय देंगे ? मान्यवर, फोडर की चर्चा आयी। सबसे अच्छा सेवण घास मेरे इलाके में ही होता है। हमने फोडर बैंक की व्यवस्था की थी।

माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है उन आठ वर्षों में उस फोडर बैंक की व्यवस्था को खतम कर दिया गया। अब कुछ अकाल पड़ा है। हम घास के लिए मुंह ताक रहे हैं हरियाणा से, पंजाब से और मध्य प्रदेश से, जबकि फोडर बैंक की स्कीम थी, हर तीसरे वर्ष उस फोडर को हम स्टोर करके रखा करते थे। हमने पूछा कि यह क्यों किया आपने तो कहा कि वह तो जल गया। भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार से, जलने से हमें क्या लेना देना। हजारों लाखों हैक्टेयर भूमि वन विभाग की फैन्सिंग करके हमने रखी है। सेवण घास जिसका फोडर बैंक बनाकर हम स्वावलम्बी थे, बाहर भेजते थे, उस व्यवस्था को खतम किया। मैं कृषि मंत्री जी और दोनों को कहूंगा कि उस ओर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : दूध की डेयरी की चर्चा आयी। मेरे यहां से दूध जाता है। दूध जाकर के कहीं ठंडा होता है। ठंडा होकर वापस जैसलमेर आता है। तो मेहरबानी करके जो दूध हम उत्पादन करते हैं वहीं हमारा चिलिंग प्लाण्ट लगाकर या कूलिंग व्यवस्था करके हमको सप्लाई कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रही हूं । हमारा राष्ट्र इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहा है । यह वर्ष हमारे लिए उत्सव और खुशियां मनाने का है । हम भाग्यशाली हैं । एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में इस राष्ट्र को जाते देख रहे हैं । अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में जो बौद्धिक एवं राजनीतिक अराजकता आयी है, उस अराजकता से हम अपने प्रदेश को बचाने की कोशिश न करें। हमारे प्रयास होने चाहिए कि हमारे प्रदेश के नव निर्माण के लिये, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और खास तौर से राजस्थान अपना अलग स्थान रखता है । कृषकों से इस नव निर्माण की हमें शुरूआत करनी चाहिए ।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने कृषि के लिए काफी अच्छा बजट और नये प्रावधान दिये हैं ।

मैं आपका ध्यान मेरे बूंदी विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित कर रही हूं जो राजस्थान का पंजाब है । गंगानगर के बाद बूंदी जिले का ही नाम आता है । छोटी काशी कहलाने वाला बूंदी कृषि से भरपूर है । जहां पर्यटन, कृषि, खनन की विपुल संभावनाएं हैं ।

माननीय सभापति महोदय, बूंदी में कृषकों के लिए जो विपुल संभावनाएं हैं, उसका मैं आज थोड़ा बहुत ब्यौरा देना चाहूंगी । बूंदी में अगर कृषि में कहीं कोई अड़चन आती है तो केवल पानी की वजह से आती है। बूंदी की उपजाऊ मिट्टी, वहां के किसान की मेहनत अलग रंग लाकर दिखाती है । किन्तु जब पानी की कमी आती है तो हमारी हाई प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ी जो अड़चन है, वह पानी है ।

सभापति महोदय, कृषकों के लिए और खेती के लिए पानी श्वास का काम करता है । जब उसकी कमी होती है तो सर्वांगीण विकास में कृषकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । और सच पूछिये तो बूंदी इतना ज्यादा सम्पन्न कृषि की वजह से ही है । जहां हर घर में आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा, जीप भी मिलेगी और कार भी मिलेगी । पानी है, किन्तु समय पर कृषकों को नहीं मिल पाता । यह अफसोस की बात है । तो इसके लिए मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से यह कहना है कि सबसे पहला काम तो यह हो कि पानी किसान को समय पर मिले । बूंदी में 100-200 बीघा जमीन का एक बहुत बड़ा फ्रूट गार्डन हुआ करता था जिसका नाम ईश्वरी फ्रूट गार्डन था । और आज हालत यह है कि वह गार्डन बबूल के कांटे सहन कर रहा है । उसकी नारंगी, अमरूद और अनार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है । उसमें डिप्टी डाइरेक्टर की जो पोस्ट थी उसको बारां शिफ्ट कर दिया गया ।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि उस पोस्ट को वापस कायम करके उस 100 बीघा के ईश्वरी फ्रूट गार्डन को वापस शुरू करवायें । बूंदी के किसान मुंह अबामी जब कहते हैं कि

(श्रीमती ममता शर्मा)

शुरू में जब खेती करते थे तो केवल 10 किलो बाजरी अपनी साइकिल पर बांधकर और बेच कर आया करते थे और आज हालत यह है कि जब से नहरों का जाल बिछा, सात-सात दिन हमारे चावल के ट्रैक्टर्स का मंडी में बिकने का नम्बर नहीं आ पाता। बूंदी में प्रमुख खेती चावल, गन्ना, गेहूं, सोयाबीन और मक्का की है। मक्का की खेती धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। टेल एरियाज में मक्का की खेती होने लगी है क्योंकि मक्का को पानी की जरूरत कम होती है। गन्ने की खेती इसलिए कम होते जा रही है क्योंकि गन्ना का बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का, उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। और खास तौर से जो शुगर मिल्स चल रही हैं वह ठीक से गन्ना ले नहीं पा रही हैं।

अगर चावल की खेती को हमें चरम सीमा पर ले जाना है तो सबसे पहले सरकार को हाई क्लास क्वालिटी का बीज हमें देना होगा। अभी मण्डी में रोज 20 हजार बोरी चावल बिक रहा है। अगर हमें इससे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करना है तो, अगर हमें सरकार से सुविधा मिल पायी तो 40 हजार बोरी चावल मण्डी में बेचा जा सकेगा और उससे हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी। बूंदी का चावल एक्सपोर्ट हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की स्ट्रेटजी बहुत डेडीकेटेड होनी चाहिए। राज्य व जिला स्तर पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की या किसानों की कमेटीज को गठित करना चाहिए। उनकी आयोजन समितियां बनानी चाहिए और उन समितियों को निर्णय लेने के पूरे-पूरे अधिकार भी मिलने चाहिए ताकि वह अच्छे-बुरे निर्णय ले सकें। वहां के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ-साथ उन सदस्यों का होना अति आवश्यक है जो भावनात्मक रूप से जनता से जुड़े हुए हैं।

अगर वह जनता से जुड़े हुए होंगे तो उनके कष्टों को पहचान पायेंगे और उनको निवारण करने का पूरा-पूरा प्रयास भी कर पायेंगे। ब्लाक व पंचायत स्तर पर भी ऐसी कमेटियों का गठित होना अतिआवश्यक है। पिछले वर्ष ढ़ाई सौ करोड़ का उत्पादन हुआ। इस उत्पादन को दुगना करने के लिए बाजड़, अंधेड़, तालेड़ा और लबान डिस्ट्रीब्यूटरीज को ठीक करना होगा। उनकी मरम्मत की अत्यन्त आवश्यकता है। चावल की पैदावार दुगनी होने से हमें कई फायदे हैं। इंटरनेशनल मार्केट व मध्य पूर्वी देशों में यही चावल 80 रुपये किलो बेचा जाता है, इसलिए सरकार को निर्यात में वृद्धि करनी होगी। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की इससे आय और ज्यादा बढ़ेगी। वहां जहां ट्राइबल एरियाज हैं, पठारी क्षेत्र हैं वहां राइस प्रोग्राम लिया जाना चाहिए। क्योंकि वहां पानी की कमी होने की वजह से वह पठारी क्षेत्र में चावल नहीं कर पाते और उस चावल का स्वाद कमांड एरिया के चावल से कहीं ज्यादा अच्छा है। वहां एक नया बांध जो बना था सन 1984–85 में चांदा का तालाब के नाम से उसकी वजह से जो वहां सिंचाई हो रही है।

(श्रीमती ममता शर्मा)

यह जानकर आपको खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि भीलों ने ट्रैक्टर्स खरीद लिये। ट्राइबल जब इतने ऊपर आ रहे हैं तो उसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि उन्हें और प्रोत्साहन देना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी हमारी स्कीम होनी चाहिए। नरबदा बांध जिसका सर्वे तो चल रहा है और सर्वे पूरा होते ही जल्दी से जल्दी यदि उसका निर्माण होता है तो 43 गांवों को उस बांध से फायदा मिलेगा। इस परियोजना से, इस बांध से पठारी क्षेत्र के 43 गांव, जिसकी 9189 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से सामान्य तौर पर 7351 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मेरा खास निवेदन है। कृषि मंत्रीजी से मैं कहूंगी कि वह सिंचाई मंत्रीजी को इस बात के लिए बार बार कहें कि किसी भी तरह से इस बांध का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और इसमें पक्षपात बिलकुल नहीं होना चाहिए। पैदावार को बढ़ाने के लिए माननीय सभापति महोदय सबसे ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़कें, अच्छे कीटनाशक, अच्छी खाद अगर हमारे किसान को उपलब्ध करवायी गयी, अच्छे स्पेयर्स न्यू टैक्निक अगर उनको दी गयी तो मैं सोचती हूं कि हमें बहुत ज्यादा लाभ मिल पायेगा। जो फसलें इतनी रेवेन्यू देती हो उस जगह की सड़कों पर ध्यान देना हमारी सरकार का खास कर्तव्य बनता है।

यहां पर माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब भी विराजमान है। उनसे भी मैं कहूंगी, और माननीय कृषि मंत्रीजी से मैं कहूंगी कि कृषि उपज मंडी के माध्यम से नाबार्ड के माध्यम से, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से हमें अच्छी से अच्छी सड़कें उपलब्ध करवायें। सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना होगा। भूमि विकास बैंक के जरिये किसान को ऋण मिले यह हमारे प्रावधान होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां लीड बैंक, बैंक आफ बड़ौदा है। बैंक आफ बड़ौदा ने लोनिंग बंद कर दी। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगी कि जो छोटा किसान है उसको कम से कम क्राप लोन तो मिलना ही मिलना चाहिए। वह नहीं मिलने की वजह से किसान सब तरफ भटकता रहता है। समय पर बीज नहीं मिलता उसे। क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। जब तक लोनिंग का काम नहीं होगा हम चरम सीमा पर पैदावार को नहीं पहुंचा सकते। और चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खेतों को वेल लेवल्ड करना होगा ताकि पानी की आवश्यकता कम पड़े। नदियों की वजह से मिट्टी कट-कट करके एक जगह से सिमट करके चली जाती है जिससे खेती करने में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। इसके लिए सोयल कन्जरवेशन प्रोग्राम की आवश्यकता है।

अगर यह प्रोग्राम हुआ तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं कुएं, तालाब, नाले, उनका हम फायदा उठा सकेंगे। खास तौर से गर्मी के मौसम में कुओं की खुदाई और सफाई हो

(श्रीमती ममता शर्मा)

तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको हमारा किसान काम में ले पायेगा। इस माइनर इरिगेशन को लार्ज स्केल पर लेना चाहिए।

एक निवेदन और करूंगी। हमारे यहां सोयल टैस्टिंग लेब नहीं है। जहां इतना बड़ा कृषि का एरिया हो और वहां सोयल टैस्टिंग लेब ना हो, हमारे किसानों को बहुत परेशानी आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगी 1995 में इसका प्रावधान वहां था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस लेब को टोंक में लगाया गया और बूंदी उससे वंचित रह गया। एक तरफ जब हम कहते हैं कि बूंदी राजस्थान का दूसरा पंजाब है तो कम से कम वहां पर इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, सबने बहुत-बहुत समय लिया है महिलाओं को तो खास तौर से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देना ही चाहिए।

श्री सभापति : 10 मिनट की समय सीमा है। आप अच्छा बोल रही हैं। कृपया संक्षिप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : उस समय, माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की प्राक्कलन समिति गयी थी। और इस समिति ने इस बात को रियलाइज किया था कि यह गलत हुआ है कि बूंदी में सोयल टेस्टिंग लेब नहीं लगी। तो मेरा कहना है कि इस मुद्दे पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एक मुद्दा और है। 10 सालों से बूंदी में एग्रीकल्चर कोलेज की बहुत जबरदस्त डिमांड चल रही है। आज मुझे बोलने का मौका दिया है इसका मैं जरूर फायदा उठा कर माननीय कृषि मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहूंगी कि यह कोलेज हमें जरूर दें क्योंकि वहां पी.जी. के बाद स्टूडेंटस को कुछ करने के लिए भी नहीं है। और कृषि प्रधान एरिया है तो वहां इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। मण्डी व्यवस्था जो है, वह थोड़ी बिगड़ी हुई है और कांटे उठा लिये जाते हैं। इन दिनों कांटें नहीं हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि कांटे लगाये जायें और सुव्यवस्थित रूप से किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए हमें आस-पास के गांवों में भी कांटे लगाने चाहिए ताकि किसान को अपना अनाज लाने में उतनी दिक्कतें ना आये। (व्यवधान) जनता के रास्ते में नहीं, समझने की कोशिश कीजिये। तोलने वाले कांटे की बात कर रही हूं।

श्री सभापति : आप कृपया प्रोवोक न हों। Kindly address the Chair.

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, बासमती चावल तो हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है। 80 रुपये किलो में बाहर जाता है। उसकी, और बारीक

(श्रीमती ममता शर्मा)

चावल की अलग-अलग रेट फिक्स होनी चाहिये।

महिला होने के नाते एक बात अवश्य कहूंगी कि महिलाओं को खेती के कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिये। उनके लिए एडवांस टैक्नीक के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किये जाने चाहिये जिसमें महिलाओं की भागीदारी पूरी रहे। महिलाओं की भागीदारी जो रखी जाती है वह कटाई के वक्त रखी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि वह ट्रैक्टर भी चलाएं, वह बीज भी बोयें, ऐसा कुछ कार्यक्रम महिलाओं को दें। और आपकी तरफ से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाएं, ऐसी समिति गठित की जाए जो महिलाओं के लिये लाभदायक हो। इस प्रोग्राम के दौरान अगर पानी नियमित रूप से मिलेगा तो हमें हाई प्रोडक्शन के लिये भी सहारा मिलेगा।

सभापति महोदय, हमारे यहां सोयाबीन की खेती बहुत अच्छी होती है। सोया आयल मिल भी बहुत हैं और सोया फैक्टरी का स्कोप भी बहुत है। उसको बढ़ाने के लिये अगर सोया के उत्पादन में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो मैं सोचती हूं कि सरकार के लिए रेवेन्यू और रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त ही करने जा रही हूं। मैं एक और निवेदन करना चाह रही हूं कि पिछले दिनों जयपुर में कृषि विज्ञान कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी।

मैं इतना सा पूछना चाहती हूं, हमें इन बातों से अवगत कराया जाए कि उस कृषि विज्ञान कांग्रेस कमेटी ने यहां आकर क्या-क्या प्रावधान रखे हैं। कौन-कौनसी सिफारिशें लागू की हैं, उससे सदन को अवगत कराया जाए ताकि हम अपने क्षेत्र में इसके बारे में बता सकें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया; उसके लिये धन्यवाद कर रही हूं। माननीय कृषि मंत्री जी से बहुत-बहुत उम्मीदें लेकर और वित्त मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करके अपना स्थान ग्रहण कर रही हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आज कृषि और पशुपालन की मांगों के ऊपर आपके आदेश से मैं अपने विचार रख रहा हूं।

सभापति महोदय, शास्त्रीजी ने एक नारा दिया था 'जय जवान, जय किसान'। शास्त्रीजी के उस नारे के आधार पर आज किसान की चर्चा यहां पर हो रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब से देश में कांग्रेस ने शासन संभाला; 40 साल तक लगातार शासन किया था। उन्होंने ज्यादातर वह नीतियां बनायीं;

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जिनसे किसान खुशहाल हुआ। हमारा यह भारत वर्ष, यह भारत मां जो बाहर से अनाज मंगाते थे, विदेशों से अनाज मंगाकर खाते थे, लेकिन यह देन है कांग्रेस की, कि आज कांग्रेस के कारण हम हमारा जो अनाज है उससे हम स्वयं का पेट पालन करते हैं और दूसरों को भी देते हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर न भाखरा डेम था न चम्बल डेम था, न इंदिरा नहर थी। हमारे यहां यह सारी उन्हीं की देन है। उन महापुरुषों की देन है। पंडित जवाहर लाल नेहरु, श्रीमती इंदिरा गांधी और आदरणीय श्री राजीव गांधी, जो देश से चले गये लेकिन आज भी उनके महान कार्य सारे किसानों के लिये याद आते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां का किसान जो कि सबसे ज्यादा खुशहाल माना जाता है, उसके बावजूद भी बड़े दुख की बात है, आज किसान के सामने जो समस्या है बहुत बड़ी, हमारी सरकार ने आ करके कुछ जरूर अच्छे काम किये हैं, बाकी 9 साल तक जो दूसरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की रही थी, जो आज सेण्टर में भी बैठी हुई है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कभी किसानों के बारे में विचार नहीं किया। आपने कृषि मंत्री बनाये तो ऐसे बनाये जिनको यह पता नहीं बाजरा क्या होता है, बर्क क्या होता है, गेहूं क्या होता है और जौ क्या होता है। यह हालत तो आप लोगों की रही थी। आज भी आपके दिल्ली में जो मंत्री बैठे हुए हैं, किसानों के लिये आपने क्या किया मैं बताता हूं। आपने खाद को महंगा कर दिया। आप किसान विरोधी हो और इसके लिये सारे हिन्दुस्तान के लोग आपको गाली देते हैं। सारा किसान गाली देता है आपको।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय जो सबसे बड़ी बात है..(व्यवधान) आपने जो याद करायी बड़ी अच्छी बात है। किसान की इस समय सबसे बड़ी बात फसल बीमा योजना की है। अभी आज मैंने पहले भी अपने शून्यकाल के अन्दर निवेदन किया था कि हमारे किसानों की फसल के मामले में कितनी दिक्कतें आती हैं। कभी कोई रोग लग जाता है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है। कभी अति-वृष्टि हो जाती है और सबसे ज्यादा अगर अबकी बार कोई नुकसान हुआ है किसानों को, तो अग्निकांडों से हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, परसों की बात है, चार लाख की सरसों की फसल जल करके नष्ट हो गयी। किसान ने अपनी सरसों बड़ी मुश्किल से पैदा की थी। किस प्रकार से कितना महंगा बीज लाया, कितना महंगा खाद लाया। ट्रैक्टर की महंगी जोत करायी उसने। किस प्रकार से महंगा पानी दिया और किस प्रकार से महंगी बिजली ले करके उसने अपनी खेती को तैयार किया था। जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, उसको बड़ा करता है, इंजीनियर बना देता है। और उसके बाद अगर उसकी मौत हो जाती है तो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उस बाप पर क्या गुजरती है। यही हालत हमारे किसान की हुई। किसान ने अपनी सरसों को पैदा किया। खलिहाल में ला करके रख दिया। 40 किसानों की सरसों की फसल एक ही जगह रखी हुई थी। सारी फसल में आग लग गयी और उनको भारी नुकसान हुआ। आज त्राहिमाम् मची हुई है। मैं स्वयं वहां मौके पर गया था। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया। आज भी वहां अग्नि प्रचंड हो रही है।

इसलिये मैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के सामने सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो वह है फसल बीमा योजना। आप जो लोग मजाक उड़ा रहे हो, आप किसान नहीं हो। +++ कि आज आपको मजाक सूझ रही है...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, परसों तो यह यहां विधान सभा में थे।

श्री सभापति : Please don't disturb him. कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये मैं आपके माध्यम से उस किसान की पीड़ा को आपके सामने, इस सदन के सामने निवेदन कर रहा हूं जिसकी फसल जल करके नष्ट हो गयी। मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि यहां सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाए कि फसल बीमा योजना, माननीय कृषि मंत्री जी, सबसे पहले आप लागू करायें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाया जाना चाहिये। जब आपने अन्य को उद्योग का दर्जा दे रखा है, उनको लोन भी मिल जाता है। और भी कोई नुकसान हो जाता है तो कई प्रकार की सहायताएं मिल जाती हैं। लेकिन कृषि को उद्योग का दर्जा आज तक आपने नहीं दिलाया।

मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिये ताकि किसानों को लाभ हो सके।

तीसरा, मैं निवेदन कर रहा हूं किसान को जब फसल तैयार हो जाती है, किसान जब मंडी के अन्दर अपनी फसल को ले जाता है तो वहां पर उस समय उसके बिचौलिये होते हैं। उसका सारा मुनाफा वह लोग खा जाते हैं। सबसे ज्यादा घाटा ही घाटा उसको वहां होता है कि वह जिस समय बेचने जाएगा तो उस समय फसल सस्ती हो जाएगी। जिस समय वह फसल बेचता है, उस समय सस्ती और उसका

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अगर समय निकल जाता है उसके बाद वही फसल महंगी हो जाती है। और जब किसान बेचने जाता है, मंडी के अन्दर आपके इंसपैक्टर होते हैं माननीय मंत्रीजी, वह इंसपैक्टर लोग सेठों से मिल जाते हैं, और मिल करके बोली लगवाते हैं। इसीलिए तो आपका कृषि का टैक्स है। आपका जो मंडी का टैक्स है उस टैक्स की भी चोरी होती है। किसान को भी घाटा होता है और टैक्स की भी चोरी होती है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जो आपने इस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं कि इंसपैक्टर वहां मौजूद होगा। उसकी देखरेख में सारा टैक्स वसूल होगा, इसमें आपकी कहीं भी किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जा रही है। इसमें बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सारा सेठों को लाभ मिल रहा है इसमें।

आपने कोल्ड स्टोरेज के लिये जो व्यवस्था की है उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों के लिये बहुत बड़ा न्याय किया है। इससे भी किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ फिर भी मेरा निवेदन है कि फसल के लिये आप मूल्य निर्धारण करें कि जिस समय वह फसल पैदा होगी, जिस समय किसान को वह बेचने की जरूरत पड़ेगी, शादी–विवाह के लिये जरूरत पड़ेगी, माननीय सहकारिता मंत्री जी यहां विराजमान हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप भी एक कार्ड बना रहे हैं किसानों के लिए, जिससे लोन दिया जाएगा। वह लोन को अपने किसी भी काम के लिये ले सकता है। अगर आपकी वह योजना चालू हो जाएगी तो हमारे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्रीजी विराजमान हैं, उन्होंने जो किया है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं माननीय कृषि मंत्रीजी, मेरे यहां कृषि उपज मंडी का यार्ड बन चुका है। नयी कृषि उपज मंडी का निर्माण हो चुका है। पूरा भवन बन चुका है। सारा कार्यक्रम हो गया, लेकिन एक साल से बन्द पड़ा हुआ है। इनके भाग्य में तो उद्घाटन नहीं था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे कृषि उपज मंडी के भवन का उद्घाटन करें ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को जो खाद और बीज दिया जाता है, वह वास्तव में सही खाद, बीज नहीं मिल रहा है। इसमें बड़ी मिलावट चल रही है। नकली खाद, बीज का जो उपयोग किया जा रहा है इसकी भी आप जांच करायें। जिस समय किसान को बीज की आवश्यकता होती है उस समय उसमें मिलावट चालू हो जाती है। जिस समय खाद की आवश्यकता होती है, खाद में मिलावट चालू हो जाती है। इसलिये इसके लिये आप कोई विशेष एजेंसीज बैठावें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कि जिस समय किसान को आवश्यकता हो उस समय खाद, बीज उनको उचित मूल्य पर मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले करौली के अन्दर कोई भी महाविद्यालय नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे जिले के अन्दर और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कृषि महाविद्यालय अगर आप खोल दें, तो मैं हमेशा आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां पर सारे लोग, 100 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं। और जहां के किसानों के बल पर हम जीतकर के आते हैं और लगातार वहां का किसान आपको, कांग्रेस को वोट देता चला आया है। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की शक्ल तक उन्होंने नहीं देखी है। लगातार कांग्रेस को जिताया है। अब की बार तो वहां के किसान ने इन लोगों की सबकी जमानत जब्त करायी है। एक की भी जमानत नहीं बची। यह सब वहां के लोगों की देन है। हमारे किसान की देन है। वह खुशहाल किसान जो हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहा है, जिसने कांग्रेस के द्वारा दिये हुए आशीर्वाद को हमेशा ही लिया है। ऐसे क्षेत्र के अन्दर अगर आप महाविद्यालय खोल देंगे तो यह क्षेत्र आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डाकू भी रहते हैं वहां पर।

श्री परदासी लाल : नहीं, नहीं, टोडाभीम में नहीं रहते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, इसके बाद मैं पशुधन के बारे में निवेदन करूंगा। माननीय पशु मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। मंत्री जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आने के बाद हमारे लिये सबसे बड़ी देन पशु चिकित्सालयों की दी है। अब की बार बजट के अन्दर उन्होंने इतने पशु चिकित्सालय हमको दिये हैं उसके लिए मैं उनको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं....(व्यवधान) इनसे तो अच्छे हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। डेढ़ सौ तो दे दिये इन्होंने।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें। Please don't disturb him.

श्री जगमाल सिंह यादव : 150 तो आप लोग खुद ही हो। तीन तो आप लोगों में से ही रह जायेंगे।

श्री सभापति : We will take care of that. आप कंटीन्यू करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, यह तो प्रथम साल ही है। अभी इंतजार कीजिये। हमारा तो 5 साल राज रहेगा। और 50 साल और रहेगा, यह भी मैं गारंटी देता हूं।

श्री सभापति : हां, कंटीन्यू रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए सभापति महोदय, मैं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने हमको दे दिये, औषधालय तो बहुत दे दिये, लेकिन यह भी अपर्याप्त हैं क्योंकि आप कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर पर निश्चित रूप से एक पशु चिकित्सालय खोलने की मेहरबानी करेंगे ताकि आपका नाम हमेशा के लिए रोशन हो जायेगा। वह मूक बधिर पशु जो बोलता नहीं है, इंसान तो बोल लेता है। उसके बीमारी होती है तो कह देता है और भूख लगती है तो पुकारता है। लेकिन वह पशु, उसका कोई भी रखवाला नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, आप जैसे भले आदमी इस पशु के लिए जो कुछ करेंगे तो उसके लिए आपसे भगवान भी खुश होगा। इसलिए आप इन पशुओं की रक्षा करना चाहते हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो चरागाह भूमि है जो गांव-गांव में चरागाह भूमि है, वह इसलिए हुआ करती थी कि इसमें गायें चरा करती थीं। कृष्ण भगवान कभी जंगलों में गाये चराया करते थे और शाम को वापस लौटते थे तो सारे लोग उनका इंतजार करते थे। आज सारी दुनिया उनको भगवान के रूप में कृष्ण भगवान को पूजती है। उस समय यह चरागाह बनाये हुए हैं। लेकिन दुःख की बात है।

सभापति महोदय, इन चरागाहों पर आज कब्जा हो रहा है। गायों की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सारे गांवों से चरागाह नष्ट होता चला जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, एक प्रस्ताव इस प्रकार का पारित किया जाये कि जितनी भी चरागाह भूमि है उस सबसे अतिक्रमण को आप हटवा दें। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में मेंहदीपुर बालाजी में आपको 40 बीघा चरागाह भूमि है जिसके ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिये। प्लाट काट रहे हैं। एक-एक प्लाट 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख का बिक रहा है। प्रशासन मूक होकर बैठा हुआ है और उस चरागाह भूमि को बिकवा रहा है। इस प्रकार से लगातार चरागाह भूमि पर कब्जे किये जा रहे हैं।

इसलिए अगर इस पशुधन को आपको बचाना है माननीय पशु चिकित्सा मंत्री महोदय, तो आप सरकार को इस बात के लिए पाबंद करें कि आपकी चरागाह भूमि को ये खाली करवायें।

पिछली सरकार की कथनी और करनी में अंतर था। यह गायों और ब्राह्मणों की बात किया करती थी। लेकिन मैंने इसी सदन में जब कई बार गायों और चरागाहों की बात रखी तो इस+++ सरकार ने मेरी बातों का जवाब तो देना दूर रहा एक बीघा भूमि को भी खाली नहीं करवाया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप ने भी अगर चरागाह भूमि को खाली नहीं करवाया तो जनता में इससे हमारी आवाज सही नहीं जायेगी । इसलिए मेहरबानी करके इस जमीन को खाली करवायें ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट ओनली ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा हमारे जल ग्रहण के बारे में । जल ग्रहण वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है । इसके अंदर एनीकट वगैरह बनाये जाते हैं ।

सभापति महोदय, पानी का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है । आज जिस प्रकार मनुष्य का स्तर गिरता चला जा रहा है, सबका चरित्र गिरता चला जा रहा है, इसी प्रकार गंगा मां भी 300, 400 और 500 फीट तक पहुंच चुकी है । चुनाव भी आते हैं तो लोग झूठी कसम खाते हैं गंगा मैया की, और कोई बात आती है तो झूठी कसम खाते हैं गंगा मैया की। गंगा का नाम लेकर के फायदा उठा करके, राम का नाम ले लेकर के फायदा उठाकर, के गंगा मैया को पाताल में पहुंचा दिया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गंगा मैया की कसम तो पूरा आपका टोडाभीम के सब लोग कहते हैं....(व्यवधान) गंगा की कसम खाते हैं ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय ...

श्री सभापति : That is sufficient.

श्री रामस्वरूप मीणा : यह जो जल ग्रहण नीचे होता चला जा रहा है, इसके लिये आप योजना बनायें, तालाब बनायें, एनीकट बनायें....

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : और इस प्रकार की योजना बनायें ताकि हमारा पानी ऊंचा हो सके ।

श्री सभापति : बिराजें । माननीय सदस्य बिराजें । धन्यवाद ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके साथ में पुनः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना बहुत जल्दी लागू करवायेंगे । और पुनः आपसे एक निवेदन डेयरी के बारे में और करूंगा....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जायें । अब सफिशिऐंट हो गया ।

श्री रामस्वरूप मीणा : डेयरी के बारे में अभी हमारी आर.सी.डी.एफ. इसको तो आपने मान्यता ही खत्म कर रखी है और आपने नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के बारे में जो कुछ कर रखा है, यह वास्तव में हमारे लिये बहुत बुरी बात है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है नेशनल डेयरी डवलपमेंट, इसको आपको समाप्त करना चाहिए और हमारी जो आर.सी.डी.एफ. है इसको लागू करना चाहिए और उनसे पैसा वसूल करना चाहिए। इसी के साथ आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री यशवन्त सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं। अब रोटेशन के हिसाब से भी इधर से आना चाहिए।

श्री सभापति : वापस विपक्ष से है। थ्री इन टू वन का रेशो मेन्टेन कर रहे हैं। माननीय सदस्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह बात नहीं कि प्रतिपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देंगे।

श्री सभापति : नहीं, आपके प्रतिपक्ष से बोले हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बोलना चाहें तो आप बोल लीजिये। मैं बाद में बोल लूंगी। पहले बोलना चाहें, बोल लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : सभापति महोदय, आज सदन के समक्ष कृषि और पशुपालन की मांगों पर चर्चा हो रही है। ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई ये दोनों मांगें हैं, और इसके सम्बन्ध में जितने भी कटौती के प्रस्ताव दिये हुए हैं उनके जरिये इन दोनों ही विभागों में सुधार हो जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरे। यह हमारा सबका लक्ष्य है।

आज राजस्थान के अन्दर पशु धन हमारे मनुष्यों की आबादी से भी अधिक है। हमारी आबादी 4.40 करोड़ है लेकिन पशुओं की जो आबादी है वह 543.48 लाख है और कुक्कुट उसमें शामिल नहीं है वह 43.80 अलग हैं और कुत्तों की संख्या भी 16 लाख अलग है।

मेरे कहने का मतलब यह था कि जहां राजस्थान में विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, बारिश की कमी यहां पर सम्पूर्ण तरीके से या तो हमेशा बारिश होती नहीं है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि तो कभी बिलकुल ऐसी वृष्टि की जो फसल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के लिए, एक साथ लगातार बारिश हो जाती है और फिर लम्बे समय तक खिंच जाती है तो करीब-करीब खरीफ की फसल भी हमारी खराब होती है। सिंचित क्षेत्र प्रथम योजना से लेकर के अब तक हमने बढ़ाया तो जरूर है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक 24 परसेन्ट ही जो खेती लायक जमीन है उसे हम सिंचित बना पाये हैं।

मैं निवेदन यह कर रही थी कि इन विषम परिस्थितियों में हम किसी प्रकार से हालांकि 1952-53 के अन्दर जितना खाद्यान्न का उत्पादन उस समय होता था 35-20 लाख टन और आज हो रहा है 140 लाख टन, मतलब बहुत प्रगति तो हमने की है लेकिन मैं सदन की जानकारी में भी लाना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी की जानकारी में भी लाना चाहती हूं कि उर्वरक, कीटनाशक और बीज यह तीनों चीज, यह कृषि के लिए आदान हैं। उत्पादन के संवर्धन के लिए आधार हैं और इन तीनों ही चीजों के बारे में जिस तरह की व्यवस्था कृषि विभाग ने कर रखी है वह संतोषजनक नहीं है।

मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि आपका यह प्रगति प्रतिवेदन 1998-99 को मैंने पढ़ा। इसमें आपने रासायनिक उर्वरकों के बारे में, उनकी लगातार बढ़ोतरी के बारे में दर्शाया है। लेकिन किसानों को आज भी इस बात की जानकारी नहीं देते कि धरती की खुराक तो गोबर की खाद है। धरती की खुराक तो रासायनिक खाद नहीं है रासायनिक खाद केवल फसल की खुराक है और इसलिए गांव में कहते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल जब करते हैं तो लोग कहते हैं कि जमीन उतर गई। जमीन इसलिए उतर गयी कि उन्होंने फार्म मैन्योर का प्रयोग तो किया नहीं और केवल रासायनिक खाद का प्रयोग वह करते रहते हैं और उससे फिर धरती उतर जाती है। धरती की खुराक तो रासायनिक खाद नहीं है वह तो जैविक खाद है।

मैं यह निवेदन कर रही थी कि शुरू-शुरू में जब पंचायतीराज शुरू ही हुआ था तब किसानों को इस बात की जानकारी दी जाती थी कि आप खड्डा खोदकर, गोबर को उसमें डालिए, उसमें कूड़ा-कचरा डालिए और फिर पानी डालकर इस पर मिट्टी डाल दीजिए ताकि खाद में दस गुना शक्ति हो जाए। इसे कम्पोस्ट खाद कहते हैं। लेकिन अब इसके बारे में इतना प्रचार-प्रसार नहीं है। अब केवल रासायनिक खाद का ही ज्यादा प्रचार-प्रसार है।

इसी तरह से जितने भी कीटनाशक हैं सब स्पूरियस, सब एक्स्ट्रेटेड हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी खेती करती हूं, मुझे खेती के बारे में जानकारी भी है। सरसों की फसल पर तीन-तीन बार छिड़काव करने के बाद भी चेपा छोड़ता ही नहीं है सरसों को, यह हालत है। तो जो स्पूरियस और एक्स्ट्रेटेड कीटनाशक हैं, उनके बारे में हालांकि भारत सरकार ने कानून बना रखा है, उसमें पहले का बना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हुआ कानून था, 1986 में सुधार भी किया, 1983 में भी बनाया था, इतना कठोर कानून राजस्थान सरकार को भी बनाना चाहिए कि जो नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशक दवाईयां देकर; उस व्यक्ति को जो धरती का दिल चीरकर मेहनत करता है और इस समाज का भरण-पोषण करता है, अपने आपको पांच महिने तक पौष की कड़कड़ाती सर्दी में जब सब लिहाफ ओढ़े सोये रहते हैं तब खेत में खड़ा रखता है, जब उसको एडल्ट्रेटेड कीटनाशक, बीज, खाद और दवाइयां मिलती हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, इसकी कल्पना सब नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि इस कानून को और कठोर बनाने की आवश्यकता है।

अभी मैं परसों अखबार में पढ़ रही थी कि कोटा में ज्वार को लाल रंग में रंगकर, उन्नत बीज बताकर किसानों में बांट दिया गया, जो 15 दिन तक उगी ही नहीं, चारे के रूप में 15 दिन तक जिसका जर्मीनेशन नहीं हुआ।

कृषि मंत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आपको इस बात की ओर देखने की आवश्यकता है कि कीटनाशक, बीज और खाद स्पूरियस न हों, एडल्ट्रेटेड न हो ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमको इस प्रगति प्रतिवेदन में यह बतलाया गया है, कहीं मैंने इसमें देखा है कि चारे के मिनी किट, उन्नत बीजों के मिनी किट सैंकड़ों-हजारों की तादाद में बांटे गए हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि कब मिलते हैं, किसे मिलते हैं। नाम लेते हैं कि सीमांत को मिलेंगे, लघु को मिलेंगे, जिसके पास दो बीघा जमीन है, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि निर्धन को, किसान को, गरीब को फायदा न पहुंचाया जाए, यह जो आप देते हैं लेकिन वह उसका उपयोग तो करता ही नहीं है। वह तो उसको किसी दूसरे को बेचता है। दो बीघा जमीन पर कहां से कर लेगा? इन सारी योजनाओं का लाभ आपके जो उत्पादनकर्ता काश्तकार हैं, उनको देने की आवश्यकता है। सीमांत और लघु के खिलाफ मैं नहीं हूं लेकिन इसका पूरा फायदा वे नहीं ले पाते।

मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि फव्वारा सैटों पर उसको 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है, जो लघु और सीमांत किसान हैं, ठीक है आप उनको दीजिए। राजस्थान में 3 लाख कुओं से सिंचाई होती है। नहरी क्षेत्र अलग है, तालाब से सिंचित क्षेत्र अलग है। तो इतने लोगों को आप केवल 5 हजार मिनी किट बांटते हैं, चाहे वह चारे का हो, उन्नत बीज का हो, किसी और चीज का हो, इससे क्या मतलब है, यह केवल दिखावा मात्र है। क्योंकि ये मिनी किट भारत सरकार से आते हैं, 75 प्रतिशत तो इसमें भारत सरकार का अंशदान होता है, राज्य सरकार का होता है 25 प्रतिशत, पता नहीं कि विभाग वाले कहीं बंदरबांट करते हैं या और कोई करता है लेकिन असली काश्तकार तक नहीं पहुंच पाता है, यह तो मैं आपको कह सकती हूं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि 20 हजार फव्वारा सैट देना कहकर बजट भाषण में लिख कर आपने संतोष कर लिया। इससे पहले 22 हजार सैट दिए गए थे पिछले वर्ष, यह 50 प्रतिशत अनुदान तो पिछली भाजपा सरकार भी दे रही थी, यदि आप भी यही देंगे तो कौनसी तारीफ हुई, इसे बढ़ाइए आप, 50 से 75 प्रतिशत करिए, नहीं तो 60 प्रतिशत तो कम से कम करिए, तब तो कोई बात है वरना लीक ही आप पीटेंगे और फव्वारा सैट की संख्या भी पचास हजार करिये उसमें कोई विशेष अन्तर नजर नहीं आने वाला। अब तो जवाबदेह और पारदर्शी सरकार आई है, ऐसा किसान को पता नहीं लगने वाला है। इसलिए, पता लगाने के लिए, वह समझ सके कि हां, हुकूमत बदली है। और अब हुकूमत संवेदनशील है और जवाबदेह भी है। इसलिए अनुदान बढ़ाकर 50 प्रतिशत से ज्यादा करना चाहिए। फव्वारा सैटों की संख्या भी 20 हजार की बजाय 50 हजार कीजिए तभी आपका खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता है।

इसके साथ-साथ मुझे पशु पालन के विषय पर भी निवेदन करना है। हमारे देश भारतवर्ष के पशुधन द्वारा उत्पादित दुग्ध का 10 प्रतिशत, अण्डों का 20 प्रतिशत, ऊन का 40 प्रतिशत, मांस का 30 प्रतिशत, राजस्थान का पशुधन देता है। इनके ऊपर आपका बजट क्या है? मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूं कि आज से पांच साल पहले पशुओं की उन्नत किस्म में जो गुणवत्ता थी, वह आज नहीं है। अभी परसों के अखबार में फोटो आया था कि ऊंटों पर एम्ब्रयो प्लांट करके एक बच्चा और एक बच्ची पैदा हुई लेकिन राजस्थान की जिस दुग्ध की श्वेत क्रांति के बारे में आप बात करते रहते हैं, उस श्वेत क्रांति के बारे में, गौ-वंश पर एम्ब्रयो प्लांट करने के बारे में आपने नहीं सोचा?

(16.47 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने पहले विदेशी नस्ल के सांड इम्पोर्ट किए थे, वह सांड भी अब नहीं है। किसानों को फायदा देने के लिए, श्वेत क्रांति का मन में विचार करके आपने बस्सी में जर्सी गायों का केन्द्र शुरू किया था। क्या हालत है उसकी, जरा जाकर देखिए तो सही। वे भी तमाम इस समय बिक गई हैं, नीलाम हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि, मैं वैसे देशी नस्ल के खिलाफ नहीं हूं, थारपारकर, साहीवाल, राठी हमारी एग्जोटिक ऐसी ब्रीड्स हैं, जो बहुत बढ़िया ब्रीड्स हैं। दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से भी और हमारे देश की जलवायु में रहन-सहन के दृष्टिकोण से भी, बहुत अच्छी हैं।

लेकिन क्रोस ब्रीडिंग के जरिए (व्यवधान) मेरे पास तो विदेशी हैं क्योंकि विदेशी नस्ल उनसे ज्यादा दूध देती है, इसलिए हैं मेरे पास। मुझे यह गौरव प्राप्त है, मैंने राजस्थान में होपर में फर्स्ट प्राइज प्राप्त

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

किया था। मेरी बीस महीने की बछड़ी दूध देने लग गई थी, ब्या गई थी।

आपने जयपुर में पशु चिकित्सालय को पालीक्लिनिक तो बना दिया लेकिन यहां पर भी जो सुविधाएं पहले थीं जैसे ए.आई. की सुविधा, आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन आदि, ये सुविधाएं पहले जैसी नहीं हैं। न आपके पास बढ़िया सीमेन है, न वह सुविधा है जो पहले थी।

इसलिए मैं चाहूंगी कि पशु पालन मंत्रीजी इस बारे में विचार करें। धीरे-धीरे आपके स्वयं के विभाग के डाक्टर भी इस बात को मानेंगे कि आज से पांच साल पहले जयपुर शहर में और राजस्थान में भी उन्नत किस्म की पशुओं की, गायों की जो हालत थी, वह आज नहीं है। डेटोरियोरेट हो गई हैं, इसलिए डेटोरियोरेट हो गई है कि विदेशी ब्लड है, वह एक सीमा तक, 50 प्रतिशत और साढ़े 62 प्रतिशत तक ठीक है लेकिन उसके बाद जब ज्यादा बढ़ता है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वे जल्दी बीमार होते हैं और उनकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम 50 प्रतिशत और साढ़े 62 प्रतिशत तक ही उस ब्रीड को रखें तभी वह हमें अच्छे परिणाम में दुग्ध के हिसाब से और ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से भी, यहां की जलवायु में सस्टेन कर पाएगी। वरना जितना ही ब्लड बढ़ेगा उतना ही पशु छोटी साइज का होगा और उसके दूध की क्षमता कम होती चली जाएगी।

हरियाणा के वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उन्होंने एक बार कहा कि मुर्रा भैंस और हरियाणवी गाय, इन दो को अच्छा बनाने के लिए, उन्नत करने के लिए आप जितना भी पैसा चाहो उसकी कोई कमी नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूं आप भी एक बात कहिए कि या तो हमें थारपारकर, साहीवाल, राठी ये तीनों बहुत अच्छी किस्म की हैं और डोसाइल भी हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की गाय दूध तो ठीक देती है, बछड़े भी अच्छे होते हैं, लेकिन वे उतनी डोसाइल नहीं होती, थोड़ी गर्म स्वभाव की होती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : शेखावाटी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह शेखावाटी ब्रीड तो हरियाणा वाली ही कहलाती है। वह भी थोड़ी नागी होती है। मैं एक बात निवेदन कर रही थी। इन ब्रीड्स को आप.. (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में टोकाटाकी करते हैं तो मैं अपना क्रम भूल जाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और कोई नहीं टोक रहा है, यह तो आप दोनों का आपसी मामला है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय

(श्री हरिसिंह (महुवा))

सात बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाता है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रस्ताव तो ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया प्रस्ताव । इतनी फोर्मेलटी में कहां उलझें । सार की बात करें कोई । माननीय सुमित्रा जी ।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन से वापस, कृषि पर चूंकि मेरा कटौती का प्रस्ताव है, मैं वापस उस पर आना चाहूंगी । आज खेती करने वाले किसानों को, जयपुर के विकास के कारण परेशानी हो रही है । आपको जयपुर नगर का विकास करना है इसलिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है ।

मैं चाहूंगी जैसे बाम्बे के अन्दर होरिजेन्टल विकास न होकर वर्टिकल विकास हो रहा है, आप वर्टिकली इमारतें बनाएं ताकि किसान उजड़े नहीं, क्योंकि यह उस का पुश्तैनी धंधा है और पुश्तैनी धंधे को छीनते हैं तो वह जयपुर आकर बनती हुई इमारतों में पत्थर व सीमेंट का गारा ढोने के अलावा और कुछ काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बदले में न तो आप उसके बच्चे को नौकरी देते हो, उसकी जमीन भी ले लोगे, उसे भूमिहीन भी बना देंगे और फिर उसके पास कुछ नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या एक और है । उसके बाद में आपके पास सब्जी, दूध ये सब जयपुर के आसपास में 15-20 किलोमीटर के इलाके से आता है वह कहां से आएगा? कहां से दूध आएगा, कहां से सब्जी आएगी । इतने बढ़िया बाग थे सांगानेर के अंदर आम के । रामजी काक का आमों का बाग इतना बढ़िया हुआ करता था कि वे देखने और खाने काबिल आम थे, लेकिन वह सब उजड़ गए । जयपुर शहर को बसाने में वे सारे बगीचे उजड़ गए ।

मैं निवेदन कर रही थी, फल-फूट की बात छोड़िए, इस सारी कृषि में मुझे बड़ा अफसोस है कृषि मंत्रीजी, कहीं भी फल के बारे में, होर्टिकल्चर के बारे में एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। इतनी मोटी किताब आपने हमको दी है..

एक माननीय सदस्य : मशरूम है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मशरूम कोई फल नहीं है । मशरूम सब्जी है, फल नहीं है । मैं फल की बात कर रही हूं, आप सब्जी पर आ गए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी इस पुस्तक के अंदर कहीं भी होर्टिकल्चर, फलोद्यान का कोई जिक्र नहीं है । इसका मतलब यह है कि हम केवल अनाज पर ही निर्भर करेंगे और फलों की तरफ हमारा कहीं कोई कृषि मंत्रीजी, ध्यान नहीं है । सांगानेर की तरफ दूर तक सब कुछ उजड़ गए है, धीरे-धीरे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सब उजड़ जायेंगे, लेकिन फिर भी चौमूं की तरफ, कालवाड़ की तरफ अभी भी जमीन है, जयपुर का विस्तार करें तो केवल वर्टिकल करिए, लेकिन उन किसानों को बर्बाद न कीजिए, उनको आबाद रहने दीजिए, उन की जमीन को अधिग्रहीत न करें इसके बारे में भी मुझे निवेदन करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रासायनिक खाद की कीमत लगातार बढ़ रही है, हालांकि इसमें यह कहकर हमें संतोष प्रदान किया गया है कि एक टन पर इतना अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान का क्या करें, साल-दर-साल कीमत तो बढ़ रही है इसलिए इस अनुदान का क्या किया जाए ? आपने यह कहकर, जिसे कहना चाहिए, भरमाने का प्रयत्न किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि संक्रामक बीमारियों के लिए हालांकि इसमें टीकाकरण की ओर बातें कहीं हैं और लम्बे-चौड़े आंकड़े भी दिए हैं कि हमने यह किया है, वो किया है, लेकिन फिर मैं कहना चाहती हूं आपके जो उन्नत ब्रीडर्स हैं उनकी कम से कम लिस्ट होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट जाकर उनको कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके यह कहें कि इस महीने में आपको यह टीका लगाना है ताकि आपका पशु इस बीमारी से बच सके। यह भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए।

अब यही निवेदन करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मेरे यहां दो स्थानों पर, जहां पर दूर-दूर, क्योंकि आपका क्राइटेरिया है कि 10 किलोमीटर की दूरी और 7,500 जहां पर गोवंश है वहां पर हमें पशु औषधालय खोलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आपका जो क्राइटेरिया है जिससे आप कर रहे हैं उसमें 17 हजार के ऊपर एक पशु औषधालय आज के दिन है। तो 10 किलोमीटर तक चूंकि कोई भी दूसरा पशु औषधालय नहीं है तो मेरे यहां दो पशु औषधालय एक तो तोगड़ा खुर्द और एक विशनपुरा ब्राह्मणों की ढाणी, खोलने के बारे में भी मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव दिए हैं।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी से और पशुपालन मंत्रीजी से यही निवेदन करते हुए कि मैंने जो मांग रखी है उसके बारे में वह अपना जवाब भी देंगे और जवाब ही नहीं देंगे बल्कि उनके बारे में कार्यवाही भी करेंगे, जो कुछ मैंने उन्हें सुझाया है और जो मैंने शिकायतें बतायी हैं उनके बारे में वे निश्चित तौर पर कुछ उपाय करने की कोशिश करेंगे, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सदन में पेश कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कृषि के सम्बन्ध में बोलने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में हिन्दुस्तान की पूरी जो भूमि है उसका जो जल उपलब्ध है, उसमें हमारे पास केवल

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

एक पर्सेन्ट ही सतही जल उपलब्ध है। साथ ही साथ हिन्दुस्तान की 10.4 प्रतिशत भूमि राजस्थान में है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हमारा दसवां स्थान आता है। हम जनसंख्या के क्षेत्र में लें तो राजस्थान में देश की 5.2 पर्सेन्ट जनसंख्या है जबकि जनसंख्या वृद्धि दर, जैसा कि माहिर साहब कल कह रहे थे राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 पर्सेन्ट है, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर केवल दो पर्सेन्ट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कुल भूमि है उसके बारे में हम देखें तो हम केवल 9.9 पर्सेन्ट भूमि को ही कृषि क्षेत्र में काम में ले रहे हैं जबकि यही भूमि एम. पी. में 12.6 पर्सेन्ट है और यू. पी. में 14.1 पर्सेन्ट भूमि कृषि के क्षेत्र में काम में ली जा रही है। इसमें से सिंचित क्षेत्र केवल 32.6 प्रतिशत है। अगर हम राजस्थान में देखें तो प्रति हैक्टेयर जो रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं वह राजस्थान में केवल 34.8 पर्सेन्ट है, एम. पी. में 37.8, गुजरात में 77.5 किग्रा, यू. पी. में 99.3 किग्रा, और पंजाब में 147.7 किग्रा है। इन सब बातों से कहना चाहता हूं हमारे प्रदेश का जो कृषि उत्पादन है उसके संबंध में ग्रहम भूमिका जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसमें 40 से 45 पर्सेन्ट हिस्सा कृषि या कृषि से सम्बन्धित आय से होता है। चूंकि हम अगर प्लान आउट-

(17.00 बजे)

ले देखें तो उसमें पूर्व की सरकारों ने जो प्रोवीजन, मैं केवल दो के लिये ही कहना चाहता हूं 1997–98, 1998–99 के लिए, हम तुलना करें तो देखते हैं कि जो हमारा प्लान रिवाइज्ड एस्टिमेट था 283.34, बजट एस्टिमेट था 320.2, उसका घोटाला इन्होंने रिवाइज्ड करके 283.34 कृषि के क्षेत्र में किया। उसी तरह से 1998–99 का हमारा जो बजट था 341.36, जो हमारे प्लान में था, उसको घटाकर राजस्थान सरकार ने 308.81 कर दिया और 1999–2000 में हमारी सरकार ने इसको 335.69 किया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लान में खर्च करने के कारण यह हुआ करता है कि हम कृषि पर कितना ध्यान देना चाहते हैं। अगर प्लान में पूर्व की सरकारों ने अच्छे पैसे दिए होते तो निश्चित रूप से कृषि का उत्पादन बढ़ता। लेकिन अगर हम कृषि के उत्पादन का पिछले दो सालों का आंकड़ा लें तो जहां खरीफ फूड ग्रेन्स था, हमारा जो उत्पादन था, वो हमारे बाजरे का घटकर 1997–98 में 25.11 लाख टन से घटकर 11.34 आ गया, जिसमें गिरावट है 54.84 प्रतिशत की। मक्का का जो हमारा उत्पादन था वो 1997–98 में 12.17 लाख टन था वह घटकर 6.42 रह गया। इसमें गिरावट आई 47.25 प्रतिशत की। उसी तरह से खरीफ फूड ग्रेन्स की जो बुवाई थी, जो 1997–98 में थी वो 85.24 लाख हैक्टेयर थी। वह घटकर 67.36 ही रह गई। इनमें गिरावट आयी 18 प्रतिशत की। उसी तरह खरीफ फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन हमारा था उसमें अगर रबी की फसल को

(श्री आर. पी. शर्मा)

देखें, रबी में गेंहू का हमारा 1997-98 में उत्पादन 67 लाख से घटकर 64 36 रह गया। उसी तरह जो का उत्पादन भी हमारा घट गया। हमारे बजट में पहली बार राजस्थान की सरकार ने यह सोचा है कि हमारा राजस्थान, जिसकी 80 प्रतिशत आजीविका कृषि पर आधारित है उसके लिए हमने पहली बार 200 लाख हैक्टेयर भूमि पर बुवाई का लक्ष्य रखा है और 126 लाख टन हमारा खाद्यान्न उत्पादन और 36 लाख टन तिलहन का लक्ष्य रखा है। उसके साथ ही रासायनिक खाद का 20 लाख टन का लक्ष्य रखा है और 4 लाख रुपए का प्रमाणित बीज देने के लिए लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बजट में कृषि के क्षेत्र में सरकार की काम करने की मंशा है।

चूंकि पूर्व की सरकार के बारे में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जब तक प्रशासनिक तरीके, टैक्नीकल टैक्नोलोजी यूज नहीं करेंगे, हम कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। हमारे प्रबंधन के पितामह हेनरी साहब हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 'to put a right man at right Place.' उसके कहने का मतलब यह था कि किसी संगठन के शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वह अज्ञानी है अनुभवहीन है, तो उस संगठन का तो निश्चित रूप से विनाश होगा ही, उसकी प्रगति नहीं हो सकती।

उसी तरह से कृषि के क्षेत्र में राजस्थान की पूर्व सरकार ने जहां तक एक मौका इस बात का मिलना चाहिए था टैक्नीकल और एग्रीकल्चर के बी.एससी.(एजी.) स्टूडेंट, जिनको डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर बैठाना चाहिए था, इस सरकार ने एग्रीकल्चर सर्विस रूल का ध्यान नजर अंदाज करते हुए इनमें आई.ए.एस. व्यक्ति को बिठा दिया। आई.ए.आई. व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि फसल कब उगती है, कब कटती है, कब बीज की आवश्यकता है। किस तरह सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम सिंचाई व्यवस्था करके अधिक कृषि बढ़ा सकते हैं।

लेकिन वह प्रशासनिक अधिकारी तो हो सकते हैं, अधिकारी होना एक अलग बात है। अगर हम टैक्नीकल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अगर हमने पूर्व की सरकार टेक्नोक्रेट्स के क्षेत्र में डायरेक्टर बनाती, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जैसा सर हेनरी ने कहा है 'to put a right man at righi Place.' क्योंकि आज हम देखते हैं, इस बात के लिए, जहां इन्होंने अनेक नीतियां बनाईं जिससे टेक्नोक्रेट्स को मौका नहीं मिले। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बनने के लिए पहले नियम यह था कि तीन साल ज्वाइंट डायरेक्टर एवं तीन साल एडिशनल डायरेक्टर रहने के बाद आटोमेटिक या 5 साल, कोई भी इन दोनों में से पूरे होने के बाद आटोमेटिक उसे मौका मिलता था डायरेक्टर एग्रीकल्चर पद पर बैठने का।

पूर्व सरकार ने अपनी हठधर्मिता से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, हुआ यह कि इन्होंने नियम बदले। 5 साल

(श्री आर. पी. शर्मा)

ज्वाइंट डायरेक्टर, पांच साल एडिशनल डायरेक्टर रहने के बाद उसको डायरेक्टर बनने का मौका मिला। उसमें यह हुआ, किसी भी टेक्नोक्रेट की शर्तें पूरी होती नहीं थी और आई. ए. एस. को बैठाकर इन्होंने एक डायरेक्टर, एग्रीकलचर की पोस्ट, जो टेक्नीकल आदमी को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी। उसका परिणाम अच्छी तरह से जानते हैं। जयपुर मेटल्स क्यों बन्द हुई, आवास विकास संस्थान क्यों बन्द हो रही है। उसी तरह से तिलम संघ में क्या हुआ तिलम संघ क्यों बन्द हो रही है। जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। (व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो निजी कम्पनियां हैं आई टी. सी, हमारी हिन्दुस्तान लीवर है, वो भी वेजीटेबिल आयल प्रोडक्शन पर कामकर रही है। वहां तो मुनाफा हो रहा है और तिलम संघ, जिसमें सरकार पूंजी लगाए, ब्याज का पैसा कम है, सरकार पूरी सुविधाएं दे उस समय तिलम संघ जो 1991 में शुरू हुई, आज हालत क्या है ? 90 करोड़ के लोस में संस्था चल रही है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हर हेनरी का जो सिद्धांत है, प्रबंध का जो सिद्धांत है " to put a right man at the right place", मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं इस पद पर टेक्नीकल, कल मेरे सम्मानीय डाक्टर साहब कह रहे थे कि हास्पिटल में भी आई. ए. एस. लगाने की योजना बनी थी, मैं कहना चाहता हूं टेक्नीकल आदमी को ही दो, टेक्नीकल जगह। एग्रीकलचर है, साइंस है, मेडिकल है, उसमें टेक्नीकल को शीर्ष स्तर पर बैठने का मौका देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन के लिए मूलभूत, मेरे जो विधायक साथी हैं उन्होंने साफ कहा, बीज, खाद, और सिंचाई। चूंकि बीज और खाद के बारे में बहुत डिटेल में इन्होंने बता दिया, मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। सिंचाई में आज सिद्धांत इस बात का था कि हैड से टेल तक पानी कैसे पहुचे। बाड़ाबंदी व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन बाड़ाबंदी व्यवस्था में टेल से पानी हैड पर पहुंचे, चूंकि हैड से पानी चलता है, पानी ज्यादा हो जाता है, जमीन खराब हो जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि बाड़ाबंदी व्यवस्था को लागू करने के लिए टेल टू हैड पानी सिंचाई का न मिले, जैसा मैंने अभी पूर्व में निवेदन किया था हमारे पास साधन कम हैं, 32.6 प्रतिशत ही सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास है। उसमें दो नहरें खास हैं, सी. ए. डी. और आई. जी. एन. पी. के माध्यम से सिंचाई कर पा रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उस सिंचाई व्यवस्था के लिए जो बाड़ाबंदी व्यवस्था लागू की गई थी उसकी पालना कड़ाई से की जाए। इससे एग्रीकलचर विकास में बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज साइंस एण्ड टेक्नोलोजी

(श्री आर. पी. शर्मा)

का युग है। हमारे साइन्टिस्ट्स ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च करके, इस देश के लिए नये-नये तरीकों के बीज प्रयोग करने का सुझाव दिया कि कैसी खेती में किस तरह का बीज डालकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि जो साइंस, जो रिसर्च स्कोलर अपनी टेक्नोलोजी ट्रांसफर करना चाहता है वो ट्रांसफर किस माध्यम से करे। हमारे पास, किसानों के पास उस टेक्नोलोजी के ट्रांसफर करने का केवल एक माध्यम एग्रीकल्चर के फील्ड सुपरवाइजर, और फील्ड मैन हैं।

लेकिन जो फील्डमैन हैं, उनकी हम योग्यता देखें। वो केवल एग्रीकलचर में हायर सैकण्डरी पास हैं। जो साइन्टिस्ट इतना पढ़ा लिखा है उसकी टेक्नोलोजी को, अगर एग्रीकलचर, हायर सैकण्डरी का विद्यार्थी पास नहीं कर सकता। लेकिन आज तो किसान केवल टी. वी. के माध्यम से अपने खुद के माध्यम से, साधन से, आज कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केवल सुपरवाइजरों के भरोसे हम इस टेक्नोलोजी को ट्रांसफर नहीं कर सकते।

इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं, अगर जब कभी फील्ड सुपरवाइजरों की या फील्डमैनों की नियुक्ति हो तो कम से कम उस नियुक्ति के लिए बी. एस. सी. (ए. जी.) स्टूडेंट ही पात्र माना जाना चाहिए जिससे जो साइंस टेक्नोलोजी है वह ट्रांसफर हो सके। इसके साथ ही साथ कृषि उत्पादन में मैं कहना चाहता हूं। आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं उद्योगपति... जिस तरह यह पैन है। इस पैन के निर्माण में कितना पैसा कास्ट रा मैटेरियल में लगा, कितना इसके उत्पादन के खर्चे आए, कितना सैलिंग डिस्ट्रिब्यूशन पर खर्चा आएगा, इन सबको जोड़ने के बाद अपना मार्जिन जोड़ने के बाद वह इस बारे में तय करता है कि इस पैन की बिक्री कीमत क्या फिक्स करूं।

लेकिन पिछले 50 सालों में किसानों की फसल, जो बाढ़, सूखा सबको झेलती हुई बाजार में बिक्री के लिए आती है परन्तु कास्ट तय नहीं हुआ करती। उस बिक्री के लिए मण्डी में 1–2–3 करके उसका माल बेचा जाता है। अगर माल का उत्पादन अधिक होता है तो उसकी कीमत कम मिलती है, माल का उत्पादन कम हो तो उसकी कीमत अधिक मिल सकती है। मैं कहना चाहता हूं जब तक हम किसान की फसल के लिए उसकी कीमत का आधार उसकी कास्ट और उसके खर्चे, उसके मुनाफे के आधार जोड़कर किसान को नहीं देंगे, एक किसान ही ऐसा है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता, फलदाता, दूधदाता, दहीदाता कहें, मैं कहता हूं किसान सर्वदाता है। उसकी तरक्की के लिए हम नहीं सोचें, मैं कहता हूं कि हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। आज जरूरत इस बात की है कि किसान के उत्पाद की प्राइस फिक्स करें। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार हुआ है कि मैंने यह बात कही कि

(श्री आर.पी.शर्मा)

किसान के माल का उत्पादन ज्यादा होता है। मंडी में जाता है। उसको लड़की की शादी करनी है, उसको कर चुकाना है। मजबूरी में माल बेचता है। इसमें सुविधा इस बात की नहीं है। जो माल उसका रखा हुआ है, उस माल को रखकर के कहीं पैसा लेकर अपना काम चला ले। पहली बार हमारे कृषि मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा की कि हमारे भण्डारों में जगह नहीं होगी तो हम प्राइवेट मकान लेकर किसानों का माल रखेंगे। ऋण के लिए किसान को किसी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। किसान को किसी व्यापारी के यहां जाना नहीं पड़ेगा। उसी जगह माल रख दे और सीधा बैंक से, वहां से पैसा लेकर अपने घर चला जाए। यह व्यवस्था निश्चित रूप से किसानों में जान डालने की व्यवस्था है।

जैसा मेरे साथियों ने कहा, आज जरूरत इस बात की है कि हमें बिलकुल खुल कर बात करनी चाहिए। आज इंश्योरेंस आदमी का हो सकता है, इंश्योरेंस जानवर का हो सकता है। लेकिन आज क्यों नहीं कृषि का होता? जो हमारे किसान, मैं कहता हूं कि कहीं बाढ़ और कहीं सूखा, किसान फिर भी भूखा का भूखा है। कब तक हम किसान को भूखा रखेंगे? बाढ़ आयेगी, सूखा आयेगा। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि चाहे उस इंश्योरेंस का पैसा कम मिले लेकिन किसान को इस बात की हिम्मत होनी चाहिए कि अगर बाढ़ आ गयी, सूखा आ गया तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। उसके लिए मुझे इंश्योरेंस कम्पनी से पैसा मिल जाएगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंश्योरेंस किसानों के लिए होना चाहिए। किसान कार्ड जो सिस्टम शुरू किये गये हैं उसमें भी बहुत जरूरी है कि इसको लागू करवाया जाए।

सभापति महोदय, अब मैं भरतपुर क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं कम कर रहा हूं। भरतपुर जिला जब कि स्टेट मर्ज हुई थी उस वक्त सभी राजा रजवाड़े थे उनसे उनकी एक चॉइस मांगी गयी थी कि आप क्या चाहते हैं। जैसे अजमेर को बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन दे दिया, उदयपुर को एक्साइज कमिश्नर दे दिया, जोधपुर को हाई कोर्ट मिल गया, बीकानेर को बोर्ड आफ डायरेक्टर एजुकेशन मिल गया, जयपुर में कैपिटल हो गयी, उसी तरह से भरतपुर में डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर की स्थापना के लिए हमारे रजवाड़ों ने मांग की थी और निश्चित रूप से खुला भी था डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेकिन बाद में बंद हो गया। हो सकता है डायरेक्ट्रेट आज नहीं खुले लेकिन चूंकि आज हमारे मंत्री, भरतपुर के दो दो मंत्री कृषि और पशु पालन विभाग से हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बैंद जो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो अपने तारानगर क्षेत्र में कालेज खोल दिया, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सम्माननीय तैय्यब साहब, आप भरतपुर जिले में एग्रीकल्चर कालेज की जो हमारे रजवाड़ों की डिमांड थी, उसके आधार को मानते हुए खोलने की कृपा करें।

(श्री आर. पी. शर्मा)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एनीमल हसबैण्ड्री चिकित्सालय जो हमारे पशु पालन विभाग द्वारा खोले जा रहे हैं, निश्चित रूप से भरतपुर ऐसी जगह है, व्यापार में भी कहावत है कि किसी पैसे को खर्च करके अगर उससे रिटर्न इमीजिएटली मिलता हो तो उसको हमें करना चाहिए। आज मैं यह नहीं कहना चाहता पश्चिमी राजस्थान में विकास नहीं करें, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में कमी छोड़ें।

लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि भरतपुर जिला जो कि कृषि के क्षेत्र में आज किसी से छिपा हुआ नहीं है, सरसो के उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो राजस्थान में भरतपुर जिले का पहला स्थान है और सरसो के तेल के बारे में क्वालिटी में पहला स्थान है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर भरतपुर जिले में हम पैसा खर्च करके कोई काम करेंगे तो उसका रिटर्न सीधा मिलेगा और क्षेत्र में पैसे खर्च करने से उसमें देरी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ....

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : कालेज की घोषणा रह गयी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री आर.पी.शर्मा : ऐसा है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से पांच साल में भरतपुर में एग्रीकल्चर कालेज खुल जाएगा। यह मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामलाल जी।

श्री आर. पी. शर्मा : दो मिनट। मैं कंक्लूड कर रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें आप। हो गया। धन्यवाद दे दिया उसके बाद क्या बचा है।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डेयरी से सम्बन्धित मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश में जो अभी सभी माननीय सदस्यों ने एन. डी. डी. बी. हटाने के लिए बात कही थी, राजस्थान में उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की चीज, वस्तु दुग्ध उत्पादक से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सन् 1973 में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन खोला गया था।

लेकिन 13 अप्रेल, 1992 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो तत्कालीन उस समय की सरकार थी उस समय राजस्थान की 16 यूनियनों के चुनाव होकर चेयरमैन बने हुए थे, उन सब को एक सब्जबाग दिखाया। तरह तरह के लुभावने सपने दिये, 3-4 मांगें रखी। उन मांगों में एक तो दुग्ध उत्पादक को दूध की उचित दर का समय पर भुगतान किया जाएगा, दूसरी मांग थी कि तीन वर्षों में डेयरी फेडरेशन का जो घाटा है, उस घाटे के दौरान डेयरी बोर्ड के

(श्री रामलाल जाट)

प्रबन्ध के दौरान कोई भी हानि को वहन करेंगे, यह एन. डी. डी. बी. ने वादा किया उपाध्यक्ष महोदय। एक सहकारिता और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारू रूप से चलायेंगे और चौथा वादा था कि डेयरी के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में चहुंमुखी उन्नति करेंगे।

लेकिन उसका नतीजा आज आठ साल में देखने को मिल रहा है। घाटे में बेतहाशा वृद्धि हो गयी। सबसे पहले इन्होंने यहां राजस्थान का कार्यभार सम्भालते ही जितने भी यूनियनों के अध्यक्ष थे उन सब के बोर्ड को डिजाल्व कर दिया, भंग कर दिया। यह सहकारिता की बातें करके इस राजस्थान प्रदेश में जिस तरह ईस्ट इण्डिया कम्पनी, अंग्रेज यहां आये थे और पूरे भारत में कब्जा किया था उसी तरह इन्होंने सब्जबाग उस समय मुख्य मन्त्रीजी को और काश्तकारों को दिखाकर यहां पर कब्जा किया था। जो प्रक्रिया थी उसके अनुरूप चुनाव हुए थे उन संचालित बोर्डों को भंग किया और फिर वापस चुनाव नहीं करवायें। तो उस समय के चेयरमैन ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट दायर की और उस रिट में इनके चुनाव करवाने के आदेश हुए।

लेकिन फिर भी इन्होंने कोई चुनाव नहीं करवाये। इसमें कंटेम्प्ट लगा इनके खिलाफ तब जाकर इन्होंने 1997 में चुनाव करवाये। चुनाव होते ही 7-8 चेयरमैन रहे, और इन्होंने वापस दुबारा चुनाव की जो नीचे सोसायटीज, समितियां हैं उनके चुनाव करवाने के आर्डर कर दिये। श्रीमान्, यह भवन बना हुआ है और हम सब के जाने के बाद इसकी दीवारें हटा दें तो यह छत किस पर रूकेगी ? इन्होंने चेयरमैन बनाकर नीचे की सोसायटियों के चुनाव करवाना वापस चालू कर दिया ताकि वह बोर्ड भंग हो जाए।

लेकिन श्रीमान्, निर्वाचित बोर्ड वापस कोर्ट में गये। फिर वापस चले जाएंगे। (व्यवधान) पहली बार आया हूं, थोड़ा बोलने का मौका दें। इनका असली भुगतभोगी मैं हूं। उस समय मैं डेयरी का अध्यक्ष था।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो इनको।

श्री रामलाल जाट : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय को अच्छी तरह से पता है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको डेयरी का एक्सपीरियंस है, बोलने दीजिये। ये डेयरी के अध्यक्ष रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उधर वाले टोकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उधर वाले भी क्यों टोकते हैं।

श्री रामलाल जाट : श्रीमान्, लगातार इन्होंने तरह तरह का जुल्म जो चेयरमैन थे, क्योंकि वे सारे चेयरमैन कांग्रेसी चेयरमैन थे, उन पर किया। 21 साल तक जो यह फेडरेशन बना है इसके चुनाव नहीं हुए थे लेकिन इनके कायदे के अनुसार चुनाव करवाना था

(श्री रामलाल जाट)

राजस्थान डेयरी फेडरेशन का लेकिन इन्होंने कोई चुनाव नहीं करवाये । उसके बाद सारे चेयरमैनों ने कोर्ट में अपील दायर की लेकिन उसकी भी इन्होंने कोई सुनवायी नहीं की। तब कोर्ट में वापस कंटेम्प्ट लगाया तब जाकर इन्होंने चुनाव के आर्डर किये । इतने में लोकसभा के चुनाव आ गये । लोक सभा के चुनावों में जिस तरह देश को आजाद कराया सुभाषचन्द्र बोस और महात्मा गांधी ने, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उसी तरह से हमने भी काश्तकारों से वादा किया कि आप हमें वोट दो हम आपको जो यह ईस्ट इण्डिया कंपनी अंग्रेजों की आयी हुई है उससे मुक्ति दिलवायेंगे ।

लेकिन 15-16 जनवरी, 1998 को लोक सभा के चुनाव खतम हुए । इन्होंने धारा 139 के अंतर्गत दो आदेश जारी किये । जितने भी निर्वाचित बोर्ड के संचालन मंडल के चेयरमैन थे उन सब के जितने अधिकार थे, सब-इन्होंने अपने हाथ में ले लिये । जो भी गाड़ी-घोड़े की सुविधा थी, इन्होंने सब छीन ली । उस समय श्रीमान् जगमाल सिंहजी अभी विराज नहीं रहे हैं, उन्होंने बताया था कि हम मंत्री मंडल में थे भैरोंसिंह जी की सरकार में, तब हम गिड़गिड़ाते थे । उस तरह हम पूनमचन्दजी बिश्नोई, कमला जी को ले लेकर भैरोंसिंह जी के घर पर सारे चेयरमैन मिलने जाते थे लेकिन उन्होंने जो बताया था कि +++ एग्रीमेंट का समझौता होता, बिलकुल नजदीक तारीख आती, सब चेयरमैन हम इनके पास जाते, हमें देख देख कर हंसते । उस चुनाव में मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ गयी थी और मेरा पैर फ्रेक्चर हो गया था । प्लास्टर चढ़ा हुआ था फिर भी भैरोंसिंह जी के घर पर सारे चेयरमैन मुझको उठाकर ले गये कि इस पर तो रहम करेंगे । लेकिन भैरोंसिंहजी ने उस समय कोई रहम नहीं किया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर अब करवा लें । अब तो कर देंगे ।

श्री रामलाल जाट : आपकी ही बात कर रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इतने वादे किये । राजस्थान में जितनी भी डेयरियां हैं, जितनी मशीनें पड़ी हुई हैं, इन्होंने गुजरात से उन सब खराब मशीनों को यहां लाकर के डाल दिया ।

करोड़ों रुपयों की जो मशीन है, जो ऋण राजस्थान सरकार के ऊपर लाद दिया और हमसे बिना पूछे, हम चेयरमैन थे, हमसे बिना पूछे यहां से चैक काटकर इनके एम. डी. वहां ले जाते थे । जो भी आर. सी. डी. एफ. का एम. डी. जो राजस्थान डेयरी में लगा हुआ था, प्रबन्धन जिनके हाथ में था, थोड़ी बहुत डेयरी प्रगति में आई, उसको हटाकर एन. डी. डी. बी का लगा दिया । 40 अधिकारी

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री रामलाल जाट)

इन्होंने गुजरात से लाकर यहां राजस्थान पर लाद दिये और भरतपुर, श्रीमान् पशुपालन मंत्रीजी बैठे हैं, इनकी डेयरी पर ताला लटकाया। इसमें 37 कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया और 40 अधिकारी-कर्मचारी जो आये, उनकी 15-15, 20-20 हजार से किसी की तनख्वाह कम नहीं थी।

हम डेयरी के जब अध्यक्ष थे, एम. डी. के साथ यहां आते थे, 185 रुपये भत्ता मिलता था। चेयरमैन को 100 रुपये भत्ता और इनको 200 रुपये भत्ता मिलता था। यह इनका न्याय है। मुख्य मंत्री अभी अशोक जी गहलोत बने हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान, भरतपुर की तरफ कई मंत्रियों में से भरतपुर के सदस्य को डेयरी मंत्री बनाया है। राजस्थान की जनता को यही उम्मीद है इन लोगों से, पूरे राजस्थान की जनता को यही उम्मीद है डेयरी मंत्रीजी से सबसे पहले यह विधान सभा खतम हो, उससे पहले इस एन. डी. डी. बी. को यहां से, राजस्थान से मुक्ति दिलायें तभी राजस्थान का भला हो सकता है। हम उस समय ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने घाटे में इतनी बेतहाशा वृद्धि की, जिसका आंकड़ों से आपको खुद को पता है।

आर. सी. डी. एफ. के अन्दर एक फंक्शन हुआ उसमें श्रीमान् आप पधारे और अभी वर्तमान सिंचाई मंत्रीजी कमला जी ने तो खुले में ही घोषणा की थी। श्रीमान्, उन बातों को ध्यान रखते हुए सारे चेयरमैन को बुलाकर आज दिन तक इन्होंने एक भी चेयरमैन बनने के बाद, एक भी अपने यहां मीटिंग नहीं बुलाई जबकि जो निर्वाचित संचालक बोर्ड होता है उसका अधिकार होता है, वह यहां का मेम्बर है, वह यहां मीटिंग बुलानी चाहिए। इनको बुलाना चाहिए, काश्तकारों की सारी समस्या सुननी चाहिए। लेकिन आज तक दो साल हो गये, जो वर्तमान में बोर्ड बना हुआ है संचालक मण्डल के चुनाव होकर, उनको कभी भी इन्होंने नहीं बुलाया, उलटा जो भी इनके खिलाफ बोलता....

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह घाटे का क्या कारण है? आप तो इससे जुड़े हुए हो, कृपया यह बता दें।

श्री रामलाल जाट : श्रीमान्, आर.सी.डी.एफ. के 17 वर्षों के प्रबन्धन के दौरान 38 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जबकि एन. डी. डी. बी. के मात्र पांच वर्षों के दौरान 62 करोड़ का घाटा हुआ। यह वृद्धि हुई तो इससे अपने जानकारी लगा सकते हैं। अपने यहां के सारे आई.ए.एस. अधिकारी क्या मर गये हैं, क्या राजस्थान की जनता ने पैदा नहीं किया जो इनके मातहत, गुजरात से बुलाया। इनका प्रबन्धन जो पिछली सरकार नहीं चला सकी है, वह यह सरकार कैसे वहन करेगी। यहां के अधिकारी सक्षम हैं, यहां की सरकार सक्षम है तो तत्काल यहां से भगाया जाये और ये सारे आंकड़े मैं आपके समक्ष पेश कर दूंगा। और बाकी जिस तरह का बजट पशुपालन मंत्रीजी ने अस्पतालों के

(श्री रामलाल जाट)

ऊपर और उप केन्द्रों के ऊपर दिया है, उसके लिए बहुत--बहुत धन्यवाद।

कृषि के बारे में काश्तकारों की सबसे बड़ी समस्या, सभी माननीय सदस्यों ने बताया है, खाद की समस्या है, समय पर खाद नहीं मिलता है तो कृषि मंत्रीजी से तो उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत यही निवेदन है कि समय पर खाद की व्यवस्था करवाएं। और एक, फसल बीमा योजना, अभी रामस्वरूप जी बोल रहे थे, उन्होंने बिलकुल सही कहा था, मेरे बनेड़ा क्षेत्र के सदस्य जो उपाध्यक्ष हैं, वो वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अभी मैं वहां गया। वहां पर खलिहान में आग लग गई। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 60-70 बोरियों का हुआ लेकिन वह 8-10 काश्तकारों का नुकसान हुआ एक–एक, दो–दो बोरी। उनको 5–5 किलो गेहूं देकर आये।

अगर बीमा की व्यवस्था लागू रही तो काश्तकार अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो यही निवेदन करते हुए, जो भी यह बीमा योजना है, इसको तत्परता से लागू करें। श्रीमान् ने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप जी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं मांग संख्या 37 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी के बाद से सभी राजनैतिक पार्टियां लगातार एक किस्म के इस होड़ में रही है और काश्तकार को यह दिखाने का प्रयास किया है कि सबसे बड़ा हितैषी इनका कौन है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग द्वारा प्रस्तुत यह प्रगति प्रतिवेदन, इस किताब को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। इसको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि जिस आदमी को फील्ड की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। लेकिन जैसे कि मैं खुद किसान परिवार में पैदा हुआ हूं तथा स्थानीय हालात हैं, उसको इससे कम्पेरीजन जब करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है, यह सचिवालय और कृषि भवन में विकास के जो काम हैं, कागजों में हुए हैं। वह वहां हकीकत में फील्ड में हुए नहीं हैं।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय कृषि मंत्रीजी जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम आपने दिये हैं, अगर इसका 10 प्रतिशत का भी आप खुद भौतिक सत्यापन करें तो निश्चित रूप से आपको तसल्ली हो जायेगी, यकीन हो जायेगा। और अगर शत–प्रतिशत ये सारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू हो जायें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान हिन्दुस्तान में कृषि के क्षेत्र में एक नम्बर पर होगा और यहां का किसान खुशहाली की दृष्टि से भी एक नम्बर पर होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं,

(श्री रामप्रताप)

आपको इस किताब के अन्दर से एक चीज का उदाहरण देना चाहूंगा। यह खाद और बीज का मामला है। यह पेज 61 पर है। इसमें आपने टारगेट दिया था बीज का सेम्पल लेने के लिए 1998-99 में, 5000 का और अचीव किया है 2929। इसी तरह से खाद का है। टारगेट आपने दिया था 6000 का, अचीव किया है 2796 का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव में यह कहावत है 'रामजी राजी हो तो फसल अच्छी हो जाती है, बरसात अच्छी हो जाती है' लेकिन आज की तारीख में अकेले रामजी से काम नहीं चलता। रामजी के साथ साथ जब तक राज राजी नहीं होगा तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक, जोकि किसान की आधारभूत समस्याएं हैं, जिसका एजेन्सी की ओर से जब तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जायेगा, मैं राज के राजी होने की बात इसलिए कह रहा हूं, यह एक बेसिक चीज है किसान की। जितनी वह मेहनत करता है, वह सारी की सारी उसकी आधा चली जाती है।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और विशेष रूप से इसके लिए केन्द्र सरकार ने ई.सी. एक्ट के माध्यम से प्रोविजन कर रखा है, कानून भी बना रखा है मिलावट के मामले को रोकने के लिए। लेकिन एन्फोर्सिंग एजेन्सी राज्य सरकार होती है। हो सकता है मैं पीछे की बात जब करूं तो आप लोग इसको अदरवाइज नहीं लें। राज किसी का हो, किसान है, उसकी बात को आपको मानना चाहिए। सम्माननीय सदन में जब हम चर्चा कर रहे हैं, एक ही बात अंडरलेयर हमें इसका अवलोकन करना चाहिए।

मैं कृषि मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, जब आप अपने विभाग का जवाब दें तो निश्चित रूप से मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा, चार महीने के अंदर आपके विभाग ने कितने नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स के सैम्पल पकड़े, उनमें कितने सही थे और कितने गलत थे और गलत थे तो उन पर क्या कार्यवाही की गई।

माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जवाब देते समय आप यह जानकारी मुझे देंगे (व्यवधान) नहीं, अगर किसी ने गड़बड़ियां की हैं तो मैं आप के सामने खड़ा हूं, मेरा राजनैतिक जीवन है, पूरी किताब है, एक–एक पन्ना खुला है, आप कहीं से पढ़ लें। वरना किसान का बेटा हूं, आप मुझे इस पवित्र सदन में मेरी बातें कहने का मुझे हक है और मुझे मौका दिया गया है ...(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपने इनका पूरा पक्ष लिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। विराजिये विराजिये। बैठिये माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप : इसलिए निश्चित रूप से मुझे कहना है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिस्टर्ब मत करिये।

श्री रामप्रताप : मेरी बात पर आप किसी माननीय सदस्य ने कहा था, बीच में इंटरप्ट करके मेरा सारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्रम टूट जाता है। इसके साथ साथ माननीय कृषि मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इन उड़नदस्ते ने कितनी रेड्स मारे और इन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की? इस को भी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा माननीय मंत्रीजी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके इस प्रगति प्रतिवेदन में एक जगह राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल में कहां-कहां कितनी बरसात होती है, औसतन प्रतिवर्ष, इसके आंकड़े दिये गये हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इस क्षेत्र का इन्होंने प्रतिशत दिया है। आपके 45 प्रतिशत औसत क्षेत्र हैं, और इसमें 20 से 35 सेंटीमीटर आपके औसत वर्षा होती है। इसी तरह से 16 प्रतिशत एरिया है झुंझुनूं, सीकर, पाली और जालोर का, वहां पर 35 से 50 सेंटीमीटर बरसात होती है। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां, कोटा इसमें सबसे ज्यादा बरसात होती है, दस प्रतिशत एरिया, क्षेत्रफल है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा अतिवृष्टि से, और कई दफा अनावृष्टि की वजह से, बाज दफा पूरे राजस्थान को अकाल की स्थिति से जूझना पड़ता है। एक ही हमारे पास में, बहुत कम क्षेत्र हैं जो सिंचित क्षेत्र हैं जहां पर हमारे पास में पुख्ता आधार है, वह है नहरों का। और नहरों पर आज की तारीख में कहीं टेल एंड पर किसान परेशान है और कहीं पर सेम की समस्या से परेशान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हनुमानगढ़ जिले का विशेष तौर से और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र सेम से बुरी तरह से प्रभावित है। इसके साथ-साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में काटन की क्राप है, पिछले तीन-चार सालों से फेल हो रही है। माननीय सदस्यों ने कई दफा इस बात की चर्चा भी की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को कहीं कोई छिपाने की बात नहीं है, वहां के किसान की बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। मैं आरोप तो नहीं लगा रहा लेकिन रोषपूर्ण शब्दों में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में रांध में छुरी का काम किया है उसके ऊपर यह टैक्स लगा करके, सिंचाई शुल्क लगा करके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं आगे बात कहने जा रहा हूं उसको आप हल्के रूप में न लें। अभी शादियां बहुत ज्यादा हुई थीं। इतनी ज्यादा शादियां थीं कि उन सब को अटेण्ड करना मुश्किल था। हम बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि इतनी शादियों का क्या कारण हुआ इस साल। तो इसमें एक मुख्य कारण यह था कि जब किसान की फसल थोड़ी कमजोर होती है तो वह सोचता है कि लड़की की शादी अगले साल करूंगा। अब अगले साल भी इसी तरीके से

(श्री रामप्रताप)

रहे तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके संस्कार जिस किस्म के हैं, लड़की को हम कितने दिन तक घर पर रखेंगे । हार करके, ज्यादा शादियों का इस बार यह भी कारण रहा कि जिनकी पेण्डिग शादियां थी, लेट हो रही थी, उनकी इस बार शादियां करनी पड़ी चाहे उसने कर्जा लिया किसी भी तरीके से । यह हकीकत है । और बहुत सी जगह, सभी माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ हैं, आंध्र प्रदेश और इस साइड में किसानों ने आत्महत्या की है । आज उस किसान की, हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसान की निश्चित तौर पर वह स्थिति हो चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, नरमे और कपास की फसल की यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा । यह कोई एक आइसोलेटेड केस नहीं है । यह एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है चाहे पाकिस्तान को हम नजदीक से देख लें । वहां की काटन क्राप भी फेल्योर में आ रही है । पंजाब की क्राप है वह भी फेल्योर में गई है । पंजाब ने अपना क्राप पैटर्न चेंज कर दिया । वहां पर पेड्डी और शुगरकेन पर वह लोग आ गये हैं । वहां पर पानी की बहुतायत है वह पेड्डी कर सकते हैं, हम पेड्डी नहीं कर सकते । इसलिए हमारे लिए एक ही आइडियल कंडीशन है और वह है शुगरकेन की, गन्ने की फसल की ।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की फसल के लिए शुगर मिल का होना अत्यन्त आवश्यक है । और मैं तो यहां तक कहूंगा कि क्यूबा एक इतना छोटा सा देश है कि जिसका सारा भूभाग हमारे राजस्थान से, इस आईजीएनपी, भाखड़ा और गंग कैनाल के सिंचित क्षेत्र के बराबर है और उसको शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है । उसकी सारी अर्थव्यवस्था शुगर के ऊपर आधारित है । तो मेरा तो यहां तक आपके माध्यम से आग्रह है राज्य सरकार से कि हमें चेन आफ शुगर मिल्स लगानी चाहिए । हमारे यहां पर गंगानगर में एक शुगर मिल है जो शायद 19वीं शताब्दी की होगी । अगर एक पुर्जा उसका टूट जाता है तो पांच दिन चले जाते हैं । गन्ने की क्रशिंग बन्द हो जाती है और वहां पर आज की तारीख में यह स्थिति है कि बांड्स जिन फार्मर्स के साथ में किये गये थे कि हम आपका गन्ना लेंगे, और किसानों ने कहा था कि गन्ना मैं गंगानगर शुगर मिल को दूंगा, आज उनका गन्ना कश नहीं हो रहा है । और अगर किसी का कश हो गया तो उसका पेमेंट नहीं हो रहा है । मैं एक तरीके से अर्ज नहीं कर रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसका भी आप समाधान करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, शुगर मिल के बारे में भी आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब वह जवाब दें तो इसके बारे में भी जरूर जानकारी दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान का सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर यह क्षेत्र और नागौर का जहां पर सरसों, रायड़ा बहुतायत में होता है ।

(श्री रामप्रताप)

इसी प्रकार से कोटा और बारां इस क्षेत्र में हमारे सोयाबीन बहुतायत में होता है। पिछले आठ साल में तिलहन की पैदावार, आयल एण्ड आयल सीड्स की पैदावार है, हिन्दुस्तान में हम दूसरे स्थान पर पहुचे हैं। इसका एक कारण था, तिलम संघ की वजह से जिसने पूरे राजस्थान में आयल मिल्स की एक चेन खड़ी की और किसान को उसकी प्रोड्यूस का सही दाम दिया उसके आधार पर राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर तेल और तिलहन के अन्दर दूसरे स्थान पर पहुंचा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख में हम उसी तिलम संघ को इस आधार पर बन्द करने जा रहे हैं कि वह सौ करोड़ के घाटे में है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उसके प्रबंधन में कहीं कमी है तो हम उसको क्यों नहीं सुधारते। जिस चीज ने आज हमें इस स्थिति पर पहुंचाया है हम उसकी गहराई में जाकर के उसके कारणों का क्यों नहीं पता करें।

एक तरफ तो चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, जहां भी कोई बात आती है किसान की तो आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाता है कि इतने हजार करोड़ रुपये हमने बीज में, खाद में, पेस्टीसाइडस में, बिजली में किसान को सबसिडी दी है और सौ करोड़ रुपये के लिए तिलम संघ को बन्द करने जा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था इसके प्रबंधन में कहीं सुधार करके इस घाटे को हम कम करते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। किसान की बड़ी विचित्र स्थिति है और यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि किसान एक ऐसा आइटम है जिसको भगवान भी नहीं मार सकता। वह न तो पूरा मरा है और न जिंदा है। वह एक जिंदा लाश की तरह से है। लाश मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कभी तो उसके प्रोडक्शन नहीं होता और कभी, जब उसके प्रोडक्शन होता है, तो उसको खरीदने वाला नहीं मिलता। आज की तारीख में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में गेहूं की फसल अच्छी है। प्रोक्योरमेंट उसका चालू तो हो गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, इसकी शायद नोडल एजेंसी फूड मिनिस्ट्री होगी, लेकिन कृषि मंत्रीजी, यह किसान का मामला है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रबंध तो आपने किये, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि यह आपके प्रबन्ध चरमरा नहीं जायें। इसलिए गन्नी बैग्स का, किसान के पैसे का, ठेकेदार सही तरीके से काम करे, उसकी लिफ्टिंग सही तरीके से हो, यहां तक कि अगर रैक्स का प्रबन्ध है वह भी हमें सही तरीके से करना होगा अन्यथा मौसम आजकल इतना अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि किसी भी टाइम बरसात होती है, यह हम सबको पता है। और उसमें सफरर कौन होगा? किसान का माल खुले आसमान के नीचे पड़ा है। अगर थोड़ी भी

(श्री रामप्रसाद)

बरसात हो गई तो उसकी छह-आठ महीने की खून और पसीने की कमाई जाया चली जायेगी। हमें तो जो लोस होगा, होगा ही लेकिन बेसिकली जो इसमें अफेक्टेड होगा, वह किसान होगा। इसलिए उसका प्रोक्योरमेंट प्रोपरली हो, इसका भी हमें ख्याल रखना है।

इसके साथ ही इस मौके पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जिसको वित्तीय कारणों से बंद किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि उस रिसर्च सेंटर का काम फस्र्ट स्टेज का पूरा डवलप हो गया है, इसलिए उसका काम पूरा हो गया है ऐसी बात कतई नहीं है। वह रिसर्च सेंटर आपके कावरी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, पूसा इंस्टीट्यूट से जितने भी आपके नये-नये प्रोग्राम्स आते हैं जो रिसर्च होकर नई चीज आती है, रिसर्च सेंटर का काम है उस एरिये में उसकी एडेप्टिबिलिटी देखना, उसकी ग्राह्यता की जांच करना। अगर उस क्लाइमेट में वह चीज सही बैठ रही है तो उसका पैकेज तैयार करके किसानों के लिए देना। और सबसे ज्यादा अगर पैकेज तैयार किये हैं तो उस सेंटर ने तैयार किये हैं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के साथ कोई इसी तरीके से अन्याय ही अन्याय नहीं होता रहे, वहां आई. जी. एन. पी. का फस्र्ट फेज का ही किसान नहीं, इसका भाखड़ा और गंग कैनाल का किसान भी लाभ लेता है। सोइल टेस्टिंग लेबोरेट्री वहां पर है। इस लिए मेरा निवेदन है कि उसको बंद नहीं कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में कोई किसान मंडल, किसान सेवा केन्द्र, मासिक कार्यशाला, कई मासिक लिखा है, मासिक क्लस्टर, किसान सलाहकार समिति आदि-आदि अनेक चीजों का इसमें विवरण किया गया है, इनका क्या फायदा है। आप की पहली कड़ी है वह.... (व्यवधान) आज की तारीख में, कृषि मंत्रीजी, मेरे ख्याल से चार सौ पद इसके रिक्त पड़े हैं। जब आपकी पहली कड़ी कमजोर होगी तो आगे का हमें कोई सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में चाहे विदेश हो, चाहे देश हो, चाहे हिन्दुस्तान की बात आप लें, कृषि के क्षेत्र में जितनी भी नई-नई जो चीजें आ रही हैं, जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें टिस्यू कल्चर का एक बहुत ही अहम रोल है।

आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने काफी काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जिसको अभी योजना बना रहे हैं इसमें अभी हम बहुत पीछे रहेंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

(श्री रामप्रताप)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि आप प्रयास करें कि कम से कम टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम नये-नये पौधे विकसित करें जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हों जिसकी यील्ड ज्यादा हो। इसको बैक फाप के पीछे नहीं रखना है, आगे रखना है। आज की तारीख में टिश्यू कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज से तकरीबन साढ़े आठ महीने से कम समय में हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और 20वीं सदी के राजस्थान का कृषि के बारे में जब इतिहास लिखा जायेगा तो उसमें क्या अंकित होगा। उसमें यह लिखा जायेगा कि हमने तिलम् संघ को बंद किया, हमने काटन मिल्स, जो बंद होने के कगार पर खड़ी हैं, उनको नहीं संभाला। हमने किसानों को उसकी प्रोड्यूस का सही दाम मिले इसके लिये कोई योजना नहीं बनाई। यह सभी चीजें हमारे सामने जायेंगी और इतिहास हमें कभी इस चीज के लिये माफ नहीं करेगा, चाहे राज किसी का भी रहा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का कुछ नहीं होगा। उसके पेट को दो रोटी चाहिये वह तो खा लेगा। लेकिन उसके आधार पर हम सब भूखे मरेंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके लिये उसकी प्रोड्यूस का सही दाम मिले इसके लिये हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में माननीय मामड़ाजी उद्योग मंत्री थे। माननीय शेखावत साहब ने उनको वित्त मंत्रालय का भार और सौंप दिया तो वे वित्त मंत्रालय में ज्यादा व्यस्त हो गये, उद्योग को भूल गये। अब मौजूदा सरकार में माननीय गहलोत साहब ने प्रद्युम्न सिंहजी को उद्योग मंत्री बना दिया, साथ में गृह मंत्रालय भी दे दिया। वे गृह मंत्रालय में इतने व्यस्त रहने लगे कि उद्योग मंत्रालय को भूल गये। खैर, गृह मंत्रालय का जो भी है, मुझे इस चीज की कोई चिन्ता नहीं है।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं इसको राजनीति में नहीं घसीटा जाये। फूड प्रोसेसिंग का जिस तरह से केन्द्र सरकार में अलग से मंत्रालय है, उसी तरह से राजस्थान में भी फूड प्रोसेसिंग का अलग ही मंत्रालय हो जिससे कि किसान को उसकी प्रोड्यूस का लाभ मिले। उससे किसान को अपनी प्रोड्यूस का केवल लाभ ही नहीं मिलेगा, मजदूर भाई को मजदूरी मिलेगी, व्यापारी भाई को व्यापार मिलेगा और राजस्थान का औद्योगिकीकरण होगा। यह एक छोटी बात नहीं है इसके आधार पर चेन आफ फेक्ट्रीज लग सकती है। एग्रो बेस्ड यूनिट्स, दुनिया भर की यहां पर पोटेंशलिटी है।

मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा पंजाब में पेप्सी कंपनी ने एक कारखाना लगाया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर अचम्भा होगा कि आज की तारीख में वहां पर टमाटर सोस का, मिर्चों का और आलू का है। हिन्दुस्तान में पंजाब के किसान को इन तीनों चीज्स का सबसे

(श्री रामप्रताप)

ज्यादा पैसा मिल रहा है और उससे उत्साहित होकर आज की तारीख में पर बीघा यील्ड इन तीनों चीजों की सबसे ज्यादा है। तो क्या हम यह काम नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका थोड़ा समय ही और लेना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : है तो बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन समय का ख्याल रखना पड़ेगा।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समापन कर रहा हूं, दो मिनट का समय और लूंगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन्सेट के माध्यम से मौसम की जानकारी हमें मिल रही है। पूसा इंस्टीट्यूट है वह सीड प्रोडक्शन में हमारा काफी सहयोग कर रही है। गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट है वह हमें टिश्यू कल्चर के बारे में काफी ज्ञान दे रही है। हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है।

माननीय कृषि मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन तीनों यूनिवर्सिटी को चुस्त-दुरुस्त करें। इनमें और उनमें फर्क क्या है। वैज्ञानिक ही वहां हैं, वैज्ञानिक ही यहां हैं। ये हमारे लिये आधारभूत चीजें हैं। यहां से जो अनुसंधान होंगे और जो उनकी अडाप्टेबिलिटी होगी वो यहां से एक हजार किलोमीटर दूर की चीज की अडाप्टेबिलिटी नहीं हो सकती।

मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि किसान के पास आप अनुसंधान करके जो चीज लेकर जायेंगे और उसको जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, चाहे आप उसको सोने का कर दो, वो अपने कन्वेंशनल मैथड्स को कभी नहीं छोड़ सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मोटिवेशन एक बहुत ही अहम फैक्टर है। मैं इस मौके पर उदाहरण देना चाहता हूं, हालांकि यह कृषि से हटकर बात है, बिना मोटिवेशन के फैमिली प्लानिंग जैसा महत्वपूर्ण मामला भी फैल्योर में गया। अकेला फैल्योर ही नहीं गया इसने हिन्दुस्तान का राजनीतिक इतिहास बदल कर रख दिया। आज की तारीख में फैमिली प्लानिंग के कैम्प लग रहे हैं। आपको और मुझे पता नहीं है, लोग अपने आप लाइन लगवा कर करवा रहे हैं। उस समय फैल क्यों हुआ, क्यों राजनीतिक इतिहास बदला क्योंकि लोग मोटिवेटेड नहीं थे। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। इसी तरीके से हमारा फार्मर है, वह बहुत ही कंवेंशनल है। उसको नई चीज के लिये, चाहे वह टिश्यु कल्चर का मामला हो, चाहे वह फूड प्रोसेसिंग हो या अन्य किस्म के नये-नये साधन हों, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर मैथड हो, वह अपने कंवेंशनल मैथड्स को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम उसको डेमोंस्ट्रेट करके सही चीज का ज्ञान नहीं करायेंगे।

इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि कृषि मंत्री जी इन तमाम बातों को अन्यथा नहीं लें। अगर मैंने गुस्से में कोई

(श्री रामप्रताप)

बात कही हो तो उसके लिये मैं माफी चाहूंगा। लेकिन ये तमाम बातें हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से पशु पालन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक योजना बनाई कि जो पंचायत 50 हजार रुपये की एफ.डी. करवा देगी और भवन निर्माण करा देगी, तो उसको सरकारी पशु चिकित्सालय मिल जायेगा। वह पशु चिकित्सालय मंजूर हुए। बहुत से लोगों ने उनके पैसे जमा करवाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पशु पालन मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वहां डाक्टर्स वगैरह लग जायें, ऐसी व्यवस्था हो। यह मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता था। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशु पालन पर कुछ बोलना चाहूंगी। हमारे प्रदेश की 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वहां का मुख्य रोजगार कृषि और पशु पालन ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर सुधार करना है तो वहां के पशु धन पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मंत्री महोदय ने आगामी वर्ष में सौ नये पशु औषधालयों के लिये कहा। वैसे मंत्री महोदय इसके लिये बधाई के पात्र हैं लेकिन 100 पशु औषधालय कम हैं, उनको थोड़ा बढ़ायें। चार सौ उप केन्द्रों का जो आपने कहा है तो इसकी कोई ऐसी व्यवस्था आप दें कि कितनी जनसंख्या पर उप केन्द्र खोले जायेंगे। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र सपोटरा में जो डाड़ोती है, उसकी ओर दिलाना चाहूंगी जहां पर कि चार महीने तक आवागमन का बिलकुल साधन नहीं रहता है। बरसात होती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जो पशुओं में बीमारियां होती हैं वो सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में ही होती हैं।

मंत्री महोदय मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पशु औषधालय वहां पर जरूर खोलें क्योंकि एक बहुत बड़ा कस्बा है। उसके चारों तरफ काफी तादाद में पशु हैं और पशुओं की नस्ल सुधार करने के लिये भी आप पंचायत हैड क्वार्टर पर बढ़िया नस्ल के पशुओं की व्यवस्था करें जिससे कि वहां के जानवरों की नस्ल में सुधार किया जा सके।

कृषि के लिये तो मैं इतना ही कहूंगी कि जो यह सरकार वहां के लोगों को जो मुआवजा देती है वह मुआवजा बहुत कम है। इतना कम मुआवजा सरकार देगी तो

(श्रीमती कमला बृजलाल)

बहुत से किसान तो लेने भी नहीं आते। बहुत से लोगों का तो किराये-भाड़े में ही इतना खतम हो जाता है। इतना ही कहकर मैं समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान जी।

श्री अमीन खान (शिव) : समाप्त कितने बजे करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : 6 बजे तक।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, महकमा तो वैसे कृषि का बड़ा है पर मैं पशु पालन महकमे से शुरूआत करता हूं।

पशु पालन महकमे की मांग पर पशु पालन राज्य मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि पशु पालकों के लिये सरकार की तरफ से जो इन्तजाम होते हैं जिससे उत्तम पशु, लोगों के पास हों। और आधुनिक युग के हिसाब से सरकार जिस तरह से बजट में व्यवस्था करने जा रही है क्या आप यह विश्वास करते हो, मैं आपको ही नहीं कहता, क्या सदन के सारे माननीय सदस्य यह विश्वास करते हैं कि पशु पालकों को ये सुविधाएं मिल रही हैं ? मेरा तो यह विश्वास है कि कोई भी पार्टी सरकार में रहे और खर्चा उसमें चाहे कम लगे, ज्यादा लगे उसमें मुझे कोई चिन्ता नहीं है। आप खर्चा बढ़ा दो, उन्होंने कम कर दिया। यह सोच का विषय नहीं है।

सोच का विषय इस बात का है कि कौन सी सरकार में कौन से मंत्री ने जिस नाम से पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें हकीकत में इतना पैसा गरीब के नाम से लाभ के लिए खर्च हो रहा है या गरीब के नाम से पैसों के लिए कोई और ऐश-अशरफत कर रहे हैं। मेरी पंचायत हैडक्वार्टर रासासर की मिसाल देता हूं। इसके पड़ोस में 10 पशु चिकित्सालय, मैं सन् 80 से देख रहा हूं, आज तक पशु चिकित्सालयों में कोई डाक्टर नहीं है और कोई पांच रुपये की भी किसी पशु के लिए फ्री दवा नहीं है। अगर दवाई का पैसा पशुपालक अपनी जेब से खर्च करे तो उनके लिए कपाउण्डर या डाक्टर कोई सलाह देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये डाक्टर जितने भी पास होते हैं, वह अधिकांश बाहर के होते हैं और वह सिफारिशें कराकर अपनी-अपनी आराम की जगह पहुंच जाते हैं।

अब रहा पशुधन का सवाल। आप जानते हो कि पिक्चर अच्छे दिखें, फार्म अच्छे दिखें, बंगले अच्छे दिखें, रोड अच्छे दिखें वहां तो पशुपालक रह नहीं सकते। पशुपालक तो रहते हैं जंगल में जहां ये सुविधाएं नहीं हैं। और इन सुविधा वालों को पशुपालन से कोई लेना देना नहीं है। पशुपालन महकमे में पशुपालकों के नाम से आज तक जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी ईमानदारी से, और आप सब को भी यह मालूम है, यह महसूस करता हूं कि ठीक है, एम.एल. ए. की कोई दो गाय हैं और डाक्टर आस पास में रहता है तो उसका इलाज हो जाता

(श्री अमीन खान)

होगा, सलाह मिलती होगी। या कोई पैसे वाला आदमी है तो उसको मिलती होगी। लेकिन इस पशुपालन महकमे में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, गरीब पशुपालक को कोई फायदा नहीं है। अब इस पर अमल करना ईमानदार सरकार का काम है और वह करना चाहिए।

अगर वह नहीं होता है तो फिर यह बार बार शिकायत आ रही है कि पैसों की कमी है, पैसे बचत करने हैं तो हम तो कहते हैं यह महकमा ही उठा दो। आपका पशु महकमा उठ गया तो कौन से पशु रहेंगे नहीं, कौन से आदमी मर जायेंगे। अब वह जो स्थिति है वह यह की यह रहेगी और इसमें कोई फर्क आने वाला है नहीं। तो, यह करोड़ों रुपये खर्च करके इसका लाभ करके बताओ।

दूसरी बात मैं इस बारे में कहता हूं, साहब, भेड़ और ऊन महकमा अलग, पशुपालन महकमा अलग। तो साहब, यह भेड़ को पशु नहीं मानते हो तो क्या इंसान मानते हो ? और अभी मेरे को पता नहीं था, हरिसिंह जी से पूछने गया, बकरी का महकमा फिर हरि सिंह जी के पास है। उपाध्यक्ष महोदय, चरागाहों का आप इंतजाम देख लो। पशुओं के लिए, सबसे ज्यादा घास कौन सा पशु खाता है, सबसे ज्यादा घास पशु गधा खाता है, और उस गधे के लिए गोचर जमीन में एक इंच का इंतजाम नहीं है। और जिस गांव में दो सौ गधे हैं, वह तो हजार मवेशी जितना ही घास खा जाते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। उसका किसी महकमे को पता ही नहीं है और दूसरे नम्बर पर... (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसा ही होता है कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास देखो, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। घास क्यों खायेंगे ?

श्री अमीन खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि जहां गरीब इंसान बसते हैं, वे इंसान इस गधों पर पानी भरकर ले आते हैं, वे इंसान इन गधों पर अपनी खेती भी करते हैं। वे इंसान इन गधों पर पानी लादकर अपनी भेड़ बकरियों के बच्चों को पानी पिलाते हैं। और गधा जानवर उन इलाकों के लिए जो रेगिस्तानी इलाका है, उसमें तो गधा जानवर इनके लिए एक बहुत ही प्यारा जानवर है जिसके लिए कोई गोचर में और कानून में कोई इंतजाम ही नहीं है। इसी प्रकार घोड़ा है। सबसे ज्यादा दूसरे नम्बर पर घास यह घोड़ा खाता है तो घोड़े की पशु गणना में जहां संख्या है, वह किसी गांव में 20 है तो उन के लिए 10 बीघा जमीन का प्रावधान होना चाहिए। वह भी नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं यह मजाक मत करें। मजाक मत करो, समझने की कोशिश करो।

अब मैं आपको यह बताता हूं, बकरी है। बकरी एक ऐसा जानवर है जो हर इंसान के पास रहता है, चाहे वह सरकारी अफसर है, उसके घर बकरी है, व्यापारी

(श्री अमीन खान)

है उसके घर में बकरी है और गरीब से गरीब पशुपालक है उसके पास बकरी का रेवड़ है। सौ, पांच सौ, हजार, पचास; जितनी भी इन लोगों के पास बाकरियां हैं आज के समय में जो यह आधुनिक समय आपका आ गया है, इसमें पुराने जमाने में हमारे मारवाड़ में तीन जातियों का विशेष गाय और ऊंट पर गुजारा चलता था। एक तो यह राजपूत, मुसलमान और एक चारण जाट, कलबी और विश्नोई इनका शुरू से ही खेती में ज्यादा वर्चस्व रहा है। खेती में यह रहे हैं, पशु भी इनके पास रहे हैं। लेकिन यह तीन जातियां मारवाड़ में ऐसी रही हैं जिनका खेती से कोई वास्ता ही नहीं था, कभी नहीं रहा। अब मजबूरन जब पशु खत्म हो रहे हैं जब पशुओं से कोई गुजारा नहीं चल रहा है तो अब ये लोग भी खेती की तरफ लौट रहे हैं।

अब गाय एक ऐसा जानवर है, गाय पालने वाला आदमी मजबूर हो गया है, मोहताज हो गया है। वह मोहताज क्यों है। एक तो हमारे अपोजिशन में बैठने वाले साथियों ने वह गोवंश की सुरक्षा का एक्ट बना दिया। उस एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया कि गांव में अदावत रखते हैं वह आदमी जेल चले जाते है उनका कोई बचाव नहीं होता। जैसे बलद है, चाहे थारपारकर नस्ल का है; थारपारकर नस्ल की गाय कीमती नहीं है लेकिन उसका बैल कीमती है, बैल कीमती है कांकरेज नस्ल का और कांकरेज नस्ल की बैल का गुजरात और महाराष्ट्र में हमारे इलाके के लोग पैदल चलकर जिस जमाने में साधन नहीं थे वे यहां से पांच सौ रुपये में बैल ले जाते। गुजरात महाराष्ट्र में दो हजार में बेचते और उनका धंधा, हजारों परिवारों का होता था, गुजर चलता था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह धंधा बंद हो गया इस गोवंश एक्ट से। दूसरा खेती के लिए, बैलों से लोग खेती करते हैं। जब तक बलद बधिया नहीं किया जाता, वह खेती के काम में ले नहीं सकते। क्योंकि आज व्यापारी बैलों के गांव में चाहे पांच हजार का है, उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात है, पशुपालन मंत्री को इसका अध्ययन करना चाहिए, उस बैल का कोई पांच सौ रुपया नहीं देता है। और मुफ्त में बैल घूम रहे हैं और लोगों को खेती का नुकसान कर रहे हैं। और बधिया करते हैं कोई शिकायत होती है तो पुलिस गौ हत्या में मुकदमा दर्ज करती है और उसका चालान होता है। हमारे यहां बाड़मेर, जैसलमेर में आजकल तो बलदों का व्यापार लोग गाड़ियों से करते हैं, बकरों, भेड़ों का भी व्यापार गाड़ियों से करते हैं, साधन हैं, लोगों की गाड़ियां पकड़ी गयीं, गाड़ियां जला दी गयीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार नहीं करें। और लोग जेलों में चले गये और उन बैलों का धंधा बंद हो गया। गाय के ऊपर मैंने कहा गुजारा इंसान का दो चीजों से होता था। पुराने जमाने में दूध बिक्री का कोई धंधा नहीं था। गाय के बिलोने से दूध से

(श्री अमीन खान)

घी उतरता था, घी बाजार में बिकता था। एक तो पैसे की आमदनी भी होती थी, दूसरी उसमें आमदनी होती थी बलद की बिक्री से। तो यह चाय का रिवाज होने से इससे ज्यादा दूध वाला और घी वाला काम बंद हो गया, गाय वाला इस एक्ट से धंधा बंद कर दिया। तो मेरा यह सुझाव है कि गाय की जो हत्या करता है गाय को जिस नीयत से कोई चाकू मारता है, उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, दण्ड मिलना चाहिए।

(18.00 बजे)

हम उसके पक्षधर नहीं हैं लेकिन जो असली पशुपालक है, गरीब है। जिसका मात्र यही धन्धा है, बैल लेना, बैल खरीदना, बैल से खेती करना। उसके लिये यह रुकावट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो गाय सब बेकार। आजकल के जमाने मे सबसे ज्यादा, मारवाड़ के अन्दर देहाती, गरीब इलाके में अकाल में भी लोगों का भेड़-बकरी पर गुजर चल रहा है। क्योंकि अकाल पड़ता है तो भी ये भेड़ और बकरी के ट्रक भरकर अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद और मुम्बई भेजते हैं तो उससे उस घर की 12 महीने की बाजरी खाएं, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो इन लोगों के लिये, जैसे बकरी का कोई गोचर में प्रावधान नहीं है, बकरी को जानवर नहीं माना जाता है, भेड़ को जानवर नहीं माना जाता है, गधे को जानवर नहीं माना जाता है, घोड़े को जानवर नहीं माना जाता है। ऊंट, भैंस और गाय, इन तीन को ही आपने जानवर मान लिया। बाकी की जमीन है, वह कहीं हमारे एरिये में पुराने जमाने में गोचर, वह पड़ी हुई जमीन देखकर के वन विभाग को दे दी, कोई डेजर्ट नेशनल पार्क को दे दी तो वहां पशुपालकों के लिये जीना बड़ा कठिन हो गया।

इसलिये मेरी आपसे यह गुजारिश है कि पशुपालकों को मजबूत करने के लिये इस धन्धे को, अच्छी तरह से गुजर गरीब आदमी अपनी मेहनत, पसीने पर करे तो एक तो इन पशुपालकों के लिये, जहां आपके डाक्टर और जहां आपके कम्पाउंडर हों उनको पाबन्द करें। उनकी दवाई गरीब आदमी को मिले, इसके लिये सरकार की निगाह होनी चाहिए। और नहीं तो इन किताबों में आंकड़ा बताकर, वे कहते हैं, हमने इतने करोड़ रुपये खर्च किये। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। यह मानता हूं, जो ज्यादा खर्च बताता है, आप तो वहां देखिये, उपलब्धि उसकी मानी जाती है।

मैं तो जानता हूं जिस विभाग में खर्च कम हुआ है और पैसा बच गया है तो मैं तो उस विभाग को ईमानदार मानता हूं कि उन्होंने बेईमानी कम की है। खर्च करना आसान है। अब क्या जरूरत है साहब, लेबर पर तो पाबन्दी है लेकिन डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेक्टर, उनकी कार, उनके आफिस, उनके टेलीफोन, उनकी सुविधाओं के लिये कोई पाबन्दी नहीं है। एक बैल को बधिया करने के लिये गांव में सईस रखना पड़ेगा, उस शर्तों पर पाबन्दी है क्योंकि राजकोष

(श्री अमीन खान)

पर बजट आ रहा है। लेकिन डाइरेक्टर भले ही 4 बना दो। उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। तो पाबन्दी वहां लगाओ जहां पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और नीचे से जहां गरीब आदमी को एक काम दे सकता है उसका करो।

भेड़ का सवाल है। भेड़ मंत्रीजी, भेड़ के पूरे इलाकों में, गांवों में मैंने तो एक आठ-आने की दवाई कहीं नहीं देखी। न हमने भेड़ महकमे का कोई आदमी देखा है और अनजान आदमी को तो पता ही नहीं है कि कोई भेड़ महकमा भी है। तो इससे आप यह करो। अब मैं कृषि विभाग के ऊपर आता हूं। कृषि में लोगों को जिस तरह से कृषि की सुविधाएं....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये। आज पशुपालन तक ही सीमित रहिये आप। कृषि को अगली बार देख लीजिए।

श्री अमीन खान : नहीं साहब, पशुपालन की बात कह दी।

श्री उपाध्यक्ष : कह दी, समाप्त हो गयी अब।

श्री अमीन खान : नहीं, नहीं, कृषि को अब कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगली बार देखना।

श्री अमीन खान : नहीं, नहीं, कृषि को कहूंगा।

कृषि विभाग के हमारे जिला हैडक्वार्टर हैं। जिला हैडक्वार्टर पर मैंने देखा है कि एक डिप्टी-डाइरेक्टर, कृषि विस्तार, महकमे का रहता है। कमरा जरूर बना हुआ है। किसी भी गांव में कृषि सहायक या कृषि उप सहायक किसानों को सलाह दे या किसान को कौनसी टेक्निक है, इस चीज को सिखाए। या किसानों को रबी या खरीफ के वक्त बीज वितरण करे या बीज कहां से मिले यह सलाह दे। यह हमारे जिले में तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो फिर मेरा यह निवेदन है कि या तो ये सारे असिस्टेंट बन्द कर दो और बन्द भी न करो तो इनसे काम लो। काम नहीं ले सकते हो तो आज तो अपन उनकी बदनामी कर रहे हैं। कल यह बदनामी अपने गले आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि किसी का भी अच्छा इंतजाम वह कहलाया जाएगा, आपके पास जितने साधन हैं, आप जितनी सुविधा दे सकते हैं ईमानदारी से उस सुविधा को लागू कराओ। अगर लागू नहीं होती है तब तो सब लोग समझते हैं कि ये सब वाहियात बातें हैं।

अभी डेयरी की बात आयी। गुजरात की एक संस्था जिनके यहां से चौगुने पैसे दूध डेयरी के नाम से ले रहे हैं और यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई पाबन्दी नहीं। वे खुले-आम लूट रहे हैं और करोड़ों रुपये का घाटा दे रहे हैं। उस पर कोई निगाह नहीं। तो ये सारी पोलें बंद की जाएं। मेरा जो सुझाव है, गायों के बारे में, भेड़ों के बारे में, बकरी के बारे में, चरागाह की

(श्री अमीन खान)

भूमि के बारे में, इस पर गौर किया जाए। चरागाहों की सुरक्षा के विषय पर इंतजाम किया जाए। पशुपालक एरिये में, गोचर, जितने भी पशु घास खाते हैं उनका इंतजाम होना चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोकजी पूर्विया।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर भी आयेगा या नहीं। (व्यवधान) 7 एम.एल.ए. में से 5 सदन में बैठे हैं, कृषि प्रधान देश है, हुजूर।

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा, आयेगा। आपको बुलाए बगैर सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं करेंगे।

श्री त्रिलोक पूर्विया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने राजस्थान में कृषि विकास के लिये 278 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान रखकर अपनी कृषि नीति को स्पष्ट किया है।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से दक्षिणी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण नगर, उदयपुर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां एग्रीकल्चर महाविद्यालय है, कृषि इंजीनियरिंग कालेज है, होम-साइंस कालेज है, डेयरी-साइंस कालेज है। कृषि विस्तार निदेशालय भी वहां मौजूद है जिस का कंट्रोल बीकानेर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। इतना बड़ा कार्य जो मेवाड़ क्षेत्र में होने जा रहा है, उसका कंट्रोल इतनी दूर रहकर के, 700 किलोमीटर की दूरी उदयपुर और बीकानेर के बीच होती है, जिससे उनका समुचित विकास और देख-रेख ठीक से नहीं की जा सकती है।

मैं इसके लिये, उदयपुर में एक नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये कृषि मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा। वहां इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिये न भूमि खरीदने की आवश्यकता है और न भवन बनाने की आवश्यकता है। वहां बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कृषि फार्म भी है, वहां स्टाफ की कमी नहीं है। वहां ट्रेजरी का आफिस भी बना हुआ है। यहां तक कि मैं यह कहूं कि वाइस-चांसलर की भी नयी नियुक्ति नहीं करके, वहां के आयुक्त को भी काम सौंपा जा सकता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी बहुत अधिक न होते हुए भी, न जाने क्यों बजट में इसका उल्लेख नहीं किया गया।

इसलिये मैं कृषि मंत्रीजी से मांग करूंगा कि उदयपुर में एक नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और आप जो रिप्लाई देंगे उस दौरान ही इसकी घोषणा करें। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशु-पालन पर निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, कृषि क्षेत्र में इस वर्ष 278 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है, जो इस वर्ष पूर्व वर्ष से भी अधिक है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कृषि प्रधान देश है और इसमें किसानों को पानी की कमी को देखते हुए आपने फव्वारा सैट पर 20 हजार का जो लक्ष्य रखा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है। कम से कम 60 हजार फव्वारों के अनुदान का रखा जाए, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गांवों में आपने कचरे एकत्रित कर कम्पोस्ट खाद तैयार करने की जो योजना प्रारम्भ की है, यह किसानों के लिए हितैषी है। पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो किसान का जो अन्न बेचा जाता है कृषि उपज मण्डी में, तो कृषि उपज मण्डी की हालत यह है कि कृषि उपज मण्डी में किसानों को खड़ा होने के लिए एक शेड भी नहीं है।

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां किसान अन्न बेचने के लिए जाए और किसानों को खड़ा होने के लिए मात्र एक छोटा मकान भी नहीं हो। बरसात आ जाए तो उसका अन्न भीगेगा उसको कोई पूछने वाला नहीं है और न ही सर्दी और गर्मी के अन्दर खड़ा होने के लिए स्थान है।

इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम धान मण्डियों में किसान के खड़ा होने के लिए एक शेड तैयार करवाइये जिससे किसान अपने पशु और ट्रैक्टर खड़ा कर सकें। और अनाज को भी बरसात से बचा सकें।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि स्वैच्छिक नर्सरीज खोली जाएं। किसानों को इस सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और ड्रिप सिंचाई का भी अधिकाधिक सदुपयोग हो सके। सिंचाई के प्रशिक्षण दिये जाएं जिससे किसान को यह मालूम हो कि कम पानी में भी खेती तैयार की जा सकती है।

श्रीमान् 20 राज्यों में सघन उद्यानिकी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है परन्तु बड़े दुःख की बात है कि झुन्झुनूं जिले में यह योजना भी लागू नहीं है। दूसरा टूल-किट्स की जो व्यवस्था है, किसानों को कम से कम दी जाए, जिससे किसान अपना काम करवा सकें।

दूसरी बात, झुन्झुनूं जिले में मिट्टी के परीक्षण के लिए, हिसार जाना पड़ता है। यहां ऐसी कोई योजना नहीं है, न ही उनका कोई आफिस खोल रखा है कि मिट्टी को बता सकें कि इसमें कितने पानी की, कौनसी चीज की जरूरत होती है। प्रयोगशाला नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जो भी बीज

(श्री श्रवण कुमार)

दिये जाते हैं, थोड़ी देर पहले सुमित्राजी ने बताया था कि ज्वार को लाल रंगकर बेचा जा रहा है, इससे बड़ी दुःख की बात और क्या हो सकती है। यह किसानों के लिए बहुत बड़े दुःख की बात है कि जो किसान धरती का पेट चीरता है, और उसके अंदर बीज बोता है, वह भी नकली होता है।

इससे बड़ी दुःख की बात और कोई हो नहीं सकती। पूरे भारत में किसान को जो सबसे जरूरी चीज है, वह बीज और खाद की जरूरत होती है। धरती की खुराक रासायनिक खाद नहीं है, गोबर की खाद है और गोबर की खाद पशुओं की कमी होने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए पशु की महती आवश्यकता है। पूरे तीन लाख कुओं की सिंचाई राजस्थान में बिजली से हो रही है जिसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी का स्तर दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि छोटे-छोटे एनीकट्स बना कर के पानी ऊपर आये, पानी रिसकर के, इससे किसान को पानी मिल सके और खेती कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब पशुधन पर आना चाहता हूं। मान्यवर, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुपालन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस वर्ष 100 नये पशु चिकित्सालय व 400 नये पशु उपकेन्द्र खोलने की जो घोषणा बजट में की गयी है, मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी व सरकार को बधाई देना चाहूंगा। इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि सरकार न केवल इंसानों की तरफ देखती है बल्कि पशुओं की तरफ भी पूरा-पूरा ध्यान रखती है। पूर्ववर्ती सरकार ने जब यह जा रही थी, उससे पहले दो सौ या सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे। उनको भी अभी तक पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो पायी है। अभी थोड़ी देर पहले रामप्रतापजी कह रहे थे कि सरकार किसानों के प्रति हमदर्द नहीं है।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आठ साल में किसान की तरफ आंख खोलकर के नहीं देखा, और जब सरकार से पीछा छूट गया तो उस राजस्थान सरकार के हितैषी हो गये। मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, किसानों ने आपको मौका दिया है, आप किसानों की तरफ ध्यान दें।

राजस्थान कृषि प्रधान देश है। हमारे झुंझनू जिले में डेयरी चिलिंग प्लांट चल रहा था, उसको बन्द कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपये की मशीन, मकान, सारी सम्पत्ति ध्वस्त हो रही है। मैं डेयरी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसको पुनः चालू करें, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। आज भारत के अंदर पशुधन 543.48 लाख है, जो आदमी से ज्यादा है। एक कालेज केवल पशु की बीकानेर में है।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सीकर और झुंझनू को आपने हर तरह से अछूत रखा है। एक कालेज खुलवा दें, जिससे हमारे झुंझनू और सीकर जिले का

(श्री श्रवण कुमार)

उद्धार हो जाए। हर जगह पर, हर पाइंट पर हमको वंचित रखा गया है। आज ही घोषणा कर दें। झुंझुनूं में और सीकर में, दोनों में से, एक ही बात है। सीकर में कर दोगे तो भी हम मान लेंगे। एक कालेज की घोषणा आज ही कर दो।

तीसरा मेरा निवेदन है कि आप पशुओं के लिए जो हास्पिटल खोल रहे हैं उनमें डाक्टर्स की पूर्णतः ऐसी व्यवस्था करें कि गांवों के डाक्टर गांवों में रहें। रात में अगर पशु बीमार हो जाता है तो उसको शहर ले जाना पड़ता है। पशुओं की बीमारी रात और दिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बीमारी कभी भी हो सकती है। इसलिए जिन डाक्टर्स की नियुक्ति की जाए उनको यह हिदायत दी जाए कि वे गांवों के अंदर रहेंगे।

चौथा मेरा निवेदन है कि जो पशुधन है, उसके साथ पहले पशु वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा था। यह अच्छे नस्ल के पशु, सांड, मेंढे, बकरे गांवों में रखते थे, वे आज कल बन्द कर दिये हैं। इसलिए मेरा भेड़ एवं ऊन डिपार्टमेंट के मंत्रीजी से निवेदन है कि मेंढे और बकरे दुबारा गांवों में प्रजनन के लिए अच्छी नस्ल के रखे जाए, जिस से गांवों में जो भेड़ें ऊन पूरे देश को चालीस प्रतिशत देती है, इसकी सारी की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है, पुनः भेड़ एवं अन्य पशुओं पर ध्यान देकर के गांवों की इस व्यवस्था को कायम करें। मैं, समय के अभाव को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक ही आदमी रह गये हैं, इनको बुलवा दीजिए। केसाराम चौधरीजी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : परम् आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बीच में ही यह बोलने लग गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उठे ही नहीं, मैं क्या करूं। अब शुरू कर दिया है, आप दो मिनट बैठ जाओ।

श्री केसाराम चौधरी : कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बहुत बड़ा राजस्व इसी से प्राप्त होता है। राज्य की 77 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसके लिए इस बजट में 278 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान रखा, वह बहुत ही कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि फव्वारा खेती है, वह किस

(श्री केसाराम चौधरी)

क्षेत्र के लिए सार्थक हो रही है, उसके लिहाज से क्षेत्रवाइज फव्वारा खेती को लगाया जाए। फव्वारा खेती रेतीले प्रदेश के लिए कामयाब हो सकती है। डोमट और चिकनी मिट्टी के लिए यह फव्वारा सिंचाई की खेती कामयाब नहीं है। इसलिए इसको क्षेत्रवार वरीयता देकर किया जाए तो अच्छा रहेगा। किसानों के हित में रहेगा।

जिस तरह से किसानों को सब्सिडी की बात की जाती है तो ट्रैक्टर पर सेल्स टैक्स सरकार जो लेती है, वह टैक्स माफ करके किसान के लिए ट्रैक्टरों की कीमत कम करनी चाहिए। ट्रैक्टर बहुत ही महंगा हो गया है। किसान की खरीद से बाहर हो रहा है। किसान कर्ज ले लेकर के बैंकों में अपने ऊपर इतना ऋण मंडा चुका है कि उसकी जमीन बिकने तक की नौबत आ रही है। ट्रौली पर आपने टैक्स माफ किया है। पूर्व में भी माफ किया हुआ ही था। पूर्व सरकार भी ट्रोली पर कोई कर नहीं लेती थी। आपने ऐसी कोई नई बात नहीं की है। बजट में यह भी प्रावधान रखा है कि 20 लाख टन उर्वरक एवं चार लाख क्विंटल प्रमाणित उन्नत बीज देंगे। मगर बजट में खुलासा नहीं किया है कि अनुदान पर देंगे अथवा पूरी कीमत पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि उन्नत बीजों के लिये जो बातें की जाती हैं इससे मैं आपकी पारदर्शिता पर सन्देह व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीज निगम में आर.ए.सी. और एन.ए.सी. द्वारा बिलाड़ा में कपास का बीज तैयार किया गया है। इससे किसान बरबाद हो जाएगा। करीब 20 हजार क्विंटल कपास खरीदा है बीज के लिये। यह बीज पहले फाउंडेशन सीड देते थे, वह फाउंडेशन सीड करीबन 54 काश्तकारों को दिया गया और 54 काश्तकारों में किसी के पास जमीन भी नहीं है, गिरदावरी भी नहीं है, न कोई बात है। उसकी जांच अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। मगर उसमें बिलकुल साफ-साफ मालूम हो गया है कि वहां पर घोटाला हुआ है। 54 काश्तकारों के 20 हजार क्विंटल कपास किसी हालत में पैदा नहीं हो सकता और ऐसे में जो साधारण कपास खरीदा गया है, वह कपास का बीज किसानों को दिया जाएगा।

अतः मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कि अतिशीघ्र उस बीज को रुकवाया जाय ताकि किसानों को उस बीज से साधारण कपास का बीज, जो 9 रुपये किलो के भाव का कपास का बीज है, उससे ज्यादा रकम की वसूली नहीं की जाये। और वह फसल भी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी काश्तकार अच्छे सीड की कल्पना से लेगा और वह एक्चुअली सीड साधारण कपास का है। इन्क्वायरी हो चुकी है। सारी बातें साफ हो गयी हैं।

माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अतिशीघ्र उस बीज को

(श्री केसाराम चौधरी)

रुकवाया जाये। यह आपकी तरफ से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

जलग्रहण के लिये अगले वर्ष में 128 करोड़ रुपये का कार्य हाथ में लेना सराहनीय है, किन्तु यह बहुत कम है। अगर जलग्रहण की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में खेती के लिये तो क्या, मनुष्य के पीने के लिये भी पानी मिलना दुश्वार हो जाएगा।

अतः इस योजना पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करके इस योजना को कामयाब करने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान के अन्दर जहां-जहां पर पहाड़ियां हैं, उनके अन्दर बरसात के पानी को रोका जाए और ऐसे एनीकट बनाये जाएं और काश्तकारों के द्वारा उस पानी का सिंचाई के लिये उपयोग नहीं किया जाय बल्कि उस पानी को पहाड़ों में भरा रहने दिया जाये और धीरे-धीरे नदियों में बहाया जाये जिससे जमीन का चार्जिंग लेवल बढ़ेगा और किसानों के लिये यह हितकर होगा, जो कुए से सिंचाई करते हैं।

किसान राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, उसको जितनी सुविधा दे सकें, उतनी सुविधा दें। मगर किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे गांवों में रोज से कुछ किसान इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका खेत उजाड़ देते हैं। उसकी पैदा की हुई फसल बरबाद कर देते हैं। रात-रात भर किसान सो नहीं सकता। ग्रामों में ग्रामीण सूअर हैं, कई जगह इस तरह की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से फसल की जो बरबादी होती है, उसको रोकने के लिये सरकार को कोई निश्चित रूप से ठोस कदम उठाने चाहिये जिससे पैदा की हुई फसलों की बरबादी न हो।

कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये निर्मल ग्राम योजना हेतु एक करोड़ बयालीस लाख रुपये का प्रावधान फालतू है। किसान यह तो सदियों से जानता है कि खाद कैसे बनती है, कैसे तैयार की जाती है। उसको सिर्फ टैक्निक देने की जरूरत है। उसको समझाने की जरूरत है। इस बात का प्रचार-प्रसार किया जाए तो अच्छा है। किसान कोई आज से खाद पैदा करता नहीं आया। सदियों से किसान खेती करता आया है। खाद किस तरह से तैयार की जाती है वह जानता है। इस मद को किसी दूसरे मद में लगाकर के किसानों का भला किया जाए तो अच्छा रहेगा।

खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाये तो किसान अपनी पैदावार को पैदा तो कर लेता है मगर किसान को उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता। जैसे एक कुम्हार है, वह बर्तन बनाता है। एक बर्तन बनाकर के भी उसकी कीमत खुद तय करता है। मगर किसान जिसने फसल पैदा की, उसको तो मंडी ले जाकर खड़े कर देता है और मंडी के व्यापारी छुरे डाल-डालकर उसका आपरेशन करते हैं और वह ही भाव तय करते हैं। वह बोरी का आपरेशन नहीं, किसान का आपरेशन हो जाता है वहाँ पर। अगर

(श्री केसाराम चौधरी)

चार व्यापारी मिल गये तो मर्जी से जिस भाव में खरीदना है उतने भाव में खरीद सकते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो यह भी किसानों के हित में होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नया हूं, थोड़ा-सा मौका दिया जाए। कृषि मंडी द्वारा कृषि उत्पादन में अच्छे गांवों को मंडी से जोड़ना चाहिये। धामली और भिमालिया जैसे गांवों को चार किलोमीटर की सड़क डामर से जोड़ी जाए तो वह भी मंडी से जुड़ जाएंगे और मंडी से जुड़ने से कृषि की पैदावार बढ़ेगी, कृषि की आय बढ़ेगी। पिलावणी से कंगणी तक चार किलोमीटर सड़क है, यह भी कृषि मंडी के मार्फत बनवायी जाए तो किसानों के लिए फायदेमंद होगा।

पशुपालन मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशु चिकित्सालय के लिये आऊवा में भवन बना हुआ है और इतना सुन्दर बना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर उसमें पशु चिकित्सालय खोल देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और उस क्षेत्र के चारों ओर इतने कृषि के गांव हैं कि उन सभी किसानों को इस हास्पिटल से बहुत फायदा होगा। और बहुत ही ऐतिहासिक गांव है आऊवा, जो स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने वाला गांव है। वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने की मैं मांग कर रहा हूं।

अन्त में, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर कृषि को जिन्दा रखना है तो मुख्य रूप से किसान को, जो खेती में औजार लगते हैं, उनमें किसी तरह का अनुदान दिया जाये। किसान को ट्रैक्टर सस्ता मिले, इस तरह की कोई व्यवस्था हो। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खेती में आंकड़े भले ही कुछ भी लिख दो कि इतने टन अनाज हो जाएगा, इतना टन वह हो जाएगा। अगर बरसात नहीं होती है तो वह आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए पानी के लिये राजस्थान में अगर अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से राष्ट्र में पहले स्थान पर भी आ सकता है राजस्थान। राजस्थान की धरा समतल है और खेती के लिये बहुत ही अच्छी पैदावार हो सकती है। इसके लिये सिर्फ एक ही बात है कि पानी की व्यवस्था किसी तरह से की जाए। यमुना का पानी राजस्थान में किस तरह से लाया जाये, इसके लिये भी कोई प्रयास करने चाहिये। अन्त में, आपने मुझे समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान की जनता खेती और पशुपालन से अधिकांश संख्या में जुड़ी हुई है। आज कृषि और पशुपालन की चर्चा के बारे में भाग लेते हुए यह निवेदन करूं और कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं कि राजस्थान में भूमिगत जल के बारे में वैज्ञानिकों की राय है कि

(श्री रामचन्द्र सराधना)

अगले 10–15 वर्षों में पीने के पानी का संकट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कृषि के बारे में बड़ा सोच हो जाता है। जब पीने के पानी का ही संकट हो जाएगा तो कृषि किस तरह से हो सकेगी। खेती की सिंचाई किस तरह से होगी।

मैं निवेदन करता हूं कि यह स्वच्छंद तरीके से भूमि के जल का दोहन करने के कारण राजस्थान में इसका संकट आने वाला है और इसमें बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा की सिंचाई बहुत बड़ी लाभदायक होगी। जैसे कि कृषि मंत्री जी ने घोषणा की है 20 हजार फव्वारा सैट्स देने के लिये, मैं समझता हूं कि जब तीन लाख कुओं से सिंचाई राजस्थान में होती है वहां आप 20 हजार फव्वारे देकर क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसके लिये निवेदन करूंगा कि फव्वारा सैटों की संख्या आपको बढ़ानी चाहिये और जिन इलाकों में फव्वारा सैट नहीं है, वहां भी किसानों को प्रेरित करना चाहिये कि आप बूंद-बूंद सिंचाई से और फव्वारा सिंचाई करके भूमिगत जल का दोहन ज्यादा न करें फसल भी हो सके और जल का संचय भी रह सके।

फव्वारा सिंचाई के लिये सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से। और जहां सब्सिडी का नाम आ जाता है वहां पर, करप्शन शुरू हो जाता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं। जहां आप सब्सिडी देते हैं, उसका तरीका इतना गंदा है कि काश्तकार के पास उसका सदुपयोग हो ही नहीं पाता।

मैं समझता हूं जहां 33 हजार रुपये फव्वारा सैट पर खर्च हो रहे हैं, वह नकद पैसे में लेकर आना चाहे तो 25 हजार में ला सकता है। आपने एक कानून बना रखा है कि जो बैंक से पैसा लेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी। उसका नतीजा यह होता है कि फव्वारा सैट बेचने वाला व्यक्ति काश्तकार से सम्पर्क करता है, फाइल तैयार करवाता है, कृषि विभाग के अधिकारियों से स्वीकृति लेता है और बैंकों में जाकर वो उसको मन्जूर करवाता है और उसको अच्छी तरह से यह समझाता है कि आपको इतनी बड़ी रकम सब्सिडी में मिल रही है, कुछ हम ले लेंगे और कुछ आप ले लेंगे। और काश्तकार ज्यादातर बिना पढ़े-लिखे हैं, वे उनके चक्कर में आ जाते हैं और सब्सिडी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता।

इस मामले में मेरा निवेदन है कि यदि काश्तकार कैश में फव्वारा सैट लाना चाहे तो आपको चाहिए कि अपनी सब्सिडी का हिस्सा उसके खजाने में जमा करवा दें, उसको चैक दे दें। वो अपने तरीके से उपयोग कर ले और सब्सिडी का लाभ ले ले।

जल ग्रहण का मामला है। बहुत अच्छी बात है जल ग्रहण के लिए स्कीम शुरू की गयी है। लेकिन उसकी क्रियान्विति बहुत गलत हो रही है। और मैं समझता

(श्री रामचन्द्र सराधना)

हूं कि जल ग्रहण जैसी स्कीम के लिए कृषि विभाग उतना गम्भीर नहीं है, उन्होंने मुड़ कर कभी देखा भी नहीं जल ग्रहण क्या हो रहा है और गांवों में किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। अनाप–शनाप लोग बिना देखे, बिना सोचे-समझे जल ग्रहण की स्कीम को लागू कर रहे हैं। कहीं डंडा बना रहे हैं, कहीं छोटे–छोटे एनीकट बना रहे हैं, कहीं बना ही नहीं रहे। कई ने कच्चा काम कर लिया है, कई ने पक्का कर लिया है। मैं समझता हूं इतना पैसा लग रहा है और इतना बड़ा उपयोग समझ कर इसको लागू किया जा रहा है तो कृषि विभाग के अधिकारी इसके बारे में जाकर के गम्भीरता से देखें।

किसानों के लिए फसल बीमा की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, मेरे जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अभी पांच काश्तकारों के खलिहान एक साथ पड़े हुए थे और एक साथ जल गये। बीमा फसल का करने की बात तो दूसरी रही जिन लोगों का खलिहान जल चुका; जिनकी फसल नष्ट हो चुकी वे हाथ मल कर रह गये। जब तहसील से बात करते हैं या रिलीफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वे कहते हैं जिसका घर जल जाता है उसका तो हम करते हैं खलिहान का हमारे पास कोई उपचार नहीं है। मैं निवेदन करूं कि उन काश्तकारों के लिए जिनके खलिहान जल जाते हैं उनको रिलीफ देने के लिए भी कृषि विभाग को कोई न कोई तरीका सोचना चाहिए।

एक आपके सहायक कृषि पर्यवेक्षक घूमते हैं गांवों में। पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इस मामले में आपका ध्यान आकर्षित किया है। गांवों में जाकर वास्तविकता में आप देखें तो वे नकारा साबित हो गये हैं। कृषि पर्यवेक्षक न जाकर काश्तकार से मिलता है न काश्तकार उसको जानता है और उस पर कौन मानीटरिंग करता है, मालूम नहीं है। ग्राम पंचायत का सचिव जाता है, पंचायत उस पर निगरानी करती है, पंचायत में जाकर बैठता है। आपके कृषि सहायक पर्यवेक्षक का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कहां रहता है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने उसको मात्र इसलिए लगा रखा है कि वह डिमोंस्ट्रेशन करे और काश्तकारों की मदद करे। उनको जानकारी दे नये-नये औजारों के बारे में, नये-नये खाद-बीज के बारे में। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। उधर पंचायत राज में देखिये आप, ग्राम पंचायतों के सचिव पूरे नहीं हैं।

मैं समझता हूं दोनों काम एक ही आदमी को दे दिये जाएं तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है, जो ग्राम सेवक कहलाता है, वह कृषि पर्यवेक्षक का काम भी बहुत आसानी से कर सकता है और एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है। जो गांव में उनको हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है कि यह कौन कर्मचार कुछ भी नहीं करता है, मिलता नहीं है। वह दस–पांच काश्तकारों को, मुखिया-

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मुखिया को रखता है। वह अपनी उनको जानकारी दे देता है, कभी कोई इंक्वायरी आफिसर जाता है तो उससे मिला कर बयान करा देता है।

मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में गम्भीरता से देखें जिसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिल रहा है और इसका नुकसान सरकार को बराबर हो रहा है।

मैं कृषि विपणन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कृषि विपणन बोर्ड का गठन वास्तव में इसलिए किया गया था कि कृषक अपनी उपज को कृषि मंडी में लाकर बेचे और उसका सही मूल्य उसको मिल सके। इस मामले में हम बहुत कुछ सफल भी रहे हैं। लेकिन कृषि मंडियों तक जाने की सड़कों को आप देखेंगे, आप गौर फरमायेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आठ-दस साल में इतनी बुरी हालत हो गयी है कि चाहे गाड़ी में लेकर आओ, चाहे बैलगाड़ी में लेकर जाओ, बराबर पहुंचता है। मेरे जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खोरा से लेकर मेड़ तक चले जाओ, चावंड्या से लेकर मोहनपुरा तक चले जाओ और बूज से लेकर खवा रानीजी तक चले जाओ या जमवारामगढ़ तक आ जाओ। आपको रास्ते में इतने बड़े-बड़े खड्ढे मिलेंगे।

मैं समझता हूं इस मामले में गंभीरता नहीं रही अन्यथा उनका पेचिंग कर दिया जाता तो उतनी बुरी दशा नहीं होती और काश्तकार जाने-आने में जो परेशानी भुगतता है, कहीं किसी की गाड़ी किराये लेकर आता है तो गाड़ी वाला मना कर देता है कि हम माल लेकर मंडी में नहीं जायेंगे, आप का रास्ता खराब है।

इसलिए मैं निवेदन करूं कि कृषि मंडी से जो सड़कें बनी हुई हैं, उनको पूर्ण करायें और उसके बाद फिर उनको पी.डब्ल्यू.डी. को दें ताकि उनकी मेंटीनेंस होती रहे। यह सारी दुर्दशा इसलिए हुई है कि चुने हुए जन-प्रतिनिधि कृषि विपणन बोर्ड में नहीं हैं जिसके कारण सार संभाल नहीं हो सकी; जनता की आवाज को ढग से नहीं पहुंचाया जा सका और इसी के कारण से यह दुर्दशा चली आ रही है। कृषि विपणन बोर्ड के मंत्रीजी हैं नहीं, उनके अभाव में मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र इतना लम्बा-चौड़ा विधान सभा क्षेत्र है जहां पर कृषि मंडियां नजदीक से नहीं लगती हैं। यदि मेड़ और चंदवाजी गांवों में, जहां का एरिया लम्बा-चौड़ा पड़ता है वहां उनके पास में कृषि मंडी का यार्ड भी बना दिया जाय तो उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

कृषि विपणन बोर्ड वहां तक तो काम करता है, कृषि मंडी वहां तक तो काम करती है जब किसान अपने खेत से फसल पैदा कर के कृषि मंडी में लाकर के बेच देता है, वहां तक तो किसान की बात हो जाती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या काश्तकार को कृषि मंडी में जब दुकानें अलाट होती है उस समय प्राथमिकता देते हैं ? क्या काश्तकार अपनी उपज को खरीद

(श्री रामचन्द्र सराधना)

करके बेच नहीं सकता, क्या वह व्यापार नहीं कर सकता ?

मैं निवेदन करूंगा इस मौके पर कि कृषि मंडी अपनी दुकानों को अलाट करते वक्त, नीलाम करते वक्त में काश्तकारों को प्राथमिकता दें । उनमें से लेने वालों को पहले दें बाद में दूसरे लोगों को दिया जाय ।

तीसरी बात, पशुपालन और डेयरी के बारे में मेरा निवेदन है कि पशुपालन का भी कृषि के बाद में दूसरा बहुत बड़ा महत्व है ग्रामीण जीवन में और यह आवश्यक भी है । पशुओं की चिकित्सा भी जरूरी है । पशुओं के लिए या तो चिकित्सा चाहिए या चरागाह चाहिए । चरागाह के लिए निवेदन करूं, चाहे भैंस और गाय की बात करें, चाहे भेड़ और बकरी की बात करें चरागाह नष्ट होते जा रहे हैं । या तो चरागाह पर अतिक्रमण कर लिये गये हैं और जहां पर सिवायचक थे, गैर मुमकिन पहाड़ थे, वहां पर फोरेस्ट ने अपने दफ्तरों में बैठ कर के डीमार्केशन कर लिया है । मौके पर जाकर देखा नहीं है पहाड़ फोरेस्ट के काबिल है कि नहीं है ।

मैं आपको निवेदन करूं, मनोहरपुर के पास में इतना बड़ा पहाड़ है । मेरे ख्याल से वह दो किलोमीटर रेडियस में है । उस में कोई एक पेड़ बता दे तो मैं मेरी गलती मानने को तैयार हूं । जितना बड़ा जुल्म दे सकें, मैं भुगतने को तैयार हूं । लेकिन फोरेस्ट ने उसको एक्वायर कर रखा है । उसमें से न पत्थर लेने देता है और न उसमें पत्ता पैदा होता है । ऐसी विसंगतियां हैं । एक पेड़ देखने को नहीं मिलेगा और फोरेस्ट वाले जाकर खड़े हो जाते हैं, ग्रामीण वहां से पत्थर भी नहीं ला सकते ।

मेरा निवेदन है कि पशुपालन विभाग, भेड़ वाला विभाग और फोरेस्ट अपना कोआर्डिनेशन कर के देखें कि हमारे इन लोगों के लिए, पशुपालन के लिए जो जगह छोड़ी जा सकती है उनको छोड़नी चाहिए और इनको फोरेस्ट से निकालना चाहिए ।

जमवारामगढ़ बहुत बड़ा इलाका है और पहाड़ी इलाका है । नदियों-नालों का इलाका है । बहुत सारे माननीय सदस्यों ने देखा होगा, उनकी निगाह में है । लेकिन यहां पशुओं का धंधा रहने के बावजूद भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है और माकूल व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए थी ।

इस समय मैं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चंदवाजी एक ऐसा सेंटर है जहां पर आपको पशुओं का हास्पिटल देना चाहिए और आमलोदा और सायपुरा, दो ऐसे गांव हैं जो बिलकुल इंटीरियर में हैं । पहाड़ों, नदियों और नालों के बीच में हैं । वहां पर आपका उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया जाय तो काश्तकारों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा । आपकी संख्या के हिसाब से भी ठीक लगता है ।

इसके साथ-साथ पशुपालन मंत्रीजी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन से लेकर दूध उत्पादन करने से लेकर डेयरी में दूध पहुंचाने तक काश्तकार की बात होती है या पशुपालन करने वाले की बात होती है। लेकिन जब दूध उत्पादन सही बन जाता है, चाहे वो सरस छाछ के रूप में जाए, चाहे दूध के रूप में जाए, घी के रूप में जाए काश्तकार को कभी जयपुर शहर जैसे शहर में अलाटमेंट नहीं हुआ। कभी एजेंसी नहीं मिली। कभी उसको दुकान नहीं मिली कि तुम तुम्हारे उत्पादन को बेच भी सकते हो। हम काश्तकार दूध पैदा करते हैं, दूध पहुंचाते हैं, हम काश्तकार पशुओं को संभालते हैं, हम पालते हैं। उसके बाद में हमारे में ऐसी क्या कमी आ गयी कि जयपुर शहर में जो दूध पैदा करना नहीं जानते हैं, जो पशुपालन को नहीं जानते हैं, वे लोग वहां पर एजेन्सियां लेकर बेचने लग जाते हैं और ग्रामीणों का, पशुपालकों का नाम नहीं लिया जाता।

मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से इस मौके पर गुजारिश करूंगा कि इस बात पर गौर करें और जब भी जयपुर शहर जैसे शहर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और जहां बड़े शहर हैं और जहां पर आप अपने डेयरी का उत्पादन बेचना चाहते हैं वहां पर प्राथमिकता दें किसानों को, किसानों के शिक्षित लड़कों को, ताकि वो भी अपना रोजगार चला सकें।

इन्हीं अपने विचारों के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं जिन्होंने शायद मुझे अंत में मौका दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा करण सिंह यादव(बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मात्र दो मिनट में अपनी एक सुझाव कृषि मंत्रीजी को देना चाहूंगा। यह जो कृषक साथी योजना कृषि विपणन बोर्ड की है जिसके माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होने पर, मृत्यु होने पर कुछ अनुदान राशि कृषि विपणन बोर्ड देता है। इस मामले में मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसानों के बहुत लोग अस्पतालों में असाध्य रोगों से हृदय का वाल्व बदलवाने के लिए, पेस मेकर लगवाने के लिए, गुर्दा बदलवाने के लिए और कैंसर से ग्रसित होकर आते हैं जिनके लिए पैसा जुटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष से, कुछ लायन्स क्लब से और कुछ रोटरी क्लब से इस मामले में अगर आप उचित समझें तो 10 हजार या 15 हजार की राशि किसान को, क्योंकि उसका कभी दुरुपयोग हो नहीं सकता। आपके पास में अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं। मात्र इतनी सी बात है। (व्यवधान) चार आप कर देंगे और चार आप कर देंगे, किसानों का भला हो जायेगा सर। (व्यवधान) बहुत बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ मैं एक छोटा सा निवेदन अपनी कांस्टीट्युएंसी के बारे में करना चाहूंगा कि बहरोड़ हरियाणा से जुड़ी सीमावर्ती कांस्टीट्युएंसी है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत उत्पादक कांस्टीट्युएंसी है।

(डा. करण सिंह यादव)

इस बार इतनी अच्छी परमात्मा की कृपा से और कांग्रेस की बिजली नीति की वजह से बढ़िया फसल हुई है और किसान बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ी वहां तकलीफ यह है कि वहां की कृषि मण्डी खैरथल, बहरोड़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वहां की नजदीक की कृषि मण्डी अटेली और नारनोल जो बहरोड़ से लगती हुई है। तो सारे किसान अपनी फसल इस वजह से खैरथल नहीं ले जा पाते और उसको हरियाणा में लेकर जाते हैं जिससे एक तो उन को वहां का सैकिण्ड रेट सिटीजन की तरह से ट्रीट किया जाता है, और दूसरा, कृषि मण्डी से होने वाली जो आय है, उससे भी हम वंचित रहते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि बहरोड़ में कृषि मण्डी यार्ड खुले। और बहरोड़ में वहां को-आपरेटिव सोसाइटी ने अपनी खुद एक मण्डी, फल सब्जी की, निर्माण कर रखी है। उसका क्षेत्र डवलप करके, उसमें बाकी फैसेलिटीज डवलप करके ये दो राहत बहरोड़ क्षेत्र के किसानों को दें। इतनी सी बात कहकर माननीय उपाध्यक्षजी, धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसादजी।

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 37 और 39 दोनों पर संक्षेप में मेरे विचार प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र 77 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और पशु पालन पर आधारित हैं। कृषि तथा पशु पालन समन्वित रूप से किसान के मुख्य धंधे हैं। जैसे औद्योगिक विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसी प्रकार कृषि के विकास के लिए कृषि का लाभ कृषक तक पूरी तरह से पहुंचे इसके लिए भी आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

मैं इसमें मुख्य तौर से कुछ ऐसी सुविधाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका यदा-कदा अभाव हो जाता है, वह वितरण की व्यवस्था के कारण या और किसी कारण से इसका कृषि के उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नयी सरकार ने आते ही एक आधारभूत सुविधा की उपलब्धि में एक अनुपम कार्य किया। आठ घंटे कृषक को बिजली देने का और उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ है। रिकार्ड पैदावार तिलहन की तथा गेहूं की हुई है। मैं इसी आधारभूत सुविधाओं में सिंचाई और बिजली ये दोनों मिली-जुली एक सुविधा है। इसके अतिरिक्त उवरक और साख की आवश्कता पड़ती है। साख के सम्बन्ध में शार्ट टर्म जो एग्रीकल्चरर क्रेडिट है उसमें एक अभाव नजर आता है। को-आपरेटिव बैंक्स हैं, वह तो साख के मामले में जो कृषक को शार्ट टर्म क्रेडिट मिलनी चाहिए वह उपलब्ध कराते हैं लेकिन जो नेशनलाइज बैंक्स हैं उनको जो टारगेट दिये जाते हैं उनकी पूर्ति नहीं होती। उन बैंकों का कुछ इस तरह का व्यवहार हो जाता है कि कलक्टर लेवल पर जो एक कमेटी बनी हुई है उसमें बार-बार दबाव देने के

(श्री हनुमान प्रसाद)

बाद भी बैंक अपना साख का टारगेट रखा है, उसे पूरा नहीं करते।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आधारभूत सुविधाएं, जिनमें साख एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है, वह कृषक को समुचित रूप से उपलब्ध करायी जाए। उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसके लिए कृषि मंत्रीजी उपाय करें।

इसके अतिरिक्त बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी विपणन के सम्बन्ध में दुविधा व्यक्त की है, मैं उसी कड़ी में कहना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन विपणन की व्यवस्थाओं में बाधाएं हैं और खास तौर से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बहरोड़ की तरह वह हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र का अधिकांश उत्पाद हरियाणा की मण्डियों में जाता है। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र जिसमें मुख्य तौर से बुहाना पंचायत समिति और सूरजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र पड़ता है, वहां से नारनोल और महेन्द्रगढ़ की मण्डियां नजदीक पड़ती हैं और ज्यादातर उत्पाद वहीं जाता है क्योंकि राजस्थान में हमारे झुन्झुनूं जिले की अन्य मण्डियों में सूरजगढ़ है वह एक तरफ पड़ जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में कृषि विपणन मंत्रीजी से भी निवेदन किया है कि बुहाना में कृषि मण्डी की स्थापना हो और उन्होंने मुझे लिखित में सूचित भी किया है कि इस सम्बन्ध में वे जांच करवायेंगे।

मैं आज इस आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा। एक दुविधा और है कि हरियाणा क्षेत्र की जो मण्डियां हमारे पास पड़ती हैं उनमें कृषि उत्पाद ले जाने में बहुत दुविधा है क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है और सड़क के नाम पर कंकड़ मात्र हैं जबकि हरियाणा में घुसते ही एक परिदृश्य ही बदल जाता है।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि सीमा क्षेत्र के जो सड़क के छोटे टुकड़े हैं दो-दो, चार-चार किलोमीटर के उनको सुधारा जाए। जो प्रस्ताव कृषि मंत्रीजी ने कृषि उत्पादन और कृषि विकास में रखे हैं, स्वागत योग्य हैं और विशेषकर उत्पादन के लक्ष्य।

मैं इस अवसर पर जो फव्वारा कृषि के सम्बन्ध में 20 हजार फव्वारा सैट्स पर अनुदान देने की बात कही गयी है, मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से फव्वारा कृषि पर अनुदान मिला है तब से भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और आज तो यह हालत है कि सीकर व झुन्झुनूं जिलों में रबी की फसल लगभग पूरे क्षेत्र में होती है। पहले ऐसी अवस्था नहीं थी। जो जल कम मात्रा में भी उपलब्ध है उसका भी सही उपयोग हो रहा है। जो फव्वारा सिंचाई है, यह एक अनुपम प्रयोग है और इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता समझता हूं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी मांग की है कि इस संबंध में इस संख्या को 50 हजार या 60 हजार तक किया जाए। मैं भी यही मांग करता हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार है। सामने कोई मंत्री नहीं बैठा है..(व्यवधान) यह खाली कृषि और डेयरी मिनिस्टर को छोड़कर दूसरे किसी को कोई इन्ट्रेस्ट नहीं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कन्सर्न्ड मिनिस्टर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बहुत संवेदनशील है..(व्यवधान) सामने देखिये। आप देखिये तो सही बिलकुल खाली पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित विभाग के मंत्री बैठे हैं।

श्री श्रवण कुमार : विपक्ष वाले एक भी हैं क्या ? यह विपक्ष वाले कितने बैठे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्वान्ट ऑफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त कर लेने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समय बढ़ायेंगे आप, समय बढ़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह समाप्त कर लें पहले।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बहुत संवेदनशील हैं..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बीच में क्यों बोल रहे हो, बोलने दो ना।

श्री हनुमान प्रसाद : कृषि विकास में मेरे क्षेत्र में एक आधारभूत कमी और देखने में आयी है कि विद्युत उपलब्धि में कमी है इसलिए मैं एक मांग करना चाहता हूं कि 132 के.वी.ए. का ग्रिड उस क्षेत्र में खास तौर से जो हरियाणा से मिलता हुआ क्षेत्र है वहां झारोड़ा और कुहाड़वास के क्षेत्र में स्थापित किया जाए। सरसों का उत्पादन विशेष तौर से झुन्झुनूं जिले में दो बातों...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

(स्वीकृत)

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तो और बोलने वाले हैं।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब कोई नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद : मैं संक्षेप में मेरी बात प्रस्तुत करूंगा। सरसों के उत्पादन में इस क्षेत्र में..

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग अपनी प्रजेन्स से विधान सभा में कांट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको आप कोई महत्व ही नहीं देना चाहते। मेरे मित्र और मेरे साथी बोल रहे हैं। मैडम ने पाइंट आफ आर्डर उठाया।

मेरा पाइंट आफ आर्डर है उसको आप सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के अंदर उन लोगों को सुनते हैं बराबर, जिनको आप टाइम देते हैं। और वह बोलते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक और अब भी सुन रहे हैं। लेकिन जिन-जिन लोगों को आपने बुलवाया है उनकी उपस्थिति आप सबकी देखिये कि कितने लोग मौजूद हैं बोलने वाले। बोलकर के हाथों हाथ चले जाते हैं...(व्यवधान) हां तो गिनो कितने हैं, गिनो। यह पाइंट आफ आर्डर है। इस पर आप व्यवस्था दीजिए कि माननीय सदस्य बोलकर चले जाते हैं। हम उनके भाषण को सुनते हैं और वह छोड़कर तुरन्त चले जाते हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जो माननीय सदस्य बोलेगा वह आखिर तक विधान सभा के अंदर कांट्रीब्यूट करेगा अपनी प्रजेन्स से। बोलते ही चले जाएं, यह कोई बात हुई क्या...(व्यवधान). एक भी आदमी नहीं है बोलने वाला। बोलकर चला जाता है। मुझे बताइये, बोलने वाले कितने आदमी हैं यहां पर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जिनके कट मोशन्स हैं....(व्यवधान) हम लोग सुनते हैं वह तो चले जाते हैं। सही बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये, सुनिये, लैट मी फिनिश। इस सदन के अन्दर व्यवस्थाएं हैं, मान्यवर। आप निकलवा लीजिए रेफरेंस से कि जो माननीय सदस्य बोला है बोलने के बाद वह सदन को कांट्रीब्यूट करेगा अपनी प्रजेन्स से। वह जा नहीं सकता। वर्ना हम क्यों बैठेंगे यहां? उनकी जिम्मेदारी है जब तक यह सदन स्थगित नहीं होता है तब तक उनकी जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी को आप फिक्स करिये और व्यवस्था दीजिये। मैं नहीं कहता कि अभी दीजिये। आप अपने सेक्रेटेरियट को कंसल्ट करिये। पुरानी व्यवस्थाओं को निकलवाइये। पूर्व अध्यक्षों ने यह व्यवस्था दी है।

एक माननीय सदस्य : आपने दी है जब आप अध्यक्ष थे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, मैंने नहीं, कइयों ने दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, प्रस्ताव तो महत्वपूर्ण है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सामने एक भी मंत्री नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रियों की बात छोड़िये। अब आप मंत्रियों पर क्यों आते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरासिंह चौहान : यहां जो भी

(श्री हीरासिंह चौहान)

सदस्य बोले हैं उनको हाउस एडजोर्न होने तक बैठा रहना चाहिए..(व्यवधान). मैं भी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.(व्यवधान) देख लीजिये आप व्यवस्था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दे रहे हैं ? मैं अपना पाइंट आफ आर्डर उठा रही थी..

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पूर्व उपाध्यक्ष महोदय का बहुत आदर करता हूं, उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को मंत्रियों के नाम पर एलर्जी है, तो एलर्जी से क्या होगा। वह तो मंत्री रहेंगे। पांच साल तो उनको कोई हटा तो सकता नहीं..(व्यवधान) सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी.... (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डिमांड चल रही है..(व्यवधान) और डिमांड पर उनको सुनने का भी नहीं है कि हमारा एक साथी बोलेगा। डिमांड पर जवाब देगा ; उनकी कोई रुचि नहीं है। (व्यवधान) यह मंत्री हैं, यह संवेदनशील मंत्री हैं....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार की रीति नीति को जानने के लिए जितने भी मंत्री हैं, उनको भी हाजिर रहना चाहिए कि क्या उत्तर मिलता है। यह तो सारी केबिनेट को कम्पलीट जानकारी होनी चाहिए, कोई भी मंत्री हो उन सबको कम्पलीट जानकारी होनी चाहिए हर बात की..(व्यवधान) आप तो हाजिर हैं कह सकते हो साहब। आपको धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह आपके साथी हैं। आपके मंत्री यहां जवाब देंगे आपके साथी सब चले गये।

श्री रामनारयण चौधरी : मंत्रियों के पास काम है। मंत्री सभी वहां बैठे हैं आफिसेज में। (व्यवधान) वह जनता से भी तो मिल रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि वह यहीं बैठे रहें। हम बैठे हैं ना और संबंधित मंत्री बैठे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप तो मंत्री बनना चाहते हो। जो बन गये वह चले गये।

श्री हीरासिंह चौहान : आपको होना चाहिए मंत्री।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो बनना चाहते हैं वह तो बैठे रहते हैं जो बन गये वह चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य की राय से बिलकुल सहमत हूं और मैं प्राय: यह देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो चाहे बोलें या नहीं बोलें लेकिन

(श्री उपाध्यक्ष)

विधान सभा की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है तब तक विराजे रहते हैं और जो माननीय सदस्य बोलकर चले जाते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : बोलकर ही नहीं चले जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों के कान में गरम शीशे की तरह से अपनी बात डालकर चले जाते हैं वह।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है उस व्यवस्था को निकलवा कर देखकर इस पर व्यवस्था देंगे। लेकिन नार्मल प्रैक्टिस यह होनी चाहिए कि जिस माननीय सदस्य ने यहां बोला है वह माननीय मंत्रीजी का जवाब सुन कर के ही जाए ताकि उनको पता पड़े कि हमने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। एक नार्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है वह भी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है..(व्यवधान) बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद : मेरी बात समाप्त नहीं हुई..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब जब आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया है..

श्री हनुमान प्रसाद : मैं एक दो निवेदन और करना चाहूंगा। पशुपालन पर.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, बोलिये.. (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जब एक पाइंट आफ आर्डर डिसाइड कर दिया उसके बाद किस बात का पाइंट आफ आर्डर?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) यह भी कोई बात हुई.. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : पाइंट आफ आर्डर किस बात का है ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने एक पाइंट आफ आर्डर को डिसाइड किया, हाथ की हाथ दूसरा पाइंट आफ आर्डर नहीं उठता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आपसे पहले उन्होंने उठाया था, पाइंट आफ आर्डर।

श्री श्रवण कुमार : तो महिला सदस्य के लिये भी कह दिया ना, और क्या चाहते हो..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक बार पाइंट आफ आर्डर हो गया उसके बाद फिर कैसा पाइंट आफ आर्डर ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइंट आफ आर्डर मैंने पहले उठाया था।

श्री श्रवण कुमार : हनुमान प्रसाद जी को बोलने दो। नया सदस्य है बोलने दीजिये. (व्यवधान) ... उपाध्यक्ष महोदय, हनुमान प्रसादजी को बोलने दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक पाइंट आफ आर्डर के बाद दूसरा पाइंट आफ आर्डर नहीं आता है। महिला का पाइंट आफ आर्डर पहले आएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया था।

श्री श्रवण कुमार : सदन में महिला का कोई मैटर नहीं है..

श्री रामस्वरूप मीणा : ..(व्यवधान) आप तो अपने पाइंट आफ आर्डर पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : सदन में महिला का कोई मैटर अलग से नहीं होता है। यह हनुमान प्रसाद जी बोल रहे हैं बीच में आपने शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सही बात यह है कि आपसे पहले पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्या ने उठाया लेकिन इन्होंने सहजता बरती कि आपको पाइंट आफ आर्डर उठाने दिया और यह बैठ गयीं इसलिए इनकी जो बात है उसको सुनिये। इसलिए इसको सुनना चाहिए। जो होगा जो बाद में फैसला करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है, पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं उठ सकता। (व्यवधान) केवल इतना-सा है कि माननीय सदस्य जो झुन्झुनूं से पधारे हैं उनको नहीं बोलने देने की मंशा है खाली।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। हां, माननीय सदस्या, आप क्या कह रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि माननीय सदस्य पहली बार आये हैं..

एक माननीय सदस्य : और इनको नहीं बोलने देना चाहते है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सुनो तो सही आप। आई.ए.एस. से रिटायर होकर आये हैं। मुझे लगता है कि झुन्झुनू की अगली पंक्ति है वह थोड़ी चमक रही है, इनको डिस्टर्ब कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूरा समय देंगे आप चिन्ता मत करो।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव दिये बिना भी मांगों पर चर्चा की अनुमति

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने जैसे ही कहा पाइंट आफ आर्डर, मैं बैठ गयी लेकिन चूंकि मंडावा से निर्वाचित माननीय सदस्य फिर उठ गये, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा पाइंट आफ आर्डर जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी सुनिये। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि अब तक की परम्परा यह रही है कट मोशन्स जो देते हैं केवल वही बोलते हैं और उसी क्रम में।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऐसा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कौन हैं व्यवस्था देने वाले ? मैं आसन से व्यवस्था चाह रही हूं।..

(19.00 बजे)

मैं यह निवेदन कर रही थी कि पहले की पूर्व परम्पराएं तो यही हैं कि जो कटमोशन देता है वही बोलता है। अब यह नई परम्पराएं आप डाल रहे हैं यह परम्पराएं ठीक क्यों नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि पहली बात तो जो कटमोशन नहीं देता वह मेहनत नहीं करता। वरना उसे मेहनत करनी पड़े, लिखना पड़े तो उसका एक स्कोप होता है। देखिये हमने कटमोशन दिये हमारा एक स्कोप है। उसका जवाब मंत्री जी देंगे क्योंकि हमने पहले कटमोशन दिये हैं। जो लोग कटमोशन नहीं देते, न तो उनका स्कोप है जो मर्जी आये सो बोलते हैं। कैसे जवाब देंगे मंत्रीजी ?

इसलिए इस बारे में मैं व्यवस्था चाहती हूं आसन से, क्योंकि 1990 के पहले यही व्यवस्था रही है। और उसी क्रम में बोला जाता है जो मेहनत करता है, वह बोलेगा। जो पढ़कर आयेगा, जो पहले कटमोशन देगा वह बोलेगा। और इस तरीके से बिना कटमोशन दिये यदि व्यवस्था चली तो अव्यवस्था होती है और मंत्री जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आसन से व्यवस्था चाहती हूं कि इस बारे में आप व्यवस्था दें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस मामले में व्यवस्था हो चुकी है और जिस वक्त डिबेट शुरू हुई थी कटमोशन्स पर, अध्यक्षजी आसन पर थे, उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि जिनके कटमोशन्स हैं वह भी बोलेंगे और जिनके कटमोशन्स नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं वह भी बोलेंगे । और अलग-अलग पार्टियां अपने-अपने बोलने वाले सदस्यों का नाम देती । इसलिए यह व्यवस्था हो चुकी है पहले । आसन पर माननीय अध्यक्ष जी विराजमान थे, वह व्यवस्था दे चुके हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री तो जवाब दे नहीं पायेंगे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : पर यह तो व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वह अध्यक्षीय व्यवस्था यहां पर हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री श्रवण कुमार : व्यवस्था अपने आप करेंगे । अध्यक्ष की व्यवस्था अध्यक्ष जाने मंत्री का जवाब मंत्री देगा आप कौन होते हो । +++ ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमार जी, विराजो ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैडम ने जो फरमाया, शिवनाथ सिंहजी ने फरमा दिया । इस पर व्यवस्था हो गयी । मेरी आपसे यह गुजारिश है कि इस हाउस में 20 साल से, 18-19 साल से मैं देख रहा हूं । कुछ मैं नेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी गलत परम्पराएं हो गयी हैं जिनको आप कोट करते रहते हो ।

मेरा आपसे अनुरोध है, सुझाव है कि इस हाउस को रूल्स के तहत आप चलायें । पुरानी परम्पराएं पता नहीं कितनी हैं । झट से चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे दूसरा हो, पुरानी परम्परा है साहब, उसके मुताबिक चलो । चेयर पर प्रेशर ले आओ । रूल्स की बुक है आपकी कोल एण्ड शकधर की गाइड लाइन है उस मुताबिक आप चलें तो कोई प्राब्लम नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सबकी भावनाओं को मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा जो व्यवस्था वह देंगे उस पर हम सब माननीय सदस्य तामील करेंगे । माननीय सदस्य ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जो सदस्य ने अभी पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है इस पर आसन की तरफ से पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है । इसलिए यह...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसलिए यह निरस्त किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री हनुमान प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करता हूं। सरसों के उत्पादन का विशेष तौर से इस क्षेत्र में दो बातों से बढ़ावा मिला है एक तो फव्वारा कृषि से और दूसरा यहां तिलम संघ के माध्यम से पहले यलो रिवोल्यूशन के नाम से सरसों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था जब कांग्रेस सरकार थी, उस जमाने में। उसी के तहत तिलम संघ की इकाइयां झुन्झुनूं में भी स्थापित हुई और उसने गांवों में सरसों उत्पादक कृषकों की को-आपरेटिव सोसायटी एस्टबलिश की उनके माध्यम से सरसों सही कीमत पर और उचित कीमत पर किसान से खरीदी गयी। उससे बढ़ावा मिला और सरसों का उत्पादन हुआ। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनूं में जो तिलम संघ का प्लान्ट लगा हुआ है तेल उत्पादन के लिए उसको बन्द करने की नौबत है... इस सम्बन्ध में पुन–

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

विचार की आवश्यकता महसूस करता हूं।

मैं पशुपालन के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो चिकित्सकों का अभाव है और अन्य जो स्टाफ आपको चिकित्सालय और औषधालय में चाहिए उसकी कमी है। यहां राजस्थान में कालेज आफ वेटेरिनरी एण्ड एनिमल साइंसेज, बीकानेर एक ही कालेज है। वहां पर वर्ष 130 विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं जबकि राजस्थान में प्रतिवर्ष कम से कम चार सौ या पांच सौ पशु चिकित्सकों की आवश्यकता रहती है। जब इनकी नियुक्ति की बात होती है तो ज्यादातर महाराष्ट्र, जहां पर बहुत सी कालेजेज हैं हर जिले में या दो जिलों के बीच में, वहां के पशु चिकित्सक यहां आते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है उनके प्रदेश में, तो वह छोड़ कर चले जाते हैं। तो यहां जो सुदूर के क्षेत्र हैं वहां के पशु चिकित्सालयों में हमेशा डाक्टरों का अभाव रहता है।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि कालेज आफ वेटेरिनरी साइंस एण्ड एनिमल साइंसेज, बीकानेर है या तो उसकी क्षमता बढ़ाई जाये या एक कालेज राजस्थान में और स्थापित किया जाये। और यह कालेज यदि झुन्झुनूं, सीकर के क्षेत्र में आता है तो उसका स्वागत होगा। एक बात और कहना चाहूंगा। जो नये पशु औषधालय खोलने की बात कही है, मैंने विभाग की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें 285 औषधालय 1992-93 से लगातार चल रहे हैं। उससे पहले साल 65 औषधालयों को, चिकित्सालयों में पदोन्नत किया गया था। उसके बाद यह प्रक्रिया शायद बन्द कर दी गयी। और पिछले वर्ष की रिपोर्ट के आधार पर 25 नवीन चिकित्सालय स्थापित किये गये लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 139 की संख्या बढ़ी है।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि औषधालय या डिस्पेंसरीज जो 285 हैं, और पिछले करीब 8-9 साल से चल रही हैं, उनको पहले चिकित्सालय,

(श्री हनुमान प्रसाद)

यानी जहां पर डाक्टर भी उपलब्ध हो वैसी संस्था में पदोन्नत किया जाये और जो नये चिकित्सालय खोलने की बात है, वह चाहे औषधालय खोल दिये जायें या डिस्पेंसरीज खोल दी जायें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी एक हार्ट बरनिंग जो होती है कि नये स्थान पर तो फुलफ्लेज्ड हास्पिटल खुल गया और जो पुरानी डिस्पेंसरीज चल रही हैं वह सालों तक चलती रहे। तो इस पर भी मैं पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी। कृषि मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कृषि मंत्रीजी आप अच्छी तरह परिचित हैं, एक्सपीरियन्स्ड हैं। मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आपकी जो डायरेक्टर की पोस्ट है, न केवल कृषि का कह रहा हूं, मैं तो सरकार को सब डिपार्टमेन्ट्स का कह रहा हूं। मेडिकल का हो, आप डायरेक्टर की पोस्ट पर आई. ए. एस. आफिसर क्यों लगाते हैं। जो टेक्निकल आदमी आपका है वह अगर डायरेक्टर की पोस्ट पर लगे। टेक्निकल आदमी जो आप का है उसको आप विदेश भेजें तो कम्पलसरेली उस डिपार्टमेंट में ही रहेगा। आपके बाहर जाने की और जो खर्चा होगा उस आदमी पर उसका स्टेट को फायदा होगा। होता क्या है कि आई.ए.एस. लोबी न केवल केन्द्र में लेकिन यहां पर भी इतनी हैवी हो गयी है गवर्नमेंट में, अब आपको जनता ने इतना भारी बहुमत दिया।

आप मेहरबानी करके शुरूआत से ही यह स्टेप लीजिए क्योंकि आई.ए.एस. आफिसर जितने भी, भले आप गणित लगा लीजिए, जितने आई.ए.एस. ऑफिसर टेक्निकल डिपार्टमेंट से बाहर गये हैं वह वहां से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है वापस आकर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो उस विभाग को उसका फायदा नहीं मिलता है। तो एक तो मेरी आपको यह अर्ज है।

दूसरा है, जैसे किसी ने कहा इण्डस्ट्री का दर्जा दें कृषि को। आप दें, नहीं दें, लेकिन अगर इण्डस्ट्री के लिए आप जनरेटर सेट्स सब्सिडी पर दे सकते हैं तो काश्तकार को क्यों नहीं? जनरेटर, आज मैं उस क्षेत्र से आता हूं मथानिया में आपका गवर्नमेंट फार्म भी है। 6-6 सौ, 7-7 सौ फुट डैप्थ से हम पानी निकाल रहे हैं। अब वहां का काश्तकार 2–2 लाख, 3-3 लाख के जनरेटर सैट्स उसको खरीदने पड़ते हैं तो एक समानता होनी चाहिए। मेरा एक सुझाव यह है।

अन्त में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पशुपालन मंत्रीजी का कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपका जो, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी लोगों ने बोल दिया है, एन.डी.डी.बी. का

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जो आपका है यह झगड़ा। आश्चर्य की बात मंत्रीजी यह है कि लासेज भी हो गये, काम भी शुरू हो गया। लोगों को प्राइसेज भी नहीं मिली और आपका एम. ओ. यू. आज तक साइन नहीं हुआ। तो यह काम कैसे चल रहा है? बगैर एम. ओ. यू. साइन होने के, सिर्फ कागजी कार्यवाही से पिछले 7 साल से यह हैण्डिग ओवर, टेकिंग ओवर बगैर एम.ओ.यू. साइन होने के कैसे हो गया और कैसे इसमें काम चल रहा है इसका उत्तर आप मुझे दे दें। उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत मशकूर हूं मोहीइज़ मैम्बरान का कि जिन्होंने कृषि के मजमून पर बहुत अच्छे ढंग से और बहुत तामीरी ढंग से बात की है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर बहस हुई है।

मैं समझता हूं इससे यह इच्छा जाहिर होती है माननीय सदस्यों की कि हम किस तरह से अपने सूबे को कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में जो भी इस तरह की जरूरतें हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ायें। तो इसके लिये मैं बेहद मशकूर हूं जिन्होंने हिस्सा लिया डिबेट में और बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये।

आज यह कोई दो बात नहीं है कि काश्तकारी का मामला कुदरत के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और यह इकोनोमिक्स की किताब इंडियन एग्रीकल्चर में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां सबसे पहला जुमला यही होता है कि Indian agriculture is a gamble in rain. यह एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी और पानी न हो तो हम जो जरूरतें करना चाहते हैं वह नहीं हो पातीं। तो इसमें हम किस तरह से किसान को हालात के तहत करें और कितनी उसकी जरूरत रखें, वह अब सामने है। इसमें मेरी मंशा बिलकुल यह नहीं है कि मैं कोई सियासी बात इस तरह की कहूं।

लेकिन एक वाकया है, जिस तरह से 90 से यहां हुकूमत चल रही है राजस्थान प्रदेश में। यहां मिली जुली सरकार रही है और उसमें जैसे हमने व्हाइट पेपर में वह सारी बात कही उसी तरह से, क्योंकि गैरयकीनी हालात रहे हैं, और गैरयकीनी हालात जब होंगे तो प्रदेश को चारों तरफ से प्रभावित करते हैं और एक वातावरण उसी ढंग का बन जाता है कि एक हाथ से तो आदमी कुर्सी रोके और एक हाथ से काम करे। जैसे आजकल मरकजी सरकार का हो रहा है। तो यहां और खास तौर से पिछले पांच साल में, क्योंकि तरकीब लगा करके सरकार बनाली थी और जिस तरह से सरकार बनी उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो उससे यह जरूर रहा कि गैरयकीनी हालात रहे। बावजूद इसके कि शायद कुछ लोग इसमें से अच्छे

(श्री तैय्यब हुसैन)

ढंग से काम भी करना चाहते हों लेकिन हो सकता है बाधाएं भी रही हो। उससे मैं समझता हूं कृषि डिपार्टमेंट भी उससे अछूता नहीं रहा है और इसमें जिस तरह से भी हालात रहे, इसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं शुरू में कह चुका हूं कि इस पर कोई सियासत नहीं लाना चाहता हूं।

लेकिन हालात, अर्थव्यवस्था इस महकमे की रही है और-बाकियों की भी रही है। लेकिन इसकी रही है उससे हर चीज प्रभावित हुई है। जिस तरह से हमारे हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी तफसील से बताया कि इस तरह की बातें हुई और मुझे उनकी बातों का कोई बुरा महसास नहीं हुआ। वह कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप कोई बुरा ना मानें। बुरा मानने की बात नहीं है क्योंकि मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, कहने को हम सभी यह बात कहते हैं कि किसान 75 परसेंट हैं, 80 परसेंट हैं, लेकिन उसकी तरफ जितनी तवज्जोह होनी चाहिये उतनी तवज्जोह नहीं हो पा रही है। इसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है।

तो आज जरूरत इस बात की है कि मैं सारे हाउस से, आगस्ट हाउस से आपकी मार्फत सारे माननीय सदस्यों से और सारे राजस्थान प्रदेश की जनता से यह उम्मीद करूंगा कि किसान को आगे ले जाने के लिये, किसान का भविष्य मुस्तकबिल बनाने के लिये हम एक तरह की सोच रख करके उसका भला करने की सोचेंगे और प्रदेश को आगे ले जाएंगे। यह मैं आशा करता हूं। आशा ही नहीं मुझे यकीन है कि इसमें पूरा तावुत मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है।

आज जो यहां बातें हुई क्योंकि बहुत-सी चीज, कुछ चीजों में हमने बावजूद एडवर्स सर्कमस्टांसेज के आज भी मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि आज यहां इस साल फसल अच्छी हुई है। उसके बावजूद भी हमारे काफी हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ है और यह शिकायत आती है कि हम वहां पर इतने मजदूर नहीं रख पा रहे हैं जितनों कि जरूरत है। वित्तीय स्थिति जो सामने आयी है, माली हालात जो सूबे की है, उस पर कोई मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब उससे अच्छी तरह से वाकिफ है।

आज इन सारे हालात के ऊपर कुदरत ने साथ दिया है, फसल अच्छी हुई है और उसमें सब चीज से महफूज रहा है और किसी तरह की बीमारी नहीं लगी। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों के चलते हुए जितने भी हम कदम उठा सकते हैं, वह हम उठायेंगे और किसान को आगे ले जाने की बात करेंगे, यह मैं समझता हूं।

दूसरा, यह है कि आज हमारे साथी श्री दीपेन्द्र सिंहजी शेखावत जो मार्केटिंग बोर्ड का काम देखते हैं, उन्हें कहीं बहुत जरूरी काम से स्पीकर साहब से इजाजत

(श्री तैय्यब हुसैन)

लेकर कहीं जाना पड़ा। तो मैं ज्यादा उस महकमे के बारे में जितना मैंने यहां पढ़ा और देखा है उसमें बहुत सी चीज ऐसी हैं जो करने की हैं और की जाएंगी।

एक, चारों तरफ से सड़कों का मामला है। चारों तरफ से यह लोग चाहते हैं कि कुछ सड़कें बनीं। पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा दे दिया गया। मरम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, इसे देखा जाएगा, इसकी पड़ताल की जाएगी।

इसी तरह से मंडियों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां कहीं शेड्स नहीं है। बोली अच्छी तरह से नहीं लग पाती। पैसा भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता। इस तरह की कुछ बातें आयी हैं। उनकी तरफ हम देखेंगे और पूरी तवज्जोह देंगे इस बात पर कि किसान को किसी तरह की दिक्कत न हो। यह हमारी कोशिश रहेगी...

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे यहां तो सब तैयार है उसका उद्घाटन कब करोगे माननीय मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन : देखिये मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपसे। मैं बहुत अदब से और नम्र निवेदन करने खड़ा हुआ हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भी हो उसमें आप सहयोग दें और मंत्रीजी आ जाएंगे। उनसे बात कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप बहुत, मैं कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर करने नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि मामला तकरीरों से नहीं सुलझेगा, मामला कर्म और अमल से सुलझेगा।

क्योंकि यह बातों से बात नहीं होने वाली है। यह कोई उद्घाटन या राशन और भाषण से बात नहीं बनने वाली है। हमने बीमारी में जो असल परेशानी है, जो हम राहत देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ भलाई हो जाये। यह जो बिगड़ा हुआ ढांचा और निजाम हमें मिला है, यह सुधर जाये। उसको देखने के लिए हैं और उसके लिए मैंने बताया कि गैर यकीनी हालात हों तब इस तरह के हालात हुआ करते हैं।

मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। तो इस सिलसिले में मार्केटिंग बोर्ड के बारे में जहां तक दुकानों की बात है या और बात है तो इसमें यह हमारी कोशिश रहेगी कि किसान को उसका पूरा पैसा मिले तो मैं इसमें यही अर्ज करना चाहूंगा कि उसको ज्यादा तवज्जोह न देते हुए, उसमें एक अच्छी बात है कि नाबार्ड से 65 करोड़ रुपया सड़कों के लिए मिला है। और जो हमारे पास इस वक्त रिकार्ड आमदनी हुई है, 140.28 करोड़ पिछले साल में आमदनी हुई है, which is a record upto this time.

यहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात हुई और उसमें कोल्ड स्टोरेज भी हैं। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम किसान को पूरी कीमत किस तरह से दिला सकते हैं। आज की जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वह कोई भी स्कीम जो एग्रो बेस्ड हो 5 लाख से 3 करोड़ की कोई भी स्कीम है, उस पर

(श्री तैय्यब हुसैन)

मार्केटिंग बोर्ड से कुल लागत का 20 परसेन्ट और 20 लाख और उसमें यह अनोखा प्रावधान किया गया है कि 'whichever is less' जो कम होगा वह दिया जायेगा।

3 लाख से 5 करोड़ तक कोई भी हो उसके लिये आप लगायें, कोल्ड स्टोरेज लगायें और उसकी जो चीज चले तो उसमें 20 लाख रुपया और 20 परसेन्ट, whichever is less. यह वही सरकार कर सकती है जो कमेरे वर्ग की हिमायती हो और जहां पर अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हों। और भी कुछ इसी तरह की चीज हैं, कुछ कंस्ट्रेक्टिव एक्टिविटी हुई हैं, कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ और हैं इसमें। मैं नहीं समझता कि आपका वक्त मैं कुछ और लगाऊं।

दूसरी बात यहां है कृषि के बारे में, उसमें दो चीजें आयी हैं। वाटर शैड के बारे में बात कही गयी। वाटर शैड जो है, कुछ स्कीमें ऐसी हैं, कुछ बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि एक फुट जो दीवार है वह कम होती है। ठीक बात है। असल में पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है यह आज से नहीं 1956 से चला आ रहा है कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन इन काइंड और कैश अगर आदमी का उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाये तो उसको लोग ध्यान से रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 5 और 10 परसेन्ट वह हटा दिया जाये लेकिन उसके साथ यह जो वाटर शैड बनाया जाता है, उसके लिये लोकल कमेटी बनायी जाती है और वह लोकल कमेटी उसमें बाकायदा दिलचस्पी लेगी। उसी गांव का प्रधान होता है, उसी गांव के मैम्बर होते हैं, कि उस सिस्टम को सही ढंग से चला सकें। तो इसमें दो तरह से है।

एक तो वाटर शैड, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम के तहत उनकी तरफ से माडल जो दिया जाता है, उस पर कंस्ट्रक्शन होता है, एक डी.आर.डी.ए. के मार्फत से, तो उसमें कुछ ऊंचा कर देते हैं। इसमें असल में मकसद यह है कि वाटर शैड का जो बुनियादी उसूल है वह यह है कि आप थोड़ी सी एक दीवार यहां खींचे और एक खेत के बराबर दूसरी आगे खींचें ताकि वह जो जमीन है वह सारी उपजाऊ हो सके। मैं समझता हूं आज यह जो वाटर शैड है, जो जमीन है, जिस तरह से है, यह आज वक्त की जरूरत है।

इसीलिए माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और सी.एम.साहब ने 128 करोड़ रुपये इस काम के लिए रखा है। यह ठीक बात है जो कही गयी कि सुपरविजन होना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का पिलफरेज नहीं हो जाये, वह होना चाहिए। मैं यही अर्ज करता हूं कि हम अपनी तरफ से यह पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई बात उसमें न हो।

दूसरी बात कृषि के क्षेत्र में यह कही गयी कि किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलती। मैं इत्तफाक करता हूं इस बात से कि नहीं मिलती। और मैं यह भी मानता हूं कि किसान की न यूनियन है ना वह

(श्री तैय्यब हुसैन)

अपनी बात ढंग से कह पाता है। इसलिए कई दफें उसके साथ ज्यादती भी होती रहती है और उसे वह बर्दाश्त करता है। इस सिलसिले में कि वह सारी बात हो सके, तो मैं यह समझता हूं कि मौजूदा सरकार ने यह तय किया है कि हम इस थ्योरी को बदल दें कि किसान अपनी जिन्स की कीमत खुद मुकर्रर नहीं कर सकता।

हम सभी कहते हैं और वाकया भी है यह कि आज किसान की चीज का दूसरे लोग उसकी कीमत मुकर्रर करते हैं और किसान देखता रहता है कि उसकी सही तुली, नहीं तुली। और कई दफे तो मंडियों में बहुत से लोग तो उसमें से काफी तो वैसे ही कर लेते हैं। तो इसके लिए यह तय किया गया है कि हम इस थ्योरी को बदल दें कि किसान अपनी जिन्स की कीमत खुद मुकर्रर करे। और वह खुद मुकर्रर कैसे करे, उसके लिये पूरी तरह से यह स्कीम हमने बना ली है कि किसान अपनी जो भी फसल है, वह हमारे वेयर हाउसिंग में ले आये और उसको हम वेयर हाउसिंग की रसीद के अगेंस्ट 75 परसेन्ट पैसा फौरन दे देंगे। कापरेटिव डिपार्टमेंट ने 50 करोड़ रुपया हमको दे दिया है। उसके लिये जो कोई भी चीजें हैं .. (व्यवधान) मैं जरा कह लूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इनको पूरी करने दीजिये फिर आप....

एक माननीय सदस्य : मौका नहीं दिया जाता, व्यापारियों को प्रायोरिटी दी जाती है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इनको पूरा करने दीजिये फिर आप पूछ लेना।

श्री तैय्यब हुसैन : जो आप पूछेंगे। आप 12 बजे तक बैठिये सारी बात का जवाब दे दूंगा। किसान के घर में पैदा हुआ हूं और किसान की घुट्टी पी है। और किसान के लिए अगर मेरा खून जाये तो मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है, इसलिए आराम से बैठिये। सुन लीजिये सारी बात और मैंने काश्तकारी का हल जोतने से लेकर और चरस और कोली लगाने तक सारे काम अपने हाथ से किये हुए हैं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम और सब यही समझे कि यह मेवात का चौधरी है। इसे कुछ पता नहीं होगा...ना वह तो हूं मैं अपनी जगह। चौधरी भी इसलिए हूं कि किसान हूं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे मालूम है और आज जो बात है, मेरे मरहूम वालिद साहब किसान रहे, सर छोटूराम के साथ रहे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने हमसे अपने घर 1951-52 में सब्जी काश्त करवायी थी, सौंफ और जीरा बोजवाया था। आज तो बहुत लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने तब यह बात कही थी कि कुछ होना चाहिए। हमारी तो शुरू की ट्रेनिंग खुरपा और हाथ में फावड़ा लेकर हुई है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह किसान का जो माल है, वह वहीं ले आये

(श्री तैय्यब हुसैन)

और हमने सारे जो डिपार्टमेंन्ट हैं चाहे वह वाटर शैड का है, चाहे एग्रीकल्चर का है, चाहे और दूसरे कॉरपोरेशन हैं, चाहे हार्टिकल्चर है। मैंने पिछली 23 तारीख को यहां मीटिंग की जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की लाइफ में पहली मीटिंग हुई। जिसमें सारे मैनेजरों को बुलाया गया, सारी स्कीम को डिस्कस किया गया। तो हम इस मसले में न पैसे की कमी होने देंगे, न जगह की कमी होने देंगे, अगर हमारे पास जगह की कमी पड़ेगी तो हमें चाहे किराये पर लेना पड़े और किसी तरह से हो तो जब किसान चाहे अपनी फसल बेचे, उसे मजबूरी में बेचने की इजाजत नहीं है, we shall not permit the distress sale. जो मजबूरी की सेल है, उसकी हम इजाजत नहीं देंगे। वह आए, हम उसका स्वागत करेंगे। हमने कह दिया कि हम किसान को बैंक में नहीं भेजेंगे, हमारा महकमा उसको पैसा लाकर देगा। यह नहीं कि किसान को दर-दर भटकना पड़े, इस दरवाजे से उस दरवाजे पर। उसकी इज्जत होगी, उसकी जो जरूरत है, जो अन्नदाता है, उसको उसी हैसियत से इज्जत की जाएगी और उसको वह पैसा वहीं दे दिया जाएगा। (व्यवधान) बहुत शुक्रिया आपका। ये सब चीजें हैं जो हमने की हैं।

खाद और बीज की बात है। खाद, बीज और दवाइयों के सिलसिले में मैं यह मानता हूं कि बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलाह की जरूरत है। होनी चाहिए क्योंकि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसे हम परफैक्ट कह सकें। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, 9 साल की बिगड़ी हालत को सम्भाला है, बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं इसको एक दिन में सुधार दूं।

लेकिन मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की गाइडेंस में मैं यह उम्मीद करता हूं और अपने अफसरों से यह उम्मीद करता हूं कि वह को-आपरेट करेंगे कि इस तरह की बीमारी हमारे इस सूबे में न हो कि कोई आदमी यहां मिलावटी दवाईयां, बीज और खाद बेच सके। मैं समझता हूं कि it shall be the matter of the past. यह माजी की बात रह जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : चार महीने में कितने पकड़े, एकाध नाम तो बता दो जिसमें सब स्टेण्डर्ड के, आपकी चार महीने में क्या उपलब्धि रही जिसमें नकली खाद, बीज पेस्टीसाइड बेचने वालों को पकड़ा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : चार महीने में तो खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप जो बेच कर गए थे, वह काम में लिया।

श्री तैय्यब हुसैन : आप सुन लीजिए, वह भी बता दूंगा, मेरे पास सारे कागज हैं, सुनिए आप। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं क्योंकि डी. ए. पी. खाद की कीमतें मरकजी सरकार मुकर्रर करती है,

(श्री तैय्यब हुसैन)

जिसने पहले यह कह दिया कि किसी भाव लाओ और किसी भाव बेचो। अक्टूबर में, पहले हफ्ते में कीमत मुकर्रर कर दी, जिस का नतीजा क्या हुआ ? जो शिपमेंट बाहर के मुल्कों से आ रही थी, उन्होंने दूसरे मुल्कों को डाइवर्ट कर दी और उनके डाइवर्ट कर देने से यहां कमी हो गई। और फिर बताऊं आपको, सुन लीजिए आप, मैं तो नहीं चाहता यह बात कहना लेकिन आप कहलवाना चाहते हैं तो मेरे पास सब कुछ है। दिनांक 28-12-98 को नौ सौ रुपए की टन सब्सिडी उन फर्मों को दे दी जिसका फायदा किसानों को नहीं हुआ है।

यह मैटर आफ रिकार्ड है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने, मरकजी सरकार ने (व्यवधान) मरकजी क्या है, यह तो लेंग्वेज की बात है, वह जिस दिन मैं यहां हलफ ले रहा था, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को जब मैंने कहा कि मैं बतौर रुकुन के हलफ लेता हूं तो वे कहने लगे कि आप तो वजारत की हलफ ले रहे हैं। मैंने कहा कि वजारत की हलफ तो अशोकजी गहलोत ने दिला दी, आप तो मैम्बर की दिला रहे हैं। रुकुन तो मैम्बर को कहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया, मैं कह रहा हूं कि आपने चार महीने में खाद, बीज और पेस्टीसाइड के कितने मिलावटी केस पकड़े और कितनों में कार्यवाही की, यह बताइए। क्या हुआ, आपने चार महीनों में क्या किया यह बताइए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : किसानों का काम पड़ा ही नहीं इस समय। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां): आप ने पहले रूलिंग दी, वही बात मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले बात समाप्त करने दीजिए, आप बाद में इसमें क्वेश्चन कर लीजिए, इन्टरप्ट मत कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : फर्जी माल बेचने वाले राजस्थान छोड़कर भाग गए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा, आप इस व्यवस्था को कायम कीजिए। मंत्रीजी को बोलने दीजिए।

श्री तैय्यब हुसैन : नेम आफ सेम्पल एनालाइज्ड फर्टीलाइजर (व्यवधान) 3514 फर्टीलाइजर के, 1144 पेस्टीसाइड के, 2964 सीड्स के, मैं यह अर्ज कर रहा था, जो भी कुछ इस हालत में यह चीजें हैं जो करने की कोशिश की गई है।

माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, जितने कट मोशन दिए गए हैं, उन सबका जवाब इस समय मेरे पास है, उन सबको जवाब भेज दिए जाएंगे। इस सिलसिले में डाक्टर करण सिंहजी ने एक बात कही।

(श्री तैय्यब हुसैन)

सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि हरियाणा की मण्डियां करीब पड़ती है, वहां उन्हें दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैंने नोट कर लिया है।

हमारे साथी, जिनको स्पीकर साहब की इजाजत से जाना पड़ा है, उनसे आगे सलाह मशिवरा करके मैं यह जो मामला है कि इस तरह से हरियाणा में हमारा माल ले जाए और हम देखते रहें, इस बारे में सोचना पड़ेगा। (व्यवधान) हरियाणा का कोई मतलब नहीं है, मैं यहां 1991 से हूं। मैंने 1991 और 1996 में लोकसभा का इलैक्शन लड़ा है और दो बका आपके साथ चुनकर आया हूं।

मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, जिस तरह से कोई बात हो। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां एक दिन कहा था कि हरियाणा से आए हैं, हरियाणा की दवाई बिकवा देंगे। शायद यह जमीर उनका हो सकता है तैय्यब हुसैन का नहीं हो सकता जो इस तरह की बात कहते हैं। (व्यवधान)

आपको शायद मालूम नहीं है, मैं अर्ज करूं कि हरियाणा में दो तहसीलें हैं नूह और फिरोजपुर झिरका और जब सर फजल अली रीआरगेनाइजेशन कमीशन बना था 1956 में, उन्होंने रिकमण्ड किया था कि ये दोनों तहसीलें राजस्थान में मिला दी जाए, जो सोशली और कल्चरली, मैं तो कहा करता हूं अकसर कि अब तो हम गांव से उठकर आते हैं, असेम्बली तक वही जुबान बोल लेते हैं जो हम घर पर बोलते हैं और अगर हम चण्डीगढ़ जाते हैं तो सोहने से आगे हमें भाषा बदलनी पड़ती है वरना लोग हमारी जो लोकल भाषा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। यहां तो हम घर से चलकर असेम्बली तक उसी जबान में बोल रहे हैं जो हम रोज बोलते हैं। पोलीटिकली अगर कोई एरिया उधर हो गया तो एक लाइन खींचने से कोई अलग नहीं हो जाता, यह सारी चीजें हैं।

इस सिलसिले में जो भी बात है, मैं समझता हूं कि जरूर कहूं कि कितनी फसल हुई। क्या हुई। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मसालों में हमारा नम्बर एक है, किसी में दूसरा है तो किसी में तीसरा, किसी में छठा है। सारी चीजें हैं। इस सिलसिले में आपको खुशी होगी कि कुछेक साथियों ने कहा कि यहां साइन्स कांग्रेस हुई उसके नताइज हम तक आने चाहिए। मैं सहमत हूं, आने चाहिए। हम उनको मंगा कर, उनकी कापी करके माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे।

मैं अर्ज करूं आपसे कि उसमें यह तय हुआ कि स्पाइस रिसर्च सेंटर खोलने का, उसके लिए सोमपालजी ने यह इतफाक कर लिया है कि वह सेंटर राजस्थान में लगेगा क्योंकि हम सबसे ज्यादा मसाले हिन्दुस्तान में पैदा करते हैं। तो वह हमारे यहां बनेगा, वह बहुत जल्दी लग जाएगा। मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि बेरोजगारी का मामला भी है।

(श्री तैय्यब हुसैन)

जो हमारे बी.एससी. (एग्रीकल्चर) के ग्रेजुएट हैं, जो मैट्रिक हैं, हम यह पालिसी फारमुलेट कर रहे हैं, इस तरह का कोई एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया को भी लिखा है, जैसे ह्यूमन कंजम्पशन की जो दवाइयां हैं, उन पर एक डी.फार्मा रखा जाना जरूरी है। इसी तरह से खाद-बीज की हैं। इसकी पोसिबिलिटी को भी एग्जामिन कर रहे हैं। वो भी दुकान पर एक ग्रादमी रहे तो ये जो बच्चे घूम रहे हैं इनका कुछ न कुछ हो सके। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है ग्रौर स्टेट लिस्ट में the State is competent to legislate on the subject constitutionally.

तो उसमें ग्रगर हमें जरूरत भी पड़ी, हमने लीगल राय भी ले ली है लॉ सेक्रेटरी साहब से कि उसमें ग्रगर जरूरत पड़ेगी ग्रपना एक्ट बनाने की, तो हम लोग वह भी बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रौर इस संबंध में ग्रगर हमें मौजूदा प्रोविजन नाकाफी मालूम हुए, ये जो मिली हुई दवाइयां हैं, खाद ग्रौर फर्टीलाइजर, तो हम इस हाउस में एक्ट लाएंगे कि जिससे कोई ऐसे लूपहोल न रह जाएं, जिससे कोई ब्लेक शीप बचकर निकल सके। क्योंकि यह स्टेट लिस्ट में है। तो this Legislature is fully competent to legislate on it.

तो इसी तरीके की बात है। ग्रौर मैं तो जब मिलने गया था, दिल्ली ग्राते हैं तो मिलते रहते हैं, सोमपाल सिंह जी वैसे मेरे तो जाती दोस्त हैं, मैंने उनसे यह बात कही कि हमको बाजरा, ग्वार, ज्वार की सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए जो हमको नहीं मिल रही है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैंने यह भी कहा कि बाजरा, जो हमारी जरूरत है बजाय चावल के हमारे बाजरे को पी.डी.एस. में शामिल किया जाए। यह भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको लिखा भी है।

मैं यह ग्रर्ज करता हूं ग्रापसे कि जहां तक गंगानगर जिले की बात है, मुझे ग्रफसोस है, खुशी होती, हमारे हनुमानगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य की बात बहुत ध्यान से मैंने सुनी ग्रौर कटारिया साहब भी देख रहे थे मैं ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन ग्रफसोस है कि वे चले गये। किसान के बारे में मुझे कहीं तक जाना पड़े ग्रौर कुछ भी मेहनत करनी पड़े उसमें मेरा पर्सनल इगो बीच में नहीं ग्रायेगा क्योंकि किसान की बात ग्रगर करनी है तो उसमें फिर नखरा किस बात का है।

इसमें मैं एक ग्रौर ग्रर्ज कर देना चाहता हूं। यह जो ड्रिप व स्प्रिंकलर ग्राई है, इसमें हमारे उनियारा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह ड्रिप सिस्टम बहुत कामयाब नहीं है। तो इसको हम होर्टिकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें इसकी जरूरत है। उसको उन्होंने भी माना है, ड्रिप इरिगेशन को हम दूसरे में नहीं दे रहे हैं ग्रौर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैं पिछले दिनों नेशनल रिसर्च सेंटर है मस्टर्ड का भरतपुर में, वहां मैंने देखा कि

(श्री तैय्यब हुसैन)

फसल जब कुछ दिनों की हो जाती है तो प्लास्टिक लाए हैं और उन्होंने प्लास्टिक लगाकर जमीन पर रख दिया। यानी उसके पौधे ऊपर निकाल लिए। प्लास्टिक धरती पर टेक दिया। तो दोनों जमीनों पर, जहां प्लास्टिक नहीं रखा गया और जहाँ रखा गया, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।

इसलिए कि वह प्लास्टिक रखा गया वह गुजरात की किसी फर्म ने बनाया है। अभी नमूने के तौर पर दिया है उसे भी ट्राई करके देखें, क्योंकि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको तो सीधा बारानी खेत में लगा दें। और वह लग गया तो मोइस्चर को कंटेन करता है और अगर पानी ज्यादा मिल जाए तो वह जाहिर है कि उसकी फसल यकीनन दूसरे, उससे थी। माननीय हरिसिंह जी भी साथ थे, आर.पी.शर्मा जी भी थे, हम सबने देखा, सारी चीजों को देखा। हमारे खास तौर से बारानी एरिया के लिए वह सक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छी चीज साबित होगी।

मेरी तो आप सबसे यही दरख्वास्त है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैंने सारे लिख लिए, मैंने खुद नोट किए हैं और आप कहें तो मैं अकेले-अकेले भी जवाब देने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : एक निवेदन करता है। भाटी साहब ने बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया था कि पहले राजस्थान में परम्परा थी, राजस्थान के अंदर डाइरेक्टर एग्रीकल्चर टेक्नीकल हैण्ड हुआ करता था। बीच में यह परम्परा आई कि आई.ए.एस. अफसर को डाइरेक्टर बिठाने से जो व्यवस्था थी, उसमें काफी कमी आई है। इसलिए आप दुबारा इस पर सोच लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय; मैं मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर डिवीजन की भावनाओं को देखते हुए.. (व्यवधान) उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह इसको घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। माननीय सदस्य, मंत्रीजी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : मुख्य मंत्रीजी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें, मंत्री जी।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि जो डाइरेक्टर के बारे में बात

(श्री तैय्यब हुसैन)

कही जा रही है, उसमें तो हमसे पहले की सरकार यह फैसला कर गई थी कि सिर्फ आई.ए.एस. ही डाइरेक्टर होगा। हमने उस इश्यू को खोल दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खोल दिया है।

लेकिन सुटेबिलिटी ग्राफ दी कंडीडेट और जो दूसरी कंडीशंस हैं वे सारी लागू रहेंगी। ग्रादरणीय गहलोत जी ने इस इश्यू को ग्रोपन कर दिया है। (व्यवधान) तो मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं और जो भी बात है, मैंने जैसा ग्रर्ज किया, मैंने तो यह पूरी किताब लिख रखी है।

इस सिलसिले में हमारे ग्रार.पी. शर्मा जी कह रहे थे कि कालेज हो। तो ग्रार.पी. शर्मा जी, ग्रापने तो खुद ही घणा ही लम्बा कर दिया है कि पांच साल में हो जाए। तो देखिए कि 'कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक'। इसलिए देखेंगे। मांगने में ही ग्रापने ऐसी बात कह दी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय मंत्री जी, भरतपुर में एग्रीकल्चर कालेज खोलने के बारे में घोषणा कर दो। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : डाइरेक्टर का था और वह वेव हो गया कि वह ग्राफिस वहां से ग्रा गया। ग्रौर जब शर्मा जी ने ग्रपना भाषण कन्क्लूड करने से पहले यह कहा था...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 हजार फव्वारों की बात मैंने कही थी जो बहुत कम है। यहां ग्राप घोषणा करो कि 30 से 40 हजार..(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं ग्रापसे ग्रर्ज कर रहा हूं वह भी सुन लीजिए। मैं हर बात के लिए तैयार हूं ग्रौर सुबह सनराइज तक के लिए जवाब देने को तैयार हूं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसमें मैं यह ग्रर्ज कर रहा हूं. इस सिलसिले में जो मेरा ग्रर्ज है ग्रादरणीय मुख्य मंत्रीजी से भी ग्रौर ग्रादरणीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कि काफी तफसील में बात हुई है। ग्रौर मुझे यह कहने में झिझक नहीं है, जो बातें हैं, बल्कि मुझे एक बात सुननी पड़ेगी ग्रादरणीय मुख्य मंत्रीजी की ग्रौर फाइनेंस मिनिस्टर की कि मैं तो उसे मनवाने के लिए बात करूं ग्रौर यहां एक मैम्बर ने जिक्र नहीं किया उन बातों का।

श्री श्रवण कुमार : कौनसी ?

श्री तैय्यब हुसैन : ग्रब ग्राप इसे राज ही रहने दीजिए। यानी कल का सारा दिन मैंने ग्रपने पैरों पर गुजारा है। (व्यवधान) ग्राप ठहर जाग्रो। मैंने कल सारा दिन फाइनेंस सैक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब, ग्रौर चीफ मिनिस्टर साहब कहें कि मैं फिर क्यों ग्रा गया,

(श्री तैय्यब हुसैन)

इस तरह की स्थिति रही। तो अब ये कहेंगे कि एक भी मेम्बर ने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं वह उन्हें मालूम है और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो उनके सामने नम्र निवेदन किया है उस पर वे हमदर्दी से गौर करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब तो स्पष्ट करो।

श्री जनार्दन गहलोत : अब तो मुख्य मंत्रीजी से कहलवा दीजिए। या तो मुख्य मंत्रीजी से कहलवा दीजिए। यह बात अब आपने कह दी।

श्री श्रवण कुमार : कोई गुप्त मत रखो।

श्री जनार्दन गहलोत : बीच की बात है तो वह सदन में बता दो।

श्री तैय्यब हुसैन : देखिए गहलोत साहब, मुझे इस बात का दुःख है कि जो बात हम आपस में कहते..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तो उसको आज आप डिसक्लोज कर ही दो यहां। बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, हमको भी लाभ होगा सबको। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं बड़े अदब से अर्ज कर देना चाहता हूं इस बात की हम आपस में रोज बात करते हैं। लेकिन इसको हाउस में किसी मैम्बर ने मेंशन नहीं किया।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो फिर राज को राज ही रहने दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी को तो बहुत पहले से मालूम है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह बात नहीं कही तो इसलिए नहीं कही कि वह आपके मुंह से सुनना चाहते थे।

श्री तैय्यब हुसैन : जी नहीं। लेकिन मैं तो जब भी कोई...

श्री राजेन्द्र पारीक : वरना हम तो अभी कह दें। आप कहो तो हम अब कह दें।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज करता हूं आपसे..

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो हम अब कह दें वह बात।

श्री तैय्यब हुसैन : अच्छा, सुनिए तो सही। (व्यवधान) मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने श्री गंगानगर भेजा, इनके पास किसान आए। माननीय सदस्य हनुमानगढ़ वाले अब चले गए हैं, मैं तो गंगानगर की सारी समस्याओं को लेकर फुलफलेज्ड रिपोर्ट आदरणीय मुख्य मंत्री को दे दी है मैंने। और उस पर यह हुआ कि आप उस, गन्ना फालतू है, उसके

(श्री तैय्यब हुसैन)

लिए पहली बार गुड़ और खांडसारी बनाने की स्टेट गवर्नमेंट ने परमीशन दी ताकि वे यह न कर सकें। और हुआ यह कि गंगानगर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोल दिया गया। इमीजिएट बात थी। और उसके बाद जो और मामलात है, वहां के कॉटन अफेक्टेड है, कुछ और भी है, मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से यह भी कहा है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से भी कहा है कि हम उनमें जो भी जगह किसान का जो फसल अफेक्टेड होती है नेचुरल कलेमिटी से, फ्लड से, उसका जो मुआवजा यहां मिलता है, वह भी कम है। मेहरबानी करके वित्तिय स्थिति को देखते हुए उसे बढ़ाने की पहल करें।

तो मैंने तो दरख्वास्त की थी और एलेवंथ फाइनेंस कमिशन यहां आ रहा है। उसके सामने भी यह सारी बात रखी जाएंगी। उन्होंने कहा, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि हम उस कमीशन के सामने यह सारी बात रखेंगे। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि, यह सब चीजें हैं, और रह गई बात उदयपुर यूनिवर्सिटी की। उदयपुर यूनिवर्सिटी का मामला आदरणीय मुख्य मंत्रीजी कहेंगे उस सिलसिले में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भरतपुर में एग्रीकल्चर कालेज की समस्या है। उसके बारे में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : अच्छी बात यह थी कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी यह फरमाते। लेकिन उन्होंने मुझे इजाजत दी है। पहली सरकार ने तो वादे करके कागजों पर किया था, हम उदयपुर में एक दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फव्वारा सैट्स वाली बात तो नहीं कही इन्होंने। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि जो मांगें हैं, उन्हें हाउस पारित करे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्रीजी मैंने भी एक कालेज के लिए मांग की है (व्यवधान) आप किसान के लिए जो बात कर रहे हो मैंने भी यूनिवर्सिटी की बात की थी। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्री जी भरतपुर में एग्रीकल्चर कालेज के लिए कहें। उपाध्यक्ष महोदय यह तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर कालेज खोलने के लिए कहें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय फसल बीमा योजना का क्या हुआ; मंत्री जी यह बताएं.... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल ..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : फसल बीमा योजना का मंत्री जी क्या हुआ ? फसल तो जल गई। 4 लाख रुपये का नुकसान तो मेरे क्षेत्र में हुआ है। 4 लाख की सरसों की फसल जल गई। फसल योजना के बारे में निवेदन है मेरा भी साहब। (व्यवधान) सरकार इस पर क्या विचार रखती है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय फसल बीमा योजना के बारे में बता दें...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : फसल बीमा योजना के बारे में क्या किया बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनिट, बिराजें। एक एक पूछें। पांच आदमियों का जवाब कैसे देंगे ? आप बैठिये प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर में एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी आपने खोल दी है धन्यवाद। मेरा एक ही स्पेसिफिक प्रश्न है। आपने शुरूआत में कहा था। Agriculture is a gamble in monsoon rains. बिलकुल सही कह रहे हैं। इसके लिए शुरूआत में भी शेक्सपीयर को मैं कोट करके कह दूं, आपने अंग्रेजी इतनी झाड़ी तो मैं भी थोड़ी झाड़ लूं A farmer who hanged himself on the xpectancy of plenty. मतलब यह है कि ज्यादा फसल हो जाए तो कीमत नीचे हो जाती है। कम फसल हो जाए तो भी तकलीफ। एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर को। A farmer who hanged himself.. मेरे कहने का मतलब यह है कि फसल बीमा के लिए भी आप कुछ निवेदन करें। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं निवेदन करूं आपसे.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री आप क्वेश्चन आने दीजिए। आप बैठिए बैठिए.. (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि श्री गांधी किसान विद्यालय, जयरामपुरा में, हम आपको पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग देंगे कालेज बनाने के लिए, और वहां 125 बीघा जमीन है स्कूल की वह भी देंगे ट्यूबवैल बनी हुई है। क्या सरकार वहां एग्रीकल्चर कालेज खोलने की मंशा रखती है ? श्री गांधी किसान विद्यालय, जयरामपुरा श्री माधोपुर के पास है सीकर जिले में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज जी।

श्री हफीज मोहम्मद : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है। हम आपके आभारी हैं।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी मंत्री जी से एक बात कही थी, यूनिवर्सिटी खोलते हो,

(श्री श्रवण कुमार)

किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हो, 20 हजार फव्वारे सैट के लिए अनुदान की आपने बात रखी।

मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, आज भी किया है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है। 30 हजार जहां के कनेक्शन होते हैं, वहां आपने 20 हजार फव्वारे का सैट दिया है। कम से कम 50 हजार तो करते। यूनिवर्सिटी वाले हाथ मिलाकर आ गए। सीकर और झुन्झुनूं न तो यूनिवर्सिटी से जोड़ा है, फव्वारा सैट हमारे काम आता है कम से कम फव्वारा सैट तो बढ़ाओ, (व्यवधान) यह कोई बात हुई? किसान की बात तो करते हो, आप कहते हो हमें खून की जरूरत है। खून तो हमारा निकलने को तैयार हो रहा है। किसान के लिए कर तो कुछ नहीं रहे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, झुन्झुनूं, सीकर, लुहारू से लगता हुआ जिला है लुहारू में खाद के ऊपर टैक्स कम है, बीज पर टैक्स कम है। तो सारी की सारी खाद झुन्झुनूं जिले में लुहारू और हरियाणा नारनौल से आती है। अगर टैक्स का आपस में काम्बिनेशन नहीं होगा तो यह खाद झुन्झुनूं जिले में नहीं बिकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि टैक्स में भी आपको समझौता करना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपका बिजली विभाग 30 हजार कुओं को विद्युतीकृत कर रहा है। जब आप नये कुओं वालों को ही नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका फव्वारा सैट्स पर अनुदान देने का क्या मतलब हुआ। आधे किसानों को देंगे आधे को नहीं देंगे। कम से कम जो नये कुएं बिजली विभाग विद्युतीकृत करें, उतने तो आपको करना चाहिए। और यह सबसे उपयोगी है। जितने भी आप दूसरे खर्चे कर रहे हो, सबसे ज्यादा उपयोगी यह फव्वारे ही हैं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन नहीं, प्रश्न पूछिये।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : प्रश्न पूछ रहा हूं साहब। भरतपुर जिले के बंध बारैठा में 75 बीघा जमीन स्कूल की तरफ से देने को तैयार हैं। आप वहां एग्रीकल्चर कालेज खोलने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर जिला राजस्थान में अंडरग्राउण्ड वाटर से हाइएस्ट इरिगेटेड इलाका है और जितने भी आपके कनेक्शन हैं, उनमें 30 हजार से ज्यादा तो कृषि कनेक्शन हैं। ऐसे क्षेत्र को वहां पर यदि फव्वारा सैट की उपलब्धता कराई जाती है तो मैं समझता हूं कि अन्न उत्पादन में आज वह वहां पर सबसे

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उपयोगी है। पूरे राजस्थान में सीकर सबसे ज्यादा कृषि कनेक्शन वाला क्षेत्र है।

इसलिए जो मांग की जा रही है फव्वारा सैट्स वाली, इसको निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। और इसमें कंजूसी मत करना। 50 हजार से नीचे की बात तो करना ही मत। अब एक तरफ आप उदयपुर में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं इसमें आप यह .. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमारी तो एक ही मांग है कि किसान के लिए फव्वारा सेट वाली बात..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री तैय्यब हुसैन : आसीन्द से आने वाले सदस्य ने कहा कि..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न सुन लीजिए।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि so far as the prices are concerned, it is a question of demand and supply. We have provided an alternative to the farmer so that he may not sell his produce under distress circumstances.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : Is 50 crores enough for that? If you want to take so much of money, then 50 crores is enough?

श्री तैय्यब हुसैन : I told you that this is just a begining. There will be no paucity of funds for this..... (interruptions).. Accommodation and funds have not been ...

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान विधान सभा की भाषा हिन्दी है, हिन्दी में बोलें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : राजस्थान के अंदर (व्यवधान) आप अंग्रेजी में बात न करें। किसान के लिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका दोष नहीं मंत्री जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इसलिए वह भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : चलिए, मैं नम्र निवेदन, अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक काम्प्रीहैंसिव इंश्योरेंस स्कीम है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है एक्टीवली। और ज्यों ही वो उसे फाइनलाइज करेंगे, हम उसको इमिजिएटली लागू कर देंगे।

(20.00 बजे)

दूसरा यह है कि, जहां तक कालेज की बात कही गयी है या और उस सिलसिले में बात कही, उस पर हो जाएगा, विचार करेंगे। सारी चीजें होगीं उस हिसाब से।

(श्री तैय्यब हुसैन)

जहां तक स्प्रिंकलर सैट की बात है और जहां तक टैक्स वगैरह की बात है....

श्री आर.पी.शर्मा : भरतपुर का पहली बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना है, भरतपुर में कालेज खोलने की बात करें।

श्री तैय्यब हुसैन : यह जो फव्वारा सैट वगैरह बढ़ाने की बात है तो इसी में मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस सिलसिले में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से भी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हो गयी। उन्होंने यह कहा कि इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन जो यहां आ रहा है उसके बाद में....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह समय तो गया जब यह होता था कि देख लेस्यूं, कर देस्यूं, हो जासी। वह बात तो गयी। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपसे, यह सारी बात है, गरीबों की और जरूरतों के बारे में बात है, उन पर हमदर्दी से गौर किया जायेगा.....(व्यवधान) ....अब मेरा निवेदन है कि मांग को पारित किया जाय।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फव्वारा का तो करो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पशुपालन मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : फव्वारों की आज किसानों को सबसे बड़ी जरूरत है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पशुपालन मंत्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम न कालेज खुलवाते हैं, न हमारे कोई हास्पिटल खुलता है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह खर्चा कम कर दीजिये।

श्री श्रवण कुमार : आर्डर हम मान लेंगे, पर यह फव्वारा पर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय पशुपालन मंत्री जी। आर्डर प्लीज। सब चीज का फैसला यहां नहीं होता है।

श्री श्रवण कुमार : भाषण तो इतना दे दिया मंत्रीजी ने। भाषण दिया, पर किसानों के लिए क्या किया है? फव्वारा सैट के लिए आप कुछ नहीं कर पाते हो। कहते हो कि दुनिया भर में हम खून देंगे। हमें खून की जरूरत नहीं है, हमें फव्वारे सैट की जरूरत है। वह दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह बरदाश्त नहीं करेंगे । माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं । (व्यवधान) माननीय कृषि मंत्री जी, आप किसान के बेटे हो । (व्यवधान) फव्वारा सैट जो किसान की महती आवश्यकता है । पानी का स्तर गिरता जा रहा है और किसान को फव्वारे की महती आवश्यकता है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : 30 हजार विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं । विद्युत कनेक्शन के आधार पर 30 हजार....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब चीज की घोषणा जरूरी नहीं है कि आज की आज हो ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सब चीज की घोषणा तो जब करने वाला सक्षम हो तो निश्चित रूप से ही करता है ।

श्री श्रवण कुमार : हमें फव्वारे की महती आवश्यकता है । चिड़ावा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय पशुपालन मंत्री जी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अभी कौनसी डिमांड पास हो रही है, मेरे बोलने के बाद में बोल लेना ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पशु पालन मंत्री जी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कुछ कहने वाले हैं । कहने वाले हैं अभी इशारा किया है कि मैं कुछ कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नहीं कहने वाले । आप विराजें । आर्डर प्लीज ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं बहुत आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मांग संख्या 39 जो पशुपालन के सम्बन्ध में है, उस पर अपने बहुत ही उपयोगी विचार रखे हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो सदन में उपस्थित हैं और इस मांग की चर्चा में दिलचस्पी ले रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : जो माननीय सदस्य बोलकर चले गये उनको उत्तर नहीं दें । यह इनको आप हिदायत दें ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह दिया न ।

श्री रामनारायण चौधरी : जो माननीय सदस्य बोलकर चले गये....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो हो गयी न पहले ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह नहीं हुई । कहां हो गयी ? आप उनकी अनुपस्थिति में उत्तर दिलवा दो तो उनका तो महत्व बढ़ गया ।

श्री उपाध्यक्ष : यह उनके सोचने की बात है । वह जवाब दे रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको भी निर्णय देने की बात है कि जो माननीय सदस्य यहां बोले और अपना उत्तर सुनने से पहले घर चले गये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सदन का उनकी नजर में महत्व नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की और आपकी भावना की पूरी कद्र करता हूं। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने पशु पालन के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला। निश्चित रूप से राजस्थान में पशुपालन का बहुत बड़ा महत्व है और राजस्थान के सकल उत्पादन में 19 प्रतिशत का योगदान पशु पालन से होता है। इससे आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह विभाग कितने महत्व का है।

मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान एक मात्र ऐसा प्रदेश है कि जिसने अपनी पुरानी पशुओं की ओरिजिनल नस्लों को कायम रखा है। कायम ही नहीं रखा है बल्कि उनकी नस्ल में सुधार किया है, संख्या में उनको बढ़ाया है। राजस्थान में नागौरी बैल, वीर राठी, थारपरकर और कांकरेज गायें, मालानी घोड़े, बीकानेर और जैसलमेरी ऊंट, सिरोही और मारवाड़ी नस्ल की बकरियां और मारवाड़ी और बीकानेरी नस्ल की भेड़ें एक विशेष महत्व रखती हैं।

श्रीमान्, यह विभाग 4-5 किस्म की गतिविधियां चलाता है। पहली तो है चिकित्सा के सम्बन्ध में। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं कि पिछले तीन चार वर्षों में चिकित्सा के सम्बन्ध में जो विस्तार राजस्थान में होना चाहिए था, वह हो नहीं सका। 1995, 1996, 1997 में कोई एक भी नया पशु चिकित्सालय नहीं खोला। 1997-98 में भी एक भी नया चिकित्सालय नहीं खोला। 1998-99 में 25 नये पशु चिकित्सालय खुले थे।

आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष राजस्थान में 100 नये पशु चिकित्सालय और 400 उप केन्द्र खोलेंगे। इनके खुलने से राजस्थान को यह लाभ होगा कि 28 लाख पशुओं को हम लाभान्वित कर सकेंगे और 1900 गांवों को हम इस योजना से और अधिक कवर कर सकेंगे।

श्रीमन्, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हमारे पशु चिकित्सालयों में ठीक से सुविधा उपलब्ध हो। पहले दो समय पशु चिकित्सालय खुलते थे सुबह और बीच में रैस्ट करके शाम को खुला करते थे। इससे गांवों में हमारे डाक्टर्स जो जाया करते थे वे एक बार जाकर के लौटकर आ जाते थे और फिर वहां नहीं पहुंचते थे। इसलिए मैंने यह आदेश दिये हैं कि वे एक ही टाइम खुलेंगे, सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। शहरों में और जहां पर हमारे पोली क्लिनिक्स हैं वहां पर 24 घंटे पशु चिकित्सा उपलब्ध रहेगी, यह और आदेश कर दिये गये हैं।

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर))

श्रीमन्, इस समय राजस्थान में 17235 गौवंश ईकाईयों पर एक पशु चिकित्सा ईकाई है। जो हमारा कृषि आयोग है उसके हिसाब से होनी चाहिए पांच हजार गौवंश ईकाईयों पर एक। इस लिए अभी इसमें बढ़ोतरी होने की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है।

जहां तक दवाइयों का प्रश्न है, इस वर्ष सरकार ने, जो गत वर्ष 1998-99 में दवाइयों का बजट था वह था एक करोड़ 23 लाख 55 हजार का और उसमें बढ़ोतरी करके एक करोड़ 69 लाख 25 हजार रुपये किये हैं। इसके अति-रिक्त मैं आपको और भी निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष का जो बजट था, वह 9 करोड़ 56 लाख रुपये का था। उसको बढ़ाकर के आयोजना बजट 19 करोड़ 75 लाख का किया है। उससे हम जो वर्तमान में हमारे पशु चिकित्सालय हैं, उस में 50 लाख रुपये के एक्स-रे, डार्क रूम्स, और उपकरण खरीद सकेंगे, यह इस वर्ष में एक नयी बढ़ोतरी होगी।

इसके अतिरिक्त दूसरी जो हमारी गतिविधि है वह है नस्ल सुधार की। जैसा कि आप सब ने चिन्ता प्रकट की थी कि बहुत से अस्पतालों में नस्ल सुधार के लिए जो सीमन पहुंचता है, वह वहां पर फ्रिज नहीं होने की वजह से या कोई और साधन नहीं होने की वजह से वह काम में नहीं आ पाता है।

इसलिए हमने इस वर्ष एक करोड़ 50 लाख के नये क्रायो केस खरीदने के लिए प्रावधान किया है। क्रायो केस खरीदेंगे एक करोड़ 50 लाख रुपये के, उसमें एल एन टू रखकर के, भरकर के उसमें सीमन के स्ट्रिप्स रहते हैं, वह रखे जाएंगे जिससे कि वह बदस्तूर कायम रहते हैं और उससे खराब नहीं होते। इस प्रकार से 300 सब सैण्टर्स तो विभाग के हैं और 200 सब सैण्टर्स हमारे सहकारी समितियों के हैं। इस प्रकार से 500 सैण्टर्स पर एक यह नयी सुविधा हम उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त श्रीमान्, हमने अपनी लेबोरेट्री को भी मज-बूत करने के लिए 86 लाख 76 हजार रुपये व्यय करेंगे और उससे हम अपने नवीन उपकरण खरीदकर के अपनी जो लेबोरेट्रीज हैं, बस्सी में है, उसको हम हिमिकृत वीर्य के लिए और सक्षम बनायेंगे।

श्रीमान, हमने अब ट्रेनिंग के विषय में भी अधिक ध्यान दिया है जिससे हमारे जो कर्मचारी हैं उनको हम ट्रेनिंग के सिल-सिले जो अप टू डेट कर सकें और उसके लिए हमने 15 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान किया है।

अभी बहुत चिन्ता हो रही थी इस बात की कि इन गांवों में आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन तो करते हैं लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि हम बुल्स डिस्ट्री-ब्यूट नहीं कर पाते हैं। इस में हमने तय किया है कि कुम्हेर में तो मुर्रा पाडों से उनको ब्रीडिंग करके और डग में मालवी नस्ल के बछड़ों का ब्रीडिंग करके और

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर))

रामसर में गीर नस्ल के बछड़ों को ब्रीडिंग करके गांवों में फ्री बछड़े उपलब्ध करायेंगे। यह इस साल हम और नई चीज उसके लिए करने जा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): कुम्हेर तो आपका ही क्षेत्र है ना।

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसी ब्रीड से करवाओगे ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कुम्हेर मेरा क्षेत्र है लेकिन यह सुविधा मेरे आने से पहले वहां शुरू हो गई थी, उसको मैं बढ़ा रहा हूं। मुर्रा नस्ल के पाडे, इस प्रकार हमने नस्ल सुधार के सम्बन्ध में काम किया है। अभी एक चिंता हो रही थी, हमारी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या क्रोस ब्रीडिंग के सम्बन्ध में जो होना चाहिए, जिस प्रकार से उन्नत होना चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं।

मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी पशुपालक एग्जोटिक ब्रीड का सीमन लेकर आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन करना चाहेंगे, उन्हें इस बात के लिए हम निश्चित रूप से बाहर से भी सीमन, इम्पोर्टेड सीमन और जगह से मंगाकर उनको हम सीमन उपलब्ध करायेंगे।

इसके अलावा पशु पालकों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए हमने पशु रैलियां आयोजित करने का प्रबन्ध किया है और एक पशु रैली पर हम करीब 10,000 रुपये खर्च करते हैं। पुरानी हमारी जो योजना चल रही थी, गोपाल योजना, उसका हम विस्तार करेंगे। कामधेनु योजना को और प्रभावी बनायेंगे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या है कामधेनु ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कामधेनु योजना यह है कि उसमें हम दो लाख रुपये या 50 पशुओं के समूह के लिए 25 प्रतिशत अनुदान देते हैं, जो कोई लेना चाहे, कर्जा लेते हैं उसको दो लाख रुपये या 25 प्रतिशत, जो भी राशि कम हो, उसका अनुदान दिया जाता है, वह कामधेनु योजना है। इसको और प्रभावी बनायेंगे।

मैं आपको प्रसन्नता की बात बताना चाहता हूं कि महिलाओं के सम्बन्ध में, क्योंकि पशुपालन का काम महिलाएं ज्यादा करती हैं, तो महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए हमने 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का अब की बार लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त कुक्कुट विकास कार्यक्रम में भी जो पहले कमी आ गई थी। उस कमी को दूर करके कुक्कुट विकास कार्यक्रम पर भी हम और ध्यान दे रहे हैं।

अभी चर्चा चल रही थी कि बैलों की हालत गिरती चली जा रही है। यह सही है कि बैलों की हालत कुछ गिरती चली जा रही है क्योंकि लोग मशीनरी की तरफ ज्यादा चले गये। जहां ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, वहां बैलों की उपयोगिता कम हो गई है, इसलिए

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर))

मेलों में पशु कम आते हैं। लेकिन फिर भी जिस किसी मेले के अंदर जमीन की आवश्यकता होगी और इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी, विभाग इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय होकर काम करेगा।

इसके अलावा इस वर्ष भी अजमेर में शूकर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में 100 प्रतिशत अनुदान पर एक नया शूकर प्रजनन फार्म स्थापित करने जा रहे हैं। अश्व विकास कार्यक्रम पर भी हम आठ लाख रुपये खर्च करेंगे। बकरियों के विकास की चिन्ता कर रहे थे हमारे शिव से आने वाले माननीय सदस्य, उनको मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही नस्ल की बकरियों के पालन पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा और फ्री बकरों का वितरण किया जायेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उनके गधों की नस्ल की क्या बात है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वह पूछ रहे थे आपसे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गधों की नस्ल तो आजकल बहुत अच्छी है। (व्यवधान) जहां तक बोर्डर एरियाज हैं, उनमें हम एक करोड़ 37 लाख रुपये व्यय करेंगे। ऊंट, गाय और बकरियों के विकास के ऊपर और पशुधन विकास पर मेवात क्षेत्र में अब की बार हम 24.11 लाख रुपये का खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ में यूरोपियन कम्युनिटी द्वारा अनुदान योजना सिद्धमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत पशुपालन विकास पर 46.37 लाख रुपये खर्च किया जायेगा। यह पशुपालन के सम्बन्ध में मैंने आपको निवेदन किया है। जहां तक हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उसमें वही 1–2 बात रखी है।

कुल मिलाकर नामजद अलग अलग तो नहीं बताना चाहता, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने और अधिक चिकित्सालय खोलने की बात कही है। तो जितना बजट में प्रावधान है, वह भी आपको निवेदन कर दिया। स्टाफ की हमारे यहां पर निश्चित रूप से कमी है। इस कमी को हम शीघ्र ही दूर करेंगे। हमने आर.पी.एस.सी. को भी लिख दिया है कि वह शीघ्र ही डाक्टर्स का रिक्रूटमेंट करे और जो एन.एस.एस. की पोस्ट वेकेंट हैं, उन्हें अगले दो तीन महीनों के अन्दर पूरा कर देंगे। स्टाफ मौजूद रहे, इसका मैंने प्रबन्ध कर लिया है।

मेलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में मैंने आपको निवेदन किया। जहां तक चरागाह की कमी की बात है, यह हम निवेदन करेंगे विभागों से कि चरागाह के ऊपर अतिक्रमण नहीं हो। बुल्स का वितरण फ्री किया जायेगा, इसका मैंने आपको निवेदन कर दिया।

राजस्थान में एक वेटेरिनरी कालेज खोलने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। उसके सम्बन्ध में दो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस दे दिया है, वह अभी खोल नहीं पा रहे हैं। कोशिश इस बात की होगी कि राजस्थान में और वेटेरिनरी कालेज खोलकर इस कमी को भी दूर किया जाये, यह मैंने आपको निवेदन किया है अपने

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर))

पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में।

डेयरी के सम्बन्ध में हमारे ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने भी और अन्य सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि डेयरी का जो इंतजाम है, उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं। एन.डी.डी. बी. है, उसको कोई ईस्ट इंडिया कम्पनी का नाम दे रहे हैं और एन.डी.डी.बी. से निजात चाहने वाली बात आपने यहां पर कही है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, this is a baby of the previous government. यह हमारी पुरानी सरकार है, उसकी उत्पति है। हुआ इस प्रकार से कि.. (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : But don't throw the baby out with the bath water.

श्री श्रवण कुमार : इस बार तो आप बहुत कम; 33 आ गये। (व्यवधान) अब की बार 11 आयेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हुआ इस प्रकार से, (व्यवधान) मेरी बात सुन लें, मैं आपको पूरा इतिहास उसका बता देना चाहता हूं। हुआ इस प्रकार से कि हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के निवेदन पर कुरियन साहब, जोकि एन.डी.डी.बी. के अध्यक्ष थे, वह पधारे राजस्थान में। और उनके साथ में 9-1-92 को मीटिंग हुई और उस समय वातावरण यह था, या बनाया गया कि हमारे राजस्थान में जो डेयरी चल रही है वह बहुत घाटे में चल रही है और दूध के उत्पादकों को कई कई हफ्ते, 6–6, 7–7 हफ्तों तक पेमेंट नहीं किया जाता और घाटे में जा रही है इसलिए इस इंतजाम को एन.डी.डी.बी. को दिया जाये।

कुरियन साहब ने कहा कि हम आपको 1–2 संघ लेकर उसका इंतजाम मोडल के रूप में करके इसको हम ठीक करके दे देंगे। मुख्य मंत्रीजी का कहना था कि आप सब का सब इंतजाम ले लीजिये तो उन्होंने सब के सब इंतजाम ले लिये और कहा कि इसमें किन शर्तों पर लिया जायेगा? तो कुरियन साहब ने कहा कि जो घाटा होगा, वह एन.डी.डी.बी. का होगा और जो मुनाफा होगा वह आर-सी.डी.एफ. का होगा, ऐसी 9-1-92 को बात तय हुई। उसके बाद में कुरियन साहब का पत्र आया दिनांक 6-2-92 को और उस पत्र का जवाब हमारे डेयरी सचिव ने 19-2-92 को दिया। उस पत्र के अनुसार, जो उस पत्र में बात लिखी गई थी, उसमें यह बात तय हुई थी कि जो अब तक का पुराना घाटा है, जोकि 1-4-92 को घाटा था, वह था 60.26 करोड़ का। उसमें से डेप्रिशिएशन की रकम थी 31 करोड़ की। तो 29 करोड़ का कैश घाटा था।

इसके बारे में यह तय हुआ कि आधा घाटा तो राज्य सरकार देगी और आधा घाटा एन.डी.डी.बी. या गवर्नमेंट आफ इण्डिया से पैकेज तय करके दिया जायेगा।

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर))

जहां तक इस घाटे का प्रश्न है 29 करोड़ का, इसमें 9 करोड़ तो एन.डी.डी बी. ने दिया है अब तक, और 8 या 9 करोड़ ही राजस्थान सरकार ने दिया है। तो यह घाटा आधा-आधा, इसमें 17–18 करोड़ के करीब 29 करोड़ में से दिया गया है। बाकी है, उसके बाद में किसी ने दिया नहीं। अब जो बीच में घाटा चल रहा था, उसके बारे में यह तय हुआ कि वह घाटा एन.डी. डी. बी. देगी। तो उस समय जब 1-4-92 को यह इनको दिया गया है, अरेंजमेंट दिया गया है, वह उस समय घाटा था, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, 60.26 करोड़ का। और आज घाटा है 107 करोड़ का (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा।

मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उसके लिए एज पर टर्म्स एण्ड एग्रीमेंट तो यह घाटा एन.डी.डी.बी. को देना है। और उस समय 1-4-92 को या उसके बाद में कोर-स्पोंडेंस हुआ 19-2-92 को। उसके बाद में यह तय हुआ था कि हैण्ड ओवर हम आपको किये देते हैं, जैसाकि आप पूछ रहे थे ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य कि बगैर एम.ओ.यू. के कैसे यह हैण्ड ओवर कर दिया गया। तो पत्रों की सहमति के आधार पर यह पूरा काम आर.सी.डी.एफ. का और राजस्थान के अन्दर जितनी भी डेयरियों के संघ हैं, इन सबका मैनेजमेंट एन.डी.डी.बी. को सौंप दिया गया और आज एन.डी.डी.बी. इस पूरे मैनेजमेंट को अपने हाथ में लिये हुए है।

उनका फुल कंट्रोल इस पर है उन सहमति पत्रों के आधार पर। एग्रमेंट का जहां तक प्रश्न था, एग्रीमेंट के बारे में सरकार के और एन.डी डी.बी. के चर्चा होती रही। और आज पिछले छह-सात साल से लगातार इस बात पर चर्चा हुई है एग्रीमेंट के लिए, ड्राफ्ट एग्रीमेंट बने हैं, और वह एग्रीमेंट के जो ड्राफ्ट कई बार मंत्रिमण्डल के सामने आये और मंत्रिमण्डल ने अपनी एक स्पेशल कमेटी बनाकर के उसको एप्रूव कराया और लेटेस्ट पोजीशन यह हुई कि वह ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हुआ। कमेटी से एप्रूव हुआ, मंत्रिमण्डल के सामने पहुंचा। मुख्य मंत्रीजी के सामने पहुंचा और उस पर दस्तखत हो नहीं सके और यह चुनाव आ गये। और उसके बाद में यह फाइल मेरे पास आई।

मैंने उस पर मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि जो हमारा और एन डीडीबी का जो एग्रीमेंट है, यह को-आपरेटिव की भावना के अनुकूल नहीं है। को-आपरेटिव की भावना के इसलिए अनुकूल नहीं है कि इसमें इलेक्टेड रिप्रज़ेन्टेटिव नहीं है, इसमें नोमिनेटेड आरसीडीएफ के अंदर काम कर रहे हैं। चेयरमैन हमारा सैक्रेटरी है और उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वह एनडीडीबी का है। इसलिए एक बात तो यह है कि इसमें को-आपरेटिव की भावना के अनुकूल इलेक्टेड बोर्ड नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अब आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात सुन लीजिये, मैं क्या कह रहा हूं । दूसरी बात इसमें यह हुई कि यह जो घाटा है, जो 107 करोड़, मतलब कितना, 47 करोड़ का जो घाटा है, उसके संबंध में एनडीडीबी को हमने लिखा भी है और जबानी भी बात की है । उनका कहना यह है कि जब तक एग्रीमेंट पर आप साइन नहीं करेंगे तब तक हम इस घाटे को नहीं देंगे। अनलेस एग्रीमेंट इज साइन्ड । एग्रीमेंट साइन करने के बाद में यह घाटा देने वाली बात आयेगी क्योंकि उसमें मोडेलिटीज तय होंगी घाटे देने की । संघों का घाटा दिया जायेगा या आरसीडी एफ का घाटा दिया जायेगा, हर साल दिया जायेगा या कैसे दिया जायेगा । इस प्रकार से वह मोडेलिटीज जब तक तय नहीं होगी तब तक वह घाटा नहीं देंगे । हमने पत्र भी लिखा है उनके लिए...(व्यवधान)

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : मंत्रीजी, इसमें भूलकर भी एग्रीमेंट नहीं करना है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो यह सब मैटर, जो है मैंने मंत्रिमण्डल के सामने इस पर फाइनल डिसीजन होने के लिए रखा है। जो मंत्रिमण्डल डिसीजन लेगा वह मान्य होगा । यह मेरा निवेदन है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । एक मिनट ।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जो हमारे मोजिज मेम्बरान ने फव्वारा सैट के बारे में बात कही है, हम उसके साथ उसूली तौर से, सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं और उस पर हमदर्दी के साथ विचार करेंगे । (व्यवधान) एक और बात है । एक सैकण्ड । दूसरी बात, अभी डाक्टर करण सिंहजी ने यहां कहा था कि जो मरीज गांव से आते हैं, किसान हैं, तो उसमें हमारी, जो मार्केटिंग बोर्ड में कृषक साथी की योजना है तो उस के लिए भी जो उसमें और नौ कैटेगिरीज जुड़ी हैं, तो इसमें चार केटेगिरीज और जोड़ रहे हैं, हार्ट का वाल्व, पेसमेकर, कैंसर, गुर्दा बदलने के लिए जो होगा, फी आदमी दस हजार रुपये दे देंगे । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । हमारे झुंझुनूं जिले में..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, क्लेरिफिकेशन के लिए तो धन्यवाद। लेकिन मेरा आरोप है कि आपके यह जितने भी बोर्ड के चेयरमैन थे 95 प्रतिशत कांग्रेस के थे । उनको हटाने के लिए साजिस के रूप में, भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने साजिश के रूप में यह पूरा किया है । और एक क्लेरिफिकेशन मैं आपको और अर्ज कर दूं । आपने जो कैचवर्ड फरमाया कि एनडीडीबी कह रही है कि जब तक साइन नहीं होंगे हम नहीं देंगे । सैक्रेटरी चेयरमैन है.। अब लीगल अनोमली, आप तो खुद वकील साहब रहे हुए हैं, आप रिकवर बिलकुल नहीं कर सकेंगे, विकाज, एम.ओ.यू. जब आपने साइन नहीं किया और कोरसपोंडेंस के रूप में आपने हैण्ड ओवर, टेक ओवर कर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

दिया, तो उन पर क्या लाइबिलिटी हुई ?

श्री हरिसिंह : मैं एज एन एडवोकेट..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, यह चार्ज आप मानते हुए जो-जो अफसर इन्वोल्व्ड हैं कांसपरेसी में, उनको भी आप पनिश करिये साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इनको पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में...

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान में भी हटाया है इसलिए आप... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे झुन्झुनू जिले में एक चिलिंग प्लांट चलता था और वह भी बंद हो गया। मंत्री जी खड़े हैं, हमारा एक जबाब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी। विराजिये...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमारे झुन्झुनू जिले में चिलिंग प्लांट चलता था डेयरी का, वह बंद हो गया...

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण कुमारजी बोल रहे हैं एक मिनट। माननीय शिवनाथ सिंह जी, विराजिये। विराजिये।

श्री श्रवण कुमार : एक मिलक संघ है, वह बंद...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हम इश्यू इसलिए बना रहे हैं कि एक्चुअली लॉस किसका हो रहा है ? प्रोड्यूसर का। आज जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में वह प्रोड्यूसर मारा जा रहा है मंत्री महोदय, और ड्रेन आन हो रही है यह चीज। और वह बिलकुल आराम से बैठे हैं विदाउट टेकिंग ओवर एनी लाइबिलिटी आर रेस्पोंसिबिलिटी।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एनडीडीबी के जो अधिकारी लगे हैं इन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। उनका, मंत्री महोदय, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। इसमें निवर्तमान प्रबंध संचालक डाक्टर एस. पी. मित्तल, डाक्टर आर. एस. खन्ना, अजमेर डेयरी के निवर्तमान प्रबंधक डाक्टर चट्टोपाध्याय, बीकानेर के प्रबंध संचालक डाक्टर विश्वास, उदयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मोडगिल प्रमुख, इनमें डाक्टर आर. एस. खन्ना के खिलाफ राज्य अन्वेषण ब्यूरो में मामला तक दर्ज कर रखा है। और जो अभी वर्तमान में एम. डी. हैं, उनके खिलाफ भी फिन खरीद का मामला है। इतना जबरदस्त घोटाला हुआ है, इसमें इनकी लेबोरेट्री है, श्रीराम

(श्री रामलाल जाट)

लेबोरेट्री से यह टेस्ट करवाते हैं। उस लेबोरेट्री में इन्होंने विमल से केनें खरीदीं, आज दिन तक जो खम्बा कम्पनी से केनें खरीदी जा रही थीं वह बिलकुल सही थीं। लेबोरेट्री से जांच करवाई गई, हमने चेयरमैनों ने, उसमें खिलाफ आई। फिर भी इन्होंने वह केनें खरीदीं, इसमें लाखों रुपये का घोटाला किया जिनका आज दिन तक कोई कुछ भी नहीं हुआ।

अभी भीलवाड़ा डेयरी में 22 लाख रुपये का, मैंने अभी जो वर्तमान में एम.डी. हैं उनसे टेलीफोन से बात की उनको कहा था; लेकिन इन्होंने कोई भी जो इनके एनडीडीबी के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जो भी आरसी डीएफ के अधिकारी-कर्मचारी, उनको जेल में फंसा देते हैं। इनके अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ लेकिन आज दिन तक कोई भी इसकी कुछ भी इन्क्वायरी नहीं हुई। इसलिए माननीय मंत्रीजी, पूरी कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमार जी।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हमारे चिलिंग प्लांट चलता था झुन्झुनूं में, वह बंद हो गया। उसको चलू करने का नाम नहीं। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बरबाद हो रही है। नम्बर दो, तिलम संघ किसान का एक बहुत बड़ा हितैषी संघ था उसको भी सरकार बंद करने जा रही है।

नम्बर तीन, फव्वारों वाली बात किसान की आई कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यह शब्द तो केवल चुनावों में कहा जाता है और हाउस में अगर यह बात कही जाती है तो it is not right तो मुख्य मंत्रीजी किसान का बेटा है, असली किसान का बेटा पहली बार....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमारी बात को भी...

श्री उपाध्यक्ष : देंगे, देंगे। आपको देंगे मौका।

श्री श्रवण कुमार : एक मिनट वी. पी. सिंहजी। पहली बार किसान का बेटा राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बना है। पहले राजा-महाराजा बनते थे या कोई भी बनते थे। लेकिन हमारे आने के बाद किसान का बेटा पहली बार बना है। और किसान के बेटे के दिल में हमदर्दी नहीं है तो हम समझेंगे किसान को अब जीने का कोई हक नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हाउस में आज मुख्य मंत्रीजी अनाउंस करें कि पचास हजार किसानों को फव्वारों पर सब्सीडी देंगे, तब किसानों के प्रति हमारी हमदर्दी होगी।

मैं यह चाहूंगा कि यह आज अनाउंसमेंट करावें। यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसान के प्रति आपकी हमदर्दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) शिवनाथ सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय, अब हमारा नम्बर है ।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी । माननीय शिवनाथ सिंह जी ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : बोल रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय । उपाध्यक्ष जी, कट मोशन भी हमने चार–पांच रोज पहले दे दिये थे, आपने कहा सब के जवाब आपके पास आ गये हैं । हमारे लिए झुन्झुनूं जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमारे चिलिंग प्लांट था उसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रकम मशीन में लग गई, करोड़ों रुपये । उसकी बिल्डिंग बन गई, बहुत बड़ी जमीन है और आज कई साल से बंद पड़ी है । सरकार का रुपया उसमें लगा हुआ है । उसको चालू नहीं करने से वहां के किसान जो दूध उत्पादन में हमारा जिला हरियाणा से लगा हुआ है और हमारे यहां बहुत दूध उत्पादन होता है, उस चिलिंग प्लांट को चालू करने के लिए खास तौर से हमने कट मोशन दिये थे । हो सकता है आपके पास जवाब आ गये हैं । नहीं आये हों तो आप उसकी चेष्टा कीजिये, उस चिलिंग प्लांट को आप चालू कर रहे हैं, करना चाहिए आपको । आपके पास रिपोर्ट कुछ भी आ सकती है, पोलिटिकल रीजन से, किसी भी कारण से उसको बंद कर दिया गया इसलिए वह किया है ।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्षजी, निवेदन है कि हमारे यहां तिलम संघ की इकाई थी । बहुत प्रोफिट में चल रही थी । सब कुछ ठीक था । लेकिन तिलम संघ का रुपया खा गया कोई न कोई, उस वक्त के चीफ सैक्रेटरी के कारण से यह तिलम संघ की सब इकाइयां डूब गई, उसका नुकसान आज हमको दिया जा रहा है । हमारी तिलम संघ की जो झुन्झुनूं में इकाई है उस इकाई को चालू रखा जाय; बंद नहीं किया जाय क्योंकि झुन्झुनूं जिला आयल सीड्स के प्रोडक्शन में टाप पर आ रहा है । हमारे यहां हर काश्तकार के पास सरसों पैदा होती है...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये । प्रश्न ।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि तिलम संघ की यूनिट को आप बंद नहीं करेंगे और उसको चालू रखेंगे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि एन.डी.डी.बी. की कोई लायबिलिटी नहीं, कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया; अपने अधिकारी केवल यहां पर लगा दिये और इसीलिए हमने एम.ओ.यू. साइन नहीं किया । मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि आर.सी.डी.एफ. के आफिसर्स में क्या कमी है । एन.डी.डी.बी. के आफिसर्स से (व्यवधान) मैं आप ही की बात कर रहा हूं और अच्छी बात है, इसीलिए हमने एम.ओ.यू. साइन नहीं किया । इसीलिए हमने उनसे कोई ऐसा समझौता नहीं किया ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके मुख्य मंत्री जी ने तो एम.ओ.यू. साइन किये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप ही की बात कह रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। ऐसी कौनसी टेक्नालाजी एन.डी.डी.बी. ला रहे हैं जो आप उनके साथ समझौता करने के लिये जा रहे हैं। हमारे आफिसर्स में क्या कमी है जो हम नहीं चला सकते। (व्यवधान) उससे मतलब नहीं है, जब आपकी बात आती है तो हम बीच में नहीं बोलते, बिलकुल नहीं बोलते।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 20-20 जने खड़े होते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज .....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपको तो सपोर्ट करना चाहिये...(व्यवधान) ये और को क्या होता है। एन.डी.डी.बी. क्या नई टेक्नालाजी लेकर आ रही है कि आप उनसे समझौता करने जा रहे हैं ? क्या इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं जो आप एन.डी.डी.बी. से समझौता करने के लिये तैयार हो रहे हैं ? लॉस भी वो उठाने को तैयार नहीं है कि पहले हमारा एम.ओ.यू. साइन करो फिर हम लॉस की बात करेंगे और हम लायबिलिटी उठायेंगे। आप तो अपने अधिकारियों से भी सक्षम हैं, उन्हीं से करवायें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सदस्य, इस संबंध में मामले हाइकोर्ट में चल रहे हैं इसलिए इस सदन में मैं जो कुछ कहूंगा उससे हाई कोर्ट के मुकदमों में इधर या उधर असर पड़ सकता है। यह मामला मंत्रिमण्डल के सामने जायेगा और मंत्रिमण्डल, मैं समझता हूं, इस में उचित निर्णय लेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुरड़क साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय; इतनी देर में आपने सारी बातें बता दीं; अब हाई-कोर्ट कहां से आ गया ? मैं आपसे दो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। पहली बात तो यह है कि यह को-आपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37... विराजिए हो गया, विराजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा सवाल तो हो जाने दो, आपने पहले कहा था कि..

श्री उपाध्यक्ष : सबका जवाब थोड़े ही आता है। आपकी बात सुन ली मंत्री जी ने।

श्री हरजीराम बुरड़क : सवाल तो पूछने दीजिए, क्या हो गया; इतनी देर से..

श्री उपाध्यक्ष : सबका जवाब नहीं आता है। बात सुन ली। वे आपको जवाब भेज देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कोई तरीका हुआ क्या ? यह क्या हुआ ? इतनी देर तो भाषण करवा दिया और पहले मैंने कहा तो आपने इशारा किया था तो मैं बैठ गया। अब मैं दो सवाल पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलो ।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं । पहला सवाल मेरा यह है कि यह संस्था को-आपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है । जब तक को-आपरेटिव एक्ट में वह रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं हो जाता, तब तक यह डिपार्टमेंट कैसे किसी दूसरे को हैण्ड ओवर कर सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि घाटा देने में और संस्थाओं के चुनाव करने में उनके दो एग्रीमेंट थे । उनके लिये वह कह रहे थे कि वह एग्रीमेंट नहीं हुआ । एग्रीमेंट नहीं हुआ तो वह मालिक कैसे बन गये और किसने मालिक बनाया ? उनके खिलाफ आप क्या करेंगे ? इन दो सवालों का उत्तर दे दीजिए ।

श्री रामलाल जाट : आनंद घुमाने ले जाते हैं । मंत्री महोदय को कह रहा हूं, हमारे को भी लेकर गये । वहां आनंद जाने के बाद सब इनके हो जाते हैं। मंत्री महोदय आनंद पधारो तब ध्यान रखना आप । हम वहां गये थे इनके काश्तकारों को इतना पैसा देते हैं । आनंद के काश्तकारों को, गुजरात के काश्तकारों को पैसा देते हैं पूरा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी ।

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की यह नई सरकार अब तक राजस्थान के किसान और गरीब के लिये बहुत हितकारी फैसले कर रही है । फव्वारा सैट के बारे में भी कल अखबारों में यह जाये कि 50-60 हजार फव्वारे सैट राजस्थान के किसानों के लिये मंजूर किये हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसान के हित में यह घोषणा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया ना ।

श्री श्रवण कुमार : किसान के लिये 20 से 50 हजार नहीं कर सकते ? एक आवाज में एम.एल.एज. को 25 से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । (व्यवधान)

मांग संख्या 37 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–37 कृषि (विपणन सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,26,91,000/- (दो अरब पचपन करोड़ छब्बीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

माँग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशु पालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,18,71,000/- (एक अरब बीस करोड़ अठारह लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1999 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.35 बजे शुक्रवार दिनांक 9 अप्रैल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में प्राप्त शिकायत प्रकरण

239. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर में सरकार द्वारा वर्ष 1993 से 1998 तक गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब ? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त मनोनीत सदस्यों द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायतें जनता, जन प्रतिनिधियों एवं अन्य साधनों से प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1993 में कोई गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। दिनांक 25-4-94 की अधिसूचना के द्वारा श्री बाबूलाल कुमावत, श्री मोहम्मद मियां, श्री गणपत वर्मा, श्री हीरालाल कटारिया, श्री बनवारी लाल दुसाद को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्ति की गई। दिनांक 13-12-94 की अधिसूचना के द्वारा क्षेत्रीय प्रमुख आवास एवं नगर विकास निगम (हुड़को) को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया दिनांक 12-12-97 की अधिसूचना के द्वारा श्री चुन्नीलाल रतवाया, श्री गुलमोहम्मद, श्री पुष्प जैन एडवोकेट, श्री बनवारी लाल दुपाद, श्री भवानी सिंह राजावत एवं श्री बलदेव सिंह सोइन क्षेत्रीय प्रमुख आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) को गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार को एक शिकायत, समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28-1-98 द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत पर आवासन मण्डल से टिप्पणी मांगी गई थी।

(3) शिकायतों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। तत्पश्चात जांच करवाये जाने का विचार है।

परिशिष्ट "ब"–1

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(प्र.प–2)

क्रमांक:- प.8(6) नविआ/11/72 जयपुर, दिनांक:-25 अप्रैल, 94

अधिसूचना

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राजस्थान आवासन मण्डल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) श्री बाबूलाल कुमावत, जयपुर

(2) श्री मोहम्मद मियां, कोटा

(3) श्री गणपत वर्मा, जयपुर

(4) श्री हीरालाल कटारिया, उदयपुर

(5) श्री बनवरी लाल दुसाद, जयपुर

उपरोक्त वर्णित सदस्यों का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन तीन वर्ष की अवधि तक रहेगा ।

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(एम. के. वर्मा)

उप शासन सचिव

परिशिष्ट "ग"–2

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(ग्रुप–2)

क्रमांक:-प.8 (6) नविग्रा/11/72 जयपुर, दिनांक:-13-12-94

आज्ञा

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार क्षेत्रीय प्रमुख, आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) जयपुर को राजस्थान आवासन मण्डल में सदस्य नियुक्त करती है।

आज्ञा से,

ह.

(के.के.सिंघल)

शासन उप सचिव

परिशिष्ट "ब"–3

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

(ग्रुप-2)

क्रमांक:-प.8(6)नविभा/11/72 जयपुर, दिनांक:-12-12-97

अधिसूचना

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 5(1) (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राजस्थान आवासन मण्डल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) श्री चुन्नीलाल रतवाया, गंगानगर (एस.सी.)

(2) श्री गुलमोहम्मद, पूर्व विधायक, जयपुर

(3) श्री पुष्प जैन एडवोकेट, पाली

(4) श्री बनवारी लाल दुसाद, जयपुर

(5) श्री भवानी सिंह राजावत, कोटा

(6) श्री बलदेवसिंह सोहन, क्षेत्रीय प्रमुख, आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको)

उपरोक्त वर्णित सदस्यों का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन तीन वर्ष की अवधि तक रहेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(मन्मथ कुमार)

शासन उप सचिव

जिला धौलपुर में मत्स्य पालन ठेका

240. श्री शिवराम (धौलपुर) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला धौलपुर में मत्स्य विभाग द्वारा किस-किस तालाब का ठेका दिया गया और कितने तालाब शेष रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला धौलपुर में निम्नलिखित तालाबों का ठेका दिया:—

			ठेका राशि
1.	बन्ध रामसागर सेंचुरी एरिया को छोड़कर मय बन्ध आर.टी. एवं नदी ब्राह्मणी व कमल वाला खड्डा	रुपये	7,44,712.00
2.	बन्ध शाहपुरा	रुपये	29,813.00
3.	नदी पार्वती (बोधपुरा से सिलावट तक राजस्थान-उ.प्रदेश सीमा)	रुपये	52,551.00
4.	बन्ध बोलावर	रुपये	81,786.00

जिला धौलपुर में निम्नलिखित तालाब शेष रहे:—

1. बन्ध अंगाई डेम मरम्मताधीन
2. नदी पार्वती (अंगाई डेम को छोड़कर) बड़गांव चन्द्रपुरा से लेकर बोधपुरा तक मय नदी भटकुंजड़ा, केशवपुरा, शेरगी, शारगी, बिलौनी, चन्द्रपुरा, बड़गांव, बोधपुरा एवं नदी घोडी घोरान टना बांध और बांसुरी।
3. बन्ध उर्मिल सागर
4. बन्ध तालाबशाही
5. बन्ध कुकपुर
6. बन्ध हुसैनपुर
7. बन्ध पारापुरा

(मत्स्य पालन मंत्री)

8.	बन्ध बाजना	
9.	बन्ध चिलाचौंद	
10.	बन्ध बिसरौंदा	शुष्क बन्ध हेतु आरक्षित
11.	बन्ध उमरेह	शुष्क बन्ध हेतु आरक्षित
12.	बन्ध सुन्नीपुर	शुष्क बन्ध हेतु आरक्षित
13.	नदी चम्बल (पाली से रेल्वे बड़ी लाइन तक)	मगर पालन हेतु आरक्षित
14.	नदी चम्बल (रेल्वे पुल से गढ़ी) जाफर तक)	मगर पालन हेतु आरक्षित

तारांकित प्रश्न संख्या-241

(स्थगित)

कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर की आय

242. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों के कुप्रशासन के कारण सरकार को मण्डी टैक्स एवं अन्य कर स्रोतों से होने वाली आमदनी से वंचित रहना पड़ रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भरतपुर में सरसों आदि अलग-अलग जिन्स का उत्पादन अधिक होने एवं मण्डी में आवक होने के बावजूद सुसंगत व्यवस्था नहीं होने के कारण मण्डी की आय उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें सुधार लाने हेतु कोई उपाय करने जा रही है ? उक्त मण्डी समिति को गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी आमदनी हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। मण्डी में नियमन व्यवस्था सुसंगत रूप से की जा रही है। मण्डी शुल्क से गत पांच वर्षों की आय निम्न प्रकार रही है :—

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं. 1	वर्ष 2	आय 3
1.	1993-94	1.23
2.	1994-95	1.75
3.	1995-96	1.55
4.	1996-97	1.67
5.	1997-98	1.80

तहसील झुन्झुनूं में अकाल राहत कार्यों में श्रमिक संख्या

243. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील झुन्झुनूं के समस्त ग्राम सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में 5000 श्रमिकों की संख्या तय की गई है ? क्या उक्त तहसील में उक्त श्रमिक संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार कितनी श्रमिक संख्या पर्याप्त समझती है ?

(3) क्या सरकार उक्त अकालग्रस्त ग्रामों में जरूरतमन्द सभी श्रमिकों को रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्तमान स्थिति को देखते हुये 5000 श्रमिक संख्या पर्याप्त है।

(3) जी हां। रोजगार की अन्य योजनाओं एवं वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुये जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्न

244. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत वर्ष लक्षित वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कितना गेहूं आधी कीमत पर आवंटित किया गया है व कितने लोगों को वास्तविक रूप में वितरित किया गया ?

(2) क्या लक्षित वितरण प्रणाली के अतिरिक्त सामान्य व चयनित श्रेणी में लक्षित परिवारों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से लागू

(श्री गोविन्द सिंह)

नहीं करने के कारण एवं खाद्यान्न की मात्रा अत्यन्त कम होने के कारण यह योजना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है ? यदि हां, तो इसको सुचारू रूप से चालू करने के क्या प्रयास किये गये हैं ?

(3) सरकार ने इस योजना में प्रति परिवार प्रतिमाह प्रति चयनित परिवार 10 किलो ग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराने के बजाय इसकी मात्रा 40 से 50 किलो करने का जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है उसमें क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) गत वर्ष लक्षित वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित परिवारों को अनुदानित दर पर 717.2 मै. टन गेहूं आवंटित किया गया। इसमें से 523.17 मै. टन गेहूं का उठाव व वितरण हुआ व औसतन प्रतिमाह 4360 परिवार लाभान्वित हुए।

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 10 किग्रा. गेहूं अनुदानित दरों पर दिये जाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया हुआ है। यह सही है कि इसके अनुरूप आवंटित गेहूं की मात्रा कम होने के कारण ना केवल गेहूं के वितरण में व्यवहारिक कठिनाईयां आती है बल्कि लाभान्वित होने वाले उपभोक्ता परिवारों की वर्णित मात्रा के उठाव में रुचि कम हो जाती है। इस मात्रा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार से निवेदन किया गया है।

(3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चयनित परिवारों को 10 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार दिये जाने के निर्देश भारत सरकार के हैं, इस संबंध में भारत सरकार को आवंटन मात्र 10 किलो से 40 किलो तक बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजा था उसके संबंध में भारत सरकार से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

न्यायालयों में अभियोजकों के पदोन्नति प्रकरण

245. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला एवं सेशन न्यायालयों तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों में लोक अभियोजकों एवं अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद अभियोजन विभाग के अधिकारियों में से पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति के पश्चात् अब तक कितने पद पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पद अभियोजन अधिकारियों की पदोन्नति से नहीं भरे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक इन्हें भरा जा रहा है ?

(श्रीमती यास्मीन अबरार)

(3) क्या जिला सवाई माधोपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजक का पद रिक्त रहा है ? जिला सवाई माधोपुर के न्यायालयों में उक्त अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पदों को कब तक भर दिया जावेगा ? क्या वकीलों में से नियुक्ति की जा रही है या पदोन्नति से यह पद भरे जा रहे हैं ? उक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978(Raj. Prosecution Rules 1978) के संशोधित नियम-4 के उपनियम–3 के लागू होने के पश्चात अभियोजन सेवा (Prosecution Service) के अधिकारियों में से लोक अभियोजक (Public Prosecutor), अपर लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor), विशिष्ठ लोक अभियोजक (Special Public prosecutor), के पदों पर की गई नियुक्तियों की सूची "क" में दर्शाया गया है व अभिभाषकों में से इन पदों पर की गई सीधी नियुक्तियों को सूची "ख" में दर्शाया गया है।

(2) अभियोजन संवर्ग (Prosecution cadrs) के अधिकारियों की पदोन्नति गृह अभियोजन(Home Prosecution) विभाग द्वारा की जाती है तथा अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों में से विधि विभाग के अधीन लोक अभियोजक(Public Prosecutor) अपर लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor), विशिष्ठ लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) के पदों पर पदस्थापन के लिए अभियोजन विभाग को विधि विभाग द्वारा सूचित करने पर अभियोजन संवर्ग (Prosecution cadre) के अधिकारियों के पदस्थापन के प्रस्ताव उक्त विभाग से प्राप्त होते हैं।

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 (Raj. Prosecution Service Rules 1978) के संशोधित नियम-4 के उपनियम–3 के लागू होने पर राज्य के लोक अभियोजक (Public Prosecutor) अपर लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor)विशिष्ट लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) के पदों पर कुल संख्या के 50% से अनाधिक पदों पर अभियोजन सेवा (Prosecution Service) के अधिकारियों में से नियुक्ति की जा सकेगी। इस संशोधित नियम के लागू होने पर राज्य सरकार द्वारा इन पदों को अभियोजन सेवा (Prosecution Sevice) के अधिकारियों में से भरने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। दस पदों पर नियुक्तियां पूर्व में ही की जा चुकी है (9 पदों पर नियुक्तियां दिनांक 17-12-98 को एवं एक पद पर नियुक्ति दिनांक 18-1-99 को की जा चुकी है) तथा ग्यारह अन्य पदों पर नियुक्तियों के आदेश दिनांक 1-4-99 द्वारा किये जा चुके हैं। तीन पदों को अभियोजन विभाग के अधिकारियों से भरने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है।

(विधि मंत्री)

(3) जिला सवाईमाधोपुर में गंगापुर सिटी में अपर लोक अभियोजक का पद है जिस पद पर अपर लोक अभियोजक कार्यरत रहा है और आदेश दिनांक 27-3-99 के द्वारा उसी अपर लोक अभियोजक की पुनः नियुक्ति की जा चुकी है। यह पद अभिभाषक वर्ग में से नियुक्ति की जाकर भरा गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नर्सरी योजना में कनेक्शनों का बिल भुगतान प्रकरण

246. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि कनेक्शनों में नर्सरी योजना समाप्त करने के बाद नर्सरी योजना में कनेक्शन लिए किसानों का बिल नर्सरी योजना के अन्तर्गत आ रहा है?

(2) क्या सरकार नर्सरी योजना समाप्ति की तारीख से इस योजना में जमा बिलों की अधिक वसूली राशि किसानों को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नर्सरी योजना दि. 28–12–1998 से बन्द कर दी गई है। परन्तु जो कनेक्शन नर्सरी योजना में हो चुके हैं या जमा मांग पत्र के सापेक्ष दिये जा रहे हैं, उनको नियमानुसार दो वर्ष तक नर्सरी में व दो वर्ष बाद सामान्य श्रेणी में फ्लेट रेट टेरिफ से बिल देने का प्रावधान है और उसके अनुसार ही बिल दिये जा रहे हैं।

(2) नर्सरी योजना की समाप्ति की तारीख से इस योजना में उक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिक राशि नहीं ली गई है अतः राशि वापिस लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं का जांच प्रकरण

247. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों तथा भूमि घोटालों की जांच के लिए दवे आयोग का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब तथा अब तक उक्त जांच आयोग ने कौन–कौन सी जांच रिपोर्ट कब–कब सरकार को प्रस्तुत की है? जांच रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्टों के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण के कौन-कौन अधिकारी किस-किस मामले में दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है तथा क्या-क्या कार्यवाही शेष है जो कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के विनिदिष्ट लोक (प्रशासनिक) महत्व के निश्चित मामलों की जांच हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना प. 3 (104) नविग्रा/95 दिनांक 24-3-95 द्वारा एक सदस्यीय दवे जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने आयोग के विचारणीय मामलों की जांच रिपोर्ट दिनांक 22-7-98 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अतः रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है।

(2) जांच रिपोर्ट का अभी परीक्षण किया जा रहा है।

नागरिक अधिकार पत्र प्रकरण

248. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गिरदावरी जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने व कृषि भूमि के नाप व सीमा ज्ञान एवं मूल निवास का प्रमाण पत्र लेने में किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में राजस्व विभाग की ओर से नागरिक अधिकार पत्र तैयार कर उसे सख्ती से क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड, सीमाज्ञान आदि की प्रतिलिपियां निर्धारित शुल्क पर देने का प्रावधान किया हुआ है। किन्तु इसकी क्रियान्विति यथा समय नहीं हो रही है राज्य सरकार इसके लिए प्रभावी प्रक्रिया तैयार कर रही है। राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियां निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त करने के लिए राजस्व मण्डल नागरिक अधिकार-पत्र शीघ्र जारी करने पर विचार कर रहा है।

वन क्षेत्रों में खनन पर रोक प्रकरण

249. श्री संयम लोढा (सिरोही): क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के जिला अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा आदि में 12 दिसम्बर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के आदेश से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अवैध खनन पर रोक लगी है?

(2) अब तक इस संबन्ध में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सिरोही वन मण्डल के रेन्ज

(श्री संयम लोढ़ा)

आबूरोड/पिंडवाड़ा एवं दांतीवाड़ा में दीवार बनी हुई है ? क्या उक्त दीवार अभी तक यथावत है ? उक्त दीवार का भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया और उसके परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में वन क्षेत्रों में खनन कार्य बन्द कराने के पश्चात जिला अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करोली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ बारां, बांसवाड़ा में केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्ति के बिना चल रहे खनन लीज के 203 प्रकरण केन्द्र सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत खनन कार्य चालू करने की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। इनमें से 96 में अस्थाई कार्य अनुमति 74 में प्रथम स्तरीय खनन कार्य करने की स्वीकृति तथा 51 में अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिलावार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) सिरोही वन मण्डल के रेन्ज आबूरोड एवं पिण्डवाडा में वृक्षारोपण क्षेत्रों तथा अकाल राहत के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों की बाडबंदी हेतु पत्थर की दीवार बनी हुई है व मौके पर मौजूद है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने से पूर्व बनाई दीवार का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया था।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत खनन प्रकरणों की स्वीकृति की स्थिति

क्र सं.	नाम जिला	केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रकरण	अस्थाई कार्य अनुमति की संख्या	प्रथम स्तरीय स्वीकृति की संख्या	अन्तिम स्वीकृति की संख्या
1.	अलवर	48	14	1	—
2.	चित्तौड़गढ़ (प्रतापगढ़)	6	3	2	—
3.	सिरोही	4	1	2	1
4.	करौली	24	15	7	—
5.	सवाईमाधोपुर	2	2	—	—
6.	झालावाड़	18	13	6	—
7.	बारां	—	—	—	—
8.	बांसवाड़ा	101	48	56	50
	योग:—	203	96	74	51

जिला हनुमानगढ़ के छात्रावास

250. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल कितने छात्रावास चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले में नये छात्रावास खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त जिले में निजी भवनों में चल रहे छात्रावासों को क्या सरकार सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में 6 राजकीय तथा एक अनुदानित छात्रावास संचालित है जिसकी सूची निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	अनुसूचित जाति बालक छात्रा. हनुमानगढ़	25
2.	अनुसूचित जाति बालक छात्रा. पीलीबंगा	25
3.	अनुसूचित जाति बालक छात्रा. रावतसर	25
4.	अनुसूचित जाति बालक छात्रा. भादरा	25
5.	अनुसूचित जाति बालक छात्रा. झण्डावाली	25
6.	स्वच्छकार बालक छात्रा. नोहर	25
7.	अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावास, सांगरिया	60

इसके अलावा वर्ष 98–99 में पंडितावाली एवं पक्कासारण में दो नये छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) निजी भवनों में चल रहे छात्रावासों के लिए सरकारी भवन स्वीकृत करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विपणन बोर्ड की सड़क नीति में परिवर्तन

251. डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सम्पर्क सड़कें मार्केटिंग डवलपमेंट फैडरेशन में स्वीकृत की गई थीं? यदि हां, तो प्रथम एवं द्वितीय फेज की स्वीकृत सड़कों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछ सड़कों की निविदायें आमंत्रित कर ली गई हैं ? यदि हां, तो कब-कब ऐसी सभी सड़कों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें । अभी तक कार्य आदेश नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या कृषि विपणन बोर्ड सड़क नीति में परिवर्तन करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां । स्वीकृत सड़कों की जिलेवार सूची एनेक्सचर "ए" पर संलग्न है।

(2) जी हां । निविदा प्राप्ति की सूचना परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है । किसानों के हित में परिक्षण के उपरान्त निर्णय होना शेष है।

(3) कृषि उपज मंडी समितियों की स्वायत्तता को बनाये रखते हुए उनकी राय पर और किसान को उसकी उपज का समय पर उचित मूल्य मिल सके तथा अपनी उपज को सुविधानुसार इच्छित स्थान पर परिवहन कर सके मुख्य रूप से यही सोच राज्य सरकार का है। इस हेतु नीति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

(सूची एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के अकालग्रस्त ग्राम

252. श्री जीतमल (बागीदोरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला बांसवाड़ा को इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जिले को अब अकालग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की पंचायतें अकालग्रस्त हैं और सरकार ने उसको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र की पंचायतों को अकालग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सम्वत् 2055 की

(अकाल राहत मंत्री)

खरीफ की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट (अंतिम प्रतिवेदन) में खराबा 50 प्रतिशत से कम होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की पंचायतों में फसल खरीफ की अंतिम गिरदावरी प्रतिवेदन के अनुसार फसल खराबा 32 प्रतिशत ही होने के कारण अभाव स्थिति की घोषणा नहीं की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर फसल खराबा 50 प्रतिशत और इससे अधिक होने पर ही अभाव स्थिति की घोषणा की जाती है।

कृषि विद्युत कनेक्शन का स्थानान्तरण प्रकरण

253. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषक उपभोक्ताओं को नई क्रय की गई भूमि पर खुदे हुए कुए पर कृषि विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरित करने पर दो वर्ष तक रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकार की रोक से कृषक उपभोक्ताओं को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोक को हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत मण्डल द्वारा नई क्रय की गई भूमि में कृषि कनेक्शन के स्थानान्तरण पर आंशिक रूप से रोक लगा रखी है। ऐसे मामले सामने आये थे, जिनमें वरीयता क्रम से बचने के लिए मात्र 1/4 या 1/2 बीघा जमीन का क्रय बताकर पुराने कनेक्शन को उस स्थान पर स्थानान्तरण करवा लिया जाता था। इस अनुचित कार्यवाही को रोकने के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया कि भूमि का आंशिक क्रय विक्रय नहीं किया गया हो तथा वर्षों से दोनों स्थानों पर एक ही कृषक की जमीन हो। दो वर्ष का प्रतिबन्ध निम्न परिस्थितियों में लागू होता है :–

(अ) गड्ढे खोदकर 1-2 पोल योजना में कनेक्शन लेकर बाद में इसका स्थान परिवर्तन करवाना।

(ब) आदेश सं. 879/22-7-98 के अनुसार जहां पर बहुत अधिक क्षेत्रफल का खसरा हो और उस खसरे में एक से अधिक कुएं हों तथा कनेक्शन एक से अधिक हों, जो एक ही आवेदक के नाम हो, स्थान परिवर्तन 2 वर्ष तक नहीं किया जावेगा। यह ध्यान में रखा जायेगा कि स्थान परिवर्तन में दोनों जगह एक ही कृषक का मालिकाना हक हो।

(2) सामान्यतया वरीयता क्रम को छोड़कर कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की अनुचित प्रवृति को रोकने के दृष्टिकोण से कनेक्शन स्थानान्तरण में दो वर्ष की लगाई गई रोक से आम कृषक को कोई

(ऊर्जा मंत्री)

हानि नहीं हो रही है। अतः फिलहाल इस प्रतिबन्ध को हटाने का कोई विचार नहीं है।

नगरपालिका जैतारण की तालाब भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण

254. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगरपालिका जैतारण में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया है ? विवरण मय दस्तावेज के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु कब-कब किस-किस अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? अतिक्रमणकर्ता को दिये गये नोटिस मय जवाब की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भू-खण्ड से अतिक्रमण हटवा कर उक्त भूमि को पालिका के कब्जे में लेने एवं तारबन्दी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका जैतारण में स्थित तालाब की भूमि के पास श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री सुन्दर लाल श्रीमाली ने प्रशासन शहरों की ओर अभियान के दौरान वर्ष 1983 में कुछ खाली पड़े भू-खण्डों में से एक भू-खण्ड पर वर्ष 1971 से पूर्व का कब्जा बताते हुए नियमन हेतु एक प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत किया जिस पर तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी ने बाद जांच आवेदन पत्र को उसी समय निरस्त कर दिया था। विवरण मय दस्तावेज सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) उक्त तालाब की भूमि के पास एक खाली भू-खण्ड पर श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री सुन्दर लाल श्रीमाली ने अपना कब्जा बताते हुए नियमन हेतु आवेदन दिया था परन्तु भू-खण्ड पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं था इसलिए अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई।

(3) उक्त भू-खण्ड पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। भूमि पालिका के कब्जे में है। इस भू-खण्ड पर पालिका की सम्पत्ति का बोर्ड लगा हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या 255

(स्थगित)

तारांकित प्रश्न संख्या 256

(स्थगित)

बिश्नोई और मेवों को आरक्षण प्रकरण

257. श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बिश्नोई और मेव जातियों को आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जाट, मेव एवं बिश्नोई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने का विषय राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है । आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की सड़कें

258. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने मण्डी समितियों के सड़क निर्माण हेतु कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार एक हजार आबादी वाले गांवों व पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) जिला चूरू के कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा गत पांच वर्षों में कितनी सड़क निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, उनमें से कितने कार्य चालू हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने कृषि उपज मण्डी के तहत चूरू जिले में सड़क निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) कृषि उपज मण्डी सादुलपुर में ग्राम रड़वा से कान्द्राण की स्वीकृति कब जारी की गई थी, उक्त सड़क का निर्माण कहां तक व कितना किया गया है ? क्या सरकार इस अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कृषि उपज मण्डी समिति सादुलपुर के पास बजट उपलब्ध था तब उक्त सड़क को पूर्ण क्यों नहीं किया गया ।

(5) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वर्ष 1998-99 में कौन-कौन सी नई सड़कें प्रस्तावित थीं, उनमें से कितने की स्वीकृति जारी की गई और उनका निर्माण कब तक शुरू कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम साखू से विजयपुरा, जैतपुरा से ढाणी-मौजी, राजगढ़ से ढंढाल-लेखू से स्याली, हमीरवास से बेवड़ सभी पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । सड़क नीति दिनांक 11-3-96 परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । एक हजार आबादी वाले गांव व पंचायत मुख्यालय जोड़ने की सड़कों को निर्धारित प्राथमिकता क्रम में आने पर वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर निर्माण कराया जाता है ।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(3) विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(4) उक्त सड़क की स्वीकृति दिनांक 16-3-83 को जारी की गई थी । कुल 2 कि.मी. डामरीकरण और आधा कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. हो चुका है ।

जी नहीं । क्योंकि वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तथा मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जावेगा ।

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाने के कारण सड़क पूर्ण नहीं हो पाई ।

(5) निम्न तीन नई सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी :–

1. भैसली से चंदोली जोड़ी (डामरीकरण) ।

2. राजगढ़ चूरू से मुन्दीताल ।

3. राजगढ़ हमीरवास रोड़ से बेवड़ ।

मण्डी समिति के पास समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उक्त सड़कों का निर्माण शुरू किया जायेगा ।

(6) नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली में अकाल राहत कार्यों हेतु श्रमिक संख्या

259. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली की विभिन्न तहसील क्षेत्र में माह सितम्बर, 1998 से फरवरी 1999 तक किस-किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में किस-किस कार्य पर कितनी श्रमिक संख्या के कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने कार्यों पर किस-किस पंचायत समिति में कितने-कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) तहसील रायपुर व सोजत में अकाल राहत कार्य चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या भारत सरकार द्वारा

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रतिवर्ष अकाल राहत कार्यों की राशि का आवंटन नियमानुसार होता रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अकाल राहत कार्य चालू नहीं करने व घास डिपो नहीं होने से जन-जीवन पलायन कर रहा है ?

(5) अब सरकार मार्च से जून, 1999 में कितनी-कितनी श्रमिक संख्या के अकाल राहत कार्य प्रत्येक जिलों को देने का विचार रखती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्र में सितम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक ग्राम पंचायत क्षेत्रवार स्वीकृत श्रमिक संख्या का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) स्वीकृत 667 कार्यों में से 315 कार्य पूर्ण हो गये, चालू 132 कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(3) तहसील रायपुर में 47 राहत कार्य तथा तहसील सोजत में 81 राहत कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से क्रमशः 24 कार्य व 41 कार्य शुरू किये गये। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा कोष में प्रति वर्ष निर्धारित राशि राज्य सरकार को प्राप्त होती रही है।

(4) जी नहीं।

(5) माह अप्रेल, 1999 के लिए स्वीकृत श्रमिक सीमा का विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील नावां में पेयजल विद्युत कनेक्शन प्रकरण

260. श्री हरीशचन्द्र (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सायंकाल 6 से 10 बजे तक विद्युत् आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी अनुपालना में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

(2) तहसील नावां में जलदाय विभाग द्वारा कितने नलकूपों के विद्युत् कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोट की राशि जमा करा रखी है ? क्या उक्त विद्युत् कनेक्शन अभी तक नहीं किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार जलदाय विभाग की जमा शुदा राशि के कुओं व नलकूपों पर कब तक विद्युत् कनेक्शन कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सायंकाल 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत् आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था सम्बन्धी आदेशों की यथासम्भव अनुपालना की जा रही है।

(2) तहसील नावां में जलदाय विभाग द्वारा 13 नलकूपों के विद्युत् कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा करा रखी है। इनमें से चार नलकूपों के विद्युत् कनेक्शन दिए जाने हेतु कार्य पूर्ण किया जा चुका है लेकिन जलदाय विभाग द्वारा फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण कनेक्शन नहीं दिए जा सके। शेष 9 नलकूपों की विद्युत लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है। नलकूपों की सूची निम्न प्रकार है :—

1. कुचामन (पांव रोड) नलकूप नं. 54 से 56
2. कुचामन (डिडवाना रोड) नलकूप नं. 58 से 63
3. कुचामन (दीपपुरा रोड) नलकूप नं. 57
4. कुचामन (दीपपुरा रोड) नलकूप नं. 64
5. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 65
6. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 66
7. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 67
8. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 68
9. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 69
10. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 78
11. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 71
12. कुचामन (आनन्दपुरा) नलकूप नं. 72
13. जनता जल योजना पाटवा

(3) उक्त 13 नलकूपों में से जहां विद्युत विभाग द्वारा लाइन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा जलदाय विभाग द्वारा फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है उन स्थानों पर जलदाय विभाग द्वारा फिटिंग कार्य पूर्ण किए जाने पर शेष नलकूपों पर लाइन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करवाकर कनेक्शन दिए जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जावेगी।

बस स्टेण्ड श्रीगंगानगर का सफाई प्रकरण

261. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय बस अड्डा श्रीगंगानगर के दक्षिण दिशा वाली सड़क खराब हो चुकी है ? क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस स्टेण्ड के आस-पास कचरा जमा है ? क्या सरकार उक्त बस स्टेण्ड के आस-पास सफाई व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । उक्त सड़क की मरम्मत हेतु दिनांक 15-3-99 को निविदा प्राप्त की जा चुकी है । नगर परिषद ने वित्तीय स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए जून, 1999 तक उक्त कार्य पूर्ण होने की सम्भावना व्यक्त की है ।

(2) जी हां । मुख्य बस स्टेण्ड के एक साईड में कचरा था वह उठवा दिया गया है । मुख्य बस स्टेण्ड के आस-पास नियमित सफाई करवाई जा रही है ।

जिला बूंदी का भूमि आवंटन प्रकरण

262. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले में राजस्व भूमि पर कितने किसानों के ट्रेसपासर प्रतिक्रमण के मामले दर्ज हैं कितने वर्ष 1991 से चल रहे हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि गत सरकार द्वारा गरीब व भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन नहीं करने के कारण इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त भूमिहीन गरीब किसानों को कब्जे शुदा भूमि नियमित कर इनको मुकदमों से राहत दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में राजस्व भूमि पर 36994 किसानों के प्रतिक्रमण के मामले कायम हुए हैं । इनमें से 7 किसानों के विरुद्ध 20 मुकदमें वर्ष 1991 से बूंदी तहसील की उप तहसील, तालेडा में लम्बित हैं । तहसील बूंदी की उप तहसील तालेडा में वर्ष 1991 से 7 कृषकों के विरुद्ध प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं । अन्य तहसीलों के कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं ।

(2) यह भी एक कारण है ।

(3) माह मई, जून, 1999 में सभी जिलों में भूमि आवंटन/नियमितिकरण कमेटियों की बैठकें उपखण्ड अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाने हेतु राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये हैं । इन बैठकों में पात्रता रखने वाले कृषकों को भूमि आवंटन एवं नियमितिकरण किया जावेगा ।

जिला चित्तौड़गढ़ की वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जों का नियमन प्रकरण

263. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वन विभाग की भूमि पर कितने व्यक्तियों के कब से अनाधिकृत कब्जे हैं तथा कहां-कहां पर कुए खुदे हुए हैं और कितने-कितने समय से खेती हो रही है ?

(2) क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को राहत देने के लिये उक्त कब्जों के नियमन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वन विभाग की भूमि पर 2769 व्यक्तियों के अनाधिकृत कब्जे हैं। इन कब्जों में 593 कब्जे दिनांक 1-7-80 से पूर्व के नियमन योग्य पाये गये हैं तथा इन कब्जे धारियों में से 68 व्यक्तियों के द्वारा कुएं खोदे गये हैं। इन खोदे गये कुये में से 53 कुएं खड्डे के रूप में हैं और पक्के बने हुये नहीं हैं मात्र जमीन में खड्डा खोदा गया है।

(2) दिनांक 1-7-80 के पूर्व के आदिवासी कृषकों के अतिक्रमणों के प्रकरणों के नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में आदिवासी कृषकों के जिला चित्तौड़गढ़ में पाये गये 593 नियमन योग्य अतिक्रमण प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार को नियमन करने की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। अवशेष प्रकरण नियमन योग्य है अथवा नहीं इसके निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सांकड़ा (जैसलमेर) का छात्रावास भवन प्रकरण

264. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रावास हैं ?

(2) क्या जनसंख्या के आधार पर सरकार उक्त जिले में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या सांकड़ा गांव में छात्रावास भवन बना हुआ है परन्तु उक्त भवन को राजकीय स्वीकृति नहीं है ? क्या सरकार आगामी वर्ष में स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 9 छात्रावास हैं।

(2) नये छात्रावास खोलने हेतु स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्णय लिये जाते हैं। चालू वर्ष में दो

(समाज कल्याण मंत्री)

अनुसूचित जाति के छात्रावास और स्वीकृत किये गये हैं, जो प्रारम्भ करने की प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। सांकड़ा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत सीनीयर माध्यमिक विद्यालय के पास जिला प्रशासन द्वारा स्कूल के अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्रावास भवन का निर्माण किया गया है। जिसका संचालन छात्र स्वयं के खर्चे से करते हैं। चूंकि सांकड़ा में विभाग का या विभाग से अनुदानित कोई छात्रावास नहीं है इस कारण उक्त छात्रावास को विभाग मान्यता एवं अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार कर सकता है।

पंचायत समिति करौली के अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएं

265. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): कृषि सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति क्षेत्र करौली के अन्य कार्यों के लिए जून, 1996 में 40 लाख रुपये बिना अकाल ग्रस्त घोषित किये गये ही क्षेत्र में राहत कार्य सम्पन्न करने हेतु दिये गये थे ?

(2) क्या 36.04 लाख रुपये का कार्य दिनांक 28 जून, 1996 को स्वीकृत किया गया था ?

(3) क्या उक्त कार्यों के मस्टररोल दिनांक 16 जून, 1996 को ही भरवा लिये गये थे ?

(4) क्या सरकार ने दिनांक 3 जून, 1996 को अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये थे ? उक्त कार्यों में दो दिनों के अन्दर ही स्वीकृत राशि में से कितनी राशि का कार्य करवा लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति करौली तथा क्षेत्र के अन्य कार्यों के लिए जून, 1996 में 4.70 लाख रुपये बिना अभावग्रस्त घोषित किये गये क्षेत्र में राहत कार्य सम्पन्न करने हेतु दिये थे।

यह क्षेत्र अभावग्रस्त क्षेत्रों के नजदीक था तथा इन ग्रामों के चारों ओर के ग्राम अभावग्रस्त घोषित थे तथा अभावग्रस्त ग्रामों के श्रमिकों ने इन ग्रामों में कार्य किया था।

(2) 28 जून, 1996 को 36.03 लाख रुपये की संशोधित/परिवर्तित कार्योत्तर स्वीकृति जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा जारी की गई थी। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों के स्थान पर ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार इतनी ही राशि के अन्य कार्य प्रस्तावित किये गये जिनकी संशोधित स्वीकृति जारी करने के लिए तत्कालीन विकास अधिकारी ने अपने पत्र

(सहायता मंत्री)

क्रमांक 1107 दिनांक 13-6-96 द्वारा कलक्टर, सवाई माधोपुर को निवेदन किया। जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने कार्य जारी रखने के मौखिक निर्देश देते हुए उप जिला कलक्टर, करौली से मौके की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी जो उप जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 24-6-96 को भेजी गई। तत्पश्चात् संशोधित/परिवर्तित स्वीकृति आदेश दिनांक 28-6-96 को जारी किया गया।

(3) जब कार्य प्रारम्भ हुए उसी अनुरूप मस्टररोल भरे गये।

(4) उक्त कार्यों पर व्यय ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है जो मौखिक निर्देशों के अनुसार पूर्व से ही 30 जून तक कराये गये हैं।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 316 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

क्रमांक प.3(29) राज/उप/86/ जयपुर, दिनांक 4 जनवरी, 89

जिला कलक्टर,
बीकानेर।

विषय :– उपनिवेशन क्षेत्र से राजस्व क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये ग्रामों के टी. सी. आवंटन बाबत।

प्रसंग :– आपका पत्रांक सी.बी./राजस्व/88/2558 एवं 2561 दिनांक 7-12-88 एवं 8-12-88

महोदय,

राज्य सरकार ने तहसील लूणकरणसर के 27 ग्रामों के उपनिवेशन क्षेत्र को पूर्व में बाहर किये जाने की अधिसूचना के फलस्वरूप काश्तकारों की समस्या के निराकरण हेतु पत्रांक एफ3(127) राज/उप/78 दिनांक 12-9-78 एवं सम संख्यक

दिनांक 3-1-79 से निर्देश जारी किये थे। राज्य सरकार की वर्तमान में भी यही नीति रहेगी और निर्देशानुसार आपसे लेख है कि इन्हीं आदेशों के अनुरूप वर्तमान में घोषित 50 ग्रामों के लिए कार्यवाही की जाए।

जिन व्यक्तियों को अस्थाई कृषि पट्टा को 1955 के अधीन अस्थायी काश्त हेतु भूमि का आवंटन किया गया उन्हें निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर एवं राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अधीन रखते हुए एवं इन नियमों में भू-आवंटन की निर्धारित सीमा तक खातेदारी अधिकार दिए जावें :–

(1) ऐसे अस्थाई आवंटन उक्त शर्तों के अधीन किया गया हो तथा अस्थायी आवंटन की अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हो।

(2) ऐसे अस्थाई आवंटियों का निरन्तर इस अवधि में कब्जा आवंटित भूमि पर रहा हो।

जिन अस्थाई आवंटियों को 10 वर्ष की अवधि नहीं हुई है अथवा निरन्तर कब्जा नहीं रहा है उन्हें बेदखल नहीं किया जावे बल्कि प्रत्येक ऐसे प्रभावित व्यक्ति के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जावे।

भवदीय

ह0

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

उपनिवेशन विभाग

क्रमांक/प3(29)उप/86 जयपुर, दिनांक 17-10-94

जिला कलक्टर,

बीकानेर।

विषय :– करमीसर गांव के 189 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र संख्या 12–12 ( ) राजस्व/94/2889 दिनांक 24–8–94।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 4-1-89 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु कार्यवाही करें।

भवदीय,

ह0

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

उपनिवेशन विभाग

क्रमांक प3(29)उप/86/   जयपुर, दिनांक 29-9-95

जिला कलक्टर,

बीकानेर।

विषय :– करमीसर गांव के 189 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्रांक एफ 12–12 (   ) राजस्व/94/1402 दिनांक 7-6-95।

महोदय;

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि ग्राम करमीसर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने संबंधित प्रकरण में आप द्वारा अंकित बिन्दुओं एवं ग्राम करमीसर को अब नगर परिषद सीमा में आने एवं आवंटन नहीं किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में लेख है कि यह प्रकरण नवीन आवंटन का नहीं है। पुराने आवंटियों टी. सी. होल्डर्स को राज्यादेश दिनांक 3-1-79 एवं 4-1-89 के अनुसार आपके स्तर पर खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही की जाकर शासन को अवगत करावें।

भवदीप,

ह0

शासन उप सचिव

परिशिष्ट – 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची)

परिशिष्ट–"अ"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में आई. टी. आई. प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों से भरे जाने वाले विभिन्न पद व उनकी वेतन शृंखला।

क. सं.	पद का नाम	वेतन शृंखला
1.	फोरमैन प्रथम/ इन्जीनियरिंग सुपरवाईजर	5000-8000
2.	लाइन इन्सपेक्टर/ फोरमैन-द्वितीय/ आपरेटर	5000-8000
3.	वेल्डर-प्रथम	5000-8000
4.	वेल्डर-द्वितीय	4000-6000
5.	वेल्डर-तृतीय	3050-4590
6.	टरबाईन अटेन्डेन्ट प्रथम	5000-8000
7.	टरबाईन अटेन्डेन्ट-द्वितीय	4000-6000
8.	टरबाईन ड्राईवर-प्रथम	4000-6000
9.	मैकेनिक-प्रथम	4000-6000
10.	मैकेनिक-द्वितीय	3050-4590
11.	फिटर-प्रथम	4000-6000
12.	फिटर-द्वितीय	3050-4590
13.	इलेक्ट्रिशियन-प्रथम	4000-6000
14.	इलेक्ट्रिशियन-द्वितीय	3050-4590
15.	आर्टिजन-प्रथम	4000-6000
16.	आर्टिजन-द्वितीय	3050-4590

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन शृंखला
17.	रेडियो मैकेनिक-प्रथम	4000-6000
18.	रेडियो मैकेनिक-द्वितीय	3050-4590
19.	वायरमैन-प्रथम	4000-6000
20.	वायरमैन-द्वितीय	3050-4590
21.	कैबिल जोइन्टर-प्रथम	4000-6000
22.	कैबिल जोइन्टर-द्वितीय	3050-4590
23.	एस. एस. ए.–प्रथम	4000-6000
24.	एस. एस. ए.–द्वितीय	3050-4590
25.	लाईनमैन-प्रथम	4000-6000
26.	लाईनमैन-द्वितीय	3050-4590
27.	कारपेन्टर-प्रथम/	4000-6000
	ब्लेकस्मिथ-प्रथम/	4000-6000
	पेन्टर-प्रथम/	
	टर्नर-प्रथम/	
	मोल्डर-प्रथम/	
	वाइण्डर-प्रथम/	
28.	कारपेन्टर-द्वितीय/	3050-4590
	ब्लेकस्मिथ-द्वितीय/	
	पेन्टर-द्वितीय	
	टर्नर-द्वितीय/	3050-4590
	मोल्डर-द्वितीय/	
	वाइण्डर-द्वितीय	
29.	फिल्टर आपरेटर/	4000-6000
30.	फिल्टर अटेन्डेन्ट	3050-4590
31.	ड्राईवर-प्रथम (मैकेनिकल)	4000-6000
32.	ड्राईवर-द्वितीय (मैकेनिकल)	3050-4590

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला
33.	ड्राईवर	3050-4590
34.	आक्जलरी अटेन्डेन्ट	3050-4590
35.	टूल कीपर	3050-4590
36.	हैल्पर-प्रथम/ एस. एस. ए.-तृतीय/ एस. बी. ए.-तृतीय/ सी. सी. ए.	2950-4475
	सिविल ट्रेड	
37.	मिस्त्री-प्रथम	5000-8000
38.	मिस्त्री-द्वितीय	4000-6000
39.	मिस्त्री-तृतीय	3050-4590
40.	एम. टी. आर.-प्रथम	5000-8000
41.	एम. टी. आर.-द्वितीय	4000-6000
42.	एम. टी. आर. तृतीय	3050-4590
43.	हैल्पर-प्रथम	2950-4475
44.	हैड ड्राफ्ट्समैन	5000-8700
45.	ड्राफ्ट्समैन-प्रथम	5000-8000
46.	ड्राफ्ट्समैन-द्वितीय	4000-6000
47.	ट्रेसर	3050-4590
48.	सर्वेयर	5000-8000
49.	असिस्टेन्ट सर्वेयर	4000-6000
50.	एस्टीमेटर	4000-6000
51.	मीटर इंस्पेक्टर-प्रथम	4000-6000
52.	मीटर इंस्पेक्टर-द्वितीय	3050-4590
53.	मीटर रीडर-प्रथम	3050-4590

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला
54.	मोटर रोडर-द्वितीय	2950-4470
55.	आपरेटर-द्वितीय	3050-4590
56.	मैकेनिक-द्वितीय	3050-4590
57.	टैक्नीशियन-द्वितीय	3050-4590
58.	पार्क लिफ्ट आपरेटर	3050-4590
59.	कम्प्रेसर आपरेटर	3050-4590
60.	लोको फिटर	4000-6000
61.	आपरेटर-तृतीय	2950-4475
62.	सेमीस्किल्ड कैरिज फिटर	2950-4475
63.	मैकेनिक-द्वितीय (डीजल)	3050-4590
64.	पम्प आपरेटर	3050-4590
65.	कैरिज फिटर	3050-4590
66.	फिटर-द्वितीय (लोको)	3050-4590

परिशिष्ट--4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 327 का विवरण)

परिशिष्ट--'अ'

विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में माह नवम्बर, 1998 से मार्च, 1999 तक जारी मांग पत्र, दिये गये कनेक्शन व लम्बित आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	उपखण्ड शहर				उपखण्ड ग्रामीण			
		जारी मांग पत्र	दिये गये कनेक्शन	लम्बित आवेदन पत्र	कब से लम्बित	जारी मांग पत्र	दिये गये कनेक्शन	लम्बित आवेदन पत्र	कब से लम्बित
1.	घरेलू	227	100	383	9/98	260	39	697	9/98
2.	अघरेलू	31	19	75	9/98	17	6	49	11/98
3.	कृषि	—	—	5	4/94	—	8	299	4/94
4.	औद्योगिक	13	8	5	1/99	5	3	2	2/99
5.	जलदाय विभाग	—	1	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 331 की प्रति)

पंजाब नेशनल बैंक संदर्भ Ref :
Punjab National Bank दिनांक Date :
(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)

BO : M. I. Road, Jaipur

31st January, 1998

The Chairman
Rajasthan State Electricity Board
Vidyut Bhawan
Jyoti Nagar
Jaipur

Dear Sir,

Reg : Your Proposal for sanction of term loan.

We are pleased to inform you that your proposal for term loan of Rs. 50.00 crores has been approved by our Head Office. We are enclosing herewith two copies of various terms and conditions of proposed term loan of Rs. 50.00 crores (Annexure-I). You are requested to return one copy of terms and conditions of sanction duly accepted for our record and future reference.

Thanking you.

Yours faithfully,
Sd/-
Chief Manager

देना बैंक
DENA BANK

M.I. Road, P.B. No. 89/एम.आई.रोड, पो.बा.नं. 89
Jaipur-302 001/जयपुर-302 001
Gram : Denain/तार : Denain
Telex : 0365-2216/टेलेक्स : 0365-2216
Fax : 0141-360493/फैक्स : 0141-360493
Ph. : 360472 (GEN) 360493 (SM)/
फोन : 360472 (सा.) 360493 (व.प्र) 362957
(FOREX)/362957 (फोरेक्स)
E-Mail : JAI. Jpl. DENA. SPRINTRPG. EM5.
VSNL. NET. IN

संदर्भ सं. / Ref No. JP/AEV/178/98 दिनांक/Date 15-1-1998

The Member Finance
Rajasthan State Electricity Board,
Jaipur.

Dear Sir,

Ref. : Your Request for Term loan

We are pleased to inform you that our Head Office has considered your request and sanctioned Term loan of Rs. 50.00 crore. We are enclosing herewith the copy of terms of sanction for your information and compliance.

Kindly convey your acceptance.

Yours faithfully,
Sd/-
Senior Manager.

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 337 की प्रतियां)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन विभाग

क्रमांक–निकृवि/मंडी/बजट/98-99/ दिनांक :–

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
जयपुर। (अनाज)

विषय :– मास्टर प्लान एवं पंचायत मुख्यालयों की शेष रही सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति।

प्रसंग :– उप शासन सचिव, कृषि (ग्रु.प-2) का पत्रांक प. 9 (1) कृषि/ग्रु.प-2/पार्ट III दिनांक 11-6-98 तथा आपका प्रस्ताव पत्रांक संख्या दिनांक

विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश द्वारा आपकी मंडी समिति के अन्तर्गत निम्न लिखित नवीन सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। एतदर्थ निम्न प्रकार वर्ष 98-99 के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि. मी.	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति	98–99
1.	स. स. बिलांदरपुर वारड़ी रोड़ से गोबिन्दपुरा बासडी	0.60	5-10	3.00	
2.	स. स. आजेला गोबिन्दपुरा से गोबिन्द-पुरा धामाई	1.50	26-75	12.00	
3.	स. स. मनोहरपुरा खोरा रोड से पुराना	1.20	14-75	7.00	
4.	एन. एच. 8 से ढाणी गैसकान	0.50	3-75	2.00	
5.	स. स. त्रिवेणी किशनगढ रोड से देवीपुरा	0.50	6-25	3.00	
6.	स. स. दूदू फागी रोड से गंगातीकलां	7.00	52-50	20.00	
7.	स. स. रसीली	14.00	109-00	30.00	
				77.00	

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार।

1. यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृति की गई सड़कों के संबंध में सूचना सम्बन्धित जिला कलक्टर व पंचायत मुख्यालयों को जारी की जावें व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी स्वीकृति विवरण की सूचना प्रेषित की जावे जिससे जनप्रतिनिधियों का भी विकास में सहयोग लिया जाना सम्भव हो सके।

2. कृषि विपणन बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त सड़कों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ हो जावें।

3. सुनिश्चित करें कि उपरोक्त स्वीकृति सड़कों की पूर्व में विभाग द्वारा या अन्य विभागों/संस्था द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ह0

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कृषि विपणन

परिशिष्ट 'ख"

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रमांक 2107 दिनांक 14-7-98

अधिशाषी अभियन्ता,
राज. रा. कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर। (खण्ड-प्रथम)

विषय :— मंडी विकास निधि से सड़कों के निर्माण बाबत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प9(11) कृषि/ग्र.प-2/पार्ट III दिनांक 11-6-98 के क्रम में संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी सड़कों की वर्ष 1998-99 के लिये निर्देशानुसार उनके सामने अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। सड़कों का कार्य प्रशासक, राज. रा. कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के आपको सम्बोधित पत्र क्रमांक 1104 दिनांक 30-5-98 के द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करावें कि किसी अन्य विभाग तथा संस्था द्वारा उक्त सड़क के कार्य की कोई वित्तीय स्वीकृति तो जारी नहीं हुई है। किसी अन्य संस्था तथा विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की स्थिति में उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति निरस्त समझी जावे।

संलग्न:—सड़कों की सूची

ह0
मुख्य लेखाधिकारी,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

परिशिष्ट–'ग'

List of Road Works Sanctioned Under MDF

Name of Division : Jaipur-I

परिशिष्ट--'ख'

S. No.	Name of Kums	Name of Roads	Length	ADMN. Sanction	FIN. Sanction 1998-99
1	2	3	4	5	6
State Development Fund (SDF)					
1.	Jaipur (Grain)	Bobas to Al-Danka Bas	8.00	48.00	9.60
			8.00	48.00	9.60
District Development Fund (DDF)					
1.	K. Renwal :	Jobner Renwal Road to Baber Ki Dhani	2.00	12.00	6.00

1	2		3	4	5	6
2.	K. Renwal	:	Bhaisana to Kodiyan Ka Bas	3.00	18.00	3.60
3.	Kotputli	:	Kotputali Bansor Road KM. 5/0 to Chaturbhuj	.80	6.80	6.80
			Khelna to Fatehpura Khurd	.50	4.25	4.25
4.	K. Renwal	1.	Jobner Road to Dhehra	2.60	15.60	3.12
		2.	Pachkodiya Bhadwa Road to Anantpura	4.00	24.00	4.80
		3.	Jobner Renwal Road to Nadri	2.00	12.00	6.00
	Jaipur (Grain)	1.	A/R Beejolad	4.90	41.65	8.33
				19.80	134.30	42.90

Sd/–
Chief Accounts Officer
R. S. A. M. B., Jaipur

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 दिनांक 8-4-99 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में केस करने के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार से है :—

मुकदमा नम्बर	:	522/96
अन्तर्गत धारा	:	72 जविप्रा अधिनियम
पुलिस थाना	:	सोडाला
नाम मुल्जिमान	:	जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लड्डूराम बाबूलाल पुत्र श्री लड्डूराम
निवासी	:	रेल्वे लाइन के पास रूप नगर, जयपुर ।

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन बी-2 के क्षेत्र में निम्न अवैध निर्माण निम्न ध्वस्त किये गये :—

1. महेश नगर 80 फुट चौड़े रोड पर ढाबे के पास एक दुकान ध्वस्त की गई ।
2. एस–22 अबधपुरी रेल्वे लाईन के सामने एक दुकान ध्वस्त करवाई गई ।

परिशिष्ट "स"

सेवा में,
श्रीमान् स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार, जयपुर

दिनांक 28-12-98

विषय :– नोटों की भरी थैली भेंट करने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा राजेन्द्र जैन निवासी 142, अवधपुरी–2, महेश नगर, जयपुर, अपनी रेजीडेन्सियल भूमि पर रातोंरात व्यावसायिक परिसर के रूप में किये गये अनाधिकृत निर्माण की जांच को तोड़ जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

यह है कि राजेन्द्र जैन निवासी 142, अवधपुरी-2 ने 24-25 नवम्बर-98 की रात में व्यावसायिक परिसर/दुकान का जे. डी. ए. अधिकारियों की देख रेख में अनाधिकृत निर्माण करवा लिया है । इस विषयक जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों को अनेकानेक शिकायतें किये जाने के बावजूद षडयन्त्र रचकर अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण दुकान को तोड़ जाने के विषय में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप यह अब कह रहा है कि नोटों की थैली को भी ············ खरीद लिया है और मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और मैं तो जे. डी. ए. का नगद दामाद हूं ।

यह है कि जे. डी. ए. अधिकारियों की देखरेख में एवं सुझाये गये तरीकों के आधार पर गलत ढंग से अनाधिकृत रूप से किये गये इस व्यावसायिक परिसर के निर्माण सम्बन्धी मोटे तौर पर सभी पुख्ता सबूतों को धीरे धीरे रोजाना नष्ट करता जा रहा है ।

यह है कि जे. डी. ए. अधिकारियों द्वारा गलत तरीके अपनाकर दोषी व्यक्ति से वसूल की गई मोटी रकम के बदले आज तक इस व्यावसायिक परिसर का मौका मुआयना तक नहीं किया है और अब तक निर्माण सम्बन्धी पुख्ता सबूत जे. डी. ए.

अधिकारियों की देखरेख एवं सूझबूझ के अनुसार पूरी तरह से नष्ट नहीं करा दिये जायेंगे। क्या तब तक इस दुकान को नजर भरकर नहीं देखने एवं किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु जे. डी. ए. अधिकारियों/कर्मचारियों ने मन में ठान रखी है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि षडयन्त्र रचकर रातोंरात किये गये इस अनाधिकृत निर्माण को किसी अन्य स्वतन्त्री एजेन्सी/अधिकारी से शीघ्र जांच कराई जाकर तोड़े जाने की आवश्यक कार्यवाही की जावे। इस अनाधिकृत तामीरात के कारण सार्वजनिक एवं राजकीय हितों को नुकसान पहुंचाये जाने की जिम्मेदारी जे. डी. ए. अधिकारियों की होगी तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को अपनी कर्तव्य विमुखता जानबूझकर अज्ञात दबाव व बरती जा रही लापरवाही के लिये उत्तदायित्व वहन करना होगा। इस निर्माण की सूचना महामहिम लोकायुक्त महोदय राजस्थान सरकार को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु अलग से प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

ह0/-

परिशिष्ट "द"

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांक :– जविप्रा/JUT.बी-2/प्रवर्तन/99/डी-416 दिनांक 10-3-99

अनुभागाधिकारी (राज्यपाल प्रकोष्ठ)
जन अभियोग निराकरण विभाग,
प्रशासन सचिवालय, जयपुर ।

विषय:— राजेन्द्र जैन निवासी 142 अवधपुरी-2 महेश नगर, जयपुर पर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल सैनी की शिकायत बाबत ।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक:-227 दिनांक 12-2-99

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शिकायतकर्ता श्री कृष्ण गोपाल सैनी, महेश नगर, जयपुर द्वारा श्री राजेन्द्र जैन के भूखण्ड सं. 142, अवधपुरी-2, महेश नगर, जयपुर पर रेजीडेन्शियल भूमि पर 24-25 नवम्बर; 98 की रात में व्यवसायिक परिसर के रूप में अनाधिकृत निर्माण किये जाने की शिकायत की थी । उक्त सम्बन्ध में जांच करवाई गई तथा जांच में शिकायत कुनिन्दा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य पाये गये । शिकायत कुनिन्दा श्री कृष्ण गोपाल सैनी महेश नगर, जयपुर-15 से सम्पर्क कर परिवाद में लिखित तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया मगर बावजूद कोशिश के कृष्ण गोपाल सैनी नामक परिवादी व्यक्ति का कोई पुख्ता पता नहीं लग पाया ।

अतः प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है ।

ह0
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।